लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४५, १९६०/१८८२ (शक)

[१६ से २६ अगस्त १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४५ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

विषय-सूची

	पृष्ठ
द्वितीय माला, खंड ४५—अंक ११ से २०—१६ से २६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण से ४ भाद्र, १८८२ (शक)	
अंक ११—मंगलवार, १६ अगस्त, १९६०/२५ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४ से ३९७, ४०० से ४०७, ४०९, ४१० और ४१२	१२५९—८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९८, ३९९, ४०८, ४११ और ४१३ से ४३७ .	१२८५—१३००
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१७ से ७९७	१३००—१३३७
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१३३७
जानकारी का प्रश्न .	१३३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१३३८
राज्य सभा से सन्देश	१३३८
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
(१) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१३३९
(२) संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य . .	१३३९
बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित कार्य मंत्रणा समिति . . .	१३३९
तिरेपनवां प्रतिवेदन	१३३९
वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग (रेलवे) .	१३३९—४७
सभापति तालिका .	१३४७
वर्ष १९५७–५८ के लिये अतिरिक्त अनुदानों की मांगें . .	१३४८—५५
अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था (स्थिति, उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार) विचार करने का प्रस्ताव . .	१३५६—७१
खंड २ से ५, अनुसूची और खंड १ पारित करने का प्रस्ताव . . .	१३७०—७१
प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१३७१—७४
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा के नये टोकन कार्ड	१३७४—७७
दैनिक संक्षेपिका	१३७८—८५
अंक १२—बुधवार, १७ अगस्त, १९६०/२६ श्रावण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४६, ४४८ से ४५० और ४५२	१३८७—१४०७

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४०८-१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४७, ४५१ और ४५३ से ४८५ १४०९--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९८ से ८१६ और ८१८ से ९०७ १४२८--७५

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४७६

राज्य सभा से सन्देश . १४७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में आंत्रशोथ (गेस्ट्रो-एन्ट्रेराइटिस) महामारी १४७७-७८

सदस्य के निरोध के बारे मे वक्तव्य . १४७८--८०

दक्षिण पूर्व रेलवे पर लाइन टूटने के बारे में वक्तव्य १४८०

समिति के लिये निर्वाचन--

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड १४८१

विधेयक--पुरस्थापित--

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक , १९६० १४८१

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६० १४८१-८२

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव १४८२--९४

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १४९५--१५११

दैनिक संक्षेपिका . १५१२--१५१९

अंक १३--गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०/२७ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ से ४९१ और ४९३ से ५०० १५२१--४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर --

तारांकित प्रश्न संख्या ४९२ और ५०१ से ५३६ . . १५४४--६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९०८ से १००३ और १००५ से १०१९ १५६३--१६११

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६१२-१३

राज्य सभा से सन्देश . . १६१३

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण १६१४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

सड़सठवां प्रतिवेदन . . १६१४

तालचेर की हडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य १६१४-१५

विधेयक-पुरस्थापित— पृष्ठ

(१) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक १६१५

(२) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक १६१५

विधेयक पारित—

(१) विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६१५—१६

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक १६१६

पलाई सेन्ट्रल बैंक के मामलों के बारे में . . १६१७

सभा का कार्य . . . . . . १६१७—१८

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन—
के बारे में प्रस्ताव . . . . १६१८—४२

नागा पहाड़ियां और तुएनसाग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव १६४३—६७

दैनिक संक्षेपिका . . १६६८—७६

अंक १४—शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४१, ५४३ से ५४५, ५४६ से ५५१ और
५६३ . . . . १६७७—१७००

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३७, ५४२, ५५२ से ५६२ और ५६४ से ५७७ १७००—१७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२० से १०९५ . . १७१३—१७४९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १७५०

सभा का कार्य . . . १७५०

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक . . १७५०—६४

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . १७५०—५६

खंड २ से १० और १—पारित करने का प्रस्ताव . . . १७५६—६५

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . १७६५—७७

सड़सठवां प्रतिवेदन १७७७

सदस्य की गिरफ्तारी—

आय की अधिकतम सीमा के बारे में संकल्प—अस्वीकृत १७७८—१८०४

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प कल्प १८०४—०७

कार्य मंत्रणा समिति—

चौवनवां प्रतिवेदन १८६०

दैनिक संक्षेपिका १८०८—१३

अंक १५--शनिवार, २० अगस्त, १९६०/२९ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ५८२, ५८८ से ५९१, ५९३ और ५९४ . १८१५--३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५८३ से ५८७, ५९२ और ५९५ से ६१७ १८३६--५२

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९६ से १२०० १८५२--९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८९६

राज्य सभा से सन्देश १८९६-९७

कांगों में लियोपोल्डविल--हवाई अड्डे पर संयुक्त राष्ट्र कमान में तैनात भारतीय चालक वृन्द से सम्बन्धित घटना के बारे में वक्तव्य . १८९७-९८

पलाई बैंक के बारे में वक्तव्य १८९९--१९०१

सभा का कार्य १९०२

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

इक्कीसवां प्रतिवेदन . १९०२

तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर की शुद्धि १९०२--३

समिति के लिये चुनाव--

केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड १९०३

कार्य मंत्रणा समिति--

चव्वनवां प्रतिवेदन . . . १९०४

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . १९०४--४८

मत विभाजन के परिणाम की शुद्धि १९४८

कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९४८--५४

खंड २ और १--पारित करने के लिये प्रस्ताव १९५४

निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में १९५५

दैनिक संक्षेपिका १९५६--६३

अंक १६--सोमवार, २२ अगस्त, १९६०/३१ श्रावण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६१८, ६१९, ६२१ से ६२५, ६२७, ६३०, ६३२, ६३३, ६३७, ६३८, ६४१, ६४३, और ६४५ से ६४७ १९६५--९०

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६२०, ६२६, ६२८, ६२९, ६३१, ६३४, ६३५, ६३६, ६३९, ६४०, ६४२, ६४४ और ६४८ से ६५१ . १९९१--९७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२०१ से १२६७ . १९९७--२०२८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २०२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०२८

वित्तीय समितियां १९५९-६० (एक समीक्षा)--सभा पटल पर रखा गया--

बाल विधेयक २०२९

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य-- सभा पटल पर रखे गये २०२९

सदस्य की रिहाई २०२९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

काली मिर्च के वायदे के सौदे . २०२९-३०

निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक--स्थगित २०३०

तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २०३०--६६

पलाई सेंट्रल बैंक के बन्द किये जाने के बारे में चर्चा २०६६--७६

दैनिक संक्षेपिका २०७७--८२

अंक १७--मंगलवार, २३ अगस्त, १९६०/१ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५२ से ६५६, ६५९ से ६६२, ६६६, ६६७, ६७०, ६७३ और ६७४ . . . २०८३--२१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६५७, ६५८, ६६३ से ६६५, ६६८, ६६९, ६७१, ६७२ और ६७५ से ६८५ २१०७--१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६८ से १३६२ २११६--५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१५७

राज्य सभा से सन्देश २१५७

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया २१५८

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव . २१५८--२२००

पलाई सेंट्रल बैंक के बारे में चर्चा २२०१--११

दैनिक संक्षेपिका . २२१२--१७

पृष्ठ

अंक १८—बुधवार, २४ अगस्त, १९६०/२ भाद्र, १८८२ (शक)

मौखिक प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८६ से ६९७ २२१९–४६

लिखित प्रश्नों के उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७४८ . २२४६–७२

१३६३–१४६०

अतारांकित प्रश्न संख्या . . . . . २२७२—२३१२

निधन सम्बन्धी उल्लेख . . . २३१२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन . २३१२

अनुपस्थिति की अनुमति . . २३१२–१३

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २३१३—६१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३६२—६८

अंक १९—गुरुवार, २५ अगस्त, १९६०/३ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४९ से ७६५ २३६९—९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ से ७९६ . . . २३९१—२४०५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४६१ से १५२६ और १५२८ से १५४४ २४०५–३८

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २४३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

उड़ीसा में बाढ़ २४३८–४२

तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव २४४२–९९

समिति के लिये निर्वाचन के बारे में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड २४९९

दैनिक संक्षेपिका २५००

अंक २०—शुक्रवार, २६ अगस्त, १९६०/४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९७ से ८०३, ८०५ से ८०८ और ८१० २५०७–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०४, ८०९ और ८११ से ८२३ २५३०–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४५ से १६३० २५३६–७२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २५७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५७२

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बांसपानी में लोहे की खानों के बन्द होने की आशंका ... २५७३

सभा का कार्य २५७३–७४

तृतीय पंचवर्षीय योजना को रूपरेखा के प्रारूप के बारे में प्रस्ताव ... २५७४—८३

निष्क्रान्त हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ... २५८४—९७

खण्ड १ से ३—पारित करने का प्रस्ताव २५९६–९७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन ... २५९७

विधेयक पुरस्थापित—

१. विधि-व्यवसायी (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १४ तथा १५ का संशोधन) [श्री हेमराज का] २५९७

२. विधान परिषद (रचना) विधेयक, १९६० [श्री श्रीनारायण दास का] २५९८

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा ३०२ का रखा जाना) [श्री अजित सिंह सरहदी का) ... २५९८

४. हिन्दु विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा २३ का संशोधन) [श्री अजित सिंह सरहदी का] ... २५९८

५. जल तथा वायु को दूषित करने से रोकना (संघ राज्य क्षेत्रों में) विधेयक १९६० [श्री झूलन सिंह का] २५९८-९९

६. खान (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १२, ६४ आदि का संशोधन) [श्री झूलन सिंह का] २५९९

७. कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९क का रखा जाना) [श्री झूलन सिंह का] २५९९

८. श्रमिक दुरुपयोग (निषेध) विधेयक, १९६० [श्री झूलन सिंह का] ... २५९९–२६००

सामाजिक प्रथाय (व्यय में कमी) विधेयक [श्री झूलन सिंह का]
—वापिस लिया गया—

परिचालित करने का प्रस्ताव ... २६००—०९

वृद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक [श्री मोहन स्वरूप का]—

विचार करने का प्रस्ताव ... २६०९—१५

दैनिक संक्षेपिका ... २६१६—२१

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1031(Ai)LSD—28-9-60—135

लोक-सभा

गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०

२७ श्रावण, १८८२ शक

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पश्चिमी बंगाल में उर्वरक का कारखाना

+

†*४८६. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक उर्वरक के कारखाने की स्थापना के बारे में प्रस्तावों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर में एक उवर्रक कारखाना स्थापित करने के सुझाव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : इस योजना के कार्यान्वित हो जाने पर देश की उर्वरक सम्बन्धी मांग कहां तक पूरी हो जायेगी ?

†श्री सतीश चन्द्रः यह कारखाना इस दृष्टि से लगाया जा है रहा जिससे पश्चिमी बंगाल की मांग पूरी हो सके।

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री साधन गुप्त : माननीय उपमंत्री ने यह बताया है कि भारत सरकार ने इस सुझाव को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया है। तो क्या इससे यह तात्पर्य है कि वह कारखाना स्थापित किया जा रहा है या कि इस बारे में अभी भी कुछ सन्देह है ?

†श्री सतीश चन्द्र : इस कारखाने को स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय पश्चिमी बंगाल सरकार ने किया था। उस सरकार ने हमें लिखा था और हमने उसे स्वीकार कर लिया है। वह सरकार प्रविधिक सहयोग के लिये एक जापानी फर्म से बात कर रही है। औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम के अधीन लाइसेन्स की इन्तजार की जा रही है।

†श्री साधन गुप्त : क्या बंगाल सरकार ने वित्तीय अंशदान के सम्बन्ध में भारत सरकार से कोई बातचीत की है, और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†श्री सतीश चन्द्र : बातचीत तो समय समय पर होती ही रहती है। इस परियोजना के लिये लगभग २० करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी जिसमें से लगभग ५ करोड़ रुपयों की पूंजी अंशों के रूप में होगी। इसमें पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा ५१ प्रतिशत और जापानी फर्म द्वारा ४९ प्रतिशत पूंजी लगायी जा रही है। शेष राशि के लिये ऋण प्राप्त किये जायेंगे। पश्चिमी बंगाल सरकार ने बताया है कि वित्त प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी।

†श्री अरविन्द घोषाल : इससे कितना यूरिया तथा नाईट्रोफास्फेट तैयार किया जा सकेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा दिये गये प्रारम्भिक प्राक्कलनों के अनुसार लगभग १००,००० टन यूरिया और लगभग ६०,००० टन नाइट्रोफास्फेट तैयार किये जा सकेंगे।

†श्री गोरे : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि पश्चिमी बंगाल में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के सुझाव को सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया गया है। तो क्या उससे यह तात्पर्य है कि सिद्धान्ततः प्रत्येक राज्य में एक एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : यह तो पश्चिमी बंगाल सरकार के कहने पर किया जा रहा है। हम तो देश में अधिक से अधिक उर्वरक कारखाने स्थापित करने का यत्न कर रहे हैं। परन्तु यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस किस स्थान पर कच्ची सामग्री उपलब्ध होती है। परन्तु यत्न यही है कि लगभग प्रत्येक बड़े राज्य में एक कारखाना अवश्य होना चाहिये।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वैस्ट बंगाल सरकार के अलावा और भी किसी राज्य सरकार ने जैसे आन्ध्र आदि की सरकार ने फरटीलाइज़र फैक्टरी के लिए मांग की है ?

श्री सतीश चन्द्र : आन्ध्र प्रदेश की फरटीलाइज़र फैक्टरी तो बहुत दिन हुए मंजूर हो चुकी और उसके बारे में कई सवालों के जवाब भी यहां दिए जा चुके हैं, और भी बहुत सी स्टेट्स में........

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : और किन स्टेट्स में.......

श्री सतीश चन्द्र : आसाम में फरटीलाइज़र फैक्टरी लगाने का विचार है। एक राजस्थान में, एक मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में लगाने का विचार है। ट्राम्बे में लग रही है। उड़ीसा में और मद्रास में लग रही है। करीब करीब हर स्टेट में फरटीलाइज़र फैक्टरी लगाने का विचार है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** ये कारखाने विभिन्न राज्यों द्वारा स्थापित किये जा रहे हैं। उत्पादित वस्तुओं के वितरण के सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया गया है? क्या वे किसी विशेष राज्य के लिये निर्धारित कर दी जायेंगी, या वे आवश्यकतानुसार अखिल भारतीय आधार पर वितरित की जायेंगी?

†**श्री सतीश चन्द्र :** माननीय सदस्य को ज्ञात है कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय ने उर्वरक सम्बन्धी एक 'पूल' बनाया हुआ है। देश में तैयार किया गया सम्पूर्ण 'नाइ-ट्रोजेनस' उर्वरक 'पूल' के हवाले कर दिया जाता है और फिर वहां से वितरण का प्रबन्ध किया जाता है। ये कारखाने सम्पूर्ण देश में स्थापित किये जा रहे हैं और आसपास के स्थानों को निकटवर्ती कारखाने से संभरण किया जायेगा।

विनय मार्ग के फ्लैट

†*४८७. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विनय मार्ग के जो फ्लैट संसद् सदस्यों ने छोड़ दिये थे, वे सरकारी अफसरों को दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार फ्लैट देते समय अफसर की वरिष्ठता पर कोई ध्यान दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सूची में दर्ज कुछ कनिष्ठ अफसरों ने भी किसी तरह फ्लैट प्राप्त कर लिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सूची में दर्ज कनिष्ठ अफसरों को फ्लैट देने के क्या कारण हैं?

†**निर्माण आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चन्दा) :** (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३५**]

†**श्री अ० मु० तारिक :** क्याकि ये फ्लैट कुछ एक सरकारी पदाधिकारियों को एलाट किये गये हैं, तो इन की देखभाल कौन करता है—पार्लियामेंट वर्कस डिवीज़न या कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** इन फ्लैटों की देखभाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है और सामान्य संधारण कार्य भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० मु० तारिक :** इन फ्लैटों के फर्नीचर और अन्य सामग्री पर कौन धन लगाता है? क्या यह काम पार्लियामेंट वर्कस डिवीज़न द्वारा किया जाता है या कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सामान्य 'पूल' से?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक पदाधिकारियों के आवंटित फ्लैटों का सम्बन्ध है, वे अधिकांश बिना फरनीचर के हैं। यदि किसी पदाधिकारी को फरनीचर की जरूरत होती है तो वह अतिरिक्त फरनीचर किराया अदा करके वह फर्नीचर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से प्राप्त कर सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह धन पार्लियामेंट वर्क्स डिवीज़न द्वारा खर्च किया जाये या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुल राशि तो भारत के संचित कोष से ही तो जाती है, अतः उस प्रश्न में मैं कोई सार नहीं देखता।

प्रत्यर्पण सन्धि

+

*४८८. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री आगाड़ी :
श्री वोडयार
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान को जो प्रत्यर्पण सन्धि का प्रारूप भेजा था क्या उसके बारे में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त हो गयी है?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : जी नहीं।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** यदि यह सन्धि हो गयी तो क्या यह भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगी?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** सामान्यतया प्रत्यर्पण का प्रश्न भविष्य पर ही लागू होता है। परन्तु फिर भी यह सन्धि की शर्तों पर ही निर्भर करता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या भारत की किसी और देश से प्रत्यर्पण सन्धि है; और यदि हां, तो उनके क्या क्या नाम हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जी हां, कुछ देशों से हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** सभा सचिव ने बताया है कि पाकिस्तान से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्या प्रधान मंत्री का ध्यान हाल ही में पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा दिये गये उस बयान की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के मैत्रीपूर्ण सुझावों को न मानने के सम्बन्ध में भारत सरकार की कड़ी आलोचना की है....

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। यह तो एक सामान्य सा प्रश्न है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : यह प्रश्न इसलिये उत्पन्न होता है कि यहां एक ऐसा उदाहरण है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को एक प्रारूप सन्धि भेजी है जिसका पाकिस्तान ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो फिर पाकिस्तान सरकार भारत पर यह कैसे आरोप लगा सकती है कि वह मैत्रीपूर्ण सुझावों को स्वीकार नहीं करता ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता :

पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

+

†*४८६. सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हेमराज :

क्या योजना मंत्री १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों के विकासार्थ एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

†सरदार इकबाल सिंह : यह जानकारी सभा-पटल पर कब तक रख दी जायेगी ?

†श्री ल० ना० मिश्र : हम राज्य सरकार को उसके लिये पुनः स्मरण दिला रहे हैं और आशा है कि वह शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी।

†अध्यक्ष महोदय : और प्राप्त होने पर सभा के सामने प्रस्तुत कर दी जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, फरवरी में जब इस प्रश्न का उत्तर दिया गया था उस समय माननीय सभासचिव ने यह फरमाया था कि राज्य सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है तो इस पर अमल करने में इतनी देरी क्यों हो रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : उन्होंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनको देरी इसलिए हुई है कि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि वह शीघ्र ही कमेटी बना देंगे।

श्री हेम राज : तीसरी पंच वर्षीय योजना को बनाने में स्टेट गवर्नमेंट को इस कमेटी का सहयोग लेना था। लेकिन जैसा कि अभी बताया गया, स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पंचवर्षीय योजना बना ली है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी सूरत में इस कंसलटेटिव कमेटी का सलाह मशविरा किस वक्त लिया जाएगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाने में इस कमेटी का सलाह मशविरा लिया जाएगा। अभी तो स्टेट गवर्नमेंट ने मोटी योजना बनायी है। अभी ब्यौरेवार योजना

†मूल अंग्रेजी में

नहीं बनायी गयी है। इसलिए अन्दाजा है कि जब यह चीज उस स्तर पर जाएगी तो उनसे सलाह मशविरा लिया जाएगा।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट यह कह रही है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना तो वह बना चुकी है, अब उसके बाद पंजाब में कंसलटेटिव कमेटी बनायी जाएगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : वह ऐसा नहीं कह रही है। हमारा अन्दाजा है कि जब तृतीय पंचवर्षीय योजना बनायी जाएगी तो उसमें उनका सहयोग लिया जाएगा, उनके सहयोग से वहां की स्थानीय परिस्थितियों का अध्ययन किया जाएगा और तब विवरण तैयार किया जाएगा।

श्री भक्त दर्शन : इस क्षेत्र में अभी हाल में लाहौल व स्पिती घाटियों को मिलाकर एक अलग जिला बना दिया गया है, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो कंसलटेटिव कमेटी होगी यह उस क्षेत्र के लिए भी होगी या उस क्षेत्र के लिए एक अलग कमेटी बनाई जायगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : किसी खास जिले के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन पंजाब के पर्वतीय इलाके और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाके के लिए भी कमेटी होगी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब में कुछ और भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, क्या उन क्षेत्रों के लिये भी इसी प्रकार की समितियां स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई विचार है ?

†**श्री ल०ना० मिश्र :** यह तो केवल पर्वतीय क्षेत्र के लिये है।

तिब्बती शरणार्थी

†*४६०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दलाई लामा ने भारत सरकार से तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये उन्हें कृषि-योग्य भूमि या चरागाह देने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में दलाई लामा को कुछ लिखा है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार भारत में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में दलाई लामा से पत्र व्यवहार कर रही है। तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये उपयुक्त तथा उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध में पूछताछ की जा रही है ?

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या दलाई लामा ने स्वय स्थायी पुनर्वास के लिये किसी विशेष भूमि की मांग की है और यदि हां, तो किस भूमि की मांग की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** उसका उत्तर मूल प्रश्न के उत्तर में दिया जा चुका है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** वह भूमि किस स्थान पर एलाट की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** हम उन शरणार्थियों के लिये उपयुक्त भूमि खोज रहे हैं, परन्तु अभी तक केवल एक ही स्थान पर उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो सकी है और वह है भलुकपुंग नामक स्थान पर। आशा है कि वहां पर लगभग ८०० व्यक्तियों को बसाया जा सकेगा।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : यह जो तिब्बती शरणार्थी भारत देश में रह रहे हैं वे किन किन प्रान्तों में हैं और कितनी कितनी उनकी संख्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** सारे भारत में रह रहे हैं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इस समय भारत में लगभग २,००,००० तिब्बती शरणार्थी रह रहे हैं। वे सिक्किम, नेफा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, लद्दाख और उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** सरकार ने वास्तविक शरणार्थियों को अवास्तविक शरणार्थियों से अलग करने के सम्बन्ध में अभी तक क्या क्या कार्यवाही की है ? यदि कोई कार्यवाही की है तो उन वास्तविक शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये क्या योजना बनायी गयी है ? क्या सरकार उन्हें भूमि आवंटित करने के अतिरिक्त उन्हें सड़क निर्माण-कार्य तथा अन्य विकास कार्यों में लगाने का कोई विचार रखती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन:** जी हां, सभी की जांच पड़ताल की जा रही है, परन्तु मैं इस समय यह नहीं बता सकती कि इसके लिये क्या क्या उपाय अपनाये गये हैं। मेरा ख्याल है कि लगभग ११,२५० तिब्बती व्यक्तियों को सड़क निर्माण-कार्य में और ४०० व्यक्तियों को जंगल काटने के काम में लगाया गया है। लगभग १००० व्यक्ति हस्तशिल्प सीख रहे हैं और लगभग ५५० विद्यार्थी हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग निराश्रित और कुछ विधवायें भी हैं। उन्हें भी पुनः बसाया जा रहा है।

श्री पद्म देव : क्या यह दुरुस्त है कि हिमाचल प्रदेश में तिब्बतियों को ऐसे स्थान दिये जा रहे हैं जहां पर हिमाचलवासियों के चरागाह (घासनियां) हैं और जब उन के पास इनको छोड़ते हैं तो उनको इसमें बहुत कष्ट हो रहा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हमें तो इस की कोई सूचना नहीं मिली है। मेरा मतलब यह है कि उन के कष्ट की सूचना हमें अभी तक नहीं मिली है।

श्री पद्म देव : यदि यह दुरुस्त है तो क्या उन लोगों की तकलीफात को सामने रखते हुए उनके बसाने का प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन जहां कष्ट हो उस को हटाने की कोशिश करनी चाहिए।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि हम इस सम्बन्ध में दलाई लामा को क्यों लिखते हैं ? दलाई लामा की इस मामले में क्या हैसियत है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं जानता।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** सरकार दलाई लामा से पत्रव्यवहार कर रही है। मेरा प्रश्न यह है कि हम उन्हें क्यों लिखते हैं ? उनकी इस मामले में क्या हैसियत है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : पहली बात तो यह है कि प्रश्न में ही यह पूछा गया था कि क्या दलाई लामा ने शरणार्थियों के लिये कुछ भूमि मांगी थी । दूसरी बात यह है कि हम दलाई लामा को एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो कि हमें इन तिब्बती शरणार्थियों के सम्बन्ध में परामर्श दे सकते हैं । हम समय समय पर उनसे परामर्श लेते हैं ।

बैंक कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

†*४९१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों के लिये, जिनमें रिज़र्व बैंक और स्टेट बैंक के कर्मचारी शामिल हैं, स्थापित न्यायाधिकरण ने किसी अन्तरिम सहायता की सिफारिश की है;

(ख) कितना धन देने की सिफारिश की गई है; और

(ग) क्या बैंकों ने इस सिफारिश को कार्यान्वित किया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह राष्ट्रीय न्यायाधिकरण मई के मास नियुक्त किया गया था तो इसने अन्तरिम सहायता के बारे में निर्णय करने में इतना विलम्ब क्यों कर दिया है ?

†**श्री आबिद अली** : न्यायाधिकरण मार्च में नियुक्त किया गया था और अधिसूचना के अनुसार उसे अन्तरिम सहायता के बारे में भी निर्णय करने का अधिकार प्राप्त था। इसके लिये मांग करना श्रमिकों के प्रतिनिधियों का काम है और वह न्यायाधिकरण इस सम्बन्ध में उचित निर्णय देगा ।

†**श्री तंगामणि** : क्या अन्तिम निर्णय पेश करने के लिये उस न्यायाधिकरण के लिये कोई अवधि निर्धारित की गयी है ?

†**श्री आबिद अली** : ऐसा कहना या कोई अवधि निर्धारित करना वैधानिक रूप से उचित न होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय उपमंत्री के पहले प्रश्न के उत्तर से यह ज्ञात होता है कि श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की ही नहीं है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा अन्तरिम सहायता के लिये कोई मांग की गयी है ?

†**श्री आबिद अली** : हमारे पास न्यायाधिकरण की कार्यवाही के सम्पूर्ण ब्योरे नहीं आते । यदि माननीय सदस्य इसके लिये अलग प्रश्न की पूर्वसूचना दें, तो इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

†**श्री तंगामणि**: माननीय मंत्री ने यह कहा है कि न्यायाधिकरण से यह कहना उचित नहीं है कि वह अपना निर्णय किसी निर्धारित अवधि के अन्दर दे दे । मैं उन्हें स्मरण करा देना चाहता हूं कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम के अधीन सभी अपीलों को ६ मास के अन्दर अन्दर निबटा दिया जाना चाहिये । क्या सरकार ने इस न्यायाधिकरण से इसी अवधि के अन्दर अन्दर निर्णय दे देने के लिये लिखा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री आबिद अली : इस अधिनियम का निरसन कर दिया गया है। यह न्यायाधिकरण औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि यह न्यायाधिकरण क्या कार्य कर रहा है, क्योंकि उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि क्या कर्मचारियों ने कोई आवेदनपत्र भेजा है ? इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†श्री आबिद अली : इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति हो चुकी है। दोनों पक्षों ने लिखित बयान दे दिये हैं। गवाहियां भी मांगी गयी हैं और न्यायाधिकरण की कई बैठकें भी हो चुकी हैं।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

+

†*४९३. { श्री अजित सिंह सरहदी
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की खनिज अयस्कों सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात को बढ़ावा देने के बारे में दिये गये सुझावों पर विचार कर लिया है; और

(ख) इस प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और क्या निर्णय किये गये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख). सरकार ने मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के लिये पहले ही प्रोत्साहन के लिये कई कार्य किये हैं। इस सम्बन्ध में हाल ही में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ की स्थायी समिति से प्राप्त सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है।

†श्री अजित सिंह सरहदी : उस द्वारा क्या क्या सिफ़ारिशें की गयी हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ की समिति ने कई सिफ़ारिशें की हैं जैसे कि कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये, निर्यात नीति एक लम्बी कालावधि के लिये निर्धारित किया जाये, शुल्क समाप्त कर दिया जाये, रेलवे भाड़े की दरें कम कर दी जायें, आदि। उन पर विचार किया जा रहा है।

†श्री अजित सिंह सरहदी : इनके बारे में कब तक निर्णय कर दिया जायेगा ?

†श्री सतीश चन्द्र : ये सिफ़ारिशें अभी हाल ही में प्राप्त हुई हैं। उन पर विचार भी करना है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन कौन से देश को यह मैंगनीज ओर भेजा जाता है और किस देश में हम को ज्यादा कीमत मिलती है ?

श्री सतीश चन्द्र : अब कीमत तो बाजार भाव के लिहाज से मिलती है। मैंगनीज ओर खाली हम ही भेजने वाले नहीं हैं और और मुल्कों से भी मैंगनीज ओर जाता है। जो इंटर-

†मूल अंग्रेज़ी में

नेशनल प्राइस होती है उस पर यह बिकती है । वैसे खास मैंगनीज ओर खरीदने वाला सब से बड़ा मुल्क तो यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका है । उसके बाद चेकोस्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम और जापान हैं । यह दूसरे बड़े मुल्क हैं जिन में कि काफी तादाद में मैंगनीज ओर बिकता है ।

श्री विभूति मिश्र : कीमत के बारे में मैं . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : विश्व मार्केट में कीमतें निर्यात की मात्रा पर निर्भर करती हैं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : पिछले ६ महीनों में कितने मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया है ? विभिन्न पत्तनों पर ऐसा कितना मैंगनीज़ अयस्क है जिसका निर्यात नहीं किया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जनवरी से अप्रैल तक के चार महीनों में लगभग ३,०६,००० टन मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया था ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि परिवहन साधन की कमी के कारण विभिन्न पत्तनों में बहुत सा मैंगनीज़ अयस्क व्यर्थ में पड़ा है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : अत्यधिक मात्रा में मैंगनीज़ का निर्यात करने के सम्बन्ध में सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं । राज्य व्यापार निगम ने आगामी कोटा अवधि में १२ लाख टन मैंगनीज़ निर्यात के लिये एक संविदा किया है ।

†**श्री जोकीमा अल्वा** : बेलगांव-कारबार क्षेत्र में पत्तन तथा रेलवे सम्बन्धी सुविधाओं की कमी है । क्या सरकार इस क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ध्यान देगी ? क्या इस क्षेत्र को उन क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक सुविधायें दी जायेंगी, जहां पहले से ही पर्याप्त रेलवे सुविधायें प्राप्त हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** उस मामले पर निरंतर विचार किया जा रहा है । हम मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये अधिकतम उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने का यत्न कर रहे हैं । जहां तक लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात का सम्बन्ध है, तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में उपयुक्त कार्यवाहियां करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री हेडा** : माननीय उपमंत्री ने बताया है कि निर्यातकर्ताओं को पहले ही पर्याप्तरियायतें दी जा चुकी हैं । वे रियायतें क्या क्या हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : कुछ समय पहले निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया था । श्रम कल्याण उपकर भी समाप्त कर दिया गया है । रेल के सम्बन्ध में प्राथमिकता के ग्रेड को भी बढ़ा दिया गया है वह पहले 'ई' थी अब 'डी' कर दी गयी है । सम्पर्क व्यापार द्वारा अधिक से अधिक मैंगनीज़ बेचने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये जा रहे हैं । और भी कई उपाय समय समय पर किये गये हैं ।

कृषि-ट्रैक्टरों का निर्माण

†*४९४. {
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री खीमजी :

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री आचार :
श्री जीन चन्द्रन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि-ट्रैक्टरों के निर्माण के सम्बन्ध में आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

मेसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटिड बम्बई और मेसर्स गुडअर्थ कम्पनी, नई दिल्ली, इन दो फर्मों को क्रमशः डेविड ब्राऊन तथा आइचर ट्रेक्टर्स (कृषि) के निर्माण के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के अधीन लाइसेन्स दिये गये थे । आशा है कि वे इन का निर्माण शीघ्र ही प्रारम्भ कर देंगे ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कृषि सम्बन्धी ट्रेक्टरों की मांग को पूरा करने के लिये निम्नलिखित फर्मों को जून, १९६० में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन अतिरिक्त लाइसेंस भी दिये गये हैं:—

फर्म का नाम	**ट्रक्टरों का साइज**	**वार्षिक क्षमता**
	फरगूसन	
मेसर्स अमेलगमेशंस प्राइवेट लिमिटेड (मद्रास) ।	२८.४ डी. बी. एच. पी.	३००० ट्रेक्टर
	३५ डी. बी. एच. पी.	५०० ,,
	डेविड ब्राउन	
मेसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लिमिटेड (बम्बई) ।	२०—३० डी. बी. एच. पी.	१५०० ,,
	३५ डी. बी. एच. पी.	७५० ,,
मेसर्स ट्रेक्टर्स एण्ड बुलडोजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (बड़ौदा) ।	'जेटोर' ४२ डी. बी. एच. पी.	१००० ,,

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन ट्रेक्टरों के वितरण के लिये सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है ? क्या उन का प्रबन्ध उन मोटर गाड़ियों से अच्छा होगा जिन की चोर बाज़ारी में बिक्री हो रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक ट्रेक्टरों का सम्बन्ध है, हम ने इन के सम्बन्ध में अपनी आवश्यकता से अधिक क्षमता के लिये मंजूरी दे दी है । अतः उत्पादन प्रारम्भ होते ही हमें इस की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन ट्रेक्टरों की कीमतें किस आधार पर निर्धारित की जाती हैं ? क्या कीमतों का नियंत्रण मंत्रालय के हाथ में होगा या कि निर्माताओं के हाथ में या कि दोनों के ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह** : इस बारे में इतनी जल्दी कुछ भी नहीं बताया जा सकता। वास्तव में ये भाव किसी योग्य कास्ट एकाऊंटेंट द्वारा या प्रशुल्क आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। परन्तु फिलहाल वह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। आशा है कि वे भाव अन्तर्राष्ट्रीय भावों के समान ही होंगे।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या ट्रेक्टरों के निर्माण के लिये युद्ध सामग्री कारखानों की उत्पादन क्षमता का भी उपयोग किया जा रहा है; और यदि हां तो किस सीमा तक ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि सभा को ज्ञात है, युद्ध सामग्री कारखानों का भी कार्यक्रम है परन्तु वह अधिकांश भारी गाड़ी मशीनों तक ही सीमित है अर्थात् अधिकांश बांधों तथा जलाशयों के लिये मिट्टी हटाने वाले भारी उपकरणों का ही निर्माण किया जा रहा है। यह मशीनें कृषि क्षेत्र की हैं जिन में ५० ड्राबार हार्स पावर तथा उस से अधिक शक्ति होती है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि ट्रैक्टरों के ये निर्माता जनता से इस आश्वासन पर धन ले रहे हैं कि वे उन्हें ट्रैक्टर संभरण करेंगे, भले ही वे उन ट्रैक्टरों को २ साल तक भी संभरित न कर सकें ?

†**श्री मनुभाई शाह**: जी नहीं, यह सच नहीं है, कम से कम मुझे तो इस बारे में ज्ञान नहीं है, यदि माननीय सदस्य को ऐसी कोई बात ज्ञात हुई है तो वे मुझे निस्संकोच बता सकते हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि संबंधी ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिये अतिरिक्त लाइसेंस दिये गये हैं। क्या इन फैक्टरियों के निर्माण से भारत आत्मनिर्भर बन जायगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यही तो मैं ने भी कहा है इस प्रकार के सभी मामलों में यह सच है कि प्राक्कलन पूर्णरूपेण ठीक नहीं निकल सकते तथापि हमारा अपना अनुमान यह है कि उस समय देश में एक वर्ष में लगभग १०,००० ट्रैक्टरों की आवश्यकता होगी और हम ने २२००० से अधिक ट्रैक्टरों के लिये लाइसेंस दे दिये हैं; यदि उस समय और अधिक ट्रैक्टरों की आवश्यकता हुई तो हम निश्चित रूप से इन कारखानों के विस्तार से अथवा और नये कारखानों की स्थापना से इन का उत्पादन भी बढ़ा देंगे।

†**श्री आचार** : क्या सरकार को ज्ञात है कि ट्रैक्टरों के पुर्जों के लिये विदेशी फर्में बहुत अधिक मांगती हैं। यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की जा सकती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि माननीय मंत्री ने 'रेडबुक' में देखा होगा, ट्रैक्टरों के पुर्जों के लिये बहुत से लोगों को लाइसेंसों के लिये अनुमति दी गई है। परन्तु यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों से अनेक प्रकार के ट्रैक्टर आते रहे हैं। इसीलिये कुछ एक ऐसे ट्रैक्टरों के संबंध में जोकि सरलता से उपलब्ध नहीं हो सकते अथवा जिन का निर्माण अन्य देशों में समाप्त हो गया है, पुर्जों के बारे में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। परन्तु सभा को यह सुन कर हर्ष होगा कि पुर्जों का निर्माण लघु उद्योगों में इतनी शीघ्र गति से हो रहा है कि स्थिति इतनी ज्यादा असन्तोष-जनक नहीं है।

†**श्री सोनावाने** : क्या इन कम्पनियों से यह भी कहा गया है कि वे छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण करें जिन का ग्राम्य क्षेत्रों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : जी, हां यदि माननीय सदस्य विवरण को देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि हल्के से ले कर भारी सभी प्रकार के ट्रैक्टरों के निर्माण का कार्यक्रम बना दिया गया है।

†श्री जोकीम आल्वा : सरकार ने यह संकल्प पारित किया था कि वह उद्योगों के निर्माण के कार्य के केन्द्रीयकरण तथा एकाधिकार की अनुमति नहीं देगी, परन्तु यहां पर मेसर्स महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा नामक फर्म को जीपों के निर्माण के लिये लगभग १० करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा दी जा रही है, जबकि वह फर्म अभी तक एक भी स्वदेशी जीप बनाने में सफल नहीं हुई है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तर्क वितर्क में पड़ गये हैं।

†श्री जोकीम आल्वा : जी नहीं, मैं अपने प्रश्न की ओर आ रहा हूं। सरकार इस फर्म को एक और नये उद्योग का काम क्यों दे रही है जबकि यह उद्योग ऐसे अन्य उद्योगपतियों को सौंपा जा सकता है, जिन के पास अन्य उद्योगों का काम बहुत कम है ?

†श्री मनुभाई शाह : वास्तव में हम तो वर्तमान मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग का विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं, केन्द्रीकरण नहीं, क्योंकि इसे सस्ता और उत्तम बनाने के लिये बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आवश्यक है।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : भारत में निर्मित ट्रैक्टर की न्यूनतम और अधिकतम लागत कितनी होगी ? क्या उस के सभी पुर्जे भारत में ही तैयार किये जायेंगे या कि कुछ आयात भी किये जायेंगे।

†श्री मनुभाई शाह : मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर पहले दूंगा। औद्योगिक विकास की मूल नीति यह है कि किसी भी मशीन के सभी पुर्जों को बाहर से मंगवा कर यहां पर केवल जोड़ने की अनुमति न दी जायेगी। तीन वर्षों के अन्दर अन्दर शत प्रतिशत पुर्जों का निर्माण यहीं होने लगेगा। इसलिये बहुत अधिक मात्रा में पुर्जों को बाहिर से मंगवाने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। जहां तक लागत के प्रश्न का सम्बन्ध है, उस का उत्तर यह है कि जब उत्पादन प्रारम्भ होगा, तो उसी समय लागत के बारे में हिसाब लगाया जा सकेगा।

†श्री सोनावाने : क्या निर्धन काश्तकार उन्हें खरीद सकेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : सभी काश्तकार गरीब हैं।

यूरोपीय सामान्य मंडी

†*४९५. { श्री कोडियान :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कालिका सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अध्ययन किया है कि प्रस्तावित यूरोपीय सामान्य मण्डी योजना का उपरोक्त योजना के अन्तर्गत देशों के साथ होने वाले हमारे व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गयी है कि इस योजना का इन देशों के साथ होने वाले हमारे निर्यात व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यूरोपीय व्यापारी वर्ग के छः सदस्य राज्यों को सीधे लिखा गया है । यरोपीय सामान्य मण्डी में भारतीय माल पहुंचने के बारे में उदारतापूर्ण सुविधायें प्राप्त करने की दृष्टि से प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार में सलाह और चर्चा भी हुई है । भारत सरकार भी सितम्बर १९६० में आरम्भ होने वाले प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार की प्रशुल्क सम्बन्धी बातचीत में भाग लेने का इरादा करती है ताकि भारतीय माल पर यूरोपीय प्रशुल्क में कमी करवाई जाए ।

†**श्री कोडियान** : इस यरोपीय सामान्य मण्डी के कारण किन वस्तुओं पर प्रभाव पड़ेगा ? माल के हमारे निर्यात में कितनी कमी होने की सम्भावना है और इस कारण हमारे निर्यात आय में कितनी कमी होगी ?

†**श्री कानूनगो** : अभी तक सामान्य मण्डी में प्रशुल्क घटने के पहले क्रम में हमारे व्यापार पर विशेष कर उन हालात में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । दूसरा क्रम आरम्भ हो गया है और हमें कुछ देर बाद इसका अनुमान लगाना है । उन देशों को निर्यात की लगभग ४० मुख्य चीज़ें हैं और जिनके लिये विभिन्न देशों में प्रशुल्क की भिन्न भिन्न दरें हैं । जब सब क्रम पूरे हो जायेंगे, अर्थात् जब वे अपने बीच अपने प्रशुल्क बंधनों को तोड़ देंगे, सामान्य मण्डी के समर्थकों का पूर्व अनुमान है कि व्यापार बढ जाएगा जबकि हमें डर है कि कुछ हद तक हमारे व्यापार पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा । परन्तु इसका अनुमान कुछ देर बाद ही लगाया जा सकता है ।

†**श्री कासलीवाल** : माननीय मन्त्री ने कहा है कि कुछ परामर्श किया गया है । क्या उस परामर्श के फलस्वरूप सरकार को कोई आश्वासन दिया गया था कि उन देशों को जो हमारा माल भेजा जाता है, उस पर साधारणतया बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**श्री कानूनगो** : जैसा कि मैंने कहा वास्तविक प्रशुल्क बात चीत सितम्बर १९६० में आरम्भ होगी । उस समय हमें यह देखना होगा कि क्या हमें कुछ प्रशुल्क सम्बन्धी रियायतें मिल सकती हैं । यदि हम रियायतें मांगेंगे तो हमें भी वैसी ही रियायतें देनी पड़ेंगी । यह बात चीत का मामला है ।

†**श्री कासलीवाल** : क्या यह सच नहीं है कि वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय का एक वरिष्ठ कर्मचारी उन छः देशों के साथ बातचीत करने के लिये भेजा गया था और यदि हां, तो इस विषय में उसने क्या रिपोर्ट दी है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं । सरकारी कर्मचारियों का एक शिष्ट मण्डल हमारा निर्यात व्यापार बढ़ाने की सम्भाव्यता को बढ़ाने के लिये गया था । उनसे प्रशुल्क सम्बन्धी बातचीत करने की आशा नहीं की गई थी । संयोगवश वे यूरोपीय सामान्य मण्डी के अधिकारियों से मिले और उन्होंने इस विषय में अनौपचारिक चर्चा की ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या सरकार ने अपनी ओर से हमारे निर्यात पर प्रशुल्क की इस कमी के प्रभावों का अनुमान लगाया है ?

†**श्री कानूनगो** : सामान्य मण्डी के पहले क्रम ने हमारे व्यापार पर विशेष कर प्रशुल्कों के कारण, कोई प्रभाव नहीं डाला ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटेन इस यूरोपीय सामान्य मण्डी योजना का सदस्य होना चाहता है, क्या ब्रिटेन द्वारा राष्ट्रमण्डल देशों को सामान्यतया दिये जाने वाला साम्राज्यीय अधिमान विदेश की मण्डियों के लिये हमारी मांग को पूरा करने के लिये हमारी सरकार द्वारा काफी समझा गया है, और क्या इस सम्भावना पर विचार किया गया था या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कानूनगो : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यूरोपीय खुला व्यापार क्षेत्र का उल्लेख कर रहे हैं। अभी वह आरम्भ नहीं हुआ। जब यह आरम्भ होगा, तब १९३९ की सन्धि में, जिसमें ब्रिटेन में भारत के लिये कुछ अधिमान थे, कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और उस विषय में बातचीत का उपबन्ध सन्धि में करना होगा। उसके प्रभावों का इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

†श्री हेम बरुआ : मैं यही चाहता था। ब्रिटेन यूरोपीय सामान्य मण्डी में शामिल होने का विचार करता है और वहां की संसद् के ४० सदस्यों ने इसकी मांग की है। हमें ब्रिटेन से कुछ लाभ हैं, जहां तक मण्डी का सम्बन्ध है, और वह राष्ट्रमण्डल देशों को जिसमें भारत शामिल है, ब्रिटेन द्वारा दिये गये साम्राज्यिक अधिमानों के कारण है मैं जानना चाहता हूं कि जब ब्रिटेन यूरोपीय सामान्य मण्डी में सम्मिलित होगा, क्या राष्ट्रमण्डल देशों को ब्रिटेन द्वारा दिये गये ये साम्राज्यिक अधिमान, भारत सरकार द्वारा, यूरोपीय सामान्य मण्डी की तुलना में पर्याप्त समझे गये हैं, क्योंकि इससे हमारी विदेशी मण्डी तंग हो जाएगी।

†श्री कानूनगो : ब्रिटेन यूरोपीय सामान्य मण्डी में शामिल नहीं हुआ। वास्तव में, उसने राज्यों का दूसरा जोड़ किया है, जो आम तौर पर यूरोपीय खुला व्यापार क्षेत्र राज्य कहलाते हैं। यदि वे यूरोपीय सामान्य मण्डी में शामिल होंगे तो हम निश्चय ही १९३९ की सन्धि में शोधन की मांग करेंगे।

†श्री कोडियान : सरकार ने जो अध्ययन किया है क्या वह इस धारणा पर आधारित है कि यूरोपीय सामान्य मण्डी और खुला व्यापार क्षेत्र दो भिन्न प्रतियोगी संगठन होंगे या इन दोनों के बीच गहरा सहयोग होगा ?

†श्री कानूनगो : वास्तव में आज ये दो चीजें हैं, एक सामान्य मण्डी जो पहले क्रम से गुजर चुकी है और दूसरे क्रम में जा रही है, और दूसरी खुला व्यापार क्षेत्र जो प्रारम्भिक अवस्था में है। खुला व्यापार क्षेत्र का यूरोपीय सामान्य मण्डी के साथ क्या प्रबन्ध होगा, यह अभी हम नहीं जानते। इस समय का हमारा अध्ययन दोनों व्यापार वर्गों पर आधारित है।

†श्री कोडियान : क्या सरकार ने ब्रिटेन से इस सामान्य मण्डी में भाग लेने के बारे में कोई आपत्ति की है ?

†श्री कानूनगो : दूसरा देश यदि कुछ करता है तो हम उस पर आपत्ति नहीं कर सकते। परन्तु यदि इसका हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है तो हमें १९३९ की सन्धि में संशोधन करने के बारे में परामर्श करने का हक है।

रबड़ के पौधों का पुनरारोपण

†*४९६. श्री पुन्नूस : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ के पौधों के पुनरारोपण के लिये दी जाने वाली राज-सहायता में अभी हाल ही के कुछ वर्षों में वृद्धि कर दी गयी है; और

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में रबड़ बोर्ड की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) रबड़ बोर्ड की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

†श्री पुन्नूस : रबड़ बोर्ड की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** रबड़ बोर्ड के फिर से बागान लगाने के लिये अर्थ सहायता बढाने की सिफारिश की है ।

†**श्री माणियंगाडन :** रबड़ बोर्ड की सिफारिशें कितनी देर हुए सरकार को भेजी गई थीं ?

†**श्री कानूनगो :** सिफारिशें बहुत देर से हैं । परन्तु हमें तीसरी पंचवर्षीय योजना को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार करना है ।

†**श्री जीन चन्द्रन :** क्या रबड़ बोर्ड की ओर से नये बागान शुरू करने के लिये काश्तकारों को ऋण देने के बारे में कोई प्रस्ताव मिला है ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां एक प्रस्ताव है जो एक नवीन विचार है और हम उस पर विचार कर रहे हैं ।

†**श्री जीन चन्द्रन :** उसने कितनी राशि की सिफारिश की है ?

†**श्री कानूनगो :** सिफारिश यह है कि यह एक हजार रुपये से अधिक होनी चाहिये ।

†**श्री पुन्नुस :** इस समय अर्थ सहायता कितनी दी जाती है और रबड़ बोर्ड ने क्या सिफारिश की है ?

†**श्री कानूनगो :** पुनः बाग लगाने के लिये इस समय २४०–२५० रुपये से ४०० रुपये तक है और सिफारिश की गई है कि यह १००० रुपये तक बढनी चाहिये ।

†**श्री मणियंगाडन :** क्या सरकार ने पुनः बाग लगाने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और क्या यह प्राप्त किया जा चुका है, अर्थात् यह कि वर्ष भर में इतने एकड़ में पुनः बाग लगाये जायेंगे और क्या उस कार्यक्रम को पूरा किया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** लक्ष्य ५२,००० एकड़ से अधिक था । अभी लगभग ८००० एकड़ हुआ है । इसका उत्तर यह है कि योजना अभी ज़ोर पकड़ रही है ।

†**श्री पुन्नूस :** क्या सरकार को यह बात मालूम है कि जुलाई—जुलाई-अगस्त बोने का मौसम होता है और इस मामले में विलम्ब करने से योजना खराब हो जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** मुझे आशा है फैसला इसी सप्ताह में कर दिया जायेगा ।

भविष्य निधि

†*४९७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात लायी गयी है कि भविष्य निधि नियमों में, खानों में काम करने वाले ठेकेदारों के मजदूरों पर उनके लागू होने के सम्बन्ध में, और विशेषतः "निर्माण प्रक्रिया" की परिभाषा में रूपभेद करने की आवश्यकता है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस दोष के कारण बहुत से मजदूर भविष्य निधि अधिनियम और नियमों से प्राप्त होने वाले लाभ से वंचित रह जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खोदने की प्रक्रिया में, विशेषकर लौह अयस्क और अन्य खानों में, खान के स्थान पर कोई निर्माण नहीं होता और इसका निर्माण तो मिलों में करना होता है और इसलिये हजारों मजदूर भविष्य निधि योजना के क्षेत्राधिकार से छूट जाते हैं, क्योंकि वे प्राय: सभी ठेके पर रखे गये होते हैं, क्या सरकार मजदूरों को ये सुविधायें देना चाहती है जिन में अधिकांश खानों में ठेके के मजदूर होते हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक बहुत से मजदूरों का सम्बन्ध है, यह बात सही नहीं है। खानों के क्षेत्र में लगभग १६००० मजदूर ठेकेदारों के नीचे काम करते हैं। उनमें से ११००० को इस लाभ का हक होता है। ११००० में से १०००० इस में आ चुके हैं। इसलिये अब प्रश्न लगभग १० से १२ प्रतिशत को यह सुविधा देने का है। यह सही है कि कुछ मजदूरों को इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता। सरकार इसके लिये योजना के उपबंधों में संशोधन करने का विचार कर रही है। परन्तु एक फर्म अर्थात् सोन वैली पोर्टलैंड सीमेंट कम्पनी ने पटना उच्च न्यायालय में एक लेख्य दर्ज कर दी है और हम उस पर उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

भारत-चीनी सीमा विवाद

†*४६८.
श्री प्र० के० देव :
श्री दी० च० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सूपकार :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री हेम राज :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री महन्ती :
श्री सुबिमन घोष :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री कालिका सिंह :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वाजपेयी :
श्री बा० च० कामले :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत-चीन सीमा विवाद के बारे में भारतीय

†मूल अंग्रेजी में

और चीनी पदाधिकारियों के बीच सहमति और असहमति की बातों का संकलन करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) :** २५ जुलाई, १९६० की बैठक के पश्चात भारतीय शिष्टमाण्डल ने पेकिंग में अपनी बातचीत पूरी की । बातचीत के दौरान जिस में १८ बैठकें हुई थीं, कर्मचारियों ने कार्य-सूची की पहली मद पर पूर्ण रूप से विचार किया, अर्थात् दोनों सरकारों द्वारा दावा की गई सीमा का निश्चय और उसके प्राकृतिक स्वरूप । फिर पिछली कुछ बैठकों में, कर्मचारियों ने कार्यावलि की दूसरी मद अर्थात् सन्धियों, करारों, प्रथा तथा रिवाज में सीमा निश्चित करने का आधार, पर विचार करना आरम्भ किया । अगस्त के मध्य में दिल्ली में फिर बातचीत होगी ।

†**श्री प्र० के० देव :** क्या बातचीत अनुसूची के अनुसार हो रही है और यदि हां, तो प्रतिवेदन इस सभा को कब मिलेगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं नहीं समझता कि प्रतिवेदन इस सभा को कभी मिलेगा । ऐसे प्रतिवेदन सामान्यतया संसद के सामने नहीं रखे जाते, निस्संदेह प्रतिवेदन की संक्षेपिका रखी जा सकती है या हो सकता है सारा भी, मैं इस समय नहीं कह सकता । परन्तु जब श्री चाउ-एन-लाई यहां आये थे, उस समय के फैसले के अनुसार, प्रतिवेदन सितम्बर के अन्त तक तैयार हो जाना चाहिए ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शासकीय स्तर पर केवल इन्हीं दो बातों की चर्चा की जा रही है या चर्चा कुछ और बातों पर भी होगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस बैठक का सारा उद्देश्य उपलब्ध यथार्थ सामग्री का परीक्षण करना है, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के तथ्य हैं । यह केवल उनके परीक्षण के लिये उन्हें टुकड़ों में बांटने का प्रश्न है । मुख्य बात पहली मद है कि यथार्थ सामग्री का परीक्षण करना चाहे वह पत्र, लेख, मानचित्र, अभिलेख आदि हों । ये कर्मचारी निस्संदेह, मौखिक साक्ष्य नहीं लेंगे । वे कोई फैसला नहीं कर सकते । वे लाये गये लेखों आदि का परीक्षण करने के बाद केवल लिख लेते हैं । हो सकता है, पर मुझे नहीं पता, वे लेखों के मूल्य के बारे में अपने विचार दे सकते हें ।

श्री विभूति मिश्र : अभी प्रधान मंत्री जी ने बताया कि डाकूमेंट्स की जांच हो रही है । तो जो भारत का दावा है कि चाइना के साथ हिन्दुस्तान की जो सरहद है और उसमें जो हिन्दुस्तान की प्राकृतिक सरहद है उस के बारे में किस मात्रा में या किस हद तक चाइनीज आफिशियल्स ने रजामन्दी जाहिर की है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस हद तक रजामन्दी जाहिर की है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती । इस वक्त तक जो बातें हुई हैं उनकी निस्बत मैं कुछ नहीं कह सकता । रजामन्दी जाहिर करने का कोई सवाल नहीं है, न उनकी तरफ से और न हमारी तरफ से । कागजात की जांच हो रही है । उनके बारे में कहा जा सकता है कि ये जाली हैं या गलत हैं, या किसी बाहरी आदमी ने उनको बनाया है जिसको मालूम नहीं था । तो इस तरह की बहसें होती होंगी । जो अपनी अपनी गवर्नमेंट की मांगें हैं उनको तो कोई इन बातों में नहीं छोड़ने वाला है । बातों में तो मांगों को छोड़ना नहीं हो सकता, न इधर से, न उधर से । महज कागजात को देख कर उनका वजन किया जाता है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वाजपेयी : चीन के साथ हमारा झगड़ा कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है इसे ध्यान में रखते हुए, यह बात क्या है कि समस्त सीमा सम्बन्धी लेख का परीक्षण और चर्चा इन कर्मचारियों द्वारा की जा रही है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : वास्तविक विवाद समूची सीमा के बारे में नहीं है, परन्तु इस में कहीं कहीं समूची सीमा सम्बन्धी बातों का उल्लेख है । यदि माननीय सदस्य विभिन्न पत्र पढ़ें जो श्वेत पत्रों में प्रकाशित हैं, तो मोटे तौर पर यह तीन क्षेत्रों में विभाजित है, पूर्वी, मध्य और पश्चिमी या उत्तरी । यह बेढंगा क्षेत्र है । पूर्व और पश्चिम में इस में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है । मध्य क्षेत्र में कुछ विशिष्ट बातें आती हैं । इस दृष्टि से हमें इस की समूची सीमा को देखना पड़ता है । हो सकता है कि कहीं कहीं टुकड़े हों । परन्तु उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा ।

†श्री बा० चं० कामले : क्या इन चर्चाओं में मानचित्रों का उपयोग किया गया था और यदि हां, तो क्या सरकार सदस्यों के उपयोग के लिये पुस्तकालय में ये मानचित्र तथा चीन और भारत द्वारा किये गये दावे के पक्ष में आवश्यक पत्र रखेगी ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कुछ मानचित्र संसद् पुस्तकालय में रखे गये हैं, परन्तु, ये मानचित्र पुरानी पुस्तकों में हैं, पुराने मानचित्र दूर के देशों से मूल रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। कई बार दूसरी प्रति नहीं मिलती । यदि सम्भव हुआ तो किसी समय ये निश्चय ही दिखाये जायेंगे ।

†श्री सूपकार : इन बातों के होते समय भी, चीनियों ने हमारे क्षेत्र का अतिक्रमण किया है । जिस स्थान पर अतिक्रमण हुआ, क्या वह भी इस बातचीत का चर्चा का विषय है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : ठीक वही स्थान नहीं । माननीय सदस्य को याद होगा कि चीनियों ने उत्तर-पूर्व, नेफा क्षेत्र में बहुत बड़ा दावा किया है । इस क्षेत्र में ऐसे सैंकड़ों स्थान हैं । स्थान विशिष्ट का उल्लेख नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : क्योंकि चीन वाले कुछ ऐसे स्थानों पर भी अपना दावा करते हैं जो अब तक हमारे यहां रहे हैं, ऐसी हालत में क्या हमारे भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिन पर उनका कब्जा रहा है, लेकिन जिनके बारे में हमारे पुराने ग्रन्थों से मालूम होता है कि वह हमारे स्थान थे, जैसे मानसरोवर, कैलाश आदि स्थान हैं । क्या उन पर हमारा भी दावा पेश हुआ है और क्या यह कहा जाता है कि ये हमारे स्थान हैं और यह हम को भी लौटाये जाने चाहिएं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उन पुराने ग्रन्थों में कोई माकूल नक्शे नहीं हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या हमारा कोई दावा इस सम्बन्ध में चीन के सामने है, जैसा कि वे दावा करते हैं कि कुछ स्थान उनके हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं ।

†श्री प्र० के० देव : इस समझौते का उल्लंघन करते हुए कि कोई भी पक्ष गश्ती दल नहीं भेजेगा, नेफा मे चीनियों के आधुनिजतम अतिक्रमण तथा चीनियों की भारी सेना जमा होने तथा हमारी सीमा के अन्दर उनकी व्यापक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, क्या समय नष्ट करने के अतिरिक्त यह बातचीत जारी रखने का कोई लाभ है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि दोनों बातों का कोई वास्तविक सम्बन्ध है। इनके स्वतंत्र स्थान हैं। जहां तक हाल के चीनी अतिक्रमण का प्रश्न है, जैसा मैं पीछे कह चुका हूं, हम इसे अत्यन्त बुरा समझते हैं और हम ने चीनी सरकार से इसका विरोध किया है। हमें अभी कोई उत्तर नहीं मिला। परन्तु मैं एक बात सही करना चाहता हूं। किसी भी पक्ष की गश्ती दल न भेजने के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ था। वास्तव में, हम स्वयं यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। निस्संदेह, समझौता यह था कि ऐसी कोई बात न की जाये, जिससे कोई झगड़ा उत्पन्न हो। यह निश्चय ही अस्पष्ट बात है। इस दृष्टि से किसी पक्ष को किसी क्षेत्र में सेना नहीं भेजनी चाहिये जिस से झगड़े उत्पन्न हों। हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हमें सेना नहीं भेजनी चाहिये, हमने इसे नहीं माना। हम ने यह अवश्य स्वीकार किया कि हम झगड़े हटाने का प्रयत्न करेंगे। इसलिये वह बात उत्पन्न नहीं होती। हमारी सूचना के अनुसार, २०—२५ चीनी लोगों का एक दल जंगली मार्ग, घास के मैदान आदि से लगभग ४ मील तक चला आया और जब उनका पता चला तो वे लोग तुरन्त चले गये। हमने इस का विरोध किया है। परन्तु उस का इस बातचीत पर कोई प्रभाव नहीं।

†**श्री जयपाल सिंह** : प्रधान मंत्री ने यथासमय संसद को जिस संपेक्षिका देने का उल्लेख किया है, उसके अतिरिक्त, क्या सरकार संसद को एक अच्छा व्यापक श्वेत पत्र देगी ताकि हम अपने दावों और उनके दावों के बारे में अच्छी तरह जानकारी रख सकें, क्योंकि इस समय सब बातें अस्पष्ट हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां। जब मैं ने संपेक्षिका कहा तो मैं नहीं जानता कि मैं क्या दे सकूंगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि प्रतिवेदन किस प्रकार का होगा, मैं इस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। प्रतिवेदन पर किये गये निष्कर्ष सभा के सामने रखे जायेंगे, पत्रों का ब्यौरा नहीं। इस संसद को इस विषय पर काफी व्यापक श्वेत पत्रों के द्वारा सूचित करते रहे हैं। बहुत सी बातें पहले ही श्वेत पत्रों में दी गई हैं।

अतिरिक्त सामग्री, समय आने पर सभा के सामने अवश्य रखी जायगी।

†**श्री गोरे** : इस समिति के कार्य का क्या ठीक क्षेत्र है ? हमें समाचारपत्रों से पता चला कि कुछ क्षेत्रों पर हम दावे कर रहे हैं और चीन उनको अस्वीकार कर रहा है। यह दल क्या करेगा ? क्या यह हमारे दावों का परीक्षण करेगा अथवा क्या यह कोई सूत्र निकालेगा जिस के द्वारा इस दावे का निश्चय किया जाए ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का प्रश्न थोड़ा बेढंगा है। हमने इस मामले की चर्चा की है और मैंने भी अभी इस का स्पष्टीकरण किया है।

सूत की कीमतें

†*४९९. { **श्री रामी रेड्डी** :
श्री जीनचन्द्रन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सूत की कीमतें बहुत चढ़ गयी हैं ;

(ख) क्या सरकार विदेशों को सूत का निर्यात बन्द करने की वांछनीयता पर विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) पिछले चार वर्षों में प्रतिवर्ष और १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९६० तक की अवधि में कितना और कितने मूल्य का सूत निर्यात किया गया ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). सूत की कीमतें लगभग ३० से ४० प्रतिशत तक बढ़ गई हैं और परिणामतः भारतीय सूत विदेशी मंडियों में सस्ता नहीं रहा । इसलिये सूत व निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की अभी आवश्यकता नहीं उठी ।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पिछले चार वर्षों में भारत से निर्यात किये गये सूत की मात्रा और मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	मात्रा (लाखों में)	मूल्य (लाखों में)
१९५६ .	१२१.१	२५०
१९५७	१७३	३३९.८
१९५८	३२१.९	६१७.३
१९५९	२५४.१	४८३
१९६० (अस्थायी रूप में जनवरी—अप्रैल)	६७	१५१.८

†**श्री रामी रेड्डी** : क्या हथकरघा बुनकरों को सूत लेने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि मूल्य अत्यधिक बढ़ गये हैं ? सरकार ने मूल्य गिराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां । मैं ने कहा है कि मूल्य बहुत बढ़े गये हैं और हमने यह कदम उठाया है कि रूई का बड़ी मात्रा में आयात किया जा रहा है जिस से बड़ी मात्रा में सूत तैयार होगा और भाव गिर जायेंगे । इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत मिल मालिकों की संस्था ने यह मान लिया है कि वे सहकारिताओं को उचित दामों पर सूत देगी, और वह सीधे वितरन केन्द्र स्थापित करेगा जो सहकारिताओं से बाहर बुनकरों को सूत देगा ।

†**श्री रामी रेड्डी** : मंत्री ने अभी कहा है कि दक्षिण भारतीय मिल मालिक संस्था ने उचित दाम लाना स्वीकार कर लिया है । सरकार की दृष्टि में उचित दाम क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : दाम प्रत्येक काउंट के लिये अलग अलग होंगे । २० काउंटों पर १९५९ की अपेक्षा उचित दाम वृद्धि लगभग २० प्रतिशत होगी ।

†**श्री तंगामणि** : माननीय मंत्री ने कहा कि सूत के दाम ३० से ४० प्रतिशत बढ़ गये हैं । क्या यह सच नहीं है कि २० से २६ काउंट तक सूत के दाम ५० प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गये हैं, यदि हां तो क्या सरकार दक्षिण भारत मिल मालिकों की संस्था को कहेगी कि वे हथकरघा बुनकरों को यह मोटा सूत २० प्रतिशत दाम वृद्धि पर न देकर, कम दामों पर दें, क्योंकि उससे उनको सहायता नहीं मिलेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : मैंने पहले कह दिया है कि हमारे प्रतिवेदनों के अनुसार, अधिकतम मूल्य वृद्धि लगभग ४० प्रतिशत है। हो सकता है कुछ स्थानों पर इससे भी अधिक वृद्धि हुई हो। अधिकतम वृद्धि लगभग २० काउंट की है जिसकी मांग सर्वाधिक है। जैसा कि मैंने कहा है दक्षिण भारत मिल मालिक संस्था ने एक प्रत्यक्ष वितरण लाइन स्थापित करना स्वीकार कर लिया है, और वे उचित दामों पर वितरण करेंगे। मैं ने यह भी कहा है कि १९५९ के दामों की तुलना में लगभग २० प्रतिशत तक वृद्धि उचित होगी।

†**श्री जीनचन्द्रन** : सूत की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार गैर-सरकारी और सहकारिता क्षेत्रों में कताई के नये मिल खोलने पर विचार करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : यह तकवों की उपलब्धि पर निर्भर है।

†**श्री सोनवाने** : मिल मालिकों की संस्था द्वारा किये गये उपायों के फलस्वरूप सूत के दाम कब तक गिराये जायेंगे ? क्या यह सच है कि माल ज़ाया होने के कारण स्थानों पर सूत के दाम बढ़ गये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : वास्तव में, कुछ काउंटों में, मूल्य पहले ही गिर गये हैं, और दो सप्ताहों में इसका अनुभव होगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार को मूल्यों के बढ़ने के कारण हथकरघा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हुई बेकारी का पता है ? बुनकरों को सस्ते दामों पर सूत मिले; इसके लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

†**श्री कानूनगो** : मैंने पहले ही सूत मिलने का सही तरीका बता दिया है। बड़े पैमाने की बेकारी के बारे में, मैं कहूंगा कि उत्पादन आकड़ों को देखने से, १९५९ की तुलना में बेकारी अधिक नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सूत के दाम बढ़ गये हैं क्या सरकार अधिकतम मूल्यों पर माल लेकर देशी रूई के अधिकतम दाम निश्चित करने का विचार रखती है।

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। हम इस समय ऐसा नहीं करेंगे। हम अगली फसल की देशी रूई की सप्लाई पर नियंत्रण लगायेंगे। इसके अतिरिक्त, हमारा बहुत रूई आयात करने का कार्यक्रम है, जिस के परिणाम लगभग दो महीनों में ज्ञात होंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अभी हाल ही में इस आशय का वक्तव्य दिया था कि सरकार अधिकतम मूल्य पर माल लेकर देशी रूई का अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का विचार रखती है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, नहीं। कहा यह गया था कि रूई के अधिकतम मूल्यों में अन्तर नहीं किया गया। यह पहले वाले स्थान पर ही रखा गया है । माल लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : निम्नतम तथा अधिकतम मूल्य पहले के निर्धारित हैं. और मैं ने केवल यह कहा है कि अधिकतम में वृद्धि नहीं की जायेगी । मैंने यह भी कहा था कि यदि आवश्यक होगा तो हम रूई लेंगे ताकि मिलों को समान तथा पर्याप्त माल दिया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सरकार मिल मालिकों द्वारा सूत के मूल्य में की गई कमी की वर्तमान घोषणा से संतुष्ट है ? इस कमी के साथ भी, मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक हैं। क्या सरकार सूत और खुराक के मूल्यों में वृद्धि की तुलना करने को तैयार है ?

†**श्री कानूनगो** : हम वक्तव्यों या घोषणाओं से संतुष्ट नहीं हैं। हमें मंडियों के भाव देखने पड़ते हैं। घोषित कमी उचित है परन्तु हमें यह देखना होता है कि खुदरा में भाव ठीक हों।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या सरकार घोषित की गई कमी से संतुष्ट है या यह समझती है कि कमी के पश्चात् भी मूल्य अधिक हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : माननीय सदस्य को स्मरण होगा कि मैंने सभा में कहा था कि मैं मिल मालिक संघ द्वारा घोषित १० प्रतिशत की कमी से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने हाल में ही अधिक कमी की घोषणा की है। हम अभी भी इसका अध्ययन कर रहे हैं। वास्तव में, उनके प्रस्ताव काफी पेचीदा हैं और मैं कोई विचार व्यक्त करने से पूर्व उन का अग्रतर अध्ययन करना चाहता हूं।

श्री विभूति मिश्र : अभी शास्त्री जी ने कहा कि दस फीसदी घटेगी। उस के बाद बाजार में अगर देखें तो खादी के कपड़े के दाम बढ़ गये हैं और गरीबों को कपड़ा खरीदना मुश्किल हो गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई जबर्दस्त कदम उठायेगी कि कपड़े और खादी की कीमत घटे ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जहां तक दस फीसदी घटाने की बात है वह तो घटी ही है। अलबत्ता मेरे कहने के बाद यह ऐलान उन्होंने किया है कि वह उस को और ज्यादा घटायेंगे और उन्होंने अलग अलग कपड़ों की क्वालिटी के हिसाब से दाम घटाये हैं। मैं ने यह कहा और मैं खैर इस को स्वीकार नहीं करता हूं कि उस के बाद पिछले पांच, छै दिन के अन्दर दाम बढ़े हैं यह तो मैं नहीं स्वीकार करता लेकिन मैंने यह कहा कि जो उन्होंने अब ऐलान किया है उस पर मैं अपनी राय अभी जाहिर करने के लिये तैयार नहीं हूं जब तक कि मैं उसे पूरी तरह से देख न लूं क्योंकि मुझे इतमीनान होना चाहिये कि जो उन्होंने घटाया है वह दरअसल १० फीसदी से ज्यादा है।

इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार

†*५००. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार के, जो ३० जून, १९६० को समाप्त हो गया है, पुनर्नवीकरण के सुझाव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). व्यापार करार के पुनर्नवीकरण के प्रश्न को इन्डोनेशिया सरकार के साथ उठाया गया है और उस पर सक्रियता से जोर डाला जा रहा है।

†**श्री पांगरकर** : क्या यह सच है कि वर्ष १९५९ में इंडोनेशिया के साथ भारत के व्यापार में कमी हुई है, यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : वर्ष १९५९ में अचानक कमी हो गयी थी। जहां तक वर्ष १९५९ का सम्बन्ध है, व्यापार पहले वर्ष की अपेक्षा अधिक हुआ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रश्नों के लिये लिखित उत्तर

राज्य व्यापार निगम

†*४९२. **श्री विद्यावरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम व्यापार करने के लिये वस्तुओं का चुनाव किस आधार पर करता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : राज्य व्यापार निगम द्वारा व्यापार के लिये किसी वस्तु का चुनाव तब किया जाता है जब यह समझा जाता है कि बड़े पैमाने पर इस व्यापार से संवर्द्धन कार्य के लिये लाभ होगा अर्थात् निर्यात के बारे में अधिक विदेशी मुद्रा की आय, अन्तर्देशीय मूल्यों की स्थिरता और/अथवा वास्तविक उपभोक्ताओं को आवश्यक कच्चे माल के सम्भरण का आश्वासन ।

ट्रांजिस्टर रेडियो सेट

†*५०१. { **श्री सुपकार** :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष देश में ट्रांजिस्टर रेडियो सेट बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस के कितने प्रतिशत पुर्जे बाहर से मंगवाने पड़ेंगे और उन पर प्रति औसतन वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर द्वारा बनाये गये ट्रांजिस्टर उपकरणों का उपयोग इन रेडियो सेटों के निर्माण के लिये किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि ट्रांजिस्टर रेडियो सेट में इसके कारखाने से निकले मूल्य के २५ से ३० प्रतिशत तक आयातित पुर्जे होंगे । और इस बारे में औसतन वार्षिक विदेशी मुद्रा का व्यय इस समय रेडियो रिसीवर बनाने के उद्योग के लिये आवंटित १ करोड़ रुपये में से २० से ३० लाख रुपये तक होगा ।

(ग) इस समय भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर ऐसे रेडियो सेटों के लिये पुर्जे नहीं बना रहा है परन्तु वे रेडियो वाल्व और ट्यूब बना रहे हैं ।

औद्योगिक कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान

†*५०२. { **श्री आसर** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य-सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत परिवार-रहित औद्योगिक कर्मचारियों के लिये होस्टल बनाने की अनुमति देने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां। राज्य सरकार को २९ फरवरी १९६० को फैसला बता दिया गया था।

(ख) सभा पटल पर एक नोट रखा जाता है जिसमें परिवार-रहित औद्योगिक कर्मचारियों के लिये होस्टल की तरह के रहने के स्थान के बारे में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]**

अभ्रक का निर्यात

†*५०३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि लदान के आधार पर अभ्रक को बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये और केवल साख पत्र के आधार पर माल भेजने की अनुमति दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर परस्पर विरोधी रायें होने के कारण अभ्रक निर्यात संवर्द्धन परिषद् से अभ्रक का निर्यात व्यापार करने वाली संस्थाओं के विचार जानने को कहा गया है।

गैर-सरकारी चलचित्र निर्माताओं को सहायता

*५०४. **श्री प० ला० बारूपाल** :
श्री र० चं० व्यास :
श्री दीनबन्धु परमार :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन गैर-सरकारी निर्माताओं को जो गांधीवादी सिद्धान्तों जैसे हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण, अहिंसा आदि पर आधारित चलचित्र तैयार करते हैं, कोई सहायता देती है; और

(ख) यह सहायता किस रूप में दी जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). इस समय सरकार के सामने कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके अन्तर्गत निर्माताओं को गांधी जी के सिद्धान्तों पर फिल्में बनाने के लिये मदद दी जाय। एक दो विशेष फिल्मों को छोड़ कर चलचित्र (फीचर फिल्म) तैयार करने के लिये सरकार निर्माताओं को कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रही है।

अलबत्ता, सरकार विचार कर रही है कि छूआ-छूत दूर करने के लिये फिल्मों का उपयोग क्योंकर किया जाय। छूआ छूत के विषय में एक चलचित्र (फीचर फिल्म) बनाने के लिये हम ऋण के रूप में सहायता दे रहे हैं। इस विषय पर कुछ छोटी फिल्में बनाये जाने का भी विचार हमारे सामने है। अगर यह तय कर लिया गया कि ऐसी फिल्में बनाई जायें तो निर्माताओं की मुनासिब सहायता की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी पंचवर्षीय योजना से अग्रेनीत विनियोजन

†*५०५. { श्रीमती रेणुका राय :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में न किये जा सके ऐसे विनियोजनों के अलग अलग आंकड़े क्या हैं जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में किये जायेंगे ?

†योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) : द्वितीय योजना के अन्त में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं पर कुल विनियोजन की राशि जो तृतीय योजना में खर्च की जाये उसका अनुमान १८०० करोड़ रुपये लगाया गया है। इसमें लगभग ८०० करोड़ रुपये उद्योग और व्यापार और लगभग ७०० करोड़ रुपये सिंचाई और विद्युत् के अधीन खर्च होने वाले भी शामिल हैं।

भारत में पाकिस्तानियों का आगमन

†*५०६. { पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही के कुछ महिनों में पश्चिम पाकिस्तान से पाकिस्तानियों का आगमन भारत में बहुत अधिक बढ़ गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) सम्भवतः 'आगमन' से माननीय सदस्य का तात्पर्य पश्चिमी पाकिस्तान से दौरे पर आने वाले व्यक्तियों की हाल की वृद्धि से है और वहां से प्रव्रजन से नहीं। पिछले वर्ष पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आने वाले पर्यटकों (विजिटर्स) की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

(ख) एक कारण यह है कि हमने वीसा नीति में ढील दे दी है ताकि दो देशों के व्यक्तियों के बीच सम्बन्धों में सुधार हो।

श्रीनगर में ग्रीष्मऋतु में वार्षिक सम्मेलन

†*५०७. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० के० देव :
श्री विभूति मिश्र :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मन्त्रालयों और मुख्य मन्त्रियों को ग्रीष्मऋतु में श्रीनगर में किसी सम्मेलन का आयोजन न करने की कोई हिदायत भेजी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस हिदायत के जारी होने के पश्चात् किसी सम्मेलन को रद्द किया गया ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]'Carry over' investment.

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां): (क) और (ख). प्रधान मन्त्री महोदय ने पिछले जून में केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकारों के मूख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में बड़े सम्मेलन करने से उस राज्य की सरकार पर बहुत भार पड़ता है। अतः उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे सम्मेलनों का सामान्यतः उस राज्य में आयोजन न किया जाये। इसके परिणामस्वरूप यह तै किया गया कि जो दो सम्मेलन श्रीनगर में किये जाने वाले थे वे दिल्ली और बम्बई में किये जायें।

यूरोपीय देशों की "आउटर सैवन" योजना

†*५०८. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कालिका सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन सरकार ने यूरोपीय देशों की "आउटर सैवन" योजना में भाग लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय माल की रक्षा के लिये क्या उपाय किये गये हैं और उनका व्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय वस्तुओं को प्रशुल्क प्राथमिकता के बारे में उनके वचनों के पालन के लिये ब्रिटेन की प्रार्थना पर अपनी सहमति देते समय हमने कुछ शर्तें लगा दी थीं जो कि हमने भारत के आवश्यक वाणिज्यिक हितों की रक्षा के लिये आवश्यक समझी थीं। विशेषतः हमने इस बात पर जोर दिया कि संविदात्मक पूर्वाधिकार हटाने से भारतीय वस्तुओं पर शुल्क इस समय लागू दर से अधिक न लगाई जावे और भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय निर्बाध व्यापार क्षेत्र से आये वस्तुओं के सम्बन्ध में अलाभप्रद स्थिति में न रखा जाये।

ब्रिटेन को भारत के निर्यात के प्रभाव पर निरन्तर ध्यान रखा जायेगा। और यदि कोई हानि होती है तो हम बाद में क्षतिपूर्ति का प्रश्न उठा सकते हैं।

कलात्मक हस्तशिल्प का प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र

†*५०९. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के हस्तशिल्प विकास निगम ने कलात्मक हस्तशिल्प के लिये एक प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र खोलने का निश्चय किया है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो यह केन्द्र कहां और कब खोला जायेगा और उस की स्थापना किस के अनुरोध पर की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ की सिफ़ारिश पर भारतीय हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड ने दिल्ली में कलात्मक थैलों के लिये एक प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र स्थापित करने का फैसला किया है । प्राथमिक व्यवस्थाओं, जैसे अपेक्षित मशीनों का आयात, के पूरा होने पर केन्द्र में काम होना आरम्भ हो जायेगा ।

विटामिन "सी" का उत्पादन

†*५१०. **श्री परूलकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड को ई० मर्क एण्ड कम्पनी के सहयोग से ६० टन विटामिन "सी" का उत्पादन करने की अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) दी गयी है ;

(ख) देश में विटामिन "सी" की कुल वर्तमान खपत कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सोवियत संघ की मूल परियोजना रिपोर्ट में विटामिन "सी" का उत्पादन भी शामिल था; और

(घ) यदि हां, तो सोवियत औषधि परियोजना से इस के उत्पादन को निकालने और मेसर्स साराभाई कैमिकल्स लिमिटेड को इस के उत्पादन का लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जी, हां । इस योजना के अतिरिक्त हैदराबाद के लिये विटामिन 'सी' के लिये भी एक योजना मंजूर की गयी थी और दो अन्य योजनायें विचाराधीन हैं । विटामिन 'सी' बनाने के लिये राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने एक तरीका निकाला है और मेसर्ज़ हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला द्वारा निकाले गये तरीके से विटामिन 'सी' बनाने पर विचार कर रहे हैं । इस देश में 'विटामिन 'सी' की खपत लगभग ५५ से ६० टन प्रति वर्ष तक है ।

वर्ष १९५६ के आरम्भ में रूसी विशेषज्ञों के प्रथम दल के प्राथमिक प्रतिवेदन में विटामिन 'सी' की क्षमता ५० टन प्रतिशत शामिल की गयी थी परंतु अक्तूबर, १९५८ में द्वितीय दल के प्रतिवेदन में, देश में भेषजीय क्षेत्र में विकास के कारण, कुछ अन्य मदों के साथ विटामिन 'सी' की इस मद को उन के प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया जा सका। जिस प्रकार विटामिन 'सी' के लिये दो योजनायें--एक हैदराबाद के लिये और दूसरी खपोली के लिये--मंजूर की गयी है और दो अन्य योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है, उसी प्रकार सरकार ने उद्योग अधिनियम के अधीन लाइसेंस देने की सामान्य अवधि में विटामिन 'सी' के निर्माण के लिये मेसर्ज़ साराभाई केमिकल्ज़ को लाइसेंस दिये गये हैं ।

"साल्वेंट" विधि से तेल निकालने के संयंत्र

†*५११. { **श्री अगाडी** :
श्री वोडयार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय "साल्वेंट" विधि से तेल निकालने के कितने संयंत्र चालू हैं और उन की क्षमता क्या हैं;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या यह सच है कि इस विधि से निकाले गये वनस्पति तेलों को खाने के काम में लेना हानिकारक है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि "साल्वेंट" विधि से प्राप्त तेलों का प्रयोग वनस्पति घी के निर्माताओं द्वारा किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) (१) चालू संयंत्रों की संख्या —२६ ।

(२) वार्षिक खली की कुल अधिष्ठापित क्षमता ४,१५,५०० टन है ।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निरोध अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय खाद्यान्न स्टेण्डर्ड समिति ने राय प्रकट की है कि 'साल्वेंट' तरीके से निकाले गये तेल को वनस्पति, साफ़ और दुर्गंध-रहित तेल के निर्माण के अतिरिक्त किसी भी रूप में मानवीय उपभोग में लाने की आज्ञा न दी जाये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चीनियों द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय

*५१२. श्री खुशवक्त राय :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री आसर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के लद्दाख के दौरे के समय चीनियों ने २ जुलाई १९६० को दो भारतीय गिरफ्तार कर लिये थे ;

(ख) उन्हें गिरपतार करने के क्या कारण थे ;

(ग) चीनियों ने कितने दिन तक इन भारतीयों को अपनी हिरासत में रखा और उन के साथ कैसा वर्ताव किया गया ;

(घ) क्या चीनियों ने इन लोगों के बयान ले कर इन्हें रिहा कर दिया ; और

(ङ) क्या वे भारतीय अब भारत लौट आये हैं ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) से (ङ). जुलाई के शुरू में चीन के विदेश कार्यालय ने पीकिंग में हमारे राजदूतावास को सूचित किया था कि २ जुलाई को तीन घोड़े और उन के पीछे-पीछे दो भा तीय व्यक्ति चुसूल की तरफ से चीनी प्रदेश में घुस आये और जब इन व्यक्तियों ने यह मान लिया कि वे चीनी प्रदेश में गलती से घुस गये थे और इस संबंध में बयानों पर हस्ताक्षर भी कर दिये तब उन्हें उन के घोड़ों सहित उसी दिन वापस चला जाने दिया गया । पूछताछ करने के बाद, भारत सरकार को यह संतोष है कि उस का कोई भी कर्मचारी इस घटना में नहीं था । चूंकि उस क्षेत्र की सही स्थिति के बारे में, जहां, खबर है, कि चीनियों ने भारतीयों को पकड़ा था, ठीक ठीक ब्यौरे नहीं हैं, इसलिये हमें यह पता लगाना संभव नहीं हो सका है कि उस क्षेत्र के दो स्थानीय चरवाहों को चीनी सैनिकों ने पकड़ा भी था या नहीं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

कांगों के लिये भारतीय सेना

†*५१३. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महा सचिव ने कांगो के गड़बड़ी वाले प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ सेना के लिये भारतीय सेना भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कांगो गणराज्य को भारतीय सेना भेजने के लिये कोई प्रार्थना नहीं की है। तथापि, कुछ भारतीय सेना और वायु सेना के व्यक्तियों की सेवाओं के लिये उन्होंने प्रार्थना की है। भार। सरकार इस प्रार्थना पर राजी हो गयी है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघ

†*५१४. **श्री झूलन सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के जो संघ हैं क्या वे इस समय लागू कानून के अन्तर्गत पंजीबद्ध करवाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे श्रमिक (कार्मिक) संघों के पंजीयन की शर्तों को पूरा करते हैं?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली):** (क) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक कर्मचारियों के कई कार्मिक संघ भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, १९२६ के अधीन पंजीबद्ध हैं।

(ख) पंजीबद्ध सब कार्मिक संघों को अधिनियम में पंजीयन के लिये निर्धारित शर्तों को पूरा करना पड़ता है।

मैसूर में साईकल का कारखाना

†*५१५. **श्री सिदय्या :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में साइकल बनाने का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या कारखाने में उत्पादन शुरू होने के सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). मैसूर में साईकल फैक्टरी में आवश्यक मशीनें और उपकरण लग गये हैं। तब से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा उन को पुर्जों के ३८०० सेट भी दिये जा चुके हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सोवियत मैत्री विश्वविद्यालय

†५१६. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री जाधव :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री जीनचन्द्रन् :
श्री ग्रमजद ग्रली :
डा० क० ब० मेनन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत मंत्री विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की ग्रनुमति प्राप्त करना ग्रावश्यक है;

(ख) क्या शिक्षा मंत्रालय इस के लिये ग्रावेदन पत्र ले रहा है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालव में प्रवेश प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) से (ग). प्रेस रिपोर्ट के ग्रनुसार, मास्को के लोक मैत्री विश्वविद्यालय में ३५ साल की उम्र तक के स्त्री या पुरुष विद्यार्थी प्रवेश पा सकते हैं, भले ही वे किसी भी जाति, राष्ट्र ग्रथवा धर्म के हों। सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, निशुल्क शिक्षा ग्रौर ग्रावास तथा मास्को पहुंचने ग्रौर वहां से लौटने का सफ़र खर्च मिलेगा ।

सरकार ने सोवियत ग्रधिकारियों को सूचित किया है कि लोक मैत्री विश्वविद्यालय के लिए भारतीय विद्यार्थियों का चुनाव भारत सरकार द्वारा उसी प्रकार किया जाना चाहिए, जैसे कि विदेशी सरकारों द्वारा प्रस्तावित ग्रन्य छात्रवृत्तियों के लिए किया जाता है; इन सरकारों में सोवियत संघ की सरकार भी ग्राती है । सोवियत ग्रधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

ग्रभी सरकार लोक मैत्री विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भारतीय विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्र नहीं ले रही है । जब ऊपर बताए गए ब्यौरे के सम्बन्ध में सोवियत ग्रधिकारियों के साथ सहमति हो जाएगी तो वैज्ञानिक ग्रनुसंधान एवं संस्कृति मंत्रालय उन भारतीय विद्यार्थियों के प्रार्थना पत्र ग्रामंत्रित करेगा, जो कि लोक मैत्री विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहें ।

दमूग्रा कोयला खान

†*५१७. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम ग्रौर रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दमूग्रा कोयला खान के प्रबन्धकों के विरुद्ध, जिन्हें जनवरी, १९६० में उस

†मूल ग्रंग्रेज़ी में

खान में हुई दुर्घटना के लिये जिम्मेदार ठहराया गया था, चलाया गया मुकदमा किस प्रक्रम पर है;

(ख) क्या कोई जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है अथवा किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) पुलिस गवाह के बयान के समय ।

(ख) और (ग). खान के प्रबन्धक के आचरण की जांच करने के लिये विनियमों के अधीन एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है ।

"डिस्कवरी आफ इण्डिया"

†*५१८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** १२ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "डिस्कवरी आफ इंडिया" नामक पुस्तक के आगामी संस्करणों में गलतियों को दूर करने का प्रश्न किस प्रक्रम पर है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां)** : अंग्रेजी में कोई नया संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ है, अतः गलतियों के सुधारने का कोई अवसर नहीं मिला है ।

दिल्ली में शहीदों का स्मारक

†*५१९. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री नवल प्रभाकर :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री आसर :
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में शहीदों के स्मारक के निर्माण के सम्बन्ध में इस बीच कुछ और कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मूर्तिकार मद्रास में भारत सरकार के एक अन्य

†मूल अंग्रेजी में

कार्य पर लगा हुआ है । उसके पूरा होने तक शहीद स्मारक का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता । इतने समय में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मूर्तिकार के लिये एक स्टूडियो बनाने के लिये पग उठा रहा है ।

बागान उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†*५२०. सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १७८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बागान उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने की प्रस्थापना किस प्रक्रम पर है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : औद्योगिक बागान समिति ने अप्रैल, १९६० में हुई अपनी दूसरी बैठक में यह सिफारिश की है कि चाय, काफी और रबड़ बागानों के लिये पृथक पृथक तीन मजूरी बोर्ड स्थापित किये जायें । इन मजूरी बोर्डों के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

ओखला औद्योगिक बस्ती

†५२१. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ओखला औद्योगिक बस्ती के विस्तार की योजना के अन्तर्गत ४१ कारखानों के लिये इमारतें बनाने के काम में, जो कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को सौंपा गया था, अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : संशोधित योजना के अन्तर्गत ४० कारखाने बनाने का निश्चय किया गया है । इन में से ३२ कारखानों को बनाने का काम शुरू हो गया है । विभिन्न इमारतों का निर्माण नींव भरे जाने से ले कर दरवाजों पर सरदल डाले जाने तक का विभिन्न अवस्थाओं में है ।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

†*५२२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम को संविहित रूप से और उद्योगों पर लागू करने के लिये इसके क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का क्या स्वरूप है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इसे कब लागू किया जायेगा ; और

(घ) इसके अन्तर्गत और कौन से उद्योग लाये जा रहे हैं ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) से (घ). कर्मचारी भविष्य अधिनियम के क्षेत्राधिकार को विस्तृत करने की कोई योजना नहीं है । अधिनियम पहले ही व्यापक है और केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचित करके, किसी भी संस्थान को, जिसमें ५० या इससे अधिक कर्मचारी हों, इसके अधीन ला सकती है । कुछ उद्योग तथा रोजगार जिनको अधिसूचित करने का विचार हो रहा है, निम्न प्रकार हैं :

(१) बैंक

(२) चलचित्र उद्योग

(३) होटल और रेस्टोरेन्ट

(४) चीनी मिलों के गन्ने के फार्म

(५) चावल, आटा और दाल मिलें

(६) चीनी मिट्टी के बर्तन उद्योग

(७) तेल के कुएं चलाने वाले समवाय

(८) बीमा कम्पनियां

(९) सामान्य व्यापार समवाय

(१०) आसाम सरकार द्वारा प्रस्तावित सामान उतारने चढ़ाने के सस्थान

(११) पौष्टिक पदार्थ, मीठा अचार, फलों का मुरब्बा, चटनी और शर्बत बनाने वाले संस्थान

(१२) अनाज का सत्व निकालने वाले उद्योग

(१३) चमड़ा रंगने और चमड़ा उत्पाद कारखाने

(१४) बीड़ियों और सिगार समेत तम्बाकू उद्योग

(१५) काजू

(१६) कुनीन के बाग

(१७) विमान कम्पनियां ।

हिन्द महासागर का सर्वेक्षण

†*५२३. { **श्री वी० चं० शर्मा :**
श्री कोडियान : }

क्या **प्रधान मंत्री** १७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत जहाज "विटिआज" द्वारा हिन्द महासागर का जो सर्वेक्षण किया जा रहा है उसमें हाल ही में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : रूसी जहाज "विटि-आज", जिसमें ३ भारतीय वैज्ञानिक थे, मलदीव, मडगास्कर, कोमोरा, जंजीबार और सीकेलस द्वीपों का दौरा करके अप्रैल, १९६० में बम्बई वापस आया। भारतीय वैज्ञानिकों से प्रति-वेदन मिल गये हैं और उनका अध्ययन किया जा रहा है।

राजा मुन्दरी में कागज का कारखाना

†*५२४. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजा मुन्दरी में स्थित आन्ध्र पेपर मिल के विस्तार में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) विस्तार के पश्चात् कारखाने की अधिकतम क्षमता क्या होगी; और

(ग) केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) विक्रेताओं के साथ बातचीत के फलस्वरूप आन्ध्र प्रदेश की सरकार आन्ध्र पेपर मिल के लिये ५० टन की क्षमता वाला एक संयंत्र खरीदने की व्यवस्था कर रही है।

(ख) १८,००० टन प्रति वर्ष।

(ग) आन्ध्र पेपर मिल के विकास के लिये स्पष्टतया कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गयी है परन्तु भारत सरकार ने "बड़े और छोटे पैमाने के उद्योगों" के अधीन सभी योजनाओं के लिये जिसमें आन्ध्र पेपर मिल्स, राजा मुन्द्री भी शामिल है, वर्ष १९५६–५७ और १९५७–५८ के लिये ४.३९ लाख रुपये, वर्ष १९५८–५९ के लिये १५.२९ लाख रुपये और वर्ष १९५९–६० के लिये ४८.९५ लाख रुपये दिये हैं।

सेलम में अल्यूमिनियम संयंत्र

†*५२५. { **श्री पांगरकर** :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० के० देव :
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेलम (मद्रास) में अल्यूमिनियम का एक संयंत्र स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

भारत सरकार ने सेलम जिला (मद्रास) में मैतूर स्थान पर १०,००० मीटरिक टन की क्षमता वाला अल्यूमीनियम गलाने वाला संयंत्र लगाने के लिये उद्योग (विकास और

†मूल अंग्रेजी में

विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन श्री आर० वेंकटास्वामी नायडू, पीलामेन्डू, कोयम्बटूर (मद्रास) को लाइसेंस दिया है । यह कम्पनी १० करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी (सामान्य ६ करोड़ और अधिमान ४ करोड़) और ५ करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी (सामान्य ३ करोड़ और अधिमान २ करोड़) से चलेगी। उपकरणों के आयात के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा का अनुमान ५ करोड़ रुपये लगाया गया है । धातु को बिजली के जरिये साफ करने के लिये मद्रास सरकार आवश्यक बिजली देने को राजी हो गयी है । इस समवाय को इटली के मेसर्स मोन्टेकेटिमिस से वित्तीय और प्रविधिक सहयोग प्राप्त होगा । इस पूंजी में मद्रास सरकार का भी भाग होगा । विदेशी सहयोग की शर्तों और संयंत्र तथा मशीनों के आयात के प्रस्तावों के बारे में पूरा व्यौरा प्रतीक्षित है ।

पंखों का निर्यात

†*५२६. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री रामी रेड्डी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मोहम्मद इलियास : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पंखों की विदेशों में भारी मांग है ;

(ख) हमारे देश में पंखों का वार्षिक उत्पादन कितना है और हम प्रतिवर्ष कितने पंखों का निर्यात करते हैं ;

(ग) क्या और अधिक निर्यात की गुंजाइश है ;

(घ) क्या यह सच है कि भारत की पंखा निर्माता संस्था ने भारत सरकार से कच्चा लोहा, इलेक्ट्रिकल शीट और बाल बीयरिंग आदि महत्वपूर्ण कच्चे पदार्थों की कमी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष १९५९ में विकास अनुभाग की सूची में सब निर्माताओं द्वारा बिजली के कुल ७३१,१७० पंखे बनाये गये । चालू वर्ष में इस उत्पादन का ९,४०,००० होने का अनुमान लगाया जाता है । उत्पादन की कीमत का क्रमशः १०.९७ करोड़ रुपये और १४ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में केबल कारखाना

†*५२७. श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापानी फर्म ने जिसने केरल में त्रिपुनित्रा नामक स्थान पर केबल बनाने का कारखाना खोलने में सहयोग देने का प्रस्ताव किया था, अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कारखाने को निर्धारित योजना के अनुसार स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

वी० आई० आर० तारों और केबलों के निर्माण के लिये केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में त्रिपुनित्रा गांव में "ट्रैको केबल कम्पनी लिमिटेड" नामक एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन मेसर्ज ट्रैको एन्टरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड, एर्नाकुलम को जून, १९५१ में एक लाइसेंस दिया गया था । उपरोक्त योजना को कार्यान्वित करने के लिये, इस सार्थ ने पूंजी में धन लगाने और प्रौद्योगिकीय सहायता के लिये जापान के मेसर्ज कुरुकावा इलेक्ट्रिक कम्पनी के साथ एक करार किया । क्योंकि योजना की कार्यान्विति में विलम्ब हो गया है, जापानी सार्थ ने पूंजी में धन लगाने के अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है और अब वह केवल प्रौद्योगिकीय सहयोग के लिये तैयार हैं ।

कार्यकारी पग उठाने के लिये, इस सार्थ जून, १९६० तक समय समय पर अवधि बढ़ाई गयी है और दिसम्बर, १९६० तक अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। जापान से पूंजी उपकरण प्राप्त करने के लिये एक आयात लाइसेंस के लिये सार्थ का आवेदन-पत्र विचाराधीन है ।

तिब्बत में भारतीय

†*५२८. श्री प्र० गं० देव :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९ जुलाई, १९६० के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित आठ लद्दाखियों के इस

†मूल अंग्रेजी में

वक्तव्य को देखा है कि तिब्बत में भारतीय राष्ट्रजनों को बन्दी-शिविरों (कन्सेन्ट्रेशन कैम्पों) में विचार-परिवर्तन (ब्रेन वाशिंग) के लिये रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां।

(ख) पीकिंग तथा दिल्ली दोनों स्थानों में अभ्यावेदन किये गये हैं परन्तु चीन सरकार से अभी कोई सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और न ही यहां पर उनकी कठिनाइयों में कोई सुधार किया जा रहा है।

यूगांडा में एशियाई लोग

†*५२९. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नथवानी :
श्री मुरारका :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २९ जुलाई, १९६० के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि यूगांडा में रहने वाले ८०,००० एशियाई लोग वहां से भागने और भारत आने का यत्न कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें यह घबराहट फैलने का क्या कारण है ;

(ग) यूगांडा में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या क्या है ;

(घ) सरकार ने भारतीय राष्ट्रजनों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा और उनके सुरक्षा-पूर्वक भारत पहुंचने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) यूगांडा से भारत आने वाले अन्य एशियाई लोगों के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) और (ख). इस बारे में सरकार ने समाचार-पत्रों में पढ़ा है। कांगो के शरणार्थियों और वहां पर क्रूरता की कहानियों से यूगांडा में एशियाई लोगों में बेचैनी फैली है। यह पता लगा है कि भारत के लिये स्टीमर की बुकिंग पर भीड़ है।

(ग) यूगांडा में भारतीय राष्ट्रजनों की वास्तविक संख्या का पता नहीं है। वर्ष १९५९ की जनगणना के अनुसार, भारत-पाकिस्तानी उद्भव के एशियाई लोगों की यूगांडा में संख्या लगभग ७२,००० थी जिनमें २,८०० गोआई थे।

(घ) और (ङ). जहां तक सरकार को मालूम है, यूगांडा में भारतीय राष्ट्रजनों के जीवन और सम्पत्ति असुरक्षित नहीं हैं और किसी भय का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस बारे में सरकार द्वारा कोई विशेष पग उठाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरकों का उत्पादन

†*५३०. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री नेकराम नेगी :
श्री रा० च० माझी :
श्री दलजीत सिंह
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९९९ के **उत्तर** के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के उत्पादन के लिये प्रविधिक समिति द्वारा अब तक क्या प्रगति की गयी है ; और

(ख) क्या समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). आंध्र प्रदेश, आसाम और राजस्थान के बारे में प्रतिवेदनों के अतिरिक्त समिति ने मध्य प्रदेश के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है । इसने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है और प्रतिवेदन के शीघ्र ही मिलने की आशा है । समिति को अभी देश में अन्य स्थानों के बारे में अध्ययन करना है और अपना प्रतिवेदन देना है ।

भवन निर्माण निगम

†*५३१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **निर्माण, आवास, और संभरण** मंत्री २५ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १११८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भवन निर्माण निगम की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में अब क्या हो रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी):** निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

इन्द्रा मार्केट, दिल्ली

†*५३२. सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नेकराम नेगी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८०२-क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में तीन कमरों वाले फ्लैटों को नीलाम करने के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : विषय अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बरेली का कृत्रिम रबड़ का कारखाना

†*५३३. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बरेली (उत्तर प्रदेश) में कृत्रिम रबड़ बनाने के संयंत्र की स्थापना के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाईशाह)** : समवाय ने जनता में प्रविवरण और साम्यधिकार अंश जारी किये हैं ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक अधिसूचना जारी करने के पश्चात् १३८१ एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिये ३० जून, १९६० को भूमि अर्जन अधिनियम, १९६० के अधीन अन्तिम अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना २ जुलाई, १९६० को राज्य के गजट में प्रकाशित हुई थी। मशीनों और संयंत्रों के लिये क्रयादेश देने के लिये समवाय अन्तिम रूप से विचार कर रही है। यह आशा की जाती है कि इन कारखानों में वर्ष १९६२ की दूसरी छमाही तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

भारत-पाकिस्तान सीमा का निर्धारण

†*५३४. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री सुबिमन घोष :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १००२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमांकन के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस काम के कब तक समाप्त हो जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें ३० जून, १९६० तक की गयी प्रगति दिखाई गयी है :

विवरण

क्षेत्र	कुल	सीमा की लम्बाई (मील) खंभे लगा कर ३०–६–६० पूरा किया गया सीमांकन-कार्य	पूरा किया जाना बाकी
पश्चिमी बंगाल-पूर्वी पाकिस्तान	१३५०		
	(–)७८	(अनिश्चित सीमा)	
	१२७२	१०९०	१८२
आसाम-पूर्वी पाकिस्तान	६२०	३२५	२९५
त्रिपुरा-पूर्वी पाकिस्तान	५२२	१७३	३४९
कुल	२४९२		
	(–)७८		
	२४१४	१५८८	८२६

(ख) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

कपड़ा मिलों का बन्द होना

†*५३५. **श्री पांगरकर :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री राम गरीब :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बन्द मिलों में से कुछ पुनः चालू हो गयी हैं ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों ने कुछ और मिलों को अपने हाथ में लिया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) आठ मिलें फिर चालू हो गई हैं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी परिसमापक से धनराज मिल्स लिमिटेड को पट्टे पर ले लिया है और वह उसे अपनी बेरोजगार सहायता योजना के अधीन चला रही है। इसके

†मूल अंग्रेजी में

अतिरिक्त भारत सरकार ने उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-क के अधीन निम्नलिखित तीन मिलों को लेने के लिये अधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर दिये हैं :—

(१) एडवर्ड मिल्ज कम्पनी लिमिटेड, **बियावर** (राजस्थान)।

(२) मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्ज़ लिमिटेड, **भीलवाडा** (राजस्थान)।

(३) हेथिजिंग मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, **अहमदाबाद** (गुजरात राज्य)।

न्यू चाइना समाचार एजेंसी

†*५३६. **श्री प्र० गं० देव :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री आचार :
श्री पहाड़िया :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि न्यू चाइना समाचार एजेंसी निम्नलिखित विषयों के संबंध में नई दिल्ली से भारत-विरोधी सूचना और समाचारों को तोड़ मरोड़ कर भेजती रही है :

(एक) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल,

(दो) प्रधान मंत्री द्वारा अभी हाल ही में लद्दाख क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात् श्रीनगर में दिया गया भाषण, और

(तीन) गुरुद्वारा आंदोलन ; और

(ख) यदि हां, तो न्यू चाइना समाचार एजेंसी को दी गयी मान्यता को रद्द करने और इस तरह के भारत विरोधी प्रचार का प्रतिवाद करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में सिन्हुवा सम्वाददाता की गतिविधियों को पर्याप्त समय तक देखने के पश्चात् भारत सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उसके द्वारा भारत से बाहर भेजी गयी एक-तरफा और दुर्भावनापूर्ण रिपोर्टों से चीन-भारत के संबंधों पर बुरा असर पड़ रहा है। सम्वाददाता को ऐसी रिपोर्ट देने को रोकने की चेतावनी दी गयी परन्तु इसका उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। अतः यह तै किया गया कि दिल्ली में सिन्हुवा सम्वाददाता का वीसा रद्द कर दिया जाये। यह कार्यवाही इसलिये आवश्यक हो गयी थी कि उसकी गतिविधियों से दो देशों के संबंध सुधरने के स्थान पर बिगड़ रहे थे। ऐसे प्रचार को रोकने के लिये सरकार प्रचार के सामान्य माध्यमों द्वारा हर सम्भव कार्य कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल राज्य को वित्तीय आवंटन

†९०८. { **श्री वारियर :**
　　　　 श्री वासुदेवन नायर :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना के तीसरे और चौथे वर्ष में केरल राज्य को कितना वित्तीय आवंटन किया गया है ;

(ख) योजना के दूसरे और तीसरे वर्ष में वास्तव में कितना धन खर्च किया गया ;

(ग) सब शीर्षों के आधीन तीसरे और चौथे वर्ष में कितने प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति हो गयी है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सहायता के बारे में चौथे वर्ष में किसी धनराशि की कटौती की गयी थी ;

(ङ) यदि हां, तो कितनी कटौती की गयी थी ; और

(च) कटौती करने के क्या कारण हैं ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में केरल के लिये योजना में स्वीकृत वार्षिक व्यय की राशि क्रमशः १६.१ करोड़ रुपये और १८.७ करोड़ रुपये है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गयी है और प्राप्त होते ही सभा को बता दी जायेगी ।

(घ) वर्ष १९५९–६० में वार्षिक योजना के लिये ८.४ करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मंजर की गयी थी

(ङ) और (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास

†९०९. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में केन्द्रीय सरकार ने जिन बड़े उद्योगों को महाराष्ट्र में सीधा चालू किया है, उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) इन परियोजनाओं में कुल कितनी राशि का विनियोजन किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :**(क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

१९५९ में स्थापित उद्योग का नाम	विनियोजित राशि
पेनिसिलीन के उत्पादन को २४० से ४०० लाख मेगा यूनिट करने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान एन्टीबायटिक्स लिमिटेड, पिंपरी का विस्तार ।	लगभग ६० लाख रुपये ।
पिंपरी में स्ट्रेप्टोमाइसीन एकक भी स्थापित किया जा रहा है । इस पर हुए व्यय का पता परियोजना के पूरे हो जाने पर लगेगा ।	

†मूल अंग्रेजी में

प्लास्टिक का उत्पादन

†९१०. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १२ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में विदेशी सहायता से प्लास्टिक के उत्पादन के लिये संयंत्र तथा अन्य उपकरण तैयार करने की प्रस्थापना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** सरकार को इस दिशा में अभी कोई ठोस स्थापनायें उपलब्ध नहीं हुई हैं ।

महाराष्ट्र में छोट पैमाने के हाथ करघा उद्योग

†९११. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ और १९५९–६० में महाराष्ट्र में (जिलेवार) सहकारी आधार पर चलाये जाने वाले और नये आरम्भ हुए छोटे पैमाने के हाथ करघा उद्योगों की संख्या क्या है ; और

(ख) १९६०–६१ में महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के हाथ करघा उद्योगों के विकास के लिये कितनी राशि स्वीकृत की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३७]**

(ख) संयुक्त बम्बई राज्य और योजना आयोग और इस मंत्रालय के प्रतिनिधियों की एक बैठक में यह निश्चित हुआ था कि १९६०–६१ में केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य को हाथ करघा उद्योग के विकास के लिये अधिक से अधिक ४३ लाख रुपये दिये जायेंगे जिसमें ८ लाख कर्जा होगा और ३५ लाख रुपये सहायता के रूप में होंगे। इस राशि का गुजरात और महाराष्ट्र में बटवारा कैसे हो इस पर अभी विचार हो रहा है ।

हाथ से बने कागज का आयात

†९१२. { **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में आयात किये गये हाथ के बने हुए कागज की मात्रा क्या है ; और

(ख) इस काल में इसी प्रकार के कागज का कितना उत्पादन देश में हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) ६७२ पौंड ।

(ख) २३,२३,०२० पौंड ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सड़क परिवहन अध्ययन दल

†६१३. { **श्री पांगरकर :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् द्वारा जो सड़क परिवहन अध्ययन दल नियुक्त किया गया था क्या उसके सदस्यों ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन उत्पादिकता परिषद् को प्रस्तुत कर दिया है और परिषद् द्वारा शीघ्र ही उसे प्रकाशित किया जायेगा।

(ख) जैसा कि २१ अप्रैल को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर में बताया गया था, अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशें ये हैं :

(१) सड़क परिवहन के विस्तार के विरुद्ध जाने वाले सभी विनियम और प्रक्रियाओं सम्बन्धी नीतियों में परिवर्तन किया जाये ;

(२) तीसरी और आने वाली योजनाओं में सड़क निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दी जाये ;

(३) सड़क परिवहन चालन के विभिन्न अंगों की गवेषणा की जाये ;

(४) प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था की जाये । राष्ट्रीयकृत और गैर सरकारी परिवहन के चालन का पथ प्रदर्शन करने वाले प्रशासकों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिये ।

(५) छोटे छोटे चालकों को सहकारिता के आधार पर मिला दिया जाये ।

(६) संधारण सुविधाओं की व्यवस्था की जाये ।

(७) गाड़ियां अथवा उनके पुर्जों को बनाने और उनका आयात करने के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की जाये ।

सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत रेडियो सेटों का सम्भरण

†६१४. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में, राज्यवार, सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत कितने रेडियो दिये गये ; और

(ख) क्या ये सामुदायिक रेडियो किसी एक गांव के ग्रामीणों के दल को ही दिये जा सकते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८]**

(ख) पंचायती रेडियो साधारणतः एक हजार से ले कर पांच हजार की जनसंख्या वाले गांवों को दिया जाता है । परन्तु यदि दो गांवों को मिला कर भी कहीं दो हजार की जनसंख्या बनती है तो राज्य सरकार को उन्हें रेडियो देने का अधिकार प्राप्त है ।

जबलपुर के गन कैरिज कारखाने में लकड़ी (टिम्बर) की हानि

†९१५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जबलपुर गन करिज कारखाने में हुई लकड़ी (टिम्बर) की हानि के सम्बन्ध में जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गयी थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो वह किस परिणाम पर पहुंची है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस जांच में कितना समय और लगेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) से (ग). इस मामले के लिये कोई समिति नहीं बनाई गयी थी।

मामला पंच फैसले के लिये पड़ा हुआ है। यह कहना कठिन है कि इस दिशा में अन्तिम निर्णय कब हो जायेगा ।

बांस के बोर्डों[1] का निर्माण

†९१६. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन गवेषणा संस्था ने बांस के बोर्डों का निर्माण करने के लिये कोई नये ंग का विकास किया है ;

(ख) बांस के ये बोर्ड किस काम में आते हैं ; और

(ग) व्यापारिक आधार पर इन बांस के बोर्डों का निर्माण करने की दिशा में क्या पग उठाया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) यह इमारतों के, यात्राओं के और पवन चक्कियों के काम आता है ।

(ग) दो पार्टियों को इसके नमूने दिये गये थे, परन्तु सरकार के समक्ष अभी ऐसी कोई बात नहीं आई जिससे यह परिणाम निकले कि इसका निर्माण व्यापारिक आधार पर लाभदायक रहेगा ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

[1]. Bomboo Boards.

'अगर' लकड़ी

†६१७. **श्री प्र० के० देव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निकालने के लिये 'अगर' लकड़ी[1] का प्रयोग किया जाता है ;

(ख) क्या इसका प्रयोग कुटीर उद्योग स्तर पर ही किया जाता है ;

(ग) क्या वन गवेषणा संस्था ने इसके आसवन (डिस्टिलेशन) के तरीके में सुधार के कुछ सुझाव दिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ;

(ङ) क्या सुधरे हुए ढंग से व्यापारिक आधार पर 'अगर' लकड़ी के तेल का उत्पादन किया जा रहा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) वन गवेषणा संस्था द्वारा निम्न बातों में परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं (१) तेल के चूने को रोकना, (२) निकले हुए तेल का संघनन (३) रिसीवर (४) पानी से तेल अलग करने का उपकरण (५) एफ़० आर० आई० आयल ट्रैप को चालू करना ।

(ङ) जहां तक जानकारी है, वन गवेषणा संस्था, देहरादून में जिस विधि का विकास किया गया है, उसका, व्यापारिक स्तर पर उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

इत्र-फुलेल

†६१८. **श्री प्र० के० देव** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन गवेषणा संस्था द्वारा अरंडी के तेल को साफ कर के इत्र बनाने का कोई तरीका निकाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे देश की किसी सार्थ को व्यापारिक आधार पर तैयार करने के लिए कहा गया है ;

(ग) इत्र-फुलेल की कुल आवश्यकता का अनुमान क्या है ;

(घ) क्या इस दिशा में देश आत्म निर्भर है ;

(ङ) क्या इत्र-फुलेल का निर्यात भी किया जाता है ; और

(च) यदि हां, तो वर्ष भर में इसकी मात्रा कितनी होती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Agar wood (Aquiloria Agallocha).

(ख) ख्याल है कि माननीय सदस्य का अभिप्राय अरंडी के तेल से Alpha Amyl cinnamic Aldehyde) के उत्पादन से है । यदि ऐसा है तो दो कारखाने इसका वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन कर रहे हैं। यह पता नहीं है कि यह उत्पादन वन गवेषणा संस्था के अनुसंधान कार्य के आधार पर किया जा रहा है अथवा किसी और आधार पर ।

(ग) बिलकुल ठीक जानकारी तो उपलब्ध नहीं है । १९६० में (मई मास तक) इसका आयात ४६,३६,००० रुपये का था ।

(घ) अभी नहीं ।

(ङ) और (च). निर्यात बहुत थोड़ा है ।

तरल रबड़

†९१९. **श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन गवेषणा संस्था के अनुसंधान के परिणाम स्वरूप अरंडी के तेल से तरल रबड़ निकाला जाना सम्भव हो गया है और क्या यह रबड़ वृक्षों से निकले रबड़ के समान 'वल्केनाइज़' किया जा सकता है ;

(ख) क्या भारत में इसका उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से सार्थ इसका उत्पादन कर रहे हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वन गवेषणा संस्था में अरंडी के तेल से स्पंज के समान मुलायम पदार्थ बनाया जाता है, यह साधारण रबड़ के समान ही 'वल्केनाइज़' किया जा सकता है ।

(ख) और (ग). जहां तक सरकार को पता है, इसका वाणिज्यिक आधार पर उत्पादन नहीं होता है ।

गैस संयंत्रों के लिये कोयला

†९२०. **श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसन्धान संस्था में किये गये अनुसन्धान के फलस्वरूप, उत्पादक गैस संयंत्रों में कोयले का उपयोग ठीक समझा गया है ;

(ख) क्या दूसरे विश्व युद्ध में इसका काफी उपयोग किया गया था ;

(ग) क्या उत्पादक गैस संयंत्रों के लिए तथा लारियां और बसें चलाने के लिए आज भी कोयले का इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि दूसरे विश्वयुद्ध में किया जाता था; और

(घ) डीजल तेल या पेट्रोल को काम में लाने की तुलना में संयंत्रों में कोयले के इस उपयोग से क्या लाभ-हानि है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). उत्पादक गैस संयंत्रों में कोयले की उपयुक्तता के बारे में वन अनुसन्धान संस्था ने प्रयोगशाला में और क्षेत्र में पूरा पूरा परीक्षण किया था। पेट्रोल की कमी के कारण पिछले विश्वयुद्ध में मोटर गाड़ियां चलाने के लिए उत्पादक गैस संयंत्रों में कोयले का काफी इस्तेमाल किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादक गैस से चलने वाली मोटर गाड़ियों के सम्बंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कोयले के प्रयोग के लाभ-हानियां इस प्रकार हैं :—

१. कोयले से चलने वाले संयंत्र में ईंधन की लागत पेट्रोल वाले संयंत्र की लागत का लगभग दसवां हिस्सा होती है।

२. जब पेट्रोल नहीं मिलता तब उस कठिन समय में मोटर गाड़ियां चलाने के लिए कोयला एक उपयुक्त स्थानापन्न वस्तु है।

हानियां

१. इंजन धीमी गति से चालू होता है।

२. गैस तैयार करने के लिये एक विशेष प्रकार का भारी निकाला जाने वाला गैस संयंत्र आवश्यक होता है और इस से कुछ सवारियों की जगह कम हो जाती है।

३. हर चालीस या पचास मील के बाद फिर ईंधन डालने की जरूरत पड़ती है।

४. फिल्टरी की समय समय पर सफाई जरूरी होती है और इस से क्लीनर्स के लिए और काम बढ़ जाता है; और

५. कोयले का गैस पेट्रोल की अपेक्षा कम कारगर होता है, और इसलिए वह पहाड़ी सड़कों के लिए ठीक नहीं होता। इस में गीयर का अधिक उपयोग करना पड़ता है।

चमड़ा कमाने की छाल का सत् तैयार करना

†९२१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन अनुसंधान संस्था में भारतीय वनों में चमड़ा कमाने की देशी वस्तुओं के बारे में, खासकर चमड़ा कमाने की छाल का सत् तैयार करने के बारे में अनुसन्धान किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारण रंगून में छाल की सत् का एक बड़ा कारखाना स्थापित किया गया है;

(ग) क्या सरकार बड़े पैमाने पर इस तरह का एक कारखाना भारत में भी स्थापित करना चाहती है; और

(घ) क्या कच्ची खालों की जगह केवल कमाया हुआ चमड़ा ही विदेश भेजने का सरकार का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) कच्ची खालों के निर्यात पर पहले से ही रोक लगी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वारंगल में औद्योगिक बस्ती

†९२२. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ३१ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१५ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि आन्ध्र प्रदेश में वारंगल में औद्योगिक बस्ती के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** यह बताया गया है कि इस बस्ती में १६ शेड बनाये गये थे और सभी शेड में पानी और बिजली की व्यवस्था की गयी है । छै शेड और बनाये जा रहे हैं । सभी २२ शेड अस्थायी तौर पर दे दिये गये हैं।

रतलाम और भोपाल में गन्दी बस्ती सफाई परियोजनाएं

†९२३. **श्री रामम :** क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रतलाम और भोपाल में गन्दी बस्ती सफाई परियोजनाओं का परीक्षण कर लिया है ;

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) से (ग). संशोधित प्रक्रिया के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने स्वतः दो गन्दी बस्ती सफाई परियोजनाएं मंजूर की हैं—एक रतलाम में जहां अनुमानित १.२४ लाख रुपये की लागत से ३८ मकान और दूसरी, भोपाल में अनुमानित २.१० लाख रुपये की लागत से ६० मकान बनाने की । इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिये या नहीं इस प्रश्न पर राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

पश्चिम जर्मनी में भारतीय छात्र

†९२४. **श्री दिनेश सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम हुआ है कि पश्चिम जर्मनी में भारतीय छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस विषय में कोई कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) सरकार को इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि पश्चिम जर्मनी में भारतीय छात्रों को काफी कठिनाई हो रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में नागरिक सेवायें

†९२५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री २५ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४३९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में विस्था-

†मूल अंग्रेजी में

पित व्यक्तियों की बस्तियों में नागरिक सेवायें दिल्ली नगर निगम के अधीन सौंप देने के प्रस्ताव के बारे में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) तीनः बस्तियों में अर्थात् गुड़की-मंडी, इन्द्र नगर और नरेला में नागरिक सेवायें नगर निगम ने पूरी तौर से अपने हाथ में ले ली हैं। अन्य बस्तियों के मामले में कुछ सेवायें तो निगम ने पहले ही अपने हाथ में ले ली हैं और बाकी सेवाओं के संबंध में आगे कार्यवाही हो रही है।

लुधियाना में स्कूटरों का निर्माण

†६२६. श्री खुश वक्त राय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुधियाना की किसी फर्म ने जापान की याहामा कम्पनी के साथ उसके सहयोग से यहां स्कूटरों का निर्माण करने के लिये कोई करार किया है ;

(ख) उक्त करार की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) ये स्कूटर बाजार में बिक्री के लिये कब तक आयेंगे और अनुमानतः उनकी कीमत क्या होगी;

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण साथ में नत्थी है।

विवरण

(क) जी हां। मैसर्स पर्ल स्कूटर्स लुधियाना ने मैसर्स यामाहा मोटर कम्पनी लि० जापान के साथ इसके सहयोग से छोटे स्कूटर बनाने के लिये एक करार किया है। यह फर्म ५० सी० सी और ७८ सी० सी० स्कूटरों का निर्माण करना चाहती है।

(ख) इस प्रस्ताव के अन्तर्गत प्रविधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई इकट्ठी रकम अथवा रायल्टी नहीं देनी होगी। पहले साल में प्रति स्कूटर पीछे केवल १५० रुपये के और दूसरे साल में केवल १०० रुपये के हिस्से पुर्जों का आयात करने की इच्छा प्रकट की गई है। तीसरे साल में आयात किये जाने वाले हिस्से पुर्जे का योग नगण्य होगा। जापान में सहयोग देने वाले कारखाने में भारतीय कारीगरों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है और शुरू में जापानी कारीगर स्कूटर बनाने में सहायता करेंगे।

(ग) आशा है कि मशीनें लग जाने के बाद एक वर्ष के भीतर उत्पादन आरम्भ हो जायेगा। इन छोटे स्कूटरों का मूल्य उन स्कूटरों से बहुत कम होगा जोकि अधिक हार्स पावर के होते हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश

†६२७. श्री सरजू पांडेय : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९६०-६१ के कितनी धनराशि उत्तर प्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को दी है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई संविहित बोर्ड नहीं बनाया गया है और आयोग किसी मंत्रणा बोर्ड के लिये सीधे कोई निधियां मंजूर नहीं करता । फिर भी आयोग ने १९६०-६१ में खादी तथा ग्रामोद्योगों के विकास के लिये उत्तर प्रदेश को अभी फिलहाल २७·५ लाख रुपये का अनुदान और ५०·५ लाख रुपये का ऋण दिया है ।

उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग

†९२८. **श्री सरजू पांडेय** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार किस योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) पिछले पांच साल में इस दिशा में क्या काम किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) किसी भी योजना पर नहीं । उत्तर प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास की योजनायें राज्य सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के परामर्श से बनाती है । अगले साल को वार्षिक आयोजना योजनाओं पर सरकार इस वर्ष अक्तूबर/नवम्बर में किसी समय विचार करेगी ।

(ख) विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९**] ।

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी

†९२९. **श्री सरजू पांडेय** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में पिछले छः महीनों में पंजीकृत बेरोजगारों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ख) इसी अवधि में कितने बेरोजगार ग्रेजुएट और इन्टरमीडियेट पंजीकृत किये गये ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** (क)

महीना	महिने में पंजीकृत आवेदकों की संख्या
१९६०	
जनवरी . .	४४,१९१
फरवरी .	३७,४३२
मार्च	३८,२५२
अप्रैल	५८,५४१
मई	४४,६१५
जून	५०,६२२

†मूल अंग्रेजी में

(ख)

श्रेणी	३१–३–६०	३०–६–६०
	को समाप्त होने वाली तिमाही में पंजीकृत आवेदकों की संख्या*	
ग्रैजुएट . . .	२,४९५	३,८७४
इन्टरमीडियेट . . .	५,३५८	८,१७७

*यह जानकारी केवल तिमाही के लिये इकट्टी की जाती है।

व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण

†९३०. **श्री सरजू पांडेय** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग सेवा संस्था में कितने व्यक्तियों को व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण दिया गया ; और

(ख) उसमें कितना खर्च हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). लघु उद्योग सेवा संस्था, कानपुर में केवल दिसम्बर, १९५८ में चालू की गयी थी। उसमें ३० व्यक्तियों के लिये दिसम्बर, १९५९—जनवरी, १९६० में व्यापार प्रबन्ध का एक अल्पावधि पाठ्यक्रम चालू किया गया था।

आगरा में लघु उद्योग सेवा शाखा संस्था ने अक्तूबर–नवम्बर, १९५९ की अवधि में १७ व्यक्तियों के लिये व्यापार प्रबन्ध का एक अल्पावधि पाठ्यक्रम चालू किया था।

इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया था।

प्रलेखीय चलचित्र

९३१. **श्रीमती मिनीमाता** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६० से अब तक चलचित्र विभाग ने कितने प्रलेखीय चलचित्र तैयार किये हैं ; और

(ख) इनमें से कितने भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) चित्रपट विभाग ने १ जनवरी, १९६० से ३१ जुलाई, १९६० तक ५२ वृत-चित्र तैयार किये हैं।

(ख) १३।

अधिकृत स्टालवाले[1]

†९३२. **श्री कुन्हन** : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के अस्थायी बाजारों में ऐसे कुल कितने अधिकृत स्टाल वाले हैं जिन्हें नई दिल्ली में मोती बाग–१, लक्ष्मीबाई नगर और नेताजी नगर, की बस्तियों में दूकानें दी जाने वाली हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

[1]Eligible Stallholders.

(ख) नई दिल्ली के कौन कौन से अस्थायी बाजार हैं और प्रत्येक बाजार में कितने अधिकृत स्टाल वाले हैं ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) और (ख). सभा पटल पर विवरण रखा जाता है ।

विवरण

नयी दिल्ली के अस्थायी बाजारों के नाम और प्रत्येक बाजार में अधिकृत स्टाल वालों की संख्या, जैसे कि नयी दिल्ली नगर पालिका ने बताया है, इस प्रकार है :—

मुहल्ला	अधिकृत स्टाल वालों की संख्या
हनुमान मन्दिर	११
लेडी हार्डिंग रोड	४
रिवोली सिनेमा के सामने विविध स्टाल . . .	१
बाबर रोड	१४
बेयर्ड लेन	५६
कैनाट सरकस	५०
इरविन रोड	१४
पंचकुई रोड	२०
जनपथ	७५
विभिन्न जगहों पर बैठने वाले जिनपर तेहबाजारी कर लगा हो	२१
रीडिंग रोड पर बैठने वाले . .	२६
	२९२

मोतीबाग—१, लक्ष्मीबाई नगर और नेताजी नगर के बाजार अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुये हैं । नयी दिल्ली नगरपालिका, जिसे ये बाजार पूरे हो जाने के बाद दे दिये जाने वाले हैं, इस बात का निश्चय करेगी कि किन किन अधिकृत स्टाल वालों को, जो अभी अस्थायी बाजारों में या अन्यत्र हैं, इन नये बाजारों में दूकानें दी जायें ।

नमक उद्योग

९३३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नमक उद्योग के विकास के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित योजनाओं के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है :

१. नयी सड़कों का निर्माण और वर्तमान सड़कों का सुधार ;

२. खारा पानी ले जाने वाली नालियों का सुधार और मिट्टी उठाना ;

†मूल अंग्रेजी में

३. पुलों, पुलियाओं और निकासी के द्वारों का सुधार ;

४. सुखाने के समतल मैंदानों और तटबन्धों का सुधार ; **और**

५. कर्मचारियों और मजदूरों को सुविधायें ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है ।

विवरण

क्रम सं०	योजना	खर्च की राशि			योग
		बम्बई क्षेत्र	मद्रास क्षेत्र	कलकत्ता क्षेत्र	
१.	नई सड़कों का निर्माण और वर्तमान सड़कों के सुधार पर लागत .	१,८४,००८	२०,९६०	५७,१२८	२,६२,०९६
२.	खारा पानी ले जाने वाली नालियों का सुधार और मिट्टी उठाना .	१,०७,१९१	१०	३,९१२	१,११,११३
३.	पुलों, पुलियाओं और निकासी के द्वारों का सुधार	१,०४,७५६	७,२२५	१२,७५६	१,२४,७३७
४.	सुखाने के समतल मैंदानों और तटबंधों का सुधार, और	—	५,१८१	—	५,१८१
५.	कर्मचारियों और मजदूरों को सुविधाएं	१,३१,४०४	१,०६,६५९	१,८५७	२,३९,९२०
	योग	५,२७,३५९	१,०४,०३५	७५,६५३	७,४३,०४७

भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस

९३४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के ११वें वार्षिक अधिवेशन में स्वीकृत संकल्प संख्या ६, ८, ९ और १० प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी हां ।

(ख) सूचना नीचे दी जाती है :—

विषय	कार्रवाई जो की गई या जिसे करने का विचार है
औद्योगिक विवाद यदि आपसी बातचीत से तय न हो सकें तो उ.के हल के लिए स्वैच्छिक पंच प्रणाली सब से अच्छा साधन है । इसलिए इस तरीके को सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जाय । जहां स्वैच्छिक पंच प्रणाली की व्यवस्था न हो सके, वहां सभी सच्चे विवाद अधि-निर्णय के लिए भेजे जायं ।	नियोजकों और कामगरों के केन्द्रीय संगठनों ने विवादों को अधिनिर्णय के लिये भेजने संबंधी उन आदर्श सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया है जिनमें स्वैच्छिक पंच प्रणाली के जरिए फैसला करने पर जोर दिया गया है । इन पर केन्द्रीय सरकार मुनासिब ध्यान दे रही है । स्वैच्छिक पंच फैसला संबंधी सिद्धान्त को पूरा प्रोत्साहन दिया जा रहा है ।
श्रम अपीलीय न्यायालय को फिर से कायम करने से औद्योगिक विवादों के हल में और अधिक देर होगी । सर्वोच्च न्यायालय में विवादों का फैसला जल्दी होना चाहिए और प्रणाली खर्चीली नहीं होनी चाहिए ।	श्रम अपीलीय न्यायालयों को फिर से कायम करने के बारे में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है । सर्वोच्च न्यायालय ने औद्योगिक विवादों का फैसला करने के लिए जो तरीका अपनाया है उसे सरल बनाने पर तो वही न्यायालय विचार कर सकता है ।
कानून पर पूरा पूरा अमल हो, इसके लिए एक ऐसे विभाग की नियुक्ति की जाय जिसके पास मुनासिब अधिकार हों और पक्षों को प्रवेश का अधिकार हो । अगर जरूरी समझा जाय तो दुराग्रही मालिकों के कारखानों को हाथ में लेने के लिए उद्योग विकास विनियम कानून के अधीन कार्रवाई की जाय ।	केन्द्रीय कानूनों को अमल में लाने के लिए जो व्यवस्था उस समय है उसका काम सन्तोषजनक है । जहां कहीं जरूरी समझा जा रहा है, उचित प्रबंध के लिए कार्रवाई की जा रही है ।
यदि कारखानों के मालिक वस्त्र और सीमेंट वेतन बोर्डों की सिफारिशों पर अब भी देर करना जारी रखें तो जल्द कानून बना कर सिफारिशों पर अमल करवाया जाय ।	वस्त्र और सीमेंट वेतन बोर्डों की सिफारिशों पर कैसे अमल हो रहा है, इस पर गहराई से ध्यान दिया जा रहा है । अमल के लिए मुनासिब कार्रवाई की जा रही है ।
जूट, बागान, कोयला खदान, रसायन, चमड़ा आदि जरूरी उद्योगों के लिए भी दूसरी पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति के पहले वेतन बोर्ड नियुक्त किये जायं ।	जूट और बागान उद्योगों के लिए वेतन बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया गया है । अन्य उद्योगों के लिए वेतन बोर्ड नियुक्त करने का फिलहाल विचार नहीं है ।

विषय	कार्रवाई जो की गई या जिसे करने का विचार है।
सम्मेलन सरकार से आग्रह करता है कि खासतौर से बोनस के प्रश्न पर विचार करने और प्रतिमान को स्थापित करने के लिए एक बोनस कमीशन नियुक्त किया जाय ।	बोनस कमीशन नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रमंडलीय आर्थिक समिति

†६३५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार को राष्ट्रमंडलीय आर्थिक समिति से जिस में वह नियमित रूप से अंशदान देती है, कहां तक लाभ हुआ है और कहां तक वह उससे उपयोगी जानकारी और अन्य आंकड़ों संबंधी सेवा प्राप्त कर सकी है ;

(ख) क्या इस समिति के कार्य प्रणाली का परीक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) राष्ट्रमंडलीय आर्थिक समिति के कार्य राष्ट्र मंडल के उत्पादन और व्यापार को प्रभावित करने वाले विषयों, आर्थिक और आंकड़ों सम्बन्धी सेवाएं प्रस्तुत करना और किसी आर्थिक प्रश्न पर जो सदस्य सरकारें उससे पूछें, रिपोर्ट देना है । वह काम इस के जरिये किया जाता है :—

(१) समान हित के आर्थिक प्रश्नों पर सरकारों को रिपोर्टें ;

(२) उत्पादन, व्यापार, उपभोग और महत्वपूर्ण वस्तुओं के मूल्य के बारे में जानकारी रखने वाले प्रकाशनों को, मुख्यतः "कोमोडिटी सीरीज" नामक वार्षिक प्रकाशन और अक्सर प्रकाशित होने वाले "इन्टेजेलेन्स सीरीज" नामक प्रकाशन से, नियमित जारी रखना ।

(३) समिति के सामान्य कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर अनुपूरक जानकारी देना ।

समिति द्वारा दी जाने वाली जानकारी भारत सरकार के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और टिप्पणियां, समीक्षाएं तथा बूलेटिन तैयार करने तथा भारत की तुलना में राष्ट्रमंडल तथा अन्य देशों में व्यापार और वस्तुओं की स्थिति के बारे में सामान्य परिचय कराने में उसका उपयोग किया जाता है ।

(ख) १९३०, १९३३ और १९३७ के इमपीरियल कानफरेन्स में समिति की कार्य-प्रणाली का परीक्षण किया गया था और उसे स्वीकृत किया गया था । समिति के कार्य और उसके विस्तार के प्रस्तावों पर भी जुलाई, १९५७ में राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में विचार किया गया था ।

(ग) राष्ट्रमंडलीय आर्थिक समिति ने पिछले ३० वर्षों में जो काम किया है उसका महत्व राष्ट्रमंडल मंत्रियों ने माना है । यह मान लिया गया था कि समिति को इस बात

†मूल अंग्रेजी में

की जांच करने और सरकार को सुझाव देने के लिए कहा जाये कि राष्ट्रमंडल देशों के आर्थिक साधनों की ओर ध्यान दिलाने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए उसके क्षेत्र और कार्यों का कितना विस्तार लाभप्रद ढंग से किया जा सकता है। वास्तव में सितम्बर, १९५८ में मान्ट्रीयल में आयोजित राष्ट्रमंडल व्यापार और आर्थिक सम्मेलन में समिति की एक रिपोर्ट की जांच की थी जिसमें यह विवेचन किया गया था कि उसके कार्यों का विस्तार कहां तक संभव है और तब उसके कार्यों के विस्तार के कुछ प्रस्ताव स्वीकार किये गये थे।

राजनैतिक दलों के प्रमुखों को आवास स्थान

†९३६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राजनैतिक दलों के प्रमुखों को रहने का स्थान देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर और किस आधार पर किराया लिया जायेगा ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए किन किन राजनैतिक दलों को मान्यता दी गयी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) से (ग). सरकार ने राजनैतिक दलों के प्रमुखों को निवास स्थान देने के बारे में कोई सामान्य निर्णय नहीं किया है । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को मूलभूत नियम ४५-क के अधीन किराये पर अस्थायी तौर पर एक बंगला दिया गया है । जब कभी अन्य राजनैतिक दलों के प्रमुखों की ओर से इसी तरह की मांग होगी तब उनके गुण दोषों के आधार पर उन पर विचार किया जायगा ।

इलेक्ट्रानिक साज सामान

†९३७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इलेक्ट्रानिक साज-सामान के बारे में आण्विक शक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव, जिससे कि वह न केवल अपनी मांगें वरन् संपूर्ण देश की वैज्ञानिक, औद्योगिक, चिकित्सा संबंधी और शिक्षा संस्थाओं की मांग भी पूरी कर सके, किस दिशा में है ?

†**प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** न केवल ट्राम्बे प्रतिष्ठान की वरन् संपूर्ण देश की वैज्ञानिक , औद्योगिक, चिकित्स सम्बन्धी और शिक्षा संस्थाओं की मांगें पूरी करने के लिए नाभिकीय इलेक्ट्रानिक साज-सामान का उत्पादन बढ़ाने की आयोजनाएं बनायी जा रही हैं । वर्ष १९६० में ३१ जुलाई तक ७१० औजार बनाये गये जब कि १९५९ में ८७१ औजार तैयार किये गये । आशा की जाती है कि चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक २,००० औजार बन जायेंगे । चालू वर्ष में बाहरी संस्थाओं को अब तक लगभग ५० औजार भेजे जा चुके हैं जब कि पिछले वर्ष ७३ भेजे गये थे । बाहर की संस्थाओं से कई मांगें आयी हैं और इन संस्थाओं को यथासंभव अधिक से अधिक औजार किन्तु ट्राम्बे प्रतिष्ठान की मांग पूरी हो जाने के बाद, भेजने का प्रयत्न किया जायगा । २४ लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

की और पूंजी लगाने का निश्चय किया गया है जिसके फलस्वरूप यदि विदेशों से खरीदा जाये तो लगभग ७.५ करोड़ रुपये का साज सामान इलेक्ट्रानिक्स डिविजन अगले पांच वर्ष में तैयार कर सकेगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†९३८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन संविहित दर बढ़ाने के बारे में इस बीच अंतिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

"कैरोलाइट"

†९३९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि "कैरोलाइट" नामक पदार्थ के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए छान बीन पूरी करने के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : प्रयोगशाला में किये गये प्रयोगों के निष्कर्षों के सम्बन्ध में एक टेक्निकल बुलेटिन निकालने के लिये कार्यवाही की जा रही है । अग्रिम प्रयोग करने के लिये एक या दो प्लास्टिक-निर्माताओं का सहयोग प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी लिमिटेड

†९४०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांभर झील संग्रह से नमक निकालने के लिये हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी द्वारा राजस्थान सरकार को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की रकम सम्बन्धी झगड़े के बारे में क्या मध्यस्थ ने अपना निर्णय दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी नहीं । (यों तो, पट्टा करार राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच हुआ था और न कि हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी के साथ) ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हीरा काटने के औजार का कारखाना

†९४१. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १००५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में

†मूल अंग्रेजी में

हीरा काटने के औजार का कारखाना स्थापित करने के लिये बेल्जियम की एक फर्म के साथ किये जाने वाले करार को अन्तिम रूप देने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : इस प्रस्ताव के बारे में २२ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १००५ के उत्तर में बतायी गयी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

न्यूयार्क के व्यापार केन्द्र

†९४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि न्यूयार्क में एक व्यापार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किस दशा में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : प्रस्ताव पर अभी विचार हो रहा है।

कलकत्ता ट्रामवेज हड़ताल के बारे में जांच की रिपोर्ट

†९४३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता ट्रामवेज हड़ताल के सम्बन्ध में त्रिदलीय जांच के निष्कर्षों पर कोई विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन निष्कर्षों पर किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) केन्द्रीय कार्यान्विति और मूल्यांकन समिति की अगली बैठक में रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रंग सम्बन्धी मामला

†९४४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई रंग सम्बन्धी मामले की विभागीय जांच की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) सम्बन्धित कर्मचारी असावधानता के दोषी पाये गये, षडयंत्र के नहीं । उनकी वेतनवृद्धि रोकने के लिये आदेश दिये जा चुके हैं।

औद्योगिक बस्तियों में शेड

†९४५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न औद्योगिक बस्तियों में बनाये गये ३५ शेड खाली पड़े हुए हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं कि ये सभी शेड काम में लाये जायें ।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). कुछ औद्योगिक बस्तियों में शेड खाली पड़े हुए हैं। कुछ मामलों में मशीनें आदि लगाने में देर हुई है और शेड नियतकर दिये जाने के बाद वे कुछ समय तक खाली पड़े रहे सकते हैं। फिर भी, जहां आवश्यक हो, वहां सम्बन्धित राज्य सरकारें इस बात के लिये विशेष प्रयत्न कर रही हैं कि सभी शेड तुरन्त काम में लाये जायें ।

भूमि विकास के लिए ऋण

†९४६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि प्राप्त करने और उसके विकास के लिये तथा विकसित जमीनों को बेचने के लिये भूमि अर्जन तथा विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को कोई ऋण दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना ऋण दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) और (ख). १९५९–६० में जारी की गयी, भूमि अर्जन तथा विकास योजना के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को यह अनुमति दी गयी है कि यह दूसरी पंचवर्षीय आयोजना अवधि में ९,७५,००० रुपये तक के वादे कर सकती है किन्तु इस शर्त पर कि उक्त अवधि में वास्तविक खर्च १,८५,००० रुपये तक सीमित रहे। इसमें से ६०,००० रुपये की धनराशि १९५९–६० में राज्य-सरकार को दी गयी थी और शेष धन-राशि चालू वित्तीय वर्ष में उसे दी जायेगी ।

फोटोग्राफी का सामान

९४७. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री पांगरकर :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दिनेश सिंह :
श्री मु० रं० कृष्ण :
श्री चन्द्रकांत भट्टाचार्य :
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फोटोग्राफी के सामान आदि के निर्माण के लिये एक फैक्टरी की स्थापना के लिये भारत सरकार तथा मेसर्स बलशेड़ नाम की एक फ्रेंच फर्म के साथ बातचीत चल रही थी ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जैसा कि ४ अप्रैल, १९६० को तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर में बताया जा चुका है, सिनेमा उद्योग की कच्ची फिल्म तथा फोटोग्राफी के कागज, फिल्में, और एक्सरे फिल्में बनाने के लिये फ्रांस के मैंसर्स बाउशे के सहयोग से एक कारखाना खोलने का निश्चय किया जा चुका है। इस बारे में २५ अप्रैल, १९६० को करार पर हस्ताक्षर हो चुके हैं जिसकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस प्रायोजना को अमल में लाने के लिये अगली कार्रवाई की जा रही है।

नमक समिति की रिपोर्ट

९४८. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सा सिफारिशें स्वीकार की गई हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). नमक समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

दस्तकारी का विकास

९४९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दस्तकारी के विकास का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त किये गये कार्यकारी दल द्वारा दिये गये प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख). दस्तकारी उद्योगों के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये नियुक्त किये गये कार्यकारी दल का मुख्य उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय आयोजना में इन उद्योगों के विकास के लिये शुरू किये गये कार्यक्रमों का फल निर्धारण करना था जिससे तीसरी पंचवर्षीय आयोजना का कार्यक्रम तैयार करते समय पिछली कमियों को बचाया जा सके। इसलिये तीसरी पंचवर्षीय आयोजना का कार्यक्रम तैयार करते समय कार्यकारी दल की सिफारिशों को ध्यान में रखा जा रहा है। मौजूदा योजनाओं में भी कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार आवश्यकतानुसार संशोधन किये जा रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र

९५०. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र खोलने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) मार्च, १९६० तक कितने केन्द्र खोले गये और ये कहां कहां हैं ; और

(ग) १९६०-६१ के लिये क्या योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, रजिस्टर्ड संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि को वित्तीय सहायता देता है। इस सहायता से पंजाब को एक रजिस्टर्ड संस्था ने हिमाचल प्रदेश में ऊन की कताई और बुनाई के कुछ केन्द्र खोले हैं। अभी तक कोई ग्रामोद्योग केन्द्र नहीं खोला गया है।

(ख) मार्च, १९६० के अन्त तक ऊन की कताई और बुनाई के १७ केन्द्र खोले जा चुके हैं जो इन जगहों पर हैं :—रामपुर, बुशहर, संगला, नाहन, पांवटा साहिब, सोलन, थियोग, सपाटू, बानीखेत, दुनेरा, चौवारी, बधावो, पुखरी, साहू, सरनोट, मेडला, चूरी, मण्डी-सुकेत ।

(ग) १९६०–६१ में फिलहाल नये केन्द्र खोलने का कोई विचार नहीं है। जितने केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं उनमें काम चलता रहेगा।

हिमाचल प्रदेश के लिये लोहा, ताम्बा और पीतल

९५१. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५९–६० में उद्योगों के लिये कोटे के आधार पर कितना लोहा, लोहे की चादरें, ताम्बा और पीतल तथा उनकी चादरें वितरित की गईं ;

(ख) उपरोक्त कोटा किन उद्योगों के लिये दिया गया तथा वे कहां-कहां हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि वहां कुछ फर्जी औद्योगिक केन्द्र हैं जो कोटा ले कर उसे काले बाजार में बेच देते हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्या सरकार इस विषय में जांच करने के लिये तैयार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण साथ में नत्थी है **[देखिये परिशिष्ट २ अनुबंध ४१।]**

(ग) सरकार की जानकारी में अभी तक ऐसी कोई मिसाल नहीं आई है।

(घ) और (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

कुटीर उद्योग और जड़ी-बूटियां

९५२. श्री पद्म देव : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांगी (जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश) के लोगों द्वारा कुटीर उद्योगों से तैयार की गई वस्तुओं और जमा की गई जड़ी-बूटियों का निर्यात करने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ; और

(ख) क्या सरकार उन लोगों को सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :(क) और (ख). इस समय इसका कोई प्रबन्ध नहीं है। यदि इसका कोई प्रस्ताव हो तो हिमाचल प्रदेश प्रशासन उस पर विचार कर सकता है।

†मूल अंग्रेजी में

रुपये में अदायगी के सम्बन्ध में करार

†९५३. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एक विदेशों से जो रुपये में अदायगी के सम्बन्ध में करार किये गये थे, उन से भारत के निर्यात के संवर्धन में कोई सहायता मिली है; और

(ख) क्या पश्चिमी यूरोपीय देशों से इस प्रकार के करार करने की संभावनाओं पर विचार किया गया है और यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) कुछ एक विदेशों से भारत के व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से भारत सरकार ने उन देशों से व्यापारिक करार किये हैं जिन के अनुसार भारत तथा उन देशों में खरीदी या बेची वस्तुओं पर या जो दी गयी सहायता के सम्बन्ध में पूरी अदायगी पर आंशिक अदायगी रुपयों में की जायेगी। इन करारों की कार्यान्विति से यह संकेत मिलता है कि उन देशों से भारत का निर्यात बढ़ रहा है ।

(ख) जी नहीं।

विश्व कृषि प्रदर्शनी

†९५४. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही की विश्व कृषि प्रदर्शनी के किस किस विदेशी मण्डप की इमारत भारत सरकार को उपहार के रूप में दे दी गयी थीं; और

(ख) सरकार उनका किस प्रकार से उपयोग करने का विचार रखती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) और (ख). रूस और अमेरिका ने कृषि प्रदर्शनी के लिये जो इमारतें बनायी थी, वे उपहार के रूप में भारत सरकार को दे दी गयी हैं। उन इमारतों का मुख्य रूप से भावी प्रदर्शनियों के लिये उपयोग करने का विचार है । अन्य अवसरों पर यदि आवश्यकता हुई तो सरकारी दफ्तरों के स्थान की कमी पूरी करने के लिये भी उन का उपयोग किया जा सकेगा।

सरकारी उपक्रम

†९५५. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालयों के अधीन ऐसे कौन कौन से उपक्रम हैं जो किन्हीं उद्योगों के संवर्धन में सहायक सिद्ध होते हैं ; और

(ख) क्या वे 'न लाभ, न हानि' के आधार पर काम कर रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित उपक्रम ऐसे हैं जो कि किन्हीं उद्योगों के संवर्धन में सहायता देते हैं :—

भारत हस्त शिल्प विकास निगम।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्योंकि ये सभी उपक्रम संवर्धन के लिये हैं इसलिये इन पर आने वाला कार्य खर्च सेवा खर्च के रूप से माना जाता है और वह खर्च प्रतिवर्ष सरकार द्वारा दिये जाने वाले अनुदान से पूरा किया जाता है ।

अमरीका को चाय का निर्यात

†९५६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० क० देव : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में अमरीका को कितनी चाय का निर्यात किया गया था ;

(ख) ये मात्रा १९५८–५९ की मात्रा की तुलना में कैसी है ;

(ग) अमरीका को चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) वहां पर चाय के भाव यहां के भावों की तुलना में कैसे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). १९५९–६० में अमरीका को २३२.६ लाख पौंड भारतीय चाय का निर्यात किया गया है जब कि १९५८–५९ में २४४.२ लाख पौंड चाय का निर्यात किया गया था ।

(ग) भारत अमरीकी चाय परिषद् का एक सदस्य है जो कि उस देश में चाय की खपत को बढ़ाने के लिये प्रचार करता है । संयुक्त संवर्धन यत्नों के अतिरिक्त वहां पर हमारी चाय के सवर्धन के संबंध में देख भाल करने के लिये हाल ही में न्यूयार्क में एक चाय संवर्धन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है ।

(घ) हमारी चाय की कीमतें अमरीकन बाजारों में मुकाबले की हैं, जब कि कुछ अन्य देश अपनी चाय को बहुत सस्ते दामों पर बेच रहे हैं ;

सैलम में यूरेनियम के निक्षेप

†९५७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री ९ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैलम जिले में यूरेनियम के निक्षेपों के सम्बन्ध में जांच के बारे में नयी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां।

(ख) सैलम जिले के कुल्लमपट्टी के यूरेनियम के निक्षेपों के सम्बन्ध में किये गये विस्तृत खोज कार्य तथा भूमि छेदन कार्य के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि वे निक्षेप सीमित मात्रा में तथा ऊपर ऊपर ही है और इसलिये इस सम्बन्ध में और अधिक कार्य करना स्थगित कर

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया है। उसी जिले में कुल्लमपट्टी से लगभग १० मील की दूरी पर तक्कानाडू, ईरू-पल्ली और ओरावापट्टी नाम के ग्रामों के निकट हाल ही में तीन अन्य स्थानों के बारे में ज्ञात हुआ है। उन क्षेत्रों के विस्तृत खोज का कार्य अभी अभी प्रारम्भ हुआ है। उसके परिणाम अभी तक ज्ञात नहीं हुए हैं।

दिल्ली के घरेलू कर्मचारियों का कल्याण

†९५८. **श्री डी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १७ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू कर्मचारियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने वाले दफ्तरों के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित है :—

(क) पंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या ३५०

(ख) रिक्त स्थानों की सूचना मिली . . ३५९ स्थान

(ग) आवेदन ३८५

(घ) नियुक्तियां ३१

(ङ) वर्तमान रजिस्टर में—जुलाई, १९६० के अन्त में ४४ अभ्यर्थी थे।

(च) काम दिलाऊ दफ्तर का उपयोग करने वाले मालिकों की संख्या—३२७

(छ) (१) श्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा घरेलू कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतनों के क्रम, उनके कार्य घण्टे, छुट्टियां आदि के सम्बन्ध में आंकड़े भी इकट्ठे किये गये हैं।

(२) सम्पर्क : श्रम कल्याण निरीक्षक ने ९५ निर्देशय पुरुषों, ६३ पहले के मालिकों और २४ नये मालिकों से सम्पर्क स्थापित किये हैं ;

(३) श्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा नमूने के तौर पर एक सर्वेक्षण भी किया है। दिल्ली और नई दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में रहने वाले २२५ परिवारों के घरों में वे गये थे।

सेनीटेक्स केमिकल्ज इंडस्ट्रीज लिमिटिड, बड़ोदा

†९५९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेनिटेक्स केमिकल्स इण्डस्ट्रीज लिमिटिड बडौदा के प्रबन्ध अभिकरण और निदेशक बोर्ड के गठन और कार्य के सम्बन्ध में भयंकर आरोपों की ओर समवाय विधि प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गयी है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) समवाय विधि प्रशासन विभाग को उस कम्पनी के प्रबन्ध में गड़बड़ के बारे में कुछ एक आरोपों के सम्बन्ध में सूचित किया गया था।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, हां। कम्पनी से कह दिया गया था कि वह इस बात का स्पष्टीकरण भेजे और समवाय रजिस्ट्रार से भी कह दिया गया था कि वह इन आरोपों के बारे में जांच करें। कम्पनी द्वारा भेजे गये स्पष्टीकरण और रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर सरकार ने विचार कर लिया है। इस सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

पूर्निया जिला शरणार्थी सन्था

†६६०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पूर्निया जिला शरणार्थी सन्था से थाना मनीहारी के अधीन बैजनाथपुर शरणार्थी बस्ती के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या यह सच है कि पूर्निया जिले की ७ शरणार्थी बस्तियों में नलकूपों और स्कूलों की इमारतों का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;

(घ) क्या यह सच है कि कटिहार बस्ती संख्या २ और खुकशिगाम चौहरताला बस्ती में मकानों को पूरा करने की योजना के लिये एक वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक मंजूरी नहीं मिली है ; और

(ङ) क्या उन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). पूर्निया जिले की शरणार्थी सन्था से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि कोई और जमीन एलाट कर दी जाय। उस प्रार्थना पर राज्य सरकार ने विचार किया परन्तु विचार करने के बाद उसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि स्थान परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। उस सम्बन्ध में यह भी बता देना आवश्यक है कि उन शरणार्थी व्यक्तियों ने भूमि के आवंटन से पहिले स्वयं उस जमीन को देखा था और उसे लेने की बात से वे सहमत हो गये थे।

(ग) सभी बस्तियों में नलकूप लगा दिये गये हैं। स्कूलों की इमारतों का काम भी हो रहा है और आशा है कि इसी वर्ष में वह काम पूरा हो जायगा।

(घ) जी, नहीं। बिहार सरकार को इन बस्तियों के विस्थापित व्यक्तियों को अतिरिक्त गृह-निर्माण ऋण देने के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हुए थे, परन्तु उस सरकार ने उस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उस का यह मत है कि अतिरिक्त ऋण देने का कोई विशेष आधार नहीं है।

(ङ) जी, हां। स्थिति ऊपर के उत्तरों में स्पष्ट कर दी गयी है।

इलक्ट्रोलियटिक मेंगनीज़

†६६१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर द्वारा कम ग्रेड के मेंगनीज अयस्क से इलेक्ट्रोलिटिक मेंगनीज़ तैयार करने के सम्बन्ध में जो नया तरीका निकाला है, उसका व्यापारिक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इसके लिये किस ग्रेड के अयस्क इस्तेमाल किये जा रहे हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम ने इस नये तरीके के बारे में एक गैर-प्रविधिक नोट तथा लागत प्राक्कलन परिचालित किये हैं ताकि व्यापारिक स्तर पर इस उपाय का उपयोग किया जा सके।

(ख) १५ प्रतिशत मेंगनीज़ वाले अयस्कों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

तिब्बत के लद्दाखी

†९६२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ५० लद्दाखी व्यक्तियों ने शिगात्से से कालिम्पोंग में प्रवेश किया है और चीनी प्राधिकारियों ने ३००० अन्य लद्दाखियों को जिनमें मुसलमान भी सम्मिलित हैं, शिगात्से में रोक लिया है?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : उपलब्ध जानकारी के अनुसार लद्दाखी मुसलमानों के केवल ५ परिवार ही भारत आये हैं जिनके कुल सदस्य २५ हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लगभग १०० लद्दाखियों के बारे में रिपोर्ट मिली है कि उन्हें शिगात्से में रोक लिया गया है।

उड़ीसा में काफी की खेती

†९६३. { **श्री प्र० क० देव** :
श्री संगण्णा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में काफी की खेती प्रारम्भ करने की संभावना की खोज के लिये काफी बोर्ड द्वारा उड़ीसा का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या काफी बोर्ड के प्रतिनिधि ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उस रिपोर्ट की प्रतियां पहले ही संसद् पुस्तकालय में रख दी गयी हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

†९६४. { **श्री सूपकार** :
श्रीमती मफीदा अहमद :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३१ मार्च, १९६० तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की वास्तविक पूर्ति के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक विभिन्न विभागों के लक्ष्यों की पूर्ति में कितनी कमी रह जाने की आशंका है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). जी, हां । १६५६-६० के प्रगति प्रतिवेदन में इसके ब्योरे दिये जायेंगे जो कि निकट भविष्य में ही प्रस्तुत किया जायेगा ।

महाराष्ट्र में कार्य तथा प्रशिक्षण केन्द्र

†**६६५. श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये चालू वर्ष में महाराष्ट्र में दो कार्य तथा प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जी, हां । एक केन्द्र दिसम्बर, १६५६ से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, औंध, पूना में प्रारम्भ कर दिया है और दूसरा केन्द्र अगस्त, १६६० से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नागपुर में चलाने के लिये राज्य सरकार द्वारा आर्डर जारी कर दिये गये हैं ।

लघु उद्योग

†**६६६. श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकास आयुक्त, लघु उद्योग, नई दिल्ली से सम्बद्ध व्यापार प्रबन्ध सम्बन्धी विदेशी परामर्शदाता, श्री जी० ए० मेजर, ने मई, १६६० में भारतीय निर्माताओं को यह परामर्श दिया था कि वे अपनी वस्तुओं की किस्म तथा रूप को सुधारने पर विशेष ध्यान दें ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है; और

(क) निर्माताओं ने अपनी किस्म और रूप को सुधारने के सम्बन्ध में कहां तक आश्वासन दिया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). डिजाइन और किस्म को सुधारने के सुझावों को कार्यान्वित करने में पर्याप्त समय लग जाता है । अतः इन प्रयत्नों की सफलता के सम्बन्ध में मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता ।

आसाम में चाय उद्योग

†**६६७. श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि आसाम में पानी की कमी के कारण चाय उद्योग पर बहुत बुरा असर पड़ा है और उससे बहुत से बागों को संकट का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). यह ज्ञात हुआ है कि वहां पर इस मौसम के प्रारम्भ में सूखे के कारण चाय के बागों पर बुरा असर पड़ा है, परन्तु किसी भी बाग के

†मूल अंग्रेजी में

नष्ट होने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है। यह आशा है कि यदि उपयुक्त परिस्थितियां पैदा की जा सकें तो उससे चाय को होने वाला यह नुकसान पूरा हो सकता है जिसका अनुमान ३० लाख पौंड का लगाया जाता है।

लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग क्षेत्रों से खरीद

†९६८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कुल कितनी कीमत की वस्तुएं खरीदी गई थी और उनमें से (१) लघु उद्योग तथा (२) कुटीर उद्योग के क्षेत्रों से कितनी वस्तुएं खरीदी गईं थीं ;

(ख) उन वस्तुओं के मूल्य अधिमान की राशि कितनी है; और

(ग) १९५९–६० में केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के मूल्य अधिमान की राशि कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी को इकट्ठा करने में अत्यधिक परिश्रम, धन और समय लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष राज्य या क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिये यत्न किया जा सकता है।

लघु उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री

†९६९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री के लिये दिल्ली में कोई अग्रिम केन्द्र स्थापित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का रूप क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) योजना का उद्देश्य यह है कि कुछ एक वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्माताओं और वितरकों में सीधा सम्पर्क स्थापित किया जा सके। निगम के सेल्समेनों का एक दल विभिन्न वस्तुओं के नमूनों सहित विभिन्न मंडियों में भेजा जाता है। सेल्समेन आर्डर बुक कर लेते हैं और कारपोरेशन के हेड आफिस की सूचना के अधीन निर्माताओं को वे वस्तुएं भेज दी जाती हैं। सामान्यतया वे सेल्समेन किसी विशेष क्षेत्र की किसी विशेष वस्तु के विक्रय के लिये तीन से छः महीनों के लिये नियुक्त किये जाते हैं। किसी विशेष मंडी के अच्छी प्रकार से विकास हो जाने के बाद वे सेल्समेन किसी विक्रय एजेण्ट की नियुक्ति द्वारा विक्री के लिये कोई स्थायी उपाय बना देने के सम्बन्ध में निर्माताओं को सुझाव देगा। वे सेल्समेन समय समय पर वस्तुओं की किस्म, पैकिंग और

†मूल अंग्रेजी में

व्यापारिक शर्तों के सम्बन्ध में भी निर्माताओं को सुझाव देते हैं, वे स्वयं भी निर्माताओं के पास जा कर इन्हें मनाने का यत्न करते हैं कि वे उन उपयुक्त सुझाओं को कार्यान्वित करें । कारपोरेशन को उस विक्री पर ६ $^{1}/_{4}$ प्रतिशत कमीशन मिलता है, जिनके आर्डर वे सेलसमेन बुक करते हैं ।

मद्रास का हथकरघा उद्योग

†९७०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ से अमरीका की मार्केटों में मद्रास के हथकरघा उद्योग का निर्यात हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) निर्यात बढ़ाने के लिये क्या क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं । १९५८ से मद्रास के पत्तन से हथकरघे की वस्तुओं का निर्यात निरन्तर बढ़ रहा है ?

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). गैर परम्परागत मार्केटों को जिनमें अमरीका भी सम्मिलित है, हथ करघे की वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिये प्रभावकारी कार्यवाहियां करने के लिये एक हथकरघा निर्यात संवर्धन संगठन की स्थापना की गई है । १९५९ और १९६० में इस संगठन तथा अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड के प्रतिनिधियों का एक मण्डल गया था और शिकागो की प्रदर्शनी तथा विश्व व्यापार प्रदर्शनी, न्यूयार्क में विभिन्न नमूनों तथा डिजाइनों के हथकरघे के कपड़े प्रदर्शित किये गये थे । उसके परिणामस्वरूप इस देश में भारतीय हथकरघा वस्तुओं के लिये पर्याप्त रुचि उत्पन्न हो गई है और इन वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में खरीदा भी गया था । अमरीका को १९५९ में ४९.६ लाख गज़ कपड़ा भेजा गया था जिसकी कीमत १३६.०८ लाख रुपये थी जब कि १९५८ में केवल ४.६ लाख गज़ भेजा गया था जिसकी कीमत १०.९३ लाख रुपये थी ।

उद्योग विभागों में ग्राम-उपविभाग[1]

†९७१. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, जैसी कि औद्योगिक अग्रिम परियोजनाओं सम्बन्धी अध्ययन मण्डल ने सिफ़ारिश की है, केन्द्रीय तथा राज्य उद्योग विभागों में सरकारी स्तर पर कोई विशेष ग्राम उपविभाग (रूरल सैल) स्थापित कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने "सैल" स्थापति किये गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Rural Cells.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). मामला अभी विचाराधीन है।

राजस्थान में धातु के कारखाने

९७२. श्री प० ला० बारूपाल :
श्री र० चं० व्यास :
श्री दीनबन्धु परमार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में छोटे बड़े कितने कारखाने हैं जहां धातु का काम किया जाता है ?

(ख) छड़ों, गर्डरों, चद्दरों आदि की प्रति मन नियंत्रित दर क्या है; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि बीकानेर का इंडियन मेटल वर्क्स लोहे के छड़ खुले बाजार में ४० से ४५ रुपये प्रति मन की दर से बेच रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ९७० ।

(ख) लोहा और इस्पात के नियंत्रित मूल्य समय समय पर गजट आफ इंडिया में प्रकाशित किये जाते हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

तिहाड़ का पुनर्निर्माण

†**९७३. श्री केशव** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की एक शरणार्थी बस्ती तिहाड़ का पुनर्निर्माण करने के लिये ७$^1/_2$ लाख रुपये की राशि मंजूर कर दी गयी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चंद खन्ना)** : (क) और (ख). पुनर्वास मंत्रालय ने ४०.३४ एकड़ भूमि के विकास के द्वारा तिहाड़ गांव के पुनर्निर्माण के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार को ७,७०,००० रुपये मंजूर किये थे । दिल्ली विकास प्राधिकार ने इस के सम्बन्ध में केवल कुछ एक प्रारम्भिक कार्य ही किये थे, तदुपरान्त वह कार्य दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया । दिल्ली नगर निगम अब उस के नक्शे का पुनरीक्षण कर रही है और शीघ्र ही कार्य के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर देगी ।

छपाई और लिखने का कागज

९७४. श्री भक्त दर्शन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी क्षेत्र में छपाई और लिखने का कागज तैयार करने के कुछ कारखाने खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ये कारखाने खोलने के लिये भारत सरकार किस प्रकार की सहायता दे रही है या देने वाली है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । कुल २५ आवेदन-पत्र आये हैं ।

(ख) औद्योगिक लाइसेन्स इस प्रकार दिये जा चुके हैं :—

(१) बड़े पैमाने के कारखाने	२
(२) छोटे पमाने के कारखाने	६

१४ योजनाओं के आवेदन कर्ताओं से अपनी योजनाओं में ऐसे संशोधन करने को कहा गया है जिस में उन्हें देशी कच्चे माल पर आधारित किया जा सके और उन के लिये आवश्यक संयंत्र और मशीनें सरकार द्वारा स्वीकृत देशी संयंत्र तथा मशीन-निर्माताओं से प्राप्त की जा सकें । अन्य योजनाओं की प्रविधिक परीक्षा की जा रही है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार सामान्यतः इस्पात, सीमेंट आदि निर्माण सामग्री प्राप्त करने में सहायता देती है । यदि आवेदन कर्ता कोई प्रविधिक परामर्श मांगता है तो वह उसे यह भी प्रदान करती है ।

राज्य सरकार भूमि, बिजली और कच्चे माल प्राप्त करने में सहायता देती है । राज्य-वित्त निगम भी हर मामले के महत्व पर विचार कर के वित्तीय सहायता दे सकता है ।

समवाय अधिनियम के अधीन विघटित समवाय

†९७५. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समवायों के नाम तथा उन के व्यवसाय का क्या प्रकार है जो कानपुर क्षेत्र के अन्तर्गत जिस में उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब और संघ क्षेत्र दिल्ली शामिल हैं, में (राज्यवार), वर्ष १९५९–६० में आज तक समवाय अधिनियम की धारा ५६० की उपधारा (५) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुसरण में विघटित किये गये;

(ख) उक्त समवायों को उन के प्रारम्भ से सरकार, निगम तथा अन्य सरकारी निधियों द्वारा कितना ऋण, अग्रिम धन तथा अनुदान दिया गया;

(ग) उक्त समवायों को कुल कितनी बकाया राशि चुकानी है और उनसे कितनी राशि वसूल होने की आशा है;

(घ) उन समवायों को विघटित करने के क्या कारण थे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) एक विवरण संलग्न है ।
[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४२]

(ख) केवल दो समवायों यथा (१) दि सिंह टेक्सटाइल मिल्स कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, और शनिविक्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जो उत्तर प्रदेश में पंजीयित है जानकारी उपलब्ध है। पहिली समवाय को कानपुर सुधार प्रन्यास की ओर से ४,६८० रु० और दूसरे समवाय को पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा ७,००० रु० का ऋण स्वीकृत किया गया था ।

(ग) उन को विघटित करने की तारीख के दिन है तक उन के नाम पर ऋणों की पूरी राशि मौजूद थी । ऋणों की वसूली इस बात पर निर्भर है कि ऋणदाता समवाय अधिनियम की धारा ५६० की उपधारा (५) और (६) के अधीन क्या कार्यवाही कर सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) कई वर्षों तक व्यापार करने में असमर्थ रहना ।

सरकारी बस्तियों के सार्वजनिक पार्कों पर अनाधिकार हस्तक्षेप

†९७६. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के परिपत्र जारी किये हैं कि सरकारी मकानों में रहने वालों द्वारा सार्वजनिक पार्कों में अनाधिकार हस्तक्षेप न किया जाय और नवनिर्मित बस्तियों के सार्वजनिक मार्ग बन्द न किये जायें;

(ख) क्या एस्टेट डायरेक्टर के पास इस संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं; और

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है, तो यह शिकायतें उन्हें कब प्राप्त हुईं और तब से सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) यह शिकायतें १९५९ में प्राप्त हुईं और चालू वर्ष में भी प्राप्त हुईं । दोषी व्यक्तियों को अनाधिकार क्षेत्र खाली करने का नोटिस दिया गया । और कई मामलों में उन्हों ने अनुदेशों का पालन किया । अन्य मामलों में डायरेक्टर आफ इस्टेट्स, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम के मुर्गी पालन डायरेक्टरों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहायोग से कार्यवाही कर रहे हैं ।

सरकारी प्रेस

†९७७. **श्री रा० च० माझी** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० च० सामंत :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ में सरकार के मुद्रण की कितनी प्रतिशत मांग को भारत सरकार के मुद्रणालयों में ने पूरा किया, और कितना प्रतिशत गैर-सरकारी ऐजेंसियों द्वारा पूरा किया गया ; और

(ख) सरकारी प्रेसों द्वारा ही मुद्रण का सारा काम करने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) : (क) १९५८-५९ के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी प्रेसों द्वारा किये गये काम को बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३]

(ख) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है या की जा रही है जिस से कि सरकारी मुद्रण की पूरी मांग को सरकारी प्रेस ही निपटा सकें ।

(१) किताब, पोस्टरों और अन्य प्रकाशनों के मुद्रण के लिये कोयम्बटुर में एक नया प्रेस स्थापित किया जा रहा है । फार्मों के प्रकाशन के लिये एक अन्य प्रेस की स्थापना कोरट्ठी (केरल) में की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

(२) कलकत्ता के भारत सरकार प्रेस के संतरगाची चले जाने के पश्चात् उस का विस्तार किया जायेगा ।

(३) संसद् का काम करने के लिये एक पृथक प्रेस की स्थापना करने का विचार किया जा रहा है । (भारत सरकार के प्रैस की वर्तमान संसदीय शाखा को हिन्दी मुद्रण की प्रारम्भिक इकाई में बदल दिया जायेगा ।)

(४) कलकता और अलीगढ़ के फार्म छापने वाले भारत सरकार के प्रैसों का विकास किया जा रहा है ।

आन्ध्र प्रदेश में चमड़ा उद्योग

†६७८. **श्री म० रं० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में चमड़े के उद्योग का विकास करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है, और

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अन्य संस्थाओं को निधियों का आवंटन करने के संबंध में क्या क्या परिवर्तन किये गये हैं, जिस से कि वे चमड़ा उद्योग प्रारम्भ कर सकें ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबंध संख्या ४४]**

पंजाब में मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना

†६७९. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **निर्माण आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ के लिये पंजाब राज्य को मध्यम वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि दी हुई है;

(ख) १९५९–६० में राज्यों को कुल कितनी राशि वितरित की गई थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) पंजाब सरकार ने चालू वर्ष के लिये अपनी मांग प्रेषित नहीं की हैं ।

(ख) ९०.८५ लाख रु० ।

हींग

†६८०. **श्री आचार** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हींग के सम्बन्ध में देश की सारी मांग विदेशों के आयात से पूरी की जाती है;

(ख) यदि हां, तो किन देशों से;

(ग) क्या सरकार ने इस के पौधे को भारत के किसी भाग में उगाने के लिये जांच या प्रयोग किये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नहीं में है तो क्या ऐसे प्रयत्न किये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). यथार्थतः, हींग की सारी मांग विदेशों से आयात के द्वारा पूरी की जाती है । आयात करने वाले देश अफगानिस्तान, ईरान, पश्चिम पाकिस्तान और ब्रिटेन हैं ।

वन गवेषणा संस्था देहरादून ने अभी हाल से हींग की खेती के संबंध में जांच करना प्रारम्भ किया है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

†९८१. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले मंत्री सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं;

(ख) यदि हां, तो मई से जुलाई, १९६० तक ऐसी कितनी रिपोर्टें सरकार को प्राप्त हुई हैं ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने वाले मंत्रियों को सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है । मंत्री लोग सामान्यतः प्रधान मंत्री को प्रतिवेदन भेजते हैं जो व्यक्तिगत और गोपनीय पत्र समझे जाते हैं ।

अंदमान द्वीपों में कल्याण कार्य

†९८२. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अंडमान के प्रशासन के विभिन्न विभागों और/या औद्योगिक वाणिज्यिक उपक्रमों ने, जिन के अधीन बहुत बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं, कोई श्रम कल्याण योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं के लिये कितनी राशि दी गई और इस में वास्तविक व्यय कितना हुआ ;

(ग) क्या स्थानीय प्रशासन तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी योजना बनाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ये योजनायें किस प्रकार की हैं ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) १९६०-६१ के बजट प्राक्कलनों में २७,००० रुपये की राशि रखी गई है । अभी तक इस विषय में कोई व्यय नहीं किया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) तीसरी पंचवर्षीय योजना अभी अन्तिम रूप से नहीं बनाई गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता में गृह उद्योगों के लिये वाणिज्यालय

†९८३. { **श्री सुबोध हसदा :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री रा० च० माझी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में गृह-उद्योगों के लिये एक वाणिज्यालय की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या इस पर अन्तिम रूप से निश्चय हो चुका है, और

(ग) यदि हां तो वह कब और किस स्थान पर स्थापित किया जायगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनु भाई शाह)** : (क), (ख) और (ग). पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार गृह और छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये ७/१ लिंडसे स्ट्रीट, कलकत्ता में सितम्बर, १९६० से एक वाणिज्यालय खोलने का विचार कर रही है ।

इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड

†९८४. { **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री इन्द्र जीत गुप्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रबन्ध ठीक न होने के कारण इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड का दिवाला निकलने वाला है,

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को इस कारखाने को ले लेने को लिखा है ; और;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जून, १९६० को इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड कर्मचारी संघ और पश्चिम बंगाल सरकार से इंडिया इलक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड की कुव्यवस्था के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिस में यह सिफारिश की गई थी कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ के उपबन्धों के अधीन उस का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा ले लिया जाय । इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई। समिति की जांच के फलस्वरूप समवाय का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा ११ जुलाई, १९६० को ले लिया गया ।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†९८५. **श्री परूलकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश समवायों ने "हैवी इलक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड" को जिन मशीनों का सम्भरण किया है, उन के मूल्य ब्रिटेन के मौजूदा बाजार भाव की तुलना में लगभग १०० प्रतिशत अधिक हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि "हैवी इलेक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड ने जिस सामग्री का आयात किया है उस में ७० प्रतिशत से अधिक ऐसी हैं जिस का निर्माण स्वयं भारत में किया जा सकता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं । हम ब्रिटिश समवायों की परस्पर प्रतियोगिता का लाभ उठाने वाली दृष्टि से हमेशा ही इंगलैंड में इस सामग्री के लिये प्रसिद्ध हैं छः सम्भरणकर्ताओं से टेंडर मांगते हैं; और उन टेन्डरों की छानबी के बाद साधारणतया सब से कम टेन्डर को ही स्वीकार करते हैं । लेकिन यदि कुछ प्रविधिक कारणों से किसी बड़े टेन्डर को हमें स्वीकार भी करना पड़ता है तो सम्भरणकर्ताओं से बात कर के सामग्री का मूल्य घटवाने की पूरी कोशिश की जाती है ।

(ख) जी नहीं, केवल उसी उपकरण का आयात किया जाता है, जो हमारे देश में नहीं मिलती ।

उल्हासनगर में गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्ति

†९८६. **श्री परुलकर** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री २० अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना जिले के उल्हासनगर में गैर-दावेदार शरणार्थियों के आवंटित मकानों के क्रय मूल्य की अदायगी के लिये आठ सालाना किस्तें क्यों रखी गई हैं जब कि 'सी' ब्लाक के मकानों के क्रय मूल्य की अदायगी के लिये चालीस छः माही किस्तें रखी गई हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : 'सी' ब्लाक के मकान बम्बई सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ऋण ले कर १९५० में बनवाये थे । बम्बई सरकार ने विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ को लागू करने से पहले ही निर्णय कर लिया था। कि वे मकान विस्थापित व्यक्तियों को बेंच दिया जायें, और उन से आरम्भ मे इन मकानों की एक चौथाई लागत ले ली जाये तथा बकाया $^3/_4$ लागत चालीस छः माही किस्तों में ली जाय । इस आधार पर 'सी' ब्लाक के ३०० में से १४८ मकान ही बेचे गये थे । पर बाद में, मई १९५५ में विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम लागू हो गये थे, इसलिये तब से बाकी मकानों को उन नियमों की व्यवस्थायों के अनुसार ही बेचा जा रहा है । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इन नियमों के नियम ४२ की ओर आकर्षित करता हूं जिस में अदायगी की किस्तें निर्धारित की गई हैं ।

पारपत्रों का नवीनकरण

†९८७. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारपत्रों के नवीकरण के समय हमेंशा ही उन पर यह विशेष तौर पर अंकित कर दिया जाता है कि उस के बाद नवीकरण की अनुमति नहीं दी जायगी; और

(ख) भावी विदेशी यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने की इस प्रकार की सूचना का क्या कारण हो सकता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). पारपत्र के पुनःनवीकरण की अनुमति न देने की ऐसी पूर्व सूचना का अंकन हमेशा हर पारपत्र पर नहीं किया जाता । ऐसा अंकन केवल उन पारपत्रों पर किया जाता है जो सम्मेलन विशेष या खेलकूद समारोहों

†मूल अंग्रेजी में

इत्यादि के लिये विदेश यात्रा करने वालों को दिये जाते हैं; या फिर उन पारपत्रों पर किया जाता है जो १९५४ में पारपत्र प्रशासन के केन्द्रीयकरण से पहले राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये थे और जिन के बदले अब केन्द्रीय पारपत्र प्रशासन नये प्रकार के पारपत्र प्रसादतः जारी कर रहा है। प्रसादतः जारी किये जाने वाले पारपत्रों पर इस प्रकार का अंकन करने का प्रयोजन यही है कि पारपत्र जारी करने वाले भारतीय और विदेशी अधिकारियों को मालूम हो जाय कि उन पारपत्रों की अवधि समाप्त होने के बाद उन का नवीकरण नहीं किया जायगा; और यदि उन की इच्छा फिर से यात्रा करने की हो तो उन्हें नये पारपत्रों के लिय प्रार्थना पत्र देने चाहियें। यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने का तो कोई प्रश्न हीं नहीं ।

केरल में कार्य तथा प्रशिक्षण केन्द्र[1]

†६८८. **श्री कोडियान** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९६० में केरल में कार्य तथा प्रशिक्षण केन्द्र चालू करने की किसी योजना का अनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त काल में कितने ऐसे केन्द्र चालू किये जायेंगे; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को किस प्रकार को कितनी वित्तीय सहायता दी जायगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) दो (चलाकुडी और त्रिवेंद्रम में) ।

(ग) अनावर्ती व्यय का ६० प्रतिशत और पूरा आवर्ती व्यय ।

दिल्ली में बेरोजगारी

†६८९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में ३० जून, १९६० को काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में ग्रेजुएट, इन्टरमीडियेट-पास और मैट्रिक पास बेरोज़गारों की कितनी संख्या दर्ज थी ।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : सूचना इस प्रकार है । :—

श्रेणी	३०-६-१९६० के चालू रजिस्टर में दर्ज संख्या
(१)	(२)
मैट्रिक पास	१९,९५६
इन्टरमीडिएट-पास	२,२५८
ग्रेजुएट	४,४७१
कुल	२६,६८५

सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण

†६९०. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २२ जन, १९६० को बीस सशस्त्र पाकिस्तानी करीमगंज—सिलहट सीमा पर भारतीय सीमा में घुस आये थे और उन्होंने लापफासिल गाँव को लूटा तथा ग्रामीणों पर गोलियाँ चलाई थीं ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Work and Gricutation Centres.

(ख) यदि हाँ, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). सूचना मिली है कि सीमा पर स्थित गाँव---लापफासिल---के एक निवासी अब्दुर राब चौधरी के घर पर बन्दूकों से लैस पन्द्रह बीस सशस्त्र व्यक्तियों ने, जो पाकिस्तानी राष्ट्रजन बताये जाते हैं, धावा बोला था और ५,००० रुपये की सम्पत्ति तथा कुछ नकदी लूट कर ले गये थे। लूटपाट करने के बाद, वे डाकू पाकिस्तानी प्रदेश की ओर भाग गये थे।

(ग) स्थानीय अधिकारियों ने पाकिस्तान के स्थानीय सीमा कमाँडर से अनुरोध किया है कि डाकुओं का पता लगाने में मदद दें। अभी उनका उत्तर नहीं आया है।

व्यापार शिष्ट-मंडल

†**६६१. श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में अब तक कितने विदेशी व्यापार शिष्ट मंडल भारत आये और कितने भारतीय व्यापार शिष्टमंडल विदेशों में गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** १९६० में अब तक आठ देशों के व्यापार शिष्ट मंडल भारत में आ चुके हैं। हमारे यहाँ से इस काल में निर्यात संवर्धन परिषदों ने चार भारतीय शिष्टमंडल भेजे हैं।

पश्चिमी जर्मनी के लिये संसदीय शिष्ट मंडल

†**६६२. श्री अ० मु० तारिक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भारत का एक संसदीय शिष्ट मंडल पश्चिमी जर्मनी गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस शिष्ट मंडल में कौन-कौन सदस्य गये थे और उनको कितनी विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति दी गयी थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय समाचार चित्र[1]

†**६६३. श्री कालिका सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई ने पिछली तीन साल में कितनी, किस प्रकार की और किस भाषा के फिल्मों का अनुमोदन किया ; और

(ख) 'फिल्म्स डिवीजन' बम्बई ने 'भारतीय समाचार चित्र' (इण्डियन न्यूज़ रिव्यू) शीर्षक के अन्तर्गत आजतक कितने फिल्म तैयार किये गये और विषयों के हिसाब से उनका संक्षिप्त वर्गीकरण क्या होगा ?

---

†**मूल अंग्रजी में**

[1]Indian News Review Films.

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५]**

(ख) ६१८ (१२ अगस्त, १९६० तक)। भारतीय समाचार चित्रों में कई प्रकार के विषय लिये जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनायें। घटनाओं का ब्यौरेवार वर्गीकरण करना कठिन है, इसलिये कि उनमें विभिन्न प्रकार की बहुत सारी वर्तमान घटनाओं को लिया जाता है।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†९९४. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में छोटे पैमाने के कितने उद्योगों को लघुउद्योग सेवा संस्थानों से (जिला-वार) सहायता मिल रही है ; और

(ख) कारखानों के नाम और उनको किस प्रकार की सहायता दी जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

तिब्बती शरणार्थी

†९९५. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करें कि भूटान के रास्ते से भारत पहुंचने वाले तिब्बती शरणार्थियों की संख्या क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : लगभग १,८०० तिब्बती शरणार्थी भूटान के रास्ते भारत में आये हैं।

आकाशवाणी में इंजीनियरिंग स्नातक

†९९६. **श्री जीन चन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार भारत भर में आकाशवाणी में काम करने वाले इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि कई अर्हता प्राप्त इंजीनियरों से बिलकुल साधारण काम लिया जा रहा है जिसके लिए कि प्राविधिक अर्हतायें अपेक्षित नहीं होतीं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) ३६२. राजवार विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६]**

(ख) जी नहीं।

केरल में चाय उत्पादन

†९९७. { **श्री कुन्हन** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६—५९ तक के वर्षों में वर्ष वार केरल में कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की चाय का उत्पादन हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कितना कितना क्षेत्र चाय क्षेत्र रहा; और

(ग) उपरोक्त वर्षों में कितनी मात्रा में और कितने की चाय निर्यात की गयी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). चाय के क्षेत्रों और चाय के उत्पादन का १६५६ से १६५६ तक विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	३१ मार्च तक क्षेत्र (एकड़ों में)	उत्पादन (१००० पौंडों में)
१६५६	८४,१२१.७३	६७,७६१
१६५७	६६,६१०.८५	७८,४०२
१६५८	६७,०८२.४७	८१,७३४
१६५६	६७,०२८.४३	७७,६६५

उत्पादित चाय की कुल कीमत के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि विभिन्न किस्मों की चाय विभिन्न कीमतों पर बिकती है ।

(ग) किसी अमुक राज्य से निर्यात की गयी चाय की मात्रा और मूल्य सम्बन्धी आँकड़े देना सम्भव नहीं है क्योंकि चाय का निर्यात करते समय यह ध्यान में नहीं रखा जाता कि उसमें से कितनी कितनी मात्रा किस-किस राज्य की है ।

केरल में काफ़ी उत्पादन

†१६६८. { **श्री कुन्हन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५६ से १६५६ तक केरल राज्य में, राज्यवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की काफ़ी पैदा हुई; और

(ख) इन वर्षों में कितने मल्य की और कितनी मात्रा में काफ़ी निर्यात की गई ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मौसम	उत्पादन (टनों में)	मूल्य (रुपयों में)
१६५६–५७	४३२३	१३४३३७७१.३२
१६५७–५८	४४३५	१२०६१३४७.६०
१६५८–५६	७०७५*	१८८३४३१०.३५
१६५६–६०	४७८०*	††

*अभी इसमें फेर बदल हो सकता है ।

††अभी मूल्यांकन नहीं हुआ है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) काफ़ी के समस्त उत्पादन का एक 'पूल' बना लिया जाता है और निर्यात के लिये आँवटन उसी 'पूल' में से किया जाता है, अलग अलग राज्यों के अनुसार नहीं। अतः केरल में उत्पादित काफ़ी में से निर्यात की गई काफ़ी की मात्रा व मूल्य के बारे में अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

केरल में रबड़ उत्पादन

†९९९. { श्री कुन्हन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ से १९५९ तक, वर्षवार औसतन कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के रबड़ का उत्पादन केरल राज्य में हुआ ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :

वर्ष	उत्पादन (टनों में)	उत्पादित रबड़ का मूल्य (लाख रुपयों में)
१९५६	२१,३१९	७४३
१९५७	२१,४९६	७४९
१९५८	२२,१५९	७७३
१९५९	२१,२६३	७४२

सक्रियकृत कोयला[1]

†१००० श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के छिलके से सक्रियकृत कोयला तैयार किया जा सकता है ;

(ख) यदि हां, तो यह देश में कहां और कितना पैदा होता है ;

(ग) यह सक्रियकृत कोयला किस काम में आता है और इसकी देश भर की कुल आवश्यकता कितनी है ;

(घ) क्या इस कोयले की विदेशों में भी कोई मंडी है ; और

(ङ) क्या इस देश में इस उद्योग का विस्तार करना सम्भव है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) जो कुछ जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार चावल के छिलके से तिरुचिरापल्ली में यह कोयला पैदा किया जा रहा है। उत्पादन की मात्रा १०० टन प्रति वर्ष है। विभिन्न स्थानों पर इसके और भी छोटे छोटे कारखाने विद्यमान हैं।

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Activalted Charcoal

(ग) यह विभिन्न तेलों के रंग और गन्ध को दूर करने के काम आता है। इस से औषधों, रसायनों, चीनी, ग्लैस्रीन, और वनस्पति तेलों को शुद्ध भी किया जा सकता है। कार्बनडाईआक्साइड इत्यादि गैस भी उससे परिष्कृत की जाती हैं। इस कोयले की कुल मांग का अनुमान ६०० से ७०० टन वार्षिक है।

(घ) रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों में इस कोयले का उत्पादन काफी अच्छा है। वहां इस प्रकार के कोयले की कई कोटियां है। भारतीय कोयले की विदेशों में कोई बढ़िया मंडी नहीं है। यहां यह अभी बहुत थोड़ी मात्रा में उत्पादित होता है।

(ङ) जी हां।

रानी गंज कोयला क्षेत्र के कर्मचारी

†१००१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीगंज कोयला क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल में लगे हुए कर्मचारियों सी० एल० ओ० श्रमिकों (गोरख-पुर श्रम) की संख्या क्या है ; और

(ख) क्या इतने श्रमिकों की नौकरी जारी रखी जायेगी अथवा उनकी संख्या में कमी कर दी जायेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) ५,२१२

(ख) यह तो मालिकों के फैसला करने की बात है।

पश्चिमी एशिया और अफ्रीका से निर्यात व्यापार

†१००२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय वाणिज्य मंडल, कलकत्ता के विश्व व्यापार विभाग द्वारा जारी की गई इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि पश्चिमी एशिया और अफ्रीका के साथ निर्यात व्यापार की वृद्धि के लिए ही बहुत गुंजाइश है ;

(ख) सरकार की इस दिशा में क्या राय है ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पश्चिमी एशिया के देशों से निर्यात व्यापार को बढ़ाने के सम्बन्ध में सम्भवताओं का सरकार को पूरा ज्ञान है और इन देशों की मंडियों में अपने निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने की ओर विशेष ध्यान दे रही है।

मध्य पूर्व में भारतीय व्यापार आयुक्त

†१००३. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य पूर्व में कोई भारतीय व्यापार आयुक्त नियुक्त किया गया है जो कि केवल निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने में ही प्रयत्नशील हो; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी गतिविधियों से क्या लाभ प्राप्त हुये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र)** : (क) और (ख) केवल मात्र निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से कोई व्यापार आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया। भारत के जो व्यापारिक तथा राजनीतिक प्रतिनिधि मध्य पूर्व के तथा अन्य देशों में हैं, उनका यह भी एक बड़ा उत्तरदायित्व है कि वे जहां भी नियुक्त हैं वहां वे निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने की ओर भी ध्यान दें ।

मैसूर में कागज के कारखाने

†**१००५. श्री सिदय्या :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में कागज का कारखाना लगाने के लिये अप्रैल, १९६० के पश्चात् कोई नया लाइसेंस दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) जी, हां। बंगलौर और कृष्णराज सागर के लिये दो योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है ।

अखनूर युद्ध-विराम रेखा पर बम

†**१००६. श्री प्र० गं० देव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ३० जून, १९६० को अखनूर युद्ध-विराम रेखा पर एक बम पाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) ३० जून, १९६० को रात के २ बजे अखनूर के दक्षिण पश्चिम में ५ १/४ मील दूर और हमारी सीमा के १ १/२ मील अन्दर जम्मू-काश्मीर राज्य के सिंचाई विभाग की एक इमारत में विस्फोट हुआ। इमारत को बहुत अधिक क्षति पहुंची किन्तु किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई ।

इटारसी में उर्वरक संयंत्र

†**१००७. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटारसी में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का विचार छोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** :(क) और (ख) मध्य प्रदेश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। एक प्राइवेट पार्टी ने इस परियोजना को हाथ में लेने का प्रस्ताव किया है, इसलिये इस प्रक्रम पर यह बताना कठिन है कि यह किस क्षेत्र में खोला जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भुसंडपुर शरणार्थी बस्ती

†१००८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शरणार्थी परिवारों की महिलाओं को काम मुहैया करने के लिये भुसंडपुर शरणार्थी बस्ती में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने केन्द्र चालू हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि इन केन्द्रों में शरणार्थी महिलाओं को शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा रहा ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग) जी, हां। भुसंडपुर में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा अम्बर चर्खा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। प्रशिक्षण प्राप्त विस्थापित महिलाओं को शिक्षक नियुक्त करने के प्रश्न पर बोर्ड विचार कर रहा है ।

भुसंडपुर की कान्तलबाई बस्ती में स्कूल

†१००९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि भुसंडपुर की कान्तलबाई बस्ती में शरणार्थी बच्चों के लिये जो स्कूल खोला गया था, वह पिछले वर्ष आग से जल कर राख हो गया है ; और

(ख) क्या कारण है कि स्कूल की इमारत अभी तक नहीं बनाई गई ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) राज्य सरकारी से इस सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

भुसंडपुर बस्ती में स्कूल

†१०१०. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में भुसंडपुर बस्ती में खोले गये प्राथमिक स्कूलों में फर्नीचर भी नहीं है ।

(ख) इन स्कूलों में कब तक फर्नीचर आ जायेगा ; और

(ग) क्या भारत सरकार ने उड़ीसा सरकार को वहां शरणार्थियों की आवश्यकताएं पूरी करने एवं उन्हें सुविधाएं देने के लिये कुछ धन दिया है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) तथा (ख) इन प्राइमरी स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिये मार्च १९६० में धन की स्वीकृति दे दी गई है और इस सम्बन्ध में वहां की राज्य सरकार कार्यवाही भी कर रही है ।

(ग) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६०, जन संख्या के लिये अपेक्षित कागज

†१०११. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० में होने वाली जन संख्या के लिये २००० टन कागज़ की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे बाजार में कागज़ की कुछ कमी हो जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १९६० में होने वाली जनसंख्या के लिये अब तक २२९३ टन कागज़ दे दिया गया है ।

(ख) जी नहीं । जितना कागज़ दिया गया है उसका सरकारी खाते के साथ समेलन कर दिया गया है ।

भुसंडपुर के किसानों को सहायता

†१०१२. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में भुसंडपुर बस्ती में बसाये गये शरणार्थी परिवारों की फसलों का बाढ़ के कारण काफी नुकसान हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को इन परिवारों के लिये कुछ धन दिया है ताकि वे बीज और उर्वरक खरीद सकें ;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि दी है ;

(घ) कितने परिवारों को यह सहायता मिलेगी ; और

(ङ) प्रत्येक परिवार को कितनी सहायता दी जायेगी ।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) भुसंडपुर क्षेत्र को दी नई बस्तियों के २६७ परिवारों की धान की सफल सितम्बर, १९५९ में बाढ़ के कारण बरबाद हो गई थी ।

(ख) से (ङ) वहां की राज्य सरकार को एक लाख रुपये दे दिये गये थे ताकि वह प्रत्येक प्रभावित परिवार की गुणिता के आधार पर संभरण सहायता, बीज तथा खाद आदि के रूप में सहायता दे सके ।

मोतीबाग—१ में बाजार

†१०१३. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोतीबाग —१ के बाजार में दुकानों का आवंटन कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन दुकानों का आवंटन कब तक किया जायेगा; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आवंटन के मामले में क्या नीति अपनायी जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क). जी नहीं।

(ख) और (ग) वे दुकानें अभी तक पूरी नहीं बनी हैं। इनके बन जाने के बाद इनको नई दिल्ली म्यूनिसिपिल कमेटी को हस्तान्तरण करने का विचार है ताकि वह इन दुकानों को उचित व्यक्तियों को दे सके।

नौरोजी नगर —नई दिल्ली

†**१०१४. श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौरोजी नगर में ऊपर की मंजिल के क्वार्टरों से नीचे तक बरसात तथा अन्य बेकार के पानी लाने वाले पाइपों के लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वे पाइप अभी तक नहीं लगाये गये हैं; और इसके कारण नीचे के क्वार्टरों में रहने वाले व्यक्तियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कारण जो आपस में वहां झगड़े हुए हैं उन के बारे में वहां के निवासियों ने बहुत सी शिकायतें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो पाइप लगाने के काम में सरकार ने कितनी प्रगति की है।

निर्माण, आवास, और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी): (क) से (घ) नौरोजी नगर के क्वार्टरों की आगे की बालकनी में जी० आई० पाइप लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यहां के निवासियों की ओर से झगड़ों के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई है।

सरकारी क्वार्टरों में रोशनदान

†**१०१५. श्री रामगरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौरोजी नगर तथा अन्य सरकारी रहायशी बस्तियों में 'जी' टाइप क्वार्टरों में पीछे के दरवाजों के ऊपर के रोशनदानों में लोहे की छड़ नहीं लगाई गई है;

(ख) क्या सरकार को इन सरकारी बस्तियों के निवासियों की ओर से इन रोशनदानों में छड़ लगान के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां तो उनको दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी हां, लेकिन थोड़ से ही क्वार्टरों में ही यह व्यवस्था नहीं की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां ।

(ग) जहां कहीं आवश्यकता है वहां केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रोशनदानों में छड़ें लगाई जा रही हैं ।

सरकारी बस्तियों में विपणन केन्द्र

†१०१६. { **श्री राम गरीब :**
श्री कुन्हन : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोंरोजी नगर में लक्ष्मी नगर, और किदवई नगर में विपणन केन्द्रों का निर्माण पूरा हो गया है,

(ख) क्या उपर्युक्त कहे गये विपणन केन्द्रों में सभी सुविधायें जैसे बिजली, तथा पानी आदि का संभरण कर दिया गया है; और

(ग) क्या दुकानों का आवंटन कर दिया गया है; और

†**निर्माण. आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** (क) से (ग). किदवई नगर की दुकानों के निर्माण, एवं उन के आवास को स्थिति तो २८ अप्रैल, १९६० को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या २८२९ के लिखित उत्तर में बता दी गई थी । उस के बाद से नई दिल्ली म्युनिसिपिल कमेटी ने बताया है कि दुकानों के बहुत से मालिकों ने तो इन दुकानों को तो स्वीकार ही नहीं किया है। कमेटी इन्हें एक और अवसर देगी । फिर भी इन्हें स्वीकार न करने पर ये दूसरे व्यक्तियों को दे दीं जावेंगी ।

नौरौजी नगर की दुकानें भी पानी और बिजली सहित तैयार हैं और इन को नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को हस्तानान्तरण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

लक्ष्मीबाई नगर का विपणन केन्द्र अभी बन कर तैयार नही है ।

सभी बाजारों में दुकानों का आवंटन नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी द्वारा किया जायगा ।

पंजाब में निष्क्राम्य मकान

†१०१७. **श्री मू० चं० जैन :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के निष्क्राम्य मकानों को, जिन में कि पिछड़े वर्ग के, विस्थापित अथवा अविस्थापित लोग रह रहे हैं, रक्षित मूल्य के आधार पर उन के मालिकों को वापस किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो, (१) इस प्रकार के सभी मकानों एवं सम्पत्ति का कुल मूल्य कितना है, (२) अब तक कितने मकान मालिकों को वापस किये गये हैं एवं उन के हस्तानान्तरण में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उन मकानों तथा सम्पत्ति कि संख्या प्रत्येक जिले के हिसाब से कितनी है जिन्हें कि अब तक हस्तानान्तरण नहीं किया गया है एवं उस के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) जी हां। पिछड़े वर्ग के लोगों—विस्थापित अथवा अविस्थापित जो शहर में अर्जित निष्क्राम्य सम्पत्ति, जिस का कि आवंटन किया जाना था, पाने के उचित प्राधिकारी थे और जिन्हों ने ३१ अक्तूबर, १९५९ से पूर्व अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि उन के नाम उन सम्पत्तियों का रक्षित मूल्य पर हस्तान्तरण कर दिया जाये तथा जिन्हों ने शुरू में २० प्रतिशत राशि भी दे दी थी एवं इस के लिये भी तैयार हो गये थे शेष राशि को ७ किश्तों में अदा कर देंगे नाम हस्तानान्तरण कर दिया गया है। जहां कि मालिकान २० प्रतिशत राशि ३१ अक्तूबर, १९५९ से पूर्व देने में असमर्थ रहे हैं उन सम्पत्तियों को नीलाम की जाने वाली सम्पत्ति में सम्मिलित कर लिया गया है और या तो उसे नीलाम कर दिया गया है अथवा नीलाम किया जा रहा है।

(ख) चूंकि ऐसे सभी विस्थापित व्यक्तियों को, जो कि दावेदार नहीं थे, उन सभी आवंटनीय सम्पत्तियों के हस्तानान्तरण करने के मामले में समान समझा गया अतः केवल पिछड़े वर्ग के लोगो को हस्तानान्तरित मकानों की संख्या एवं उन के मूल्य का रिकार्ड अलग से नहीं रखा गया। अतः इस बात का खेद है कि यह सूचना नहीं दी जा सकती। हस्तानान्तरण सम्बन्धी प्रक्रिया का उत्तर प्रश्न के भाग (क) में दे दिया गया है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में बताया गया है कि जिन लोगों ने ३१ अक्तूबर १९५९ से पहले २० प्रतिशत की राशी जमा कर दी थी उन लोगों को वे सभी सम्पत्तियां हस्तान्तरित कर दी गई हैं जो कि उन के अधिकार में थीं। शेष सम्पत्ति नीलाम के द्वारा बेची जा रही है।

पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में निष्क्राम्य मकान

†**१०१८. श्री मू० चं० जैन** : क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब क ग्रामीण क्षेत्र में कितने निष्क्राम्य मकान जिन में कि अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति क लोग रह रह थे, उन को हस्तानान्तरित किय गये हैं, और उन से वस्तुतः कितना मूल्य लिया गया है;

(ख) क्या हस्तानान्तरित मकानों की जिलेवार सूची सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) अभी कितने मकान उन के रहने वालों को हस्तानान्तरित किये जायेंगे तथा इस सम्बन्ध में हुई देरी के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) ३० जून, १९६० तक ३०५२ मकानों का हस्तानान्तरण किया गया है और ६५,९५८ रुपये वसूल हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सूची इस प्रकार है :—

१.	जालन्धर	५६
२.	लुधियाना	४८८
३.	अमृतसर	३८८
४.	फीरोजपुर	२३
५.	गुरुदासपुर	१,८१५
६.	कांगड़ा	..
७.	होशियारपुर	८८
८.	कपूरथला	१३
९.	अम्बाला	८१
१०.	करनाल	४८
११.	रोहतक	४
१२.	गुड़गांव	शून्य
१३.	हिसार	"
१४.	शिमला	"
१५.	पटियाला	"
१६.	भटिंडा	३९
१७.	संगरूर	२
१८.	महिन्द्रगढ़	७
	योग	३,०५२

(ग) लगभग ४२३५०। इस देरी का कारण यह है कि इन मकानों में रहने वाले मालिक इन का स्वामित्व पाने के लिये जो छूट दी गई है उस का लाभ नहीं उठा रहे हैं।

उल्हासनगर बस्ती

†१०१९. **श्री आसर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच ह कि उल्हासनगर बस्ती को औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है,

(ख) क्या यह सच है कि उद्योगपतियों को इस शर्त पर उद्योग खोलने की अनुज्ञप्तियां दी गई थीं कि वे इस क्षेत्र में रहने वाले प्रवीण तथा अप्रवीण कारीगरों को काम देंगे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस शर्त अथवा व्यवस्था की उद्योगपतियों ने अवहेलना की है और इस से विस्थापित व्यक्तियों में बड़ा असन्तोष है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन उद्योगपतियों को कोई ऐसा आदेश दिया गया है कि वे अपनी पुरानी शर्त पर कायम रहें ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मितव्ययता के उपायों का परिणाम

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : श्री जवाहर लाल नेहरू की ओर से मैं ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमाही में किये गये मितव्ययता के उपायों का परिणाम (और जून ३० और सितम्बर, १९६० को समाप्त होने वाली तिमाहियों के बारे में अनुपूरक जानकारी) बताने वाले विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२९३/६०]

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : क्या मितव्ययता के कारण ही हमें छोटे पैड दिये जाने लगे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्थिति ठीक होन पर माननीय सदस्यों को बड़े पैड धर पर भी दिये जा सकते हैं । इस समय बड़े नोटस आफिस पैड मिल सकते हैं । मैं इस मामले को और देखूंगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : दर्शक कार्ड भी नहीं दिये जा रहे :

अध्यक्ष महोदय उस को हम देखेंग । लेकिन माननीय सदस्य को खड़े हो कर बोलना चाहिये ।

†**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : अब पास बनवाने में भी बड़ी कठिनाई होती है । सदस्यों को दर्शकों को साथ ले जा कर पास बनवाना पड़ता है । पहले जो पास बनाने की विधि थी उसे ही लागू किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन बातों पर हमें सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहिए । जिस माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो वह मुझे उसके बारे में लिख सकते हैं । मैं कठिनाईयों को दूर कराने के लिये पहले से ही हिदायत जारी कर चुका हूं ।

अत्यावश्यक पन्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: श्रीमान, मैं (२) अत्यावश्यक पण्य (अधिनियम) १९५५ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५९३ ।

(दो) रूई नियंत्रण आदेश, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली निनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६७१ ।

[पुस्तकालय में रखी गई ; देखिये संख्या एल० टी० २२९४/६०]

हिन्दुस्तान नमक कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन; नमक (रक्षित भंडार) आदेश में संशोधन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम १९५६, की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान नमक कम्पनी लिमिटेड का वर्ष १९५८–५९ का वार्षिक प्रति-

---

†मूल अंग्रेजी में

वेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) वर्ष १९५८-५९ में उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(तीन) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत नमक (रक्षित भण्डार) आदेश, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३२ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० २२९५/६० और २२९६/६०]

कर्मचारी भविष्यनिधि योजना में संशोधन स्थायीश्रम समिति के मुख्य निष्कर्षों का सारांश

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** मैं निम्न पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उप धारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९१९ द्वारा शुद्धिकृत दिनांक २५ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१८ की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० २२९७/६०]

(२) अप्रैल, १९६० में नई दिल्ली में हुई स्थायी श्रम समिति के १८वें अधिवेशन की तीसरी बैठक के मुख्य निष्कर्षों के सारांश की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० २२९८/६०]

उपचुनाओं का परिणाम

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं, "अप्रैल १९५९ तथा मई, १९६० के बीच हुए उपचुनावों के परिणामों" की एक प्रति-सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई; देखिये संख्या एल० टी० २२९९/६०]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि राज्य सभा ने १६ अगस्त १९६० की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा २ अगस्त, १९६० को पारित किये गये मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक, १९६० को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : श्री मोरारजी देसाई की ओर से, मैं वर्ष १९६०–६१ के लिये सामान्य आय व्यय के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सड़सठवां प्रतिवेदन

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

तालचेर की हंडीधुआ कोयला खान में दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : पालचेर की हंडीधुआ कोयला खान में हुई दुर्घटना का, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यू हुई, ब्योरा यह है :

जिस व्यक्ति की मृत्यु इई वह एक छत की "ड्रैसिंग" कर रहा था तभी कोयले का बड़ा भारी टुकड़ा आठ फुट ऊपर से उस पर आ गिरा और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गयी। दूसरा व्यक्ति जो लम्प लिये खड़ा था तनिक घायल हुआ। खानों के प्रादेशिक निरीक्षक ने उस मामले की जांच की है। और बताया है कि यह दुर्घटना दुस्साहस के परिणामस्वरूप हुई।

इस खान में ५०० कर्मचारी काम करते हैं और इसमें से ९००० टन कोयला प्रति मास निकाला जाता है। इसका प्रबंध एक प्रथम श्रेणी के प्रबंधक के हाथों में है जिसकी सहायता एक प्रथम श्रेणी का सहायक करता है। चूंकि पानी बढ़ जाने से उत्पन्न होने वाले खतरों की रोकथाम के लिए कुछ बांध बनाये जाने थे इसलिये खान का काम अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। अब काम समाप्त हो चुका है और खान चालू हो चुकी है।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** (पुरी) : इस वक्तव्य में गलत बातें कही गयी हैं। वहां के श्रमिकों ने पहले ही कहा था कि खान में काम करना खतरे से खाली नहीं है। प्रबंधक स्तंभों को थाक लगवाये बिना ही गिरवा रहा था। क्या भारत सरकार के किसी निरीक्षक ने इस खान को पहले भी देखा था?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री आबिद अली : पिछली जून में इस खान को देखा गया था। उस बार भी जब निरीक्षक वहां था उसे कुछ अभ्यावेदन दिया गया था और उसका कहना है कि उन सब की जांच की गयी और उन्हें आधारहीन पाया गया।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क दशमिक इकाइयों में परिवर्तन विधेयक

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि उत्पादन शुल्क सम्बन्धी कुछ विधियों में दशमिक इकाइयों को लागू करने के उद्देश्य से इन विधियों में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि उत्पादन शुल्क सम्बन्धी कुछ विधियों में दशमिक इकाइयों को लागू करने के उद्देश्य से इन विधियों में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

† डा० बे० गोपाल रेड्डी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : श्री नंदा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय मज़दूर संघ अधिनियम, १९२६ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि भारतीय मज़दूर संघ अधिनियम, १९२६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†श्री आबिद अली : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

विनियोग (संख्या ३) विधेयक

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : श्री मोरारजी देसाई की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में कुछ सेवाओं पर व्यय की गयी राशियों को पूरा करने के लिए उक्त सेवाओं के लिए और उक्त

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वर्ष के लिये अनुदत्त राशियों से अधिक राशियों के भारत की संचित निधि में से विनियोग को प्राधकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ अग्रेतर राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मल अंग्रेज़ी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पलाई सेंट्रल बैंक के मामलों के बारे में

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुझा) : श्रीमान्, माननीय वित्त मंत्री ने पलाई सेंट्रल बैंक के मामलों के बारे में वक्तव्य देने का वचन दिया था। मैं जानना चाहता हूं कि वह कब वक्तव्य देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल वित्त मंत्री यहां पर होंगे ; जब वह यहां हों तब इस प्रश्न को यदि आप उठायें तो अच्छा होगा।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फ़िरोज़ाबाद) : किन्तु इस सम्बन्ध में जिस प्रस्ताव की सूचना दी गयी है उस का निर्णय तो आपको करना है, वित्त मंत्री को नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात पर मैं सहमत हूं कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। किन्तु तिथि निश्चित करने के लिए मुझे मंत्री महोदय से परामर्श करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे कल या परसों बताया था कि इस विषय पर अखबारों में अनेक तरह की बातें छप रही हैं। इस दृष्टि से वह ठीक-ठीक जानकारी का एक वक्तव्य पहले देना चाहते थे। उन्होंने मुझे बताया है कि शनिवार से पूर्व ही वह एक तथ्यात्मक विवरण सभा के सामने रखेंगे। मैंने उन्हें बताया था कि मैं चर्चा के लिए सोम या मंगल का दिन निश्चित करना चाहता हूं।

सभा का कार्य

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : औचित्य प्रश्न के हेतु मैं यह कहना चाहता हूं कि अगले प्रस्ताव के बाद नागा पहाड़ियों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर विचार करने के लिये एक प्रस्ताव आने वाला है। इस विषय का महत्व संवैधानिक है। अतः इस पर यहां चर्चा करने से पहले आपको फिर से सोचना होगा कि इसकी अनुमति देना ठीक होगा या नहीं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†अध्यक्ष महोदय : जब हम उस विषय को लें तभी माननीय सदस्य यह बात उठायें ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १६५८–५६ के प्रतिवेदन पर जो दिसम्बर, १६५६ को सभा पटल पर रखा गया था विचार करती है ।"

यह प्रतिवेदन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का आठवां प्रतिवेदन है । गत सात प्रतिवेदनों से हमें पता चलता है कि जिन विशेष वर्गों के लिये संविधान में व्यवस्था की गई है उनके विकास की दिशा में हमें क्या सफलतायें प्राप्त हुई हैं । प्रत्येक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करते समय हमें यह अवसर प्राप्त होता है कि इस दिशा में हो रही प्रगति पर हम विचार कर सकें । साथ ही इससे माननीय सदस्यों को जिनका इस क्षेत्र में काफ़ी अनुभव और अध्ययन होता है, अपनी राय ज़ाहिर करने का मौक़ा भी मिलता है । भारत सरकार को भी इस चर्चा के द्वारा उन माननीय सदस्यों के विचारों का पता लगता है जो पददलित लोगों की उन्नति के क्षेत्र में प्रयत्नशील हैं । यह कल्याण कार्य लोगों का है और लोगों की राय से ही इसे चलाया जाना चाहिये ।

मैं सबसे पहले १६५१ की जनगणना को लूंगी । १६५१ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या ११५ लाख थी । उसके बाद से १६५६ के अन्दमान निकोबार द्वीप (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश के अन्तर्गत वहां के १३००० आदिम जातीय लोग भी इसमें सम्मिलित हो गये हैं । १६५१ की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या ५५३ लाख थी । अगले वर्ष पुनः जनगणना की जा रही है और हमें आशा है कि इस दिशा में हमें और अधिक सही आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे ।

इन दो बड़े वर्गों के अतिरिक्त "अन्य पिछड़े वर्ग" भी हैं । संविधान के अनुच्छेद ३४० के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों का एक आयोग स्थापित किया गया था । उसका प्रतिवेदन तथा गृह-कार्य मंत्रालय का ज्ञापन संसद् के समक्ष रखा गया था जिस में उन कठिनाइयों के इस बारे में बताया गया था जो एक मापदंड निर्धारित करने के मार्ग में आ रही थीं । इसलिये आज तक भी "पिछड़ेपन" की परिभाषा करने के लिये कोई मापदंड निश्चित करना सम्भव नहीं हो सका है । अतः अन्य पिछड़े वर्ग अभी अपरिभाषित ही हैं । इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे । देश भर में विकास के कार्यक्रम तेजी से चल रहे हैं और उनसे इन वर्गों को फायदा पहुंचा है । राज्य सरकारें अपनी योजनायें कार्यान्वित कर रही हैं; राज्य सरकारों ने 'पिछड़े वर्गों' की अपनी-अपनी सूची भी तैयार की हैं । ऐसे वर्गों के लोगों को शिक्षा, नौकरी तथा अन्य क्षेत्रों में काफी सुविधायें और रियायतें दी जा रही है । जहां तक पिछड़ेपन की परिभाषा का सवाल है, यह जटिल समस्या अभी हमारे सामने बनी हुई है और हम इस दिशा में प्रयत्नशील

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं। जाति तथा सम्प्रदाय को मापदंड नहीं बनाया जा सकता; इस मापदंड को सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को शामिल करते हुये एक व्यापक आधार पर ही बनाना होगा।

हमारे देश में स्थानीय विभिन्नतायें बहुत हैं; अतः इस विषय में कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं।

शिक्षा का मामला बार-बार संसद् के सामने आता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग ७५ लाख रुपये की छात्रवृत्तियां पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रति वर्ष दी जाती हैं।

जिन वर्गों का ऊपर उल्लेख आ चुका है उनके अतिरिक्त और भी ऐसे वर्ग हैं जिनके वातावरण के कारण या जिनके व्यवसाय और पुराने चले आ रहे संबन्धों के कारण उनमें कुछ निर्योग्यतायें आ गई हैं; जैसे गाड़िया लोहार और "डी-नोटिफ़ाइड" जातियां आदि। ऐसे ही एक बहुत बड़ा वर्ग नव-बौद्धों का है, जो कि इस मायने में तो हिन्दू नहीं माने जा सकते कि जातीय भेद-भाव या छूतछात का उनसे अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा क्योंकि वे अब बौद्ध हो गये हैं। लेकिन इससे उनका पिछड़ापन दूर नहीं हुआ है; अतः जहां तक कल्याण सुविधाओं का सम्बन्ध है वे उन्हें उसी प्रकार मिलनी चाहियें। गृह-कार्य मंत्री ने राज्यों से कहा है कि उन्हें ऐसे मामलों की जांच करनी चाहिये, और जहां कहीं उनके पिछड़ेपन का औचित्य सिद्ध होता है, वहां सहायता दी जानी चाहिये, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो या आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में। जहां तक हिन्दू धर्म का सम्बन्ध है, वे इसमें नहीं आते।

सभी प्रकार की कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यद्यपि प्रत्येक वर्ष आयुक्त का प्रतिवेदन विचारार्थ इस सदन में प्रस्तुत होता है, परन्तु यदि राज्य विधान मंडल चाहे तो आयुक्त द्वारा व्यक्त किये गये विचारों पर चर्चा कर सकते हैं। यह कार्य सिर्फ़ राज्य सरकारों का ही नहीं बल्कि गैर-सरकारी संस्थाओं का भी है, जो इस कार्य में रुचि रखती हैं। इस दिशा में अपने ध्येय की प्राप्ति के लिये धन से अधिक लगन की अपेक्षा है। संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार केन्द्रीय सरकार सभी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, लेकिन उसकी सीमायें होना स्वाभाविक है। वित्तीय सहायता के सिलसिले में हमें अपने देश की विशाल योजना तथा अपने अन्य उत्तरदायित्वों का भी ध्यान रखना होता है। यदि आप योजना को देखें और पांच साल की अवधि में इस योजना के अधीन आने वाली छोटी योजनाओं को देखें तो पता लगेगा कि लगभग तीन चौथाई योजनाओं का इन पिछड़े वर्गों को लाभ मिलता रहा है। पिछली दो योजनाओं में भी ऐसा था और अब तीसरी योजना में भी ऐसा होगा। सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या करते हैं और अपने लक्ष्य को कितने समय में प्राप्त करते हैं। किसी काम का मूल्यांकन करना बड़ी मुश्किल चीज़ है। क्या हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमने पिछले पांच वर्षों में या द्वितीय योजना काल में क्या काम किया है? कुछ माननीय सदस्यों ने अपने संशोधनों में कहा है कि मूल्यांकन का काम नहीं हुआ है और इस कार्य के लिये एक समिति स्थापित की जाय जो यह देखे कि कितना काम हुआ है और जो काम नहीं हुआ है वह क्यों नहीं हुआ है। इस काम में विभिन्न प्रकार की संस्थायें लगी हुई हैं; जैसे सलाहकार बोर्ड, केन्द्रीय हरिजन सलाहकार बोर्ड, केन्द्रीय आदिम जाति सलाहकार बोर्ड और इसी प्रकार की संस्थायें, विभिन्न राज्यों में भी हैं। इसके अतिरिक्त प्राक्कलन समिति ने भी देश के विभिन्न भागों में कार्यान्वित की जाने वाली कल्याण योजनाओं की जांच की थी। श्रीमती

[श्रीमती आल्वा]

रेणुका राय की अध्यक्षता में बने अध्ययन दल ने भी इस विषय पर अपना प्रतिवेदन दिया है। उन्होंने भी अपने सुझाव और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। माननीय सदस्यों ने उसे देखा होगा।

इसके बाद हमें एलबिन समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जो आदिम जातीय खंडों के कार्य के सम्बन्ध में था। उसका बड़ा ध्यानपूर्वक परीक्षण किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमें सम्बद्ध राज्यों के राज्यपालों से नियमित रूप से रिपोर्ट प्राप्त होती रहती हैं। इस समस्त जानकारी से हमें अपनी कल्याण योजनाओं को कार्यान्वित करने तथा आगे के लिये अपनी नीति को निर्धारित करने में बहुत सहायता मिलती है।

हाल ही में संविधान के ३३६ अनुच्छेद के अन्तर्गत एक आदिम जातीय सम्बन्धी आयोग नियुक्त किया गया है। इसमें १० सदस्य हैं और सभापति का कार्यभार श्री ढेबर पर डाला गया है। आयोग से कहा गया है कि वह इन बातों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे। राज्यों में आदिम जाति सलाहकार बोर्डों का कार्य, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कानून और अनुसूचित क्षेत्रों में शान्ति और अच्छा शासन प्रबन्ध बनाये रखने के लिये, विशेष रूप से भू-धारणाअधिकार सुरक्षित रखने और लोगों को साहूकारों के शोषण से मुक्ति देने के लिये नियम बनाने के बारे में राज्यपाल द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग और क्षेत्रों को अनुसूचित अथवा अन्यथा घोषित करने के सिद्धान्त। कल्याण योजनाओं के सम्बन्ध में उनसे यह प्रार्थना की गई है कि वह हमें इस बात का सुझाव दें कि प्राथमिकताओं तथा ब्यौरे में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता है या नहीं। यद्यपि अनुच्छेद ३३६ के अन्तर्गत संघ राज्य-क्षेत्रों की योजनायें नहीं आतीं परन्तु फिर भी हमने आयोग से विशेष रूप से प्रार्थना की है, कि वह संघ राज्य क्षेत्रों के कल्याण कार्यक्रमों के बारे में भी अपने सुझाव सरकार को प्रस्तुत करने की कृपा करे। मैं समझती हूं कि आयोग की ओर से एक प्रश्नावली माननीय सदस्यों के पास आई होगी। हमें आशा है कि माननीय सदस्य, जिन्हें इतना अनुभव है और जिन्होंने इतना अध्ययन किया है, इन प्रश्नों का उत्तर देंगे ताकि आयोग के पास पर्याप्त सामग्री पहुंच जाये और उसका कार्य कुछ सरल हो जाये।

इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों को एक पुस्तिका भी दी गई है जिस में ऐसे लोगों के अलग-अलग वर्ग के लिये, जिन्हें हम सहायता देना चाहते हैं शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्रों में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं और उनकी विभिन्न स्थानों में होने वाली प्रगति के आंकड़े दिये गये हैं।

दूसरी योजना में अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याण-योजनाओं के लिये लगभग ५० करोड रुपये की व्यवस्था की गई थी। लेकिन हम जानते हैं कि शुरू के तीन वर्षों में जो काम हुआ वह सन्तोषप्रद नहीं था। इसके कई कारण थे जैसे तकनीकी कर्मचारियों की कमी, पर्वतीय क्षेत्र की दुर्गमता तथा राज्य पुनर्गठन आयोग के कारण हुये परिवर्तन। लेकिन अब काम तेज कर दिया गया है और आशा है कि जो कुल राशि योजना अवधि के लिये निर्धारित है, कि उसका ८५ प्रतिशत अवधि समाप्त होने से पूर्व उपयोग कर लिया जायेगा। गृह-कार्य मंत्री इन वर्गों के कल्याण के बारे में बराबर निगरानी रखते हैं। समाजकल्याण के प्रभारी मंत्रियों और राज्यों के अन्य संबंधित व्यक्तियों का एक सम्मेलन वर्ष के आरम्भ में बुलाया गया था, और एक इसका सम्मेलन इसी वर्ष कुछ समय बाद बुलाया जाने वाला है इसमें

यह विचार किया जायेगा कि थोड़े इस दिशा में आने वाली कठिनाइयों और कमियों को कैसे दूर किया जाये और थोड़े से समय में किस प्रकार अधिक से अधिक सफलता प्राप्त की जाये। ४३ विशेष बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खंडों की आलोचना की गई है। एलबिन समिति ने इन खंडों के कार्य की छान-बीन की है। इन खंडों में हमें सफलता मिली है। सारे मामले का परीक्षण किया गया है और हमें आशा है कि तीसरी योजना में हम काफी बड़ा कार्यक्रम चला पायेंगे ।

अनुसूचित आदिम जातियों की तुलना में अनुसूचित जातियों के बारे में प्रगति काफी अच्छी रही है। खैर, यह भी अपनी अपनी राय का विषय है। यद्यपि हम निर्धारित राशि का ९५ प्रतिशत इस वर्ष के अन्त तक खर्च कर देंगे, परन्तु फिर भी मेरी इच्छा यह है कि काम और तेज़ी से होना चाहिये। इसके लिये इस कार्य में दृढ़ निश्चय और विश्वास की आवश्यकता है, केवल व्यय पूरा कर लेने से ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। हम देश को इस दिशा में बहुत आगे बढ़ा हुआ देखना चाहते हैं। अतः हमें विश्वास और लगन से काम को आगे बढ़ाना होगा, सिर्फ़ रुपया खर्च करके नहीं। 'डी नोटिफ़ाइड' वर्गों के सम्बन्ध में भी स्थिति कोई विशेष अच्छी नहीं रही। हमने बार बार राज्य सरकारों से यही कहा है कि उन्हें अपराधजीवी आदिम जातियों को फिर से किसी धंधे में विशेषतः कृषि कार्य अथवा उद्योगों में लगाना चाहिये।

अब तीसरी योजना को लीजिये। पिछली दो योजनाओं में हमें अपनी शक्ति और दोषों का काफी पता लग गया है। हमें यह भी पता चल गया है कि अमुक भूल को सुधार देने से हम अपने कार्य को तेज़ी से आगे बढ़ा सकेंगे। दो योजनाओं के अनुभव के आधार पर हमने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपालन किया है उन्हें हम सभी राज्यों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित कर रहे हैं। ऐसा प्रयत्न किया जायेगा कि इस कार्य में थोड़े समय में अधिक सफलता प्राप्त की जाय, विशेषतः आदिम जातियों के क्षेत्र में, जिनके लिये हमें खेती, धरती और सामाजिक वातावरण की उचित व्यवस्था करनी है। मनीपुर में आदिम जाति के लोग स्थान परिवर्ती खेती करना छोड़ दें, इस उद्देश्य से उन्हें जमीन देने के प्रश्न की ओर हाल में एक माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान दिलाया है। वन साधनों का लाभ उठाने, आदिम जाति के लोगों को कर्ज़ा देने और उनके लिये मंडी की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सहकारी संस्थायें बनाने की दिशा में भी काम करना होगा।

हमारे देश में मेहतरों के बारे में हालत अभी तक बहुत बुरी चली आ रही है। इन लोगों की स्थिति में सुधार करना बड़ा आवश्यक है। यही लोग हमारे घरों, गांवों और शहरों को साफ करते हैं और उनकी सहायता से ही नगरपालिकाओं का काम चलता है; हमें इन्हीं लोगों की हालत सुधारने की ओर सबसे अधिक ध्यान देना है। उन्हें बड़ा अमानवीय कार्य भी करना होता है। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना बड़ा आवश्यक है। इसके लिये सभी स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज हमारे देखने की यह है कि ये लोग मल, गन्दगी वग़ैरा अपने सिर पर रख कर न ले जायें। मैं समझती हूं कि मेहतरों से ऐसा काम करवाना इन्सानियत के खिलाफ़ है। इस काम को मशीनों से कराने की व्यवस्था होनी चाहिये और जहां यह व्यवस्था सम्भव न हो वहां अन्य उपाय काम में लाने चाहियें। हमें हर सूरत में इन लोगों की हालत सुधारने की कोशिश करनी है। गन्दगी वगैरह की सफ़ाई करना बुरी बात नहीं है; यह काम हमेशा किया ही जायेगा। लेकिन बुरी चीज यह है कि समाज का एक ही वर्ग हमेशा इसको करता रहे।

[श्रीमती आ.वा]

नौकरियों के प्रश्न की ओर भी माननीय सदस्यों का ध्यान जाता रहा है। प्रश्न यह रहा है कि सेवाओं में यह लोग क्यों न अधिक संख्या में लिये जायें। जब इस सिलसिले में आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो गैर-सरकारी क्षेत्र की नौकरियों को भी दृष्टि से ओझल नहीं किया जाना चाहिये। उसमें भी इन "विशष वर्गों" के लड़के लड़कियों को नौकरियों पर लिया जाना चाहिये। इन लोगों को आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्रों में ऊंचा उठाना है। सरकार तो इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में लेने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है। लेकिन गैर-सरकारी क्षेत्र को भी इसके लिये कुछ करना चाहिये। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिये कई क़दम उठाये गये हैं। अर्द्ध-सरकारी और विभिन्न मंत्रालयों के अधीन कार्य करने वाले स्वायत्तशासी निकायों को भी इस बात के लिए राज़ी कर लिया गया है कि वे स्थान सुरक्षित रखने के बारे में वही नीति अपनायें जो सरकार ने अपनाई है। गैर सरकारी क्षेत्र को भी इस दिशा में अपना कर्तव्य पूरा करना होगा। सुरक्षित स्थानों के लिये अपेक्षित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार नहीं मिलते। भारत सरकार ने इस कार्य के लिये प्रत्येक मंत्रालय में सम्पर्क अधिकारी नियुक्त किये हैं।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिये मैट्रिक के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या भी बढ़ गई है। १९५१-५२ में अनुसूचित जातियों के छात्रों और छात्राओं को १६०४ छात्रवृत्तियां दी गईं; १९५९-६० में इन्हें बढ़ा कर ३८,६३७ कर दिया गया है। अनुसूचित आदिम जातियों को १९५१-५२ में ५७५ छात्रवृत्तियां दी गईं और १९५९-६० में ये छात्रवृत्तियां ६११२ हो गई। इसके अतिरिक्त गृह-कार्य मंत्रालय १९५९-६० और १९६०-६१ में इन जातियों के लिये मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियों के लिये अतिरिक्त राशि देने के लिये तैयार हो गया है ताकि इन वर्गों के प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को छात्रवृत्ति मिल सके। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने के इच्छुक अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों का भी प्रश्न है। देश के समस्त विश्वविद्यालयों में से केवल प्रयाग विश्वविद्यालय ही "कोचिंग क्लासें" आरम्भ करने के लिये राज़ी हुआ है। भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। गृह-कार्य मंत्री ने अन्य राज्यों से भी कहा है कि वे अपने यहां के विश्वविद्यालयों से मालूम करें कि वे भी ऐसा करने को तैयार हैं या नहीं जो भी हो कम से कम दक्षिण में एक ऐसा केन्द्र खोलने का हमारा इरादा है।

सरकार अनुसूचित जातियों आदि के कल्याण के कार्य में लगे गैर-सरकारी संगठनों की भी सहायता करने की कोशिश कर रही है। हमारे देश में प्रत्येक युग में स्वेच्छा से समाज कार्य करने वाले लोग और संस्थायें रही हैं। यह लोग पूरी लगन से इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं। गिरे हुए लोगों को उठाना ये अपना कर्तव्य समझते रहे हैं। इस प्रकार का समाज सेवा का कार्य करने वाली बहुत सी संस्थाओं ने गैर-सरकारी स्तर पर बहुत अच्छा काम किया है और हम उनकी सहायता करते हैं। परन्तु ऐसी कई संस्थाओं की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है। इसलिये हमने उनको सहायता देने के बारे में नीति में परिवर्तन किया है। इस बात का निर्णय किया गया है कि उन पर अपनी रिपोर्ट तुरन्त देने के लिये दबाव न डाला जाय। वे अपना कार्य जारी रख सकती हैं, उन्हें केवल इतना ही करना होगा कि उन्हें जो सहायता प्राप्त होगी उसकी दूसरी किस्त दिये जाने तक वे पहली किस्त के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट दे दें।

मुझे एक बात दो सदस्यों वाले निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कहनी है। गत मार्च में दो सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त करने के प्रश्न पर अनौपचारिक परामर्श समिति की बैठक में विचार किया गया था। इसके बाद इस पर गृह-कार्य मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से चर्चा की। प्रायः सब लोग ही इसे समाप्त करने के पक्ष में थे। राष्ट्रपति ने भी संसद् के समक्ष अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख किया था और कहा था कि इसके लिये विधान प्रस्तुत किया जायेगा। लेकिन कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव पर गृह-मंत्री ने कुछ समय और दे दिया है ताकि इस प्रश्न पर पक्ष तथा विपक्ष में वे अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकें। इन सुझावों से अन्तिम निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। वैसे विधि मंत्रालय के पास इस सम्बन्ध में विधेयक का प्रारूप तैयार है, निर्णय होते ही आगे की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अन्त में मैं इस बात पर जोर दूंगी कि इस दिशा में सद्‌भावना और लगन तथा हृदय की पवित्रता को ही मापदंड बनाना चाहिये और इसके द्वारा ही हम अपनी सफलता का मूल्यांकन कर सकेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। समृद्धि से ही हम इस विशेष वर्ग का जीवन स्तर ऊंचा कर सकेंगे और सब को बराबर का दर्जा दे सकते हैं। हम इस दिशा में निरन्तर आगे बढ़ते रहने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखे काफ़ी समय हो चुका है। आइन्दा से इस प्रतिवेदन के यहां उपस्थित किये जाने के १५ दिन के अन्दर इस पर विचार किया जाना चाहिये; मैं उसे प्राथमिकता देने के लिये तैयार हूं।

†**श्री बै० च० मलिक** (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या १, २, ३, ४ तथा ५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : मैं अपने संशोधन संख्या ६, ७, ८, ९ और १० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रा० चं० माझी** (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या ११, १२ और १३ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री का० च० जैन** (बालासौर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या १४ और १५ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री सुबोध हंसदा** (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या १६, १७ और १८ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री राम धनी दास** (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैं अपने संशोधन संख्या १९, २० और २१ प्रस्तुत करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रस्ताव तथा संशोधन सभा के समक्ष है।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

†**श्री मं० रं० कृष्ण** (करिमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : इस वर्ष भी आयुक्त ने अन्य वर्षों की भांति अपने प्रतिवेदन में बहुत सी शिकायतें की हैं तथा कुछ सुझाव दिये

[श्री मं० रं कृष्ण]

हैं जिनके द्वारा कि ये बुराइयां दूर की जा सकती हैं। मेरे विचार से वे कमियां अथवा बुराइयां जिनकी ओर आयुक्त ने उल्लेख किया है वे वही हैं जोकि पहले प्रतिवेदन में बताई गई थीं। ये बुराइयां सभी जगह प्रचलित हैं। उन बुराइयों को दूर करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा विभिन्न गैर सरकारी अभिकरणों को काफी उदारता से सहायता दी है। लेकिन इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये जो व्यवस्था अपनाई गई है वह ठीक नहीं है। केन्द्रीय सरकार तथा गृह-मंत्री ने विशेष रूप से अपने सार्वजनिक भाषणों में और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित मंत्रियों और केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि विभिन्न साधनों से धन जुटाकर इस कार्य के लिये व्यय किया जाये, साथ ही यह भी कहा है कि राज्य सरकारों को विभिन्न विकास कार्य के लिये जो धन दिया गया है उसे भी अधिकतर अनुसूचित जातियों के लाभ के लिये व्यय किया जाये। लेकिन मेरा कहना है कि न तो राज्य सरकारों ने ही तथा न केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों ने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया है। गृह-कार्य मंत्रालय ने निर्माण, आवास और सभरण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय से कहा है कि वे अपने अपने आय व्ययकों में से कुछ राशि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये अलग से रखें।

निसंदेह ये अनुदेश राज्य सरकारों के नाम प्रायः जारी किये जाते हैं लेकिन उन्होंने इन्हें क्रियान्वित करने की कभी परवाह नहीं की। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन अनुदेशों का पालन करने का एक मात्र साधन यही है जोकि महाराष्ट्र सरकार ने अपनाया है। उस सरकार ने ग्राम पंचायतों को आदेश दिया है कि यदि वे अपने यहां से अस्पृश्यता निवारण नहीं करेंगी तो भविष्य में उन्हें कोई सहायता नहीं दी जायेगी। अगर केन्द्रीय सरकार भी यह रवैया अपनाये कि जब तक राज्य सरकारें इन जातियों के कल्याण के लिये अलग से रुपये निर्धारित नहीं करेंगी तब तक उन्हें कोई सहायता नहीं दी जायेगी, तो मेरा विचार है कि यह मामला जल्दी ही निपट सकता है। गृह-मंत्रालय ने काफी लड़ झगड़ कर इन जातियों के लिये प्रथम योजना में ३९ करोड़ तथा दूसरी योजना में ९१ करोड़ रुपये रखाये जबकि दोनों ही योजनाओं में यह राशि पूरी पूरी खर्च नहीं की गई। इसका कारण यह था कि केन्द्रीय सरकार तो राज्य सरकारों पर निर्भर रही कि वे इस कार्य को आगे बढ़ायेंगी और राज्य सरकारें ग़ैर-सरकारी अभिकरणों पर भरोसा करते रहे। इसी कारण यह कार्य बहुत धीरे धीरे हुआ।

मेरा एक सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार पानी सम्बन्धी सुविधाएं, मकानों के लिये जगह दिलाने, खेती के लिये इन्हें भूमि क्रय करने हेतु ऋण दिलाने सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये रचनात्मक कार्यक्रम अपने हाथ में ले। मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार तो इस सम्बन्ध में काफी धन की सहायता दे रही है लेकिन राज्य सरकारें उसका लाभ नहीं उठा रही हैं। यह बात ठीक है कि केन्द्रीय सरकार अपनी योजनाओं के अन्तर्गत जो भी कार्य कर रही है वे ठीक हो रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि अगर सरकार कुछ कम रुपये व्यय करना चाहती है तो वे रुपये केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत ही व्यय किये जायें तभी इनसे अनुसूचित जातियों का अधिक लाभ होगा। तीसरी योजना में इन जातियों के कल्याण कार्य के लिये १०० करोड़ रुपये योजना आयोग ने निर्धारित किये हैं। लेकिन दूसरी योजना में कुछ योजनाएं अधूरी रह गई हैं और उनको पूरा करने के लिये यह १०० करोड़ रुपये की राशि कम रहेगी।

श्रम मंत्रालय द्वारा चालायी गयी औद्योगिक प्रशिक्षण शालाओं के आधार पर गृह मंत्रालय ने कुछ संस्थाएं चालू की हैं। ये संस्थाएं काफी अच्छी चल रही हैं और वे अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये काफी लाभदायक सिद्ध भी हो रही हैं। हम चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों के लिये भी ऐसी ही संस्थाएं चालू की जायें। विभिन्न राज्यों में श्रम मंत्रालय द्वारा चलाई गई ऐसी संस्थाओं की संख्या काफी नहीं है। अत मेरा निवेदन है कि विभिन्न राज्यों में ऐसी अधिक संस्थाएं चालू करने के लिये गृह-मंत्रालय श्रम मंत्रालय की सहायता करे। इससे अनुसूचित जातियों में बेकारी की समस्या का हल होगा और साथ ही गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रविधिक प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी।

प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित आदिम जाति के बेकार व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। केन्द्र तथा राज्यों से शिक्षा सहायता प्राप्त ऐसे विद्यार्थियों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है जिन्होंने हाई स्कूल भी पास नहीं किया है वे लोग न केवल जाति के लिये ही बल्कि समूचे राष्ट्र के लिये संकट सिद्ध होंगे।

बहुत से राज्यों में जागीरों का उन्मूलन हो गया है लेकिन इससे इन लोगों को कोई अधिक लाभ नहीं पहुंचा है। भूमि की अधिकतम सीमा भी मेरे विचार से इन लोगों को अधिक लाभ नहीं पहुंचायेगी। भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन भूमिहीन लोगों को लाभ पहुंचाये और उनकी सहायता करे।

अनुसूचित जातियों के आयुक्त उन लोगों के आंकड़े उपलब्ध नहीं कर सके हैं जो भूमिहीन हैं। इसलिये भारत सरकार के लिये इन लोगों के हेतु एक अच्छी योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

देखने में आया है कि प्रतिरक्षा मंत्री अनुसूचित जाति के प्रार्थियों के सम्बन्ध में गृह-मंत्रालय और संविधान के अनुदेशों की परवाह नहीं करते। इस मंत्रालय में जमादारों को छोड़कर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अन्य प्रार्थियों को लेने के सम्बन्ध में विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय: यह नहीं है कि गृह-मंत्रालय अथवा भारत सरकार इन जातियों के प्रार्थियों के लिये योग्यता में कमी करे अथवा स्तर घटाये। पुराने जमाने में इन जातियों ने प्रतिरक्षा विभाग में बहुत अच्छा कार्य किया है। और यह बात सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। अत: मेरा निवेदन है कि यदि उच्च जाति के लिये इनके साथ प्रतियोगिता नहीं करना चाहते तो क्यों न फिर इनके लिये कुछ स्थान रक्षित किये जायें।

इसी प्रकार केन्द्र द्वारा चालित शिक्षण संस्थाओं में भी इन जातियों के लिये स्थान रक्षित किये जावें। उत्तर प्रदेश ने एक समिति की स्थापना इस दृष्टि से की थी कि वह इस बात की जांच करें कि इन लोगों के लिये जो स्थान रक्षित हैं उन खाली स्थानों पर अनुसूचित जाति के प्रार्थी लिये जायें, मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार भी इसी प्रकार की समितियों की स्थापना करें। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात को बड़ी सावधानी एवं तन्परता से देखे कि प्रतिरक्षा मंत्रालय में भी इन जातियों के प्रार्थी लिये जायें अथवा उनके लिये स्थान सुरक्षित किये जायें।

गृह-मंत्रालय ने सन् १९५७ में कुछ सहायक आयुक्तों की नियुक्ति की थी। १९५८ अथवा १९५९ में फिर से भर्ती की गई लेकिन पहले भर्ती किये गये व्यक्तियों को भी आर्थिक बचत की दृष्टि से नौकरी नहीं दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पुराने लोगों को ही नौकरी नहीं दी गई तो फिर नये आदमियों की भर्ती करने की क्या तुक थी।

[श्री मं० रं० कृष्ण]

बहुत से अनुसूचित जाति के लोग अपने प्रांतों से अतिरिक्त दूसरे प्रांतों में कार्य कर रहे हैं लेकिन वहां उन को वे सुविधायें नहीं दी जा रही हैं जोकि अनुसूचित जाति के प्रार्थियों को मिलनी चाहियें। यहां तक कि उन के बच्चों को उन राज्यों में शिक्षा भी नहीं दी जाती। मैं चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में कुछ कार्य करे।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में दिये जाने वाले प्रशिक्षण से अनुसूचित जाति के लोगों को काफी लाभ होगा लेकिन मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रालय इन लोगों को और अधिक सहायता दे ताकि वे आर्थिक दृष्टि से और भी अच्छे हो जायें।

†**श्री दशरथ देव** (त्रिपुरा) : इस विधेयक पर बहुत पहले विचार किया जाना चाहिये था। इस बात का दुख है कि इस प्रतिवेदन पर प्रतिवर्ष वादविवाद करने का अवसर नहीं दिया जाता।

अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों में कल्याण कार्य सन्तोषजनक नहीं है। उपमंत्री ने भी अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि इस कार्य में काफ़ी प्रगति नहीं हुई है।

इस प्रतिवेदन में वे सब बातें नहीं दी गई हैं जिन के आधार पर कल्याण कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। इस में प्रतिवेदन बेकारों की संख्या, कितनी भूमि उपलब्ध है आदि जैसी बातें नहीं दी गई हैं। इस का दोष आयुक्त पर नहीं है बल्कि राज्यों ने यथासमय पर वे आंकड़े नहीं दिये हैं। ये बातें बड़ी दुखदायी हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की परामर्शदात्री समिति अथवा निकाय बेकार है क्योंकि इन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

आयुक्त ने इस प्रतिवेदन में बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं लेकिन प्रश्न तो उन सुझावों को क्रियान्वित करने का है। राज्य सरकारें उन पर उचित ढंग से कार्य नहीं करतीं।

भूमि सुधारों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इन जातियों को जो भूमि दी गई है उस के बारे में विधान द्वारा कुछ गारंटी दी जानी चाहिये। लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने ऐसे विधान नहीं बनाये हैं। ऐसा न करने के क्या कारण हैं इस बात का उल्लेख इस प्रतिवेदन में नहीं किया गया है।

इन जातियों के आयुक्त का विभाग तो कोरा मज़ाक है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लिये अलग से ही एक मंत्रालय बनाया जाये। इन जातियों की संख्या भारत की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई है अतः इन की भलाई के लिये मंत्रालय होना अनिवार्य है। आयुक्त के प्रतिवेदन से कोई लाभ नहीं है क्योंकि इस के पीछे कार्यकारी अधिकार नहीं है।

त्रिपुरा राज्य में एक आदिमजाति कल्याण परामर्श दात्री समिति है जो केवल कुछ बातों पर ही विचार करती है। लेकिन इस समिति के सदस्य कुछ तो ऐसे हैं जिन को इन जातियों के बारे में कुछ विशेष जानकारी भी नहीं है। ये परामर्श दात्री समिति राज्यीय स्तर पर भी कुछ अधिक सहायता नहीं करेगी। मेरा निवेदन है कि जब तक इन को कार्यकारी अधिकार नहीं दिये जायेंगे तब तक इन का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसी कारण मेरा सुझाव है कि सभी स्तरों पर इन को कुछ प्रशासकीय अधिकार दिये जाने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

आदिम जाति के ब्लाकों का काम भी सन्तोषजनक नहीं है। उन में इन जाति के लोगों को भर्ती नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को इन ब्लाकों में लिया गया है जिन्हें इन जातियों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। यह बड़े खेद की बात है।

अस्पृश्यता निवारण तथा हरिजनों को मन्दिरों में प्रवेश कराने के बारे में विधि बनाई जानी चाहिये। इस प्रकार के सामाजिक सुधार नितान्त आवश्यक हैं। लेकिन साथ ही मेरा निवेदन है कि आर्थिक स्थिति अच्छी किये बिना ये सब सुधार बेकार हैं।

इन जातियों के किसानों की दशा सुधारने के लिये भूमि सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः राज्य सरकारों को चाहिये-कि वे अपने यहां ऐसी विधि बनायें जिस से कि भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि दी जा सकें।

देश के कुछ भागों म इन जातियों की संख्या बहुत अधिक है, मेरा निवेदन है कि उन क्षेत्रों को इन जातियों का ही क्षेत्र घोषित कर दिया जाये और वहां इन जाति के लोगों को ही बसाया जाये। यह देखने में आया है कि इन जातियों के लोगों को धनवान लोग ऋण दे कर बाद में इन की भूमि को ही हड़प लेते हैं अतः इन के शोषण से इन जातियों को बचाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। और इस प्रकार उन की भूमि की बेदखली रोकी जानी चाहिये। और इस प्रयोजनार्थ विधान भी बनाने चाहियें।

त्रिपुरा में बराबर भूमि की बेदखली की जा रही है। और यह परामर्शदात्री समिति चुपचाप यह सब कुछ देख रही है। यह बात समझ में नहीं आती कि वहां जो किसान इतने लम्बे अर्से से भूमि जोत रहे हैं उन्हें भूमि से हटाया जा रहा है। सुनामरा डिवीजन में यह देखने में आया है कि जो लोग पिछले ४० वर्षों से अपनी भूमि को जोत रहे हैं अब उन से वह भूमि छीनी जा रही है और दूसरे लोगों को दी जा रही है। यह बहुत बुरी बात है। इस बारे में मैं ने त्रिपुरा के आयुक्त का ध्यान आकर्षित किया लेकिन उन्हों ने बड़ा ही विचित्र उत्तर दिया। मेरा निवेदन है कि ऐसी बातें वहां नहीं होनी चाहियें।

कुछ स्थानों पर कुछ क्षेत्र अलग से रक्षित किये जायें और वहां इन जातियों के लोगों को ही बसाया जाये। इस प्रकार इन जाति के लोगों को कम से कम इस बात का आश्वासन मिल जायेगा कि भूमि उन की ही है और उन की ही रहेगी।

भूमि के अनधिकृत स्वामित्व के बारे में मेरा निवेदन है कि जहां कोई झगड़े नहीं हैं वहां उन लोगों को ही भूमि दे दी जाये जोकि उस का उपयोग कर रहे हैं।

आदिम जाति के लोगों को दी जाने वाली शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है और दोषप्रद है। पहली कठिनाई तो उन के बच्चों के सामने भाषा की आती है। प्राइमरी कक्षाओं तक उन को शिक्षा उन की मातृभाषा के माध्यम से दी जानी चाहिये। सरकारी प्रतिवेदनों में इस बात का उल्लेख मिलता है लेकिन इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही ये लोग इतने निर्धन हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते बल्कि उन से खेतों में काम लेते हैं। अतः इन लोगों को मुफ्त किताबें आदि दी जानी चाहिये। ऐसी व्यवस्था करने पर ही यह संभव है कि ये शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

पदों का रक्षण एक अच्छी बात है। संविधान भी इस बात का अनुदेश है तथा इन जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन में भी इस की ओर संकेत किया गया है। सरकारी पदों के लिये रक्षण की व्यवस्था तो की गई है लेकिन उन पदों पर इन जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाती

[श्री दशरथ देव]

अतः ऐसी स्थिति में ऐसा विधान बनाना चाहिये कि जो पदाधिकारी एवं संस्था उन स्थानों पर इन जातियों के प्रार्थियों की नियुक्ति नहीं करती उन के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

आजकल हमारे क्षेत्र में मनीपुरी जाति को पिछड़ा वर्ग नहीं माना जाता। जबकि वस्तुतः वे पिछड़े वर्ग हैं अतः मेरा निवेदन है कि आगामी जनसंख्या के समय उन्हें इन जातियों की सूची में रखा जाये तथा उन्हें वे सभी सुविधायें दी जायें जोकि अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों के व्यक्तियों को मिलती हैं।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : सभापति जी, प्रति वर्ष शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट सभा के पटल पर रखी जाती है और यहां उस पर विचार होता है। जहां तक उनके अपने कार्य का सम्बन्ध है, मैं उस की सराहना करता हूं कि वह देश में जो अस्पृश्यता की भयंकरता है, उस की ओर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं, लेकिन जो प्रतिवेदन का रूप और भाषा है, उस में विशेष अन्तर नहीं आता।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि आज भी देश में अस्पृश्यता हिल नहीं रही है। सरकार के प्रयत्न चल रहे हैं ऊपर से नीचे तक, लेकिन अस्पृश्यता अनेक रूप से आज भी देश में मौजूद है और हम जो अस्पृश्यता के शिकार बनते हैं, यह नहीं कह सकते कि :

'तेहि नो दिवसा गता'

अर्थात् वे दिन हमारे चले गए, जब हम पर जुल्म होता था, जब हमें छोटा समझा जाता था नीच समझा जाता था, हम पर अत्याचार होते थे, हम को अनेक यातनायें दी जाती थीं। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि आज भी वह अपमान, वे यातनायें, वे संकट, वह कष्ट, वह दुरदुर की नीति यकीनी तौर से देश में विद्यमान है। शिड्यूल्ड कास्टस के वैलफेयर के सम्बन्ध में योजना कमीशन द्वारा नियुक्त स्टडी टीम ने अपना विचार सरकार के सामने रखा है, एक रिपोर्ट दी है। मै उस में इस वक्त नहीं जांना चाहता, लेकिन देश में जो यह ख्याल बन रहा है कि अस्पृश्यता मिट रही है, जा रही है, उस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन से पूछिए, जो आज अस्पृश्यता के शिकार बनते हैं। प्रश्न यह है कि क्या अस्पृश्यता अपने किसी भी रूप में जा रही है जो भी उस के रूप हो सकते हैं, उन को आप देखें। जहां तक अस्पृश्यता का अर्थ मनुष्य को गर्हित समझने की भावना है, क्या वह समाप्त हो रही है? मैं यह मानता हूं कि हमारे बापू, महात्मा गांधी जी, ने विशेष बल के साथ इधर ध्यान दिया, लेकिन आज उतना ध्यान इस समस्या की ओर नहीं दिया जा रहा है। पीने के पानी के कूओं के प्रयोग, मंदिरों में प्रवेश और शिक्षा संस्थाओं के बारे में जो स्टडी टीम द्वारा परसेन्टेज दिया गया है, मैं नहीं समझता कि उस में कुछ विशेष अन्तर पड़ता है। मैं अपने क्षेत्र और अनेक अन्य क्षेत्रों को देखने के बाद कह सकता हूं कि आज भी हम लोग पीने के पानी के स्थानों पर चढ़ नहीं पाते हैं और मन्दिरों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं तथा शिक्षा संस्थाओं में दिक्कत उठाते हैं और सब से नीचे की तह के लोगों, भंगियों, डोमों, आदि पर जो भयंकरता बरती जाती है, मैं उस की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आज भी यह कहने के लिए तैयार हूं कि अस्पृश्यता की विभीषिका भयंकरता के साथ देश में विद्यमान है। हमें देश के अन्दर एक ख्याल पैदा करना है, जनता के अन्दर समानता का एक वातावरण पैदा करना है और सामाजिक तथा आर्थिक जो विषमता हमारे देश में मौजूद

हैं, उस को दूर करना है, और इन सब बातों को देख कर आगे कदम बढ़ाना है। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि जिस तेजी से हमें चलना चाहिये उस तेजी से आप और हम चल नहीं रहे हैं, हम धीरे चल रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्रथम पंच वर्षीय योजना में और दूसरी पंच वर्षीय योजना में जो अनुदान की राशि रखी गई थी उस को अगर आप देखें तो पता चलेगा कि वह व्यय नहीं हो पाई है और क्यों खर्च नहीं हो पाई है, इस की ओर आपका ध्यान नहीं है। आप देख नहीं पाते हैं कि राज्य सरकारें इस ओर ध्यान दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। जहां तक कमिश्नर साहब की रिकमेंडेशन्स का ताल्लुक है, रिकमेंडेशंस बन कर ही आती है, कभी ऊपर चली जाती हैं और कभी नीचे सरक जाती हैं। जहां तक उन पर अमल का सम्बन्ध है, चाहे मेरी राज्य सरकार हो या दूसरी राज्य सरकारें हों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन पर अमल नहीं हो पाता है। इसकी वजह यह है कि सैंटर की तरफ से जब कभी दृष्टिपात होता है तो हल्के हल्के होता है, जोर के साथ नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब तक यहां पर सैंटर में कोई इस तरह का अलग मंत्रालय नहीं होगा तब तक काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इस मांग को मैं बड़े ही जोरदार शब्दों में सदन में पेश करना चाहता हूं कि इस कार्य के लिए एक अलग मंत्रालय हो जो जन-जातियों, परिगणित जातियों और पिछड़ी हुई जातियों के कार्य को देखे। जहां तक इस से सम्बन्धित काम का ताल्लुक है वह बहुत अधिक बढ़ गया है और इसको भली प्रकार सुचारू रूप से चलाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक हो गया है कि एक अलग से मंत्रालय इसके लिए कायम हो।

जहां तक आपकी स्कीमों का, आपकी योजनाओं का सम्बन्ध है, वे बहुत ही मंद गति से चलती है। इसके लिए जो पैसा अलग से रखा जाता है वह भी खर्च नहीं हो पाता है और इसका नतीजा यह होता है कि जो परिगणित जातियां हैं, जो जन-जातियां हैं, उनके भलाई के काम रुक जाते हैं। जहां तक दूसरी योजनाओं का सम्बन्ध है जो कि आम लोगों के लिये होती हैं जैसे छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग हैं, खेती की उन्नति के लिए सहायता दी जाती है, आम किसानों और मजदूरों को सहायता दी जाती है उनमें भी इन लोगों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता है जितना कि रखा जाना चाहिये। इसका सीधा सा एक कारण यह है कि जो अधिकारी लोग हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं जाता है। मैं आपको इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि आप एक चैकिंग मशीनरी इस काम के लिए कायम करें, जो आपके अधीन हो। उसका रूप कुछ भी हो सकता है लेकिन इस तरह की किसी मशीनरी का होना बहुत आवश्यक है।

जहां तक जीवन की आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, पीने के पानी का सम्बन्ध है, जमीन का सम्बन्ध है, इसका प्रबन्ध जल्दी से जल्दी होना चाहिये। इस ओर आपका विशेष तौर से ध्यान जाना चाहिये। आज भी मैं देखता हूं कि देश के बहुत बड़े भाग में पीने के पानी की खातिर लोग घड़े ले कर बैठे रहते हैं, उनको पीने का पानी नसीब नहीं होता है। स्टडी टीम की रिपोर्ट में जो यह कहा गया है कि कोई परसेंटेज बहुत आगे बढ़ गया है, वह ठीक हो सकता है, मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि आम कुओं पर जो सरकारी अनुदान से बनाये गए हैं, उन पर भी हरिजनों को चढ़ने नहीं दिया जाता है और यह बात देश के बहुत बड़े क्षेत्र पर लागू होती है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये।

जहां तक रहने के लिए जगह का सम्बन्ध है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। मैं इस आवास के प्रश्न को दूसरे रूप में नहीं लेता हूं। लेकिन यह प्रश्न बहुत ही जरूरी प्रश्न है। मैं समझता हूं कि बने बनाये मकान देना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि रहने के लिए जमीन देना है। लेकिन आज होता क्या है? आज होता यह है कि हरिजन जिन जमीनों पर रहते हैं,

[श्री बाल्मीकी]

आज जो जमीनें हरिजनों के पास हैं, मैं यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि वे भी उनसे छीनी जा रही हैं और उनके स्थानों पर दूसरे शक्तिशाली लोगों द्वारा मकान खड़े किए जा रहे हैं। उनके मकानों के सामने दीवार खड़ी की जा रही है यह पंजाब के अन्दर हो रहा है, यू० पी० के अन्दर हो रहा है। तथा दिल्ली व दूसरे राज्यों में हो रहा है। इस तरह के वाकयात, इस तरह की कई घटनाएं हमारे देखने में आई हैं। चाहे वे शमशान की जमीनें हैं, चाहे सार्वजनिक जमीनें हैं, उनको आमोद प्रमोद, स्वांग तमाशे के लिये दिल्ली राज्य में भी और देश के दूसरे भागों में भी बलशाली जातियों द्वारा जबर्दस्ती इस्तेमाल की जा रही हैं और हरिजनों को उजाड़ा जा रहा है। यह दिल्ली राज्य में भी और दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। इस पर विचार भी चलता है कि जिस जमीन पर हरिजन का झोंपड़ा है, जिस जमीन पर वह रहता है, वह उसी को दे दी जाये लेकिन देखने में आता है कि उसको वहां से भी उखाड़ने के प्रयत्न किये जाते हैं। मैं मिसालें नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि इस ओर ध्यान देने की विशेष तौर से जरूरत है। रहने के लिये उनको मकान देना, रहने के लिए उनको जमीन देना, उनके अन्दर एक प्रकार से आत्म-संतोष पैदा करना है। हम यह बर्दाश्त कर सकते हैं कि हम को छोटा समझा जाता है, गर्हित समझा जाता है, अस्पृश्य समझा जाता है, इस वास्ते हमको उठाने में समय लग सकता है और उस ओर आपके प्रयत्न चल भी रहे हैं। लेकिन जहां तक पीने के पानी का, रहने के लिए जमीन के टुकड़े का सम्बन्ध है, वह जल्दी ही हल होना चाहिये।

तीसरी योजना में आप जन-जातियों के लिए, हरिजनों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए सौ करोड़ रख रहे हैं; हरिजनों के लिहाज से, शैडयूल्ड कास्ट्स के लिहाज से पिछली दो योजनाओं में नियत धन में पांच करोड़ का अन्तर नजर आता है लेकिन अगर हम इसको फैला कर देखें तो वह अन्तर बढ़ना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि जो यह अनुदान रखा जा रहा है, वह हमारी गिरी हुई हालत को देखते हुए, आज की परिस्थितियों में बहुत ही कम है। जहां तक लोगों को बसाने का, रिफ्यूजीज को बसाने का प्रश्न है, उनको तो आप बसा रहे हैं और बसाना भी चाहिये लेकिन हम सदियों से देश में रिफ्यूजी है, हमारे पास जमीन भी नहीं है, व्यापार के साधन भी नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई धन्धा नहीं है, हजारों और लाखों की तादाद में हम में से लोग भूमिहीन है, उनको बसाने का प्रयत्न भी आपकी ओर से होना चाहिये। तृतीय योजना में जो आप सौ करोड़ रुपया रख रहे है कोई वजह नहीं कि आप उसको २०० या ३०० करोड़ नहीं करे। यह ठीक है कि जब भी इस तरह की बात की जाती है तो उसका आम योजना पर, आम प्लान पर प्रभाव पड़ता है लेकिन हल्के हल्के आप इसको देखें और आगे बढ़ने का प्रयत्न करे तो मैं समझता हूं कि यह हो भी सकता है और कोई मुश्किल बात नहीं है। सौ करोड़ के अलावा और जो अनुदान हैं, जैसे छोटे छोटे उद्योगों के लिए हैं, कुटीर उद्योगों के लिये हैं, दूसरी योजनाओं के लिये हैं, छोटे छोटे कुओं तथा सिंचाई के साधनों के लिए हैं रहने के लिए मकानों के लिए हैं तथा और जो दूसरे आम सामाजिक सेवाओं के लिये अनुदान हैं उनमें भी अगर हरिजनों का ख्याल रखा जाय और इस बारे में आपकी तरफ से आदेश जारी कर दिये जायें तो मैं समझता हूं कि कोई वजह नहीं है कि हरिजनों की भलाई के काम आगे न बढ़ सकें। मैं चाहता हूं कि यह जो अनुदान सौ करोड़ का है, वह बहुत ही कम है, और उसको कम से कम दो सौ और तीन सौ करोड़ होना चाहिये।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कमियां पिछली योजनाओं में रह गई हैं, वे तृतीय योजना में दूर की जानी चाहियें।

हम यह कहते हैं कि हिन्दू मात्र के अन्दर जो अस्पृश्यता है, यह एक अभिशाप है, एक छिद्र है, जो उसे अन्दर ही अन्दर खोखला कर रहा है। मैं एक कहावत जो संस्कृत में है आपको बतलाना चाहता हूं :

"सुन्दरमणिमय भवने पश्यति पिपीलिका रन्ध्रम"

सुन्दर मणी के मकान में चींटी छिद्र देखती है। हिन्दू समाज के अन्दर गांधी जी ने इसको कोढ़ की संज्ञा दी थी। मैं समझता हूं कि जो लोग यह समझते हैं कि हिन्दू समाज के अन्दर एक छिद्र है, वह ठीक नहीं है। अनेक छिद्र हैं। ये जो सब बातें हैं ये दूर होनी चाहियें। हमारे साथ समानता का, मानवता का व्यवहार होना चाहिये "मा जीबेभ्यः प्रमदः"। प्राणियों की उपेक्षा मत करो। जीवों के प्रति प्रमोद मत करो। प्राणियों के प्रति आलस मत करो। लेकिन मैं देखता हूं कि आज भी यह उपेक्षा हो रही है। जो घटनायें घटित हो रही हैं वे साबित करती हैं, कि हमारे साथ उपेक्षा हो रही है। आज हमारे दिमाग में जो यह बात आ गई है कि अस्पृश्यता जा रही है, घट रही है, वह ठीक नहीं है। आज अधिकारी भी, पुलिस भी, जनता भी, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें भी ऐसा सोचती हैं कि अस्पृश्यता घट रही है लेकिन यह ठीक नहीं है। आज भी हम को अपमान, यातनायें सहन करनी पड़ती हैं। ये जो सब बातें हैं, ये जो घटनायें हैं ये हमारे अन्दर एक रोष की भावना पैदा करती हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम टकराना चाहते हैं। हम देश में सद्भावना के साथ, प्रेम के साथ, भाई भाई की तरह से रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो सके इसके लिए भारी प्रयत्न हम को और आपको करने होंगे। मैं जानता हूं कि आपने अस्पृश्यता निवारण के लिये कानून पास किया हुआ है लेकिन उस कानून की कोई परवा नहीं करता है। उस कानून की अधिकारी वर्ग परवा नहीं करता है, पुलिस परवा नहीं करती है तथा दूसरे लोग परवाह नहीं करते हैं। जब कभी हम थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिये जाते हैं तो वह या तो लिखी नहीं जाती है और अगर लिखी जाती है तो बिगाड़ कर लिखी जाती है। हमेशा ही हम को दबा करके, हमारी छाती पर चढ़ करके समझौता कराया जाता है। इस तरह की कई घटनायें हो चुकी हैं जो मैं आप को बता सकता हूं। मैं नहीं समझता कि हमारे मस्तिष्क के अन्दर कोई आज इस तरह की बात आई है कि हम इनको अस्पृश्य समझना छोड़ दें। मैं आप के सामने एक दो घटनायें पेश करना चाहता हूं। एक बड़े पुलिस के अधिकारी के सामने जब मैं एक अपमान के प्रश्न को ले कर गया कि किस तरह से एक नौजवान पढ़े लिखे को किस प्रकार अपमानपूर्वक मूढ़े से धकेल दिया गया, उसको अपमानित किया गया तो उस पुलिस अधिकारी ने इसकी कोई परवाह नहीं की। बल्कि हरिजनों की आज़ादी और उसका गलत प्रभाव का रोना रोया। एक दूसरी घटना इस प्रकार है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान जोकि पोस्ट आफिस में क्लर्क के पद पर काम करता है, उसके कपड़ों को धोबी द्वारा फैंक दिया गया और उसको नाई की दुकान से उठा कर अलग कर दिया गया और इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह की घटनाओं को रोकना आपका कर्तव्य है। यह कहना कि आज़ादी का हिरजनों के दिमागों पर गलत असर हो रहा है, मैं कहता हूं ठीक नहीं है। मैं आज यहां पर एलानिया कहता हूं कि "हम स्वतन्त्रता के पुजारी और आप स्वतन्त्रता शोषक हैं।"

आज देश के अन्दर जो आज़ादी आई है वह बापू के प्रताप से आई है और नाना प्रकार से उसका एक असर हमारे दिमागों पर हुआ है। आज हम पर जो अत्याचार होते हैं ये किस वजह से होते हैं ? ये अत्याचार हम पर हमारी चेतना की वजह से, हमारी जागृति की वजह से, हमारे प्रभाव की वजह से, हमारे उठने की वजह से, होते हैं और हम इनको सहन नहीं कर सकते हैं। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर अपनी स्पीच में

[श्री ा मीकी]

यह कहा कि देश को हमें भी साथ ले कर चलना है । यह ठीक हो सकता है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हम खुद चलने लगे गये हैं, आज हम को जिधर चाहो खदेड़ कर आप नहीं ले जा सकते हैं, आज बाजू पकड़ कर ले जाने की बात नहीं है ।

"यशः श्री श्रयता मयि"

हमारे अन्दर कीर्ति पैदा हो, हमारे अन्दर कल्याण हो, हमारे अन्दर वैभव पैदा हो ।

अन्त में दो मिनट में भंगियों की बात कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

देश के अन्दर भंगियों की हालत हर तरीके से बहुत ही गिरी हुई है । हमारे केन्द्रीय हरिजन कल्याण बोर्ड ने एक सब कमेटी कायम की है भंगी जांच कमेटी बनाई है और वह अपनी रिपोर्ट देगी और मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि पंचवर्षीय योजना में आप कुछ भंगियों के बारे में समावेश करने के लिए तैयार हैं । लेकिन देश की जो भयंकर सैनिटरी कंडीशन है उस पर मुझे अफसोस है । यहां पर स्वास्थ्य के सम्बन्ध में जिक्र आता है सफाई का, हाईजीन का, डिजीजेज़ का लेकिन जब भंगी की सैनिटरी कंडीशन का तथा शोचनीय हालतों का जिक्र आता है तो दिल का नक्शा बदल जाता है । मैं कहता हूं कि भंगियों के लिए जो पानी आदि सुविधाओं का प्रबन्ध किया गया है वह नहीं के बराबर है । उनके रहने के स्थान के चारों तरफ गन्दगी बनी रहती है । इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए । केवल लेटरिन का नक्शा बदल जाने से या भंगी के सिर पर से टोकरा हट जाने मात्र से उसकी समस्या का हल नहीं हो सकता । आज भंगी की सारी हाल ा तथा काम की भंयकर स्थिति को देखने की परम आवश्यक ा है । हमारे माननीय मंत्री जी और मंत्राणी जी ने इस विषय में बड़ी सहृदय ा प्रकट की है । मैं चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना में खास तौर से भंगी की स्थिति का जिक्र होना चाहिए और जहां तक उनके काम को सुधारने तथा जीवन स्तर उठाने का ताल्लुक है उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । समाज में उनका स्थान तथा मान बढ़ना चाहिये ।

जहां तक उनके काम का ताल्लुक है, यकीनी तौर से वह काम एक कम्युनिटी के ऊपर लदा हुआ है । यह स्थिति धीरे धीरे बदलनी चाहिए । उनमें से कुछ लोग डाक्टर बनने चाहिएं और उनको दूसरा काम मिल ा चाहिए उचि ऊंचे वेतन मिलने चाहियें । इस ओर कुछ प्रयत्न जारी है, लेकिन जब तक आप देश के अन्दर भंगी की स्थिति को नहीं बदलते तब तक मैं समझता हूं कि आप देश की स्थि ि को भी नहीं बदल सकते । इसलिए जो वर्ग सबसे नीचे है, जो वर्ग सब से पीछे है और जिस पर अस्पृश्यता का, उत्पीड़न का और अपमान तथा यातनाओं का सारा भार रहा है जब तक उसको आप नहीं उठाते तब तक देश आगे नहीं जा सकता ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद दे ा हूं ।

श्री ना० नि० पटेल (बलसार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : माननीय चेयरमेन साहब, आज इस वक्त शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट की बहस पर चर्चा करते वक्त मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आज १३ साल हो गये हमें स्वाधीन ा प्राप्त किये, लेकिन जो हमारे हरिजन हैं उनकी अवस्था नहीं सुधर पायी है । हमारे पूज्य बापू जी ने उनकी हालत को सुधारने के लिए जब तक वह जिये उनसे जितना हो सका किया । मगर आज हमें स्वतंत्र हुए १२ साल पूरे हो गये और तेरहवां साल चल रहा है, पर आज भी बम्बई शहर के अन्दर जो सबरबन एरिया

है वहां पर आज भी हरिजनों को सिर पर नाइट साइल ले जाने की दिक्कत हो रही है । आज बम्बई और सूरत जसे शहरों में सिरों पर नाइट साइल हटाने का काम जारी है ।

हमारी केन्द्रीय सरकार और हमारी मिनिस्ट्री हरिजनों के लिए इतने सब इन्तिजाम करती है, मगर मुझे अफसोस है कि स्टेट्स के अन्दर उन पर जितना चाहिए उतना अमल नहीं होता । इसके ऊपर खास ध्यान देना बहुत जरूरी है ।

आज हमें आजाद हुए इतने साल हो गये लेकिन हमारे सूरत जिले में जो हिली एरिया है उसके गांवों में जहां केवल शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उनको यह भी मालम नहीं है कि आजकल किसका राज देश में चल ा है । उन बेचारों को यह भी नहीं मालूम कि हम आजाद हुए हैं और देश में हमारा खुद का राज चलता है । इसेकी वजह क्या है । उसकी वजह यह है कि देहातों के उत्कर्ष के लिए जो ब्लाक बने हैं उन के अधिकारी उन लोगों तक नहीं जाते । ब्लाक्स के अफसरों को आने जाने के लिए जीपें मिली हुई हैं । उनकी जीपें जहां तक जाती हैं वहां तक वह जाते हैं । लेकिन उससे आगे कई मील पहाड़ पर चढ़ना होता है, जंगल में जाना होता है जो कि एक मुश्किल काम है । हमारे वहां एक कार्यकर्ता हैं, रामजी भाई चौधरी । वह मेरे पास आये और अपना हाल कहने लगे । उनकी आंखों में उस समय आंसू आ गये । उन्होंने कहा कि आज १२ साल हो गये हम को आजाद हुए । लेकिन हमारे यहां के लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि इस देश में, इस गांव में किसका राज है । तो हमारी केन्द्रीय सरकार तो बहुत कुछ इन्तिजाम करती है मगर स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल अच्छा नहीं है । इसेलिए मेरा सुझाव है कि जब तक आप उस पर खास तौर से ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे लोगों की हालत नहीं सुधरेगी ।

हमारे जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यू ड ट्राइब्स के लोग हैं उनके पास अपने घर बनाने तक की जमीन नहीं है, खेती के लिए तो वह जमीन कहां से लायें । मैं आपको इस सम्मंन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे सूरत जिले में एक पारडी तालुका है । पहले वह बम्बई स्टेट में था अब गुजरात स्टेट में है । वहां ज्यादा जमीन छोटे बड़े जमींदारों के पास है आदिवासियों और हरिजनों के पास कोई जमीन नहीं है । उनको १२ महीने में केवल २ महीने काम मिलता है और दस महीने वे बकार रहते हैं ।

आज दस साल हो गये वहां पर प्रजासमाजवादियों ने एक आन्दोलन चलाया है और उन लोगों को हथेली में चांद दिखाया है कि पारडी तालुका की सब जमीन हम ले लेंगे और आप लोगों को बांट देंगे और वह बेचारे हरिजन और आदिवासी उनके पीछे हो गये हैं । वहां हर साल सत्याग्रह होता है, हर साल मारधाड़ होती है । स्टेट गवर्नमेंट ने वहां पर सीलिंग का कायदा लगाने की कोशिश की है मगर सीलिंग लगाने से भी काफी फाजिल जमीन नहीं मिलेगी जो कि हरिजनों और आदिवासियों को मिल सके । इसलिए मेरा सुझाव है कि इन लोगों के लिए सरकार पबलिक सेक्टर में वहां पर कोई उद्योग शुरू करे । हमारी गवर्नमेंट बलिक सेक्टर में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खोल रही । पारडी तालुका के अन्दर बड़ी बड़ी जमीनें हैं, तीन तीन नदियां वहां हैं जिन में बारहों मास पानी बहता है । वहां पर इर्रीगेशन की कोई स्कीम नहीं आयी है और न आने वाली है, न वहां बिजली की कोई स्कीम आयी है या आने वाली है । गवर्नमेंट पबलिक सेक्टर में जो उद्योग शुरू करती है उनको बड़े बड़े शहरों में शुरू करती है । मेरा सुझाव है कि इस इलाके में भी गवर्नमेंट कोई पबलिक सेक्टर का उद्योग डाले जिससे दो चार हजार आदमियों को रोजी मिल सके । इससे उनका प्राबलम हल हो सकता है । पारडी तालुका में ६० से ७० प्रतिशत आदिवासी हैं और २० प्रतिशत दूसरे लोग हैं । उनकी यह दिक्कतें सालों से चली आ रही है । इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए ।

[श्री ना० नि० पटेल]

आदिवासियों और हरिजनों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन है। जब उसके बारे में इस में पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि काफी संख्या में नौकरियां हम लोगों के वास्ते रिजर्व रखी हैं मगर दरअसल हालत क्या हो रही है। जब कभी कोई वकेंसीज होती हैं तो उनको एडवरटाइज बड़े बड़े अखबारों टाइम्स आफ इंडिया सरीखे पेपरों में कर दिया जाता है और आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे आदिवासी और हरिजन भाई वैसे पेपर्स कहां पढ़ पाते हैं और उसका परिणाम यह निकलता है कि उनको उन नौकरियों का पता तक नहीं लग पाता है। इसलिए इस दिशा में मेरा सुझाव है कि जब कभी कहीं पर इस तरह की जगहें खाली हों तो वहां के लोकल पेपर्स के अन्दर उनके बारे में एनाउंसमेंट करवाना चाहिए और कम से कम जो शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय सदस्य हैं उन लोगों के पास ऐसी खाली जगहों के बारे में इत्तिला भेज देनी चाहिए।

अब मैं आपको बतलाऊं कि दो साल पहले बम्बई में सेंट्रल डिवीजनल आफिस के अन्दर आदिवासी और हरिजनों के वास्ते कुछ नौकरियां खाली थीं। मैं वहां पर गया तो मुझे बतलाया गया कि उनके पास बहुत सी आदिवासियों और हरिजनों की जगहें खाली हैं लेकिन दफ्तर वालों को उनके लिये कोई उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। मैंने उनको कहा कि अगर आपको १००० से ५००० तक भी आदिवासी या हरिजन उम्मीदवार चाहियें तो मैं लाने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आप लाइये। मैंने सूरत जिले का जो लोकल गुजराती पेपर है सिर्फ उसके अन्दर एडवरटाइज कराया और जिसका कि नतीजा यह निकला कि जितने आदमी उनको चाहिये थे उससे भी ज्यादा तादाद में उम्मीदवार मेरे पास आ गये। मैं उन लोगों को लेकर दफ्तर के अधिकारियों के पास गया। कई आदमियों को इंटरव्यू किया गया और कइयों को नौकरियां भी मिलीं मगर ज्यादातर होता क्या है। उसके अन्दर एक इंटरव्यू होता है, फिर दूसरा इंटरव्यू होता है और महीनों यूं ही बीत जाते हैं और उनको कोई जवाब नहीं मिलता है। हम जब उनको साथ में ले जाकर आगे खड़ा करते हैं और जब हम मामले को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे ऊपर दिनदिन चिट्ठियां आने लगती हैं और हमको यह जवाब मिल जाता है कि यह उम्मीदवार सूटेबुल नहीं हैं और वह उम्मीदवार सूटेबुल नहीं थे। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी और क्या सूटेबिलिटी चाहिए? अब असल में बात यह है कि कैंडीडेट्स भी मिलते हैं जितने चाहियें और सूटेबल भी मिलते हैं मगर जो उनको काम पर रखने वाले आदमी हैं उनमें उनको नौकरी पर रखने की भावना नहीं है। वे दरअसल उनको काम पर रखना नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि इसके लिये कुछ प्रबन्ध होना चाहिये और उनको आवश्यक हिदायतें देनी चाहियें।

सरकार की हरिजनों और आदिवासियों के वास्ते हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने की जो स्कीम है वह स्वागत योग्य है और निश्चय ही वह एक अच्छी स्कीम है। हमारे यहां आदिवासियों और हरिजनों की कितनी ऐसी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं। खास तौर पर बलसर, पारडी और चिखली ताल्लुके में हमारी क्या हालत होती है। वहां पर जो हमारे कार्यकर्त्ता लोग हैं उनको कहते हैं कि आप एक हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी खड़ी कर लें और कहीं कहीं उस सोसाइटी के अन्दर ५० या १००, १०० मेम्बर्स हो जाते हैं लेकिन हमारे देखने में आता है कि उन हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटीज़ को बने, ५, ५ साल हो जाते हैं लेकिन पांच साल बीत जाने पर भी गवर्नमेंट से उनको जमीन ऐक्वायर करवा कर मिलती नहीं है। अब हमारे जो उन सोसाइटीज़ में मेम्बर्स होते हैं उनको मेम्बर बने १, २ और ३, ३ साल हो जाते हैं लेकिन सरकार से जमीन सोसाइटी को नहीं मिलती है और नतीजा यह निकलता है कि लोग कहते हैं कि भाई आप लोग सोसाइटी में रह कर कुछ नहीं कर पाये, हमारा पैसा वापिस दे दो और वे लोग मेम्बरी में से निकल जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार की आदिवासियों और हरिजनों के वास्ते जो स्कीमें हैं वे निश्चय ही अच्छी हैं मगर मुझे खेद है के साथ कहना पड़ता है कि उनके अमल में लाने का भार जो राज्य सरकारों पर पड़ता है वह एम्पलीमेंटेशन जिस तरह से होना चाहिये वह नहीं होता है। जो भी वक्ता यहां इस रिपोर्ट पर बोले हैं उन सब की स्पीचों से एक ही आवाज निकलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें तो अच्छी हैं मगर राज्यों के अन्दर उन पर ठीक से अमल नहीं होता हैं। अगर उन पर पूरी तौर से अमल हो तो मेरा ख्याल है कि यह जो हमारी केन्द्रीय सरकार की हरिजनों और आदिवासियों के उद्धार करने और उनकी हर दिशा में उन्नति करने की जो मंशा है वह पूरी हो सकेगी। अगर राज्य सरकारें बराबर उसमें रस लेकर सहयोग करें और उन पर ठीक से अमल करना प्रारम्भ कर दें तो मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि उसका शुभ परिणाम निकलेगा।

†**श्री रा० चं० माझी** : मैंने इस प्रतिवेदन का बड़ी अच्छी तरह से अध्ययन किया है। आयुक्त ने इसमें बहुत अच्छी सिफारिशें की हैं तथा कुछ बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं। उनका कहना है कि जिन योजनाओं को हमने स्वीकार कर लिया है उनको केन्द्रीय सरकार तथा राज्यीय सरकारें गम्भीरता से नहीं ले रही हैं।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि सारे देश में ४३ आदिम जाति ब्लाक खोले जायें। ये ब्लाक उन्हीं स्थानों पर खोले जायें जहां कि इनकी जनसंख्या ८० प्रतिशत हो लेकिन हम देखते हैं कि अधिकांशतः ये ब्लाक ऐसे स्थानों पर न खोल कर ऐसे स्थानों पर खोले गये हैं जहां कि इन जातियों की संख्या कम है। अतः इनके लिये जो राशि निर्धारित की गई है उस राशि को सरकार वापस ले ले।

राष्ट्रपति के आदेश में कुछ स्थानों को आदिम जाति के क्षेत्र घोषित करने की ओर ध्यान दिलाया गया है लेकिन इस आदेश का भी कहीं-कहीं पालन नहीं किया गया है।

बहुप्रयोजनीय योजनाओं को क्रियान्वित करने में बहुत सी कमियां हैं। कुछ राशि स्वेच्छा से कार्य करने वाले संगठनों को दी गई है लेकिन क्यों और किस काम के लिये यह राशि दी गई है हम यह नहीं जानते। यहां तक कि १९५६ से अब तक उन्होंने अपने आय-व्ययक के बारे में कोई विवरण भी नहीं दिया है।

इन जातियों के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिये भी काफ़ी राशि निर्धारित की जाती है; लेकिन मेरा निवेदन है कि इस राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। वांछित व्यक्तियों को यह राशि समय पर नहीं दी जाती क्योंकि उन्हें यह धन देर से मिलता है। अतः कभी-कभी इन विद्यार्थियों को धनाभाव के कारण अपना स्कूल तक छोड़ना पड़ता है।

सरकार ने आदिम जातियों के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अलग से निर्धारित किया है। इसके निर्धारण में सरकार ने समानता से कार्य नहीं किया है। उड़ीसा राज्य में भी श्रमिकों के वेतन एक समान नहीं हैं तथा वहां आदिम जाति एवं आदिम श्रमिकों की भलाई के लिये अधिक ध्यान नहीं दिया गया है।

यह देखने में आया है कि आदिम जाति के व्यक्तियों को भूमि नहीं दी जाती जबकि गैर आदिम जाति के लोगों को यह भूमि दी जा रही है। नदी घाटी तथा अन्य परियोजनाओं के कारण हुए विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने के बारे में भी अच्छे ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है। न तो

---

†[अंग्रेजी में]

[श्री रा० नं० माझी]

उन्हें भूमि ही दी गई है और न उनकी भूमि के लिये उन्हें क्षतिपूर्ति ही दी गई है। कारखानों में भी उन्हें काम नहीं दिलाया गया है। आज अधिकांशतः व्यक्ति बेघरबार होकर इधर-उधर घूम रहे हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार उन्हें बसाने के लिये यथाशीघ्र प्रयत्न करे।

आदिम जाति के व्यक्तियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने के लिये भी सरकार ने कुछ नहीं किया है। उनकी शिक्षा के लिये आज तक किसी भी लिपि का आविष्कार नहीं किया गया है। हालांकि प्रधान मन्त्री ने भी इस ओर संकेत किया है।

मेरा एक निवेदन यह भी है कि अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों को सारे भारत में एक समान रूप से ही देखा जाये। राज्यीय स्तर पर उनमें विभिन्नता न की जाये। अतः सरकार को चाहिये कि वह इन जातियों के व्यक्तियों को उन सभी एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों में नाम लिखने की अनुमति मिलनी चाहिये जहां कि वे रह रहे हैं भले ही वे दूसरे राज्य के निवासी हों।

†**श्री रामधनी दास** : यह एक अकाट्य सत्य है कि हरिजनों में आपस में भी बड़ी असमानतायें हैं। शिक्षा, राजनीति और आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में हरिजनों की कुछ जातियां आगे बढ़ी हुई हैं और कुछ जातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं। हरिजनों में भी डोम वगैरह जातियां बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। उन जातियों के विद्यार्थियों की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है। क्यों ?

जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यन्त पिछड़े हुए होने के कारण और अपनी गरीबी के कारण वे, शिक्षा की सुविधाओं का लाभ उठा ही नहीं पाते। जब तक आरम्भ में उनको काफी अच्छी छात्रवृत्तियां कम से कम २५ रुपये प्रतिमाह तक देने की व्यवस्था नहीं की जायेगी और सरकार उनके लिये छात्रावासों की व्यवस्था नहीं करेगी, तब तक ऐसे विद्यार्थियों की संख्या नहीं बढ़ पायेगी।

हरिजनों की इन पिछड़ी हुई जातियों को सरकारी सहायता इस प्रकार दी जानी चाहिये कि वे स्वयं अपने लिये मकान बना सकें। इसके लिये उनको १५००-१६०० रुपयों की सहायता दी जानी चाहिये।

वे लोग अपने कष्टों के निवारण के लिये संगठित नहीं हो पाते। इसलिये उनको विधानमण्डलों तो क्या स्थानीय निकायों में भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। सरकार को यह राह नहीं देखनी चाहिये कि उनकी ओर से कोई आवाज उठे। सरकार अन्य हरिजनों के लिये माध्यमिक शिक्षा तक का प्रबन्ध करती है। क्या इन पिछड़े हुए हरिजनों के लिये वह प्राथमिक शिक्षा और मकानों की व्यवस्था नहीं कर सकती ? सरकार को इन पिछड़े हुए हरिजनों की दशा सुधारने के उपायों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री विश्वनाथ प्रसाद (आज़मगढ़--रक्षित--अनुसूचित जातियां) : जनाब चेयरमैन साहब, आज शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस चल रही है। यह समस्या बहुत समय से है और हिन्दुस्तान में बड़े-बड़े विचारकों ने, सुधारकों ने, जिन्होंने समाज के सुधार के लिये तरह-तरह के विचार पेश किये हैं, इसको हल करने के उपाय सुझाये हैं। महर्षि दयानन्द जी ने इस पर प्रकाश डाला और आर्य समाज के नाम की संस्था को चलाया जिसकी वजह से बहुत कुछ सुधार भी हुआ। लेकिन उसके प्रयत्नों के बावजूद भी यह समस्या हल नहीं हुई। उसके बाद गांधीजी फील्ड में आए और उन्होंने इसको कांग्रेस का प्रोग्राम बनाया। इसके बाद डा० अम्बेदकर ने इस प्रश्न को उठाया और यह समस्या देश के सामने विशेष रूप से उपस्थित हुई। यह सब कुछ होते हुए भी आज हम देखते

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं कि यह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम देखते हैं कि गांवों में या शहरों में कहीं भी इस समस्या में कोई सुधार नहीं हुआ है ।

हमने एक एक्ट पास किया, इसी पार्लियामेंट ने पास किया, इस अनटचेबिलिटी (अस्पृश्यता) के बारे में । लेकिन उस एक्ट से भी समाज को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और यह अनटचेबिलिटी बहुत से स्थानों पर अभी तक भी ज्यों की त्यों बनी हुई है । हमारे बहुत से मित्रों ने कहा है कि हमने इस एक्ट का अच्छी तरह से प्रयोग नहीं किया है, हमने जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की है । लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं कि डंडे के बल से या कोई एक्ट पास कर देने मात्र से ही कोई विशेष फायदा हो सकता है । इससे लाभ तभी हो सकता है जब हम पब्लिक ओपिनियन इसके फेवर में क्रियेट करें और उसको क्रियेट करने के लिये केवल एक्ट बना देना ही काफी नहीं है। हमें चाहिये कि हम तरह-तरह की किताबें छपवायें और उनमें इस बुराई को दूर करने के उपाय बतायें, जो बुराइयां हैं, उनका समावेश उनमें करें और उन किताबों को गांव गांव में, घर-घर में बांटें, उनका प्रचार करें। जब ऐसा हुआ तब जाकर अनटचेबिलिटी दूर हो सकती है, वर्ना नहीं । आज भी गांव में जाने पर पता चलता है कि अनटचेबिलिटी ज्यों की त्यों है, कुओं पर से पानी लोग नहीं ले सकते हैं और उनके गांवों में मकान अलग से बसे हुए हैं । आज भी कुछ स्टेटों में ऐसा है कि हरिजन छात्रों के लिये जो बोर्डिंग हैं वह अलग हैं । इस प्रकार उनको अलग रख कर उनकी अलग बस्ती बसाना ठीक नहीं है। इससे अनटचेबिलिटी नहीं मिट सकती ।

दूसरी चीज़ यह है कि कालिजों में और गवर्नमेंट आफिज़ों तक में अनटचेबिलिटी ज्यों की त्यों है । लिखने पढ़ने पर कुछ केसेज़ गवर्नमेंट के सामने आये लेकिन उनमें कोई कड़ा ऐक्शन नहीं लिया गया ।

आज हमारे सामने जो प्रश्न है वह गाँवों का है । गाँवों में बहुत से ऐसे हरिजन बसते हैं जिन के पास जमीन नहीं है । बहुत से भूमिहीन मजदूर हैं जिन के पास जमीन नहीं है । मजदूरी भी इतनी कम कि उस में उन का जीना मुश्किल है । हाउस को यह सुन कर ताज्जुब होगा कि आज भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में दो आने रोज मजदूरी है। इतनी मजदूरी में किस तरह किसी आदमी का काम चल सकता है । जब अकाल आता है तो इन लोगों को चीनी निकालने के बाद जो शीरा बचता है वह तक नहीं मिलता । आज भी उन पर भूतपूर्व जमींदारों का अत्याचार ज्यों का त्यों है । आज भी बेगार जारी है । जमींदारी टूटने से इतना जरूर हुआ है कि उन को अपनी झोंपड़ियाँ बनाने की जमीन मिल गई है । इस से उन को यह फायदा हुआ है कि जहां वह पहले बेगार करते थे उस से बच कर वह शहर में जा कर कुछ काम कर लेते हैं ।

जहाँ तक उन के रहने के स्थान का सम्बन्ध है, वह आज भी गन्दा है और आज भी उन के पास झोपड़ियाँ हैं । किसी किसी गाँव में ऐसा है कि जहां उन के घर बने हुए हैं उन के चारों तरफ एक्स लैंडलार्ड्स (पहले के भूस्वामी) की जमीनें हैं और उन को मिट्टी लेने की और दूसरी तरह की दिक्कतें उठानी पड़ती हैं । मैं चाहता हूं कि तीसरी योजना में जो प्लान बने उस में इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

मैं चाहता हूं कि इन लोगों के लिये गाँवों में छोटे छोटे उद्योग खोले जायें और उन को इन उद्योगों के लिये रुपया दिया जाय तो उन को बहुत फायदा हो सकता है ।

अब मैं सरविसेज़ के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । स्वराज्य होने के बाद से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब वालों को तीसरी और चौथी श्रेणी की नौकरियों में तो स्थान मिलने लगा

[श्री विश्वनाथ प्रसाद]

लेकिन आई० ए० एस० तथा पी० सी० एस० जैसी ऊंची नौकरियों के लिये उन को आज भी अन-सूटिबल (अनुपयुक्त) कह कर नहीं लिया जाता ।

अभी हाल में होम मिनिस्ट्री में हिन्दी टीचर्स का सिलेक्शन था । पता नहीं कि वह लिस्ट फ़ाइनेलाइज़ हुई या नहीं और पता नहीं चलता कि उस में कोई शिड्यूल्ड कास्ट के लोग लिये गये या नहीं । पूछने पर भी इस का पता नहीं लगता कि कोई सूटेबिल केंडीडेट मिला या नहीं और मिला तो कैसा मिला । तो यह सब हमारी समस्यायें हैं ।

आज देश में सब से बड़ी समस्या यह है कि गाँवों में मर्डर और खून खराबियां बहुत हो रही हैं । हरिजनों के पास मुकदमों की पैरवी करने के लिये कचहरियों में जाने को पैसा नहीं है । इसलिये उन को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है । अगर वह वकील के पास जाते हैं तो वह पैसा माँगता है जिस को वह दे नहीं सकते । दूसरा कोई रास्ता नहीं है । मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट हर जिले में एक एक वकील नियुक्त करे जोकि हरिजनों को उन के मामलों में सहायता दे ।

दूसरी बात मैं शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । इस दिशा में केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से काफी स्कालरशिप दिये गये हैं और दिये जा रहे हैं मैट्रिकुलेशन से ले कर ऊपर के क्लासेज तक के लिये । लेकिन उन का पैसा वक्त पर नहीं मिल पाता । वह पैसा विद्यार्थियों को जनवरी और फरवरी में मिलता है जिस की वजह से वह किताबें आदि नहीं खरीद सकते और पढ़ नहीं पाते ।

गवर्नमेंट सरविस में जहां शिड्यूल्ड कास्ट वालों को लिया जाता है, वहाँ भी उन को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । कहीं कहीं तो उन को अपनी जाति छिपा कर रहना होता है क्योंकि अगर वह खुल कर रहें तो उन की बेइज्जती की जाती है ।

इस अवस्था में आज यह सोचना बहुत आवश्यक है कि किस तरह से हरिजनों का सुधार हो और किस तरह से उन की समस्याओं का हल हो । इस सम्बन्ध में मेरी तो मिनिस्टर साहब से यह प्रार्थना है कि होम मिनिस्ट्री में आप एक विभाग खोलें--मैं नहीं चाहता कि आप इस के लिये अलग मिनिस्टर रखें--जिस का काम यह हो कि हरिजनों के सब मामलों को नीचे से ऊपर तक देखे, उन की सरविस के बारे में देखे, और अगर कोई छूतछात के केसेज़ हों तो उन को देखे । मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के अन्दर एक मैशिनरी हो जोकि हरिजनों की समस्याओं के बारे में देखे और उन के रहन सहन आदि के बारे में काम करे । वह यह भी देखे कि गाँवों में हरिजनों के बसने का ठीक से इंतजाम हो ।

आज भी हरिजनों की हालत बहुत बुरी है । कहने को म्युनिसिपैल्टियाँ और कारपोरेशन काम करते हैं लेकिन आप जा कर हरिजनों की बस्तियों को देखिये जहां भंगी या चमार बसते हैं या और छोटी जाति के लोग बसते हैं, वह बस्तियाँ कितनी गन्दी हैं । न वहाँ नालियाँ हैं न नल हैं । इन सब चीजों को देख कर आज भी दिमाग मे यह चीज आती है कि इस देश का भला कैसे होगा । अगर समाज का एक अंग सड़ा हुआ है तो उस से देश को हानि पहुंचेगी । आज इस अंग को निगलेक्ट (उपेक्षा) किया जा रहा है और इसीलिये इस वर्ग के लोगों को परेशानी होती है ।

†**श्री बै० च० मलिक** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन स पता चलता है कि द्वितीय योजना के पहले तीन वर्ष में इन जातियों के कल्याण पर केवल ३२.२० करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, जबकि व्यवस्था ९१ करोड़ रुपयों की थी । प्रक्रिया को इतना

---

†मूल अंग्रेजी में

सरल बना देने के बाद भी यह हाल है। आयुक्त ने ठीक ही कहा है कि प्रगति बड़ी धीमी है और विभिन्न प्रशासकीय विभागों में आपस में कोई सहयोजना नहीं है।

आयुक्त ने कहा है कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करतीं। केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों पर इस के लिये कोई दबाव नहीं डालती। आयुक्त तो सिफारिशें करने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन उन सिफारिशों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। इस दिखावे से क्या फायदा ?

दूसरी चीज यह समझ में नहीं आती कि एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। अनौपचारिक सलाहकार समिति में इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इसका निर्णय भी किया था। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी इस का जिक्र किया था। फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस में शीघ्रता न होने पर हमें अगले आम चुनाव की तैयारी करने में बड़ी कठिनाई पड़ेगी।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के साथ उड़ीसा में बड़ा अन्याय हुआ है। उड़ीसा विधान सभा की १४० सीटों में से अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के सदस्यों की संख्या ५४ है, फिर भी उन में से किसी को मंत्री या उपमंत्री नहीं बनाया गया है। केन्द्र ने इस की ओर से आँखें क्यों मूद ली हैं। देश में स्वस्थ लोकतंत्रीय भावना के विकास के लिये यह बड़ा बाधक बनेगा।

लोक सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों के बहुत ही कम सदस्य रखे जाते हैं। सभी राज्यों में उन को सभी लोक सेवा आयोगों में स्थान दिया जाना चाहिये। तभी इन जातियों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी।

बड़े खेद का विषय है कि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के बहाने १९५९-६० में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये निर्धारित, विदेशों में अध्ययन के लिये जाने दी जाने वाली १३ छात्रवृत्तियों का कोटा निलम्बित कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार की अन्य छात्रवृत्तियों को भी इसी आधार पर निलम्बित किया गया है ?

उड़ीसा जैसे पिछड़े हुए राज्य को अनुसूचित जातियों के बच्चों के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता बड़ी अपर्याप्त है। उड़ीसा सरकार केवल उन छात्रो को छात्रवृत्तियां देती है जिन के नम्बर ४० प्रतिशत से अधिक आये हों। इस का नतीजा यह होता है कि बहुत से विद्यार्थियों को पढाई छोड़ देनी पड़ती है। मैट्रिक से पहले के सभी ऐसे विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये। इस के लिये कोई परीक्षा नहीं रखी जानी चाहिये। केन्द्र को इसीलिये अपनी वित्तीय सहायता की राशि में ५० से ७५ प्रतिशत तक की वृद्धि करनी चाहिये।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोगों के मकानों की दशा बड़ी दयनीय है। ये तभी अपने मकान बना सकेंगे, जब उन की आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा कर १,५०० रुपये तक कर दी जाये। मकान बनाने के इच्छुक ऐसे लोगों को बिना ब्याज के सरकारी ऋण दिये जाने चाहियें।

हरिजन बस्तियों के निर्माण म बड़ी अनियमिततायें हो रही हैं। उड़ीसा मे तीन साल पहले शामनगर में १० हरिजन परिवारों के लिये मकान बनाने के लिये राशि मंजूर की गई थी, लेकिन अभी तक उन का निर्माण नहीं हो पाया है। इस काम के लिये जो इमारती लकड़ी खरीदी गई थी, उस में अब कीड़े लग गये हैं।

[श्री बैं० च० मलिक]

देश में अभी भी अस्पृश्यता चल रही है। नाई और धोबी हरिजनों के लिये काम करने को तैयार नहीं होते। अस्पृश्यता तभी दूर हो सकेगी, जब सभी हरिजन शिक्षित होंगे और उन की आर्थिक दशा में काफी सुधार हो जायेगा। मेरा सुझाव है कि इस के लिये हर सब-डिवीजन में एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। उस में विधान सभा और संसद् के सदस्यों के अतिरिक्त सब-डिवीजन के स्तर के अधिकारियों के प्रतिनिधि रहें। ये समितियाँ इस समस्या पर विचार करें। उड़ीसा में ऐसी एक समिति बनाई गई है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : यह प्रतिवेदन आज से ग्यारह महीने पहले सभा को दिया गया था। अब इस पर बहस करने से क्या लाभ? इस के साथ वह विवरण भी नहीं है जो गृह-कार्य मंत्री ने रखा था और जिस में बताया गया था कि इस प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है। सरकार को इस में इतना विलम्ब नहीं करना चाहिये।

आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में स्वीकार किया है कि यह प्रतिवेदन उतना विस्तृत और व्यापक नहीं जितना कि होना चाहिये था। आयुक्त ने कहा है कि कई राज्य-सरकारों के पास इस सम्बन्ध में पूरी-पूरी जानकारी तक नहीं है। फिर समझ में नहीं आता कि आयुक्त इस क्षेत्र में राज्य-सरकारों की कार्यवाही से संतुष्ट कैसे हो गये। मेरा तो अनुभव यह है कि राज्य सरकारों को अनु-सूचित आदिम जातियों से कोई सहानुभूति नहीं है। वे सिर्फ रुपया खर्च करने तक ही अपना कर्तव्य मानती हैं। प्रतिवेदन देखने से एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। इन जातियों के कल्याण के लिये साल भर के लिये जितनी राशि मंजूर की गई थी, उस में से साल के पहले नौ महीनों में कोई व्यय नहीं किया गया, लेकिन अन्तिम तीन महीनों में पूरी राशि खर्च कर दी गई। इस से पता चलता है कि राज्य-सरकारें इन लोगों की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देतीं। अन्तिम तीन महीनों में अनाप-शनाप खर्च कर दिया जाता है। मेरा तो ख्याल है कि सारी राशि ठेकेदारों और ग़बन करने वालों की जेबों में पहुंचती हैं। केन्द्रीय सरकार को राज्य-सरकारों से हर तीसरे महीने विवरण जुटाने को कहना चाहिये।

राज्य-सरकारों की उपेक्षा को देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रत्येक राज्य-सरकार के लिये एक उपआयुक्त नियुक्त किया जाना चाहिये, जो इन जातियों के कल्याण के लिये काम करे। अभी तो एक उप-आयुक्त को दो-तीन राज्यों का काम देखना पड़ता है। और प्रत्येक उप-आयुक्त के नीचे दो-तीन अधिकारी रहने चाहियें।

प्रतिवेदन से पता चलता है कि उप-आयुक्तों को विस्थापितों और निराश्रितों के शिविरों की देखभाल का काम भी सौंप दिया गया है। इस संगठन में पहले ही काम का दबाव काफी है। इसलिये उन्हें इस अतिरिक्त दायित्व से मुक्त किया जाना चाहिये।

सभा में कई बार कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की एक एकीकृत सूची रहनी चाहिये। लेकिन इसे व्यावहारिक नहीं माना गया। नतीजा यह है कि कई कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। काम दिलाऊ दफ्तरों में केवल राज्य या क्षेत्र विशेष के लोग ही अपने नाम पंजीयित करा सकते हैं। नतीजा यह होता है कि मेरे समुदाय के लोग जब आसाम के चाय बागानों में काम करने जाते हैं तो वहां उनको पिछड़े वर्ग

---

†मूल अंग्रेज़ी में

में रखा जाता है, क्योंकि उनको केवल बिहार, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में अनुसूचित जातियों में माना गया है। इसलिये आसाम में उनको वे सुविधायें नहीं दी जातीं।

प्रतिवेदन में एक ऐसे धोबी का उल्लेख है जिसे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का माना गया था, लेकिन जब वह रोजगार की तलाश में बम्बई गया तो वहां उसे अनुसूचित जाति का नहीं माना गया। इसीलिये एकीकृत सूची तैयार करना अत्यावश्यक है।

हमारे देश में औद्योगिक परियोजनाओं और बांधों के निर्माण के फलस्वरूप हजारों परिवार विस्थापित बन गये हैं। उनको बसाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि पश्चिमी बंगाल में दुर्गापुर इस्पात परियोजना के फलस्वरूप १,००२ एकड़ भूमि पर से ५०१ अनुसूचित जाति परिवारों को हट जाना पड़ा था। और इन विस्थापित परिवारों को दूसरी जगह ४२ एकड़ भूमि दी गई है। इसी तरह ८० एकड़ भूमि से हटाये जाने वाले ८४ आदिम जाति परिवारों में से ८० को कुल ७ एकड़ भूमि दूसरी जगह दी गई है। ऐसा क्यों?

सभा में हमेशा यही उत्तर दिया जाता है कि उपयुक्त उम्मीदवार न मिलने के कारण रक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के उम्मीदवारों को नहीं रखा जा सका। प्रथम और द्वितीय श्रेणियों के पदों के लिये तो यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के लिये ग़लत है। आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में इस का एक उदाहरण भी दिया है उड़ीसा का। असल चीज़ यह है कि राज्य-सरकारों और नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं कि अनुसूचित जातियों के लोगों को आगे बढ़ाया जाये।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कल्याण के लिये हमारे देश में कई निजी संस्थायें भी काम कर रही हैं। उन संस्थाओं को जो राशियां सहायक अनुदानों के रूप में दी जाती हैं, उनकी उचित रूप से जांच-पड़ताल नहीं की जाती। ये संस्थायें अपने लेखे ठीक प्रकार से नहीं रखतीं। कुछ उदाहरण देखिये।

उत्तर प्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को १९५७–५८ में २,२१,००० रुपये का सहायक अनुदान दिया गया था। लेकिन उसका कोई लेखा अभी तक नहीं मिला है। 'आंध्र प्रदेश आदिम जाति सेवक संघ' का भी यही हाल है। इसकी जांच-पड़ताल होनी चाहिये। ऐसी संस्थाओं को भविष्य में सहायक-अनुदान नहीं दिये जाने चाहियें।

अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये। राज्यों के पंचायत विधेयकों में इसकी व्यवस्था नहीं की जा रही है। यह बड़ा अन्याय है। माननीय मंत्री को इसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री राम शरण (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मैं सब से पहले आयुक्त महोदय को बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी लगन और तत्परता के साथ काम किया और उसी तत्परता और लगन के साथ इस रिपोर्ट को लिखा है। उनकी रिपोर्ट से स्पष्टवादिता भी झलकती है जैसा मैं आगे चल कर उद्धरण दे कर बताऊंगा कि एक तरफ तो इतनी लगन और तत्परता से काम हुआ है और दूसरी तरफ राज्य सरकारों और दूसरे सरकारी महकमों का जहां तक सम्बन्ध है, न तो कार्य के बारे में और न ही जब आंकड़े मालूम किए जाते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी दी गई है। अक्सर इस रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि "अप्राप्य" या "नाट अवलेबल" है। जब कभी भी राज्य सरकारों से आंकड़े मांगे गये हैं, तो उन्होंने उनको देने में असमर्थता प्रकट की है। अगर

[श्री राम शरण]

मोटी मोटी दो एक बातें ही ले लें तो उन से ही यह चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। भूमिहीन जो हरिजन हैं उनमें कितनी ज़मीन बांटी गई है और नौकरियों में जो उनके लिए स्थान सुरक्षित हैं, उनको उनमें से कितनी नौकरियां दी गई हैं या देने का प्रयत्न किया गया है, ये दो बातें अगर मालूम हो जाएं तो लोगों में संतोष की भावना पैदा हो और जो कार्य किया जा रहा है उसके प्रति वे आभार प्रकट करें। लेकिन दोनों ही बातों का कोई परिचय नहीं मिलता है।

साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि सैंट्रल गवर्नमैंट ने जब से दो तीन साल पहले से वेज़ एंड मीँस एडवांस देना शुरू किया है तब से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। पहले यह होता था कि मार्च के महीने में जितना भी खर्चा है उसको खत्म करने का प्रयत्न किया जाता था लेकिन अब यह प्रथा हो गई है कि तीन चौथाई जो खर्चा है किसी मद्द का वह नौ मासिक इंस्टालमेंट्स (किश्तों) के द्वारा दिया जा सकेगा और बाद को नौ इंस्टालमेंट्स जब पूरी हो जाएंगी तो देखा जाएगा कि एक चौथाई किस प्रकार से और दिया जाए। लेकिन इतना होने पर भी देखा जाता है कि बहुत सारी मद्दों में जो खर्चा मंजूर हुआ है वह पहली तीन जो शशमाहियां हैं उनमें खर्च नहीं होता है और आग चल कर चौथी शशमाही में उसको खर्च करने का प्रयत्न किया जाता है। कम्युनिकेशन की मद्द में ६० लाख रुपया इसमें मंजूर किया गया दूसरी योजना में। लेकिन पहले तीन वर्षों में कुछ भी खर्च नहीं किया गया और अब प्रयत्न किया जाएगा या किया जा रहा होगा कि कुल रुपया इन दो वर्षों में खत्म किया जाए। एक तरफ देखने में आता है कि अव्वल तो इन लोगों के वास्ते जो रूपया मंजूर किया जाता है वह अधिक नहीं होता है जैसा कि अभी वाल्मीकी जी कह रहे थे कि तीसरी योजना में सौ करोड़ का प्रबन्ध है जो बहुत कम है, लेकिन जो मंजूर किया भी जाता है वह भी सारा खर्च नहीं होता है और न ही ठीक तरह से खर्च होता है यदि वह सारा खर्च हो जाए और उसका सदुपयोग हो जाए तो हालत में काफी सुधार हो सकता है।

नौकरियों की तरफ जब देखा जाता है तो पता चलता है कि जैसा कि आयुक्त महोदय ने लिखा है कि क्लास १ और क्लास २ की नौकरियों का जहां तक सम्बन्ध है उनमें इनका रिप्रिजेंटेशन नैगलेजिबल है, न के बराबर है। जहां तक आगे भविष्य का सम्बन्ध है, क्लास १ और क्लास २ में इनके रिप्रिजेंटेशन का सम्बन्ध है, उसके बारे में भी आशा नहीं बंधती है और कहा जाता है कि प्रगति असन्तोषजनक है। क्लास ३ में जो प्रतिशत होना चाहिये, वह भी नहीं है, उसमें भी उनको पर्याप्त संख्या में नहीं लिया गया है। जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध है, उनको तो क्लास ४ की नौकरियों में भी बहुत कम हो सका है।

एक तरफ तो उनको तीसर और चौथे दर्जे की भी नौकरियां नहीं मिलतीं। दूसरी तरफ यदि हम एम्लपायमेंट एक्सचेंज़ेज से जो आंकड़े मिलते हैं उनको देखें तो उनसे पता चलता है कि सन् १९५८ के अन्त में एम्पलायमेंट एक्स्चेंजेज़ में १,२९,५९९ लोग ऐसे थे जो बेकार थे और जो नौकरी चाहते थे, जिनमें से १४,६७८ मैंट्रिकुलेट और १,१६४ ग्रेजुएट थे। यह संख्या अनुसूचित जातियों के बारे में है और जहां तक आदिवासियों का सवाल है.....

†**अध्यक्ष महोदय:** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

अब हम श्री वाजपेयी के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

नागा पहाड़ियां और तुएनसांग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने १ अगस्त को नागा हिल्स तथा तुएनसांग एरिया के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया है उस पर विचार किया जाय।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है। प्रक्रिया नियमावली के नियम १८६ में व्यवस्था है कि ऐसा कोई प्रस्ताव तभी ग्राह्य होगा जबकि उसमें कोई एक ही निश्चित प्रश्न सारवान् रूप से उठाया जाय; और साथ ही उसमें ऐसे विषय की पूर्वाशा न की जाय जिस पर उसी सत्र में चर्चा होने की सम्भावना हो। यह प्रस्ताव इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करता। प्रधान मंत्री ने घोषणा कर दी है कि नागा प्रतिनिधियों के साथ हुए समझौते को संविधान के संशोधन के रूप में रखा जायेगा और तब सभा को उस पर पूरी चर्चा करने का अवसर मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, यह प्रस्ताव संविधान से सीधा सम्बन्धित है। संविधान से सम्बन्धित विषयों पर यह सभा उसी दशा में अपना कोई निर्णय दे सकती है जब कुल सदस्य-संख्या का बहुमत पक्ष में हो, इत्यादि। अगर हम आज ही इस प्रश्न पर कोई निर्णय पक्ष या विपक्ष में कर लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि संसद् संविधान से सम्बद्ध विषय पर उसी संविधान में दिये गये प्रतिबन्धों का पालन न करते हुए वचनबद्ध हो जायेगी। इन परिस्थितियों में इसे नियम-बाह्य घोषित किया जाना चाहिये।

†**श्री वाजपेयी** : आपने इस प्रस्ताव को ग्राह्य मान लिया है और प्रधान मंत्री भी इसकी चर्चा के लिये सहमत हैं। मैं समझता हूं कि सरकार इस सत्र में संशोधन विधेयक नहीं रखेगी और लाये भी तो मेरा ख्याल है कि इस प्रक्रिया नियम के साथ इतनी खींचतान नहीं की जानी चाहिये कि जो विषय बाद में आने वाला हो उसकी चर्चा की अनुमति ही नहीं दी जायेगी।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह सही है कि मैं इस विषय के लिये तैयार था, मैं अभी नहीं कह सकता कि इस सैशन में संशोधन विधेयक रखा जा सकेगा, या नहीं। मुझे इस चर्चा से कोई एतराज नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वयं प्रधान मंत्री ने बताया है कि अभी संशोधन विधेयक प्रस्तुत होने की कोई आशा नहीं है। इसलिये यह प्रस्ताव उसकी पूर्वाशा नहीं करता। और यह भी है कि मैं इस नियम को इतनी कड़ाई के साथ लागू नहीं करना चाहता। फिर यह प्रस्ताव पहले ही ग्रहीत हो चुका है। इसके अलावा, इस प्रस्ताव द्वारा सभा को राय देने के लिये नहीं कहा जा रहा है। इसलिये यह प्रस्ताव नियमानुकूल है।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने १ अगस्त को जो वक्तव्य दिया उस वक्तव्य के द्वारा एक पृथक नागा राज्य स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की गयी है। इस राज्य का नाम नागालैंड होगा। इसकी अलग विधान सभा होगी, मंत्रिमंडल होगा, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसका अपना अलग संविधान होगा।

मुझे खेद है, प्रधान मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया सदन के सामने उसमें इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया कि इस नागालैंड का अपना अलग संविधान होगा। यह बात समाचारपत्रों द्वारा हमें पता हुई और बाद में इसकी पुष्टि भी की गयी। मैं नहीं समझता कि संसद् को इस

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

बात को न बताने का कारण क्या था। लेकिन एक अलग राज्य बने और उसका अपना अलग संविधान हो, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर इस सदन को और देश को गम्भीरता के साथ विचार करना चाहिए।

जो नया नागा राज्य बनेगा, इसकी आबादी मुश्किल से चार लाख के करीब होगी। इसकी आमदनी भी सालाना पांच लाख से अधिक नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, आपने शायद ही कभी ऐसा सुना हो कि साढ़े तीन लाख, चार लाख की आबादी और पांच लाख वार्षिक आमदनी का एक अलग राज्य बनाया जाये। इस प्रकार का राज्य बनाना, मैं समझता हूं, इनकंसीवेबिल है, हास्यास्पद है। मगर जो चीज नहीं होनी चाहिए और जो कहीं हुई नहीं है, वह हमारे देश में हो रही है, क्योंकि शायद सरकार न तो प्रेम से समझा-बुझा कर लोगों को सीधी राह पर ला सकती है और न दंड के द्वारा, भय के द्वारा, अगर किसी वर्ग या समूह में विकार पैदा हो गया है तो उसका परिष्कार कर सकती है।

और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि नागा राज्य भारत के सीमान्त पर बनेगा। एक ओर चीन है, पूर्वी पाकिस्तान है, बर्मा की सीमा लगी हुई है। यह एक ऐसा छोटा सा राज्य होगा जो कि आर्थिक दृष्टि से केन्द्र पर हमेशा के लिए बोझा बन जायेगा और जो सामरिक दृष्टि से भी देश की सुरक्षा के मार्ग में बाधक बनेगा।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस सम्बन्ध में अपना जो मंतव्य प्रकट किया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है कि सीमा पर स्थित राज्य अपेक्षाकृत बड़े हों और उनके आर्थिक संसाधन पर्याप्त हों। उनमें स्थायित्व और सुचारू प्रशासन हो, जिससे कि आपातकाल में वे परिस्थिति को संभाल सकें। सुरक्षा का काफी व्यय राज्य को ही उठाना चाहिये। लेकिन नागाओं का एक अलग राज्य बनाने का फैसला कर लिया गया। मैं समझता हूं कि असम के इन आदिवासी क्षेत्रों में केवल नागा लोग ही नहीं रहते और भी आदिवासी जातियां रहती हैं मगर राज्य केवल नागाओं के लिए बनाया जा रहा है। इसका असर दूसरे आदिवासियों पर क्या होगा? प्रारम्भ से वहां एक हिल स्टेट बनाने की मांग की जा रही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी उस सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की है। यूनाइटेड खासी एंड जयन्तिया हिल डिस्ट्रिक्ट्स एंड गारो हिल डिस्ट्रिक्ट्स, इन की आबादी नागा हिल डिस्ट्रिक्ट्स से ज्यादा है और उन्होंने सन् १९५७ मे यह मांग भी की थी कि एक पहाड़ी राज्य बनाया जाय मगर वह राज्य नहीं बनाया गया। मैं समझता हूं कि वह एक ठीक कदम था। लेकिन अब यह जो एक अलग नागा राज्य बनाया जा रहा है तो यह अलग राज्य बनाने की जरूरत क्या है? शायद इसका एक ही कारण है कि कुछ नागा लोगों ने पिछले अनेक सालों से देश के खिलाफ बगावत की है, विद्रोह का झंडा उठाया है और हथियारों और हिंसा के बल पर अपनी बात को मनवाने की कोशिश की है। हमारे जवानों को गोली का निशाना बनाया है और जो देशभक्त नागा हैं, सरकार के प्रति वफादार हैं उनको भी इन विद्रोही नागाओं के हाथों से घातिक संकटों का सामना करना पड़ा है। ऐसी स्थिति में एक अलग राज्य बनाना यह प्रथकतावाद को इनाम देना है और विद्रोहियों को हिंसा और विनाश के लिए भड़काना है। यह अलग राज्य नहीं बनाया जा रहा मानों सरकार बगावत करने वालों के सामने घुटने टेक रही है। मैं नहीं समझता कि देश में एक अच्छी परम्परा का श्रीगणेश किया जा रहा है। प्रथक नागा राज्य की स्थापना एकीकरण पर विघटन की विजय

है, शान्तिपूर्ण निर्माण पर हिंसा की और ध्वंस की विजय है। देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर बगावत और गद्दारी की विजय है। मैं समझता हूं कि हमें इस बात का भी विचार करना चाहिए कि उस क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण देश में अन्य जो आदिवासी बंधु रहते हैं उन पर इस पृथक राज्य के निर्माण की प्रतिक्रिया क्या होगी। देश में अनेक भाग ऐसे हैं जहां कि आदिवासी रहते हैं। अभी मध्यप्रदेश से समाचार आया है कि वहां रायपुर के निकट एक पैरलल गवर्नमेंट बना दी गई। कोई हमारे एक आदिवासी बंधु प्रधान मंत्री बन बैठे और वह अपनी एक पतरी सरकार चला रहे थे। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। मगर इस प्रकार की भावनाएं और भी बल पकड़ेंगी और मैं नहीं समझता कि यह देश के लिए ठीक होगा। इस बात से सभी सहमत हैं कि जो भी आदिवासी बन्धु हैं नागा लोग हैं उन्हें अपने रहन सहन को और अपने जीवन के रंग ढंग को सुरक्षित रखने और उसके विकास करने का अवसर मिलना चाहिये क्योंकि उनका रंग ढंग, उनकी संस्कृति कुछ अंशों में हमसे श्रेष्ठ संस्कृति है और उन्होंने उन जीवन मूल्यों की रक्षा की है जो कि प्राचीन काल में हमारे साथ थे। पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क में आने के कारण हमने उनको छोड़ दिया था और मैं प्रधान मन्त्री जी की इस बात से १०० फीसदी सहमत हूं कि उन्हें अपनी सेकेण्ड रेट कौपी (घटिया नकल) नहीं बनाना चाहिये, सेकेंड रेट क्या वह तो थर्ड रेट कौपी होगी क्योंकि सेकेंड रेट कौपी तो हम ही है। पश्चिम के आधार पर अगर हम उनको बनायेंगे तो उनका रूप बिगड़ जायेगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम उनके मामलों में दखल न दें लेकिन उन्हें अकेले भी नहीं रक्खा जा सकता। उन्हें म्युजियम पीसेज़ की तरह से सुरक्षित भी नहीं रक्खा जा सकता। हलके हलके उनकी विविधताओं और विशेषताओं की रक्षा करते हुए हमें उन्हें राष्ट्रीय जीवन के साथ घुलाना मिलाना होगा। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान परिषद् ने जो निर्णय किया और सिक्स्थ शैडयूल के अन्तर्गत रीजनल और डिस्ट्रिक्ट बेसिस पर औटोनोमस बौडीज देंगे तो मैं समझता हूं कि यह इसी दृष्टि से किया था कि उनकी विविधताओं की रक्षा भी हो जायें और हम उनके मामलों में दखल भी न दें और हलके हलके वे हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रवाह के साथ मिल जायं। उस समय भी कुछ सदस्यों ने आपत्ति की थी कि इस प्रकार की आटोनोमस बौडीज (स्वायत्त निकायों) देना यह विघटन को बढ़ावा देगा मगर बारदोलई कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें संविधान परिषद् ने स्वीकार कर लिया और औटोनमस बौडीज़ बन गयीं। पर उनका परिणाम क्या हुआ? विद्रोह दबा नहीं उन्हें निकट नहीं लाया जा सका और ओटोनमस बौडीज को सफलतापूर्वक चलाना भी सम्भव नहीं हुआ। बाद में इन लोगों की तरफ से मांग की गई कि जो त्वेन सांग का एरिया है उसको नागा हिल्स के साथ मिला दिया जाय और हमने एक यहां विधेयक भी पास किया जिसके कि अनुसार त्वेनसांग एरिया नागा हिल्स में मिल गया। उस समय यह आशा प्रकट की गई थी कि अब नागा प्रदेश में शान्ति हो जायेगी मगर शान्ति स्थापित नहीं हुई। अब यह तीसरा कदम है कि एक नया राज्य बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सरकार ऐसी शक्तियों के सामने जानते हुए या न जान कर भी झुकती जा रही है जो कि देश के बाहर जाना चाहते हैं, जिन्हें देश के प्रति निष्ठा नहीं है और जो देश की एकता में विश्वास नहीं करते हैं। यह बात भी सभी जानते हैं कि अंग्रेजी राज्य ने नागा प्रदेश को हमसे अलग रक्खा, चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दीं। अंग्रेजों ने कुचक्र किया था कि भारत से जाते जाते वह नागा प्रदेश को आजाद बनाते जायं और जो आखिरी गवर्नर था आसाम का गवर्नर उसने इस सम्बन्ध में आगे बढ़ कर हिस्सा लिया। जो मैदान के लोग थे वे जा नहीं सकते थे नागा प्रदेश में और वहां पर केवल विदेशी मिशनरीज जा सकते थे और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारे नागा बन्धु हम से दूर चले गये। मगर यह बात तो १९४७ की है। आज हम १९६० की चर्चा कर रहे हैं। हमने इन १३ वर्षों में क्या किया? हम उन्हें निकट नहीं ला सके। हम एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं। जिससे यह विश्वासपूर्वक कोई नहीं कह सकता और हमारे प्रधान मन्त्री जी ने कुछ भी नहीं कहा है कि नागा प्रदेश में शान्ति हो जायेगी। अब अगर शान्ति

[श्री वाजपेयी]

नहीं स्थापित होगी तो फिर यह पृथक् नागा प्रदेश बनाने का लाभ क्या होगा ? हम इतनी बड़ी कीमत चुकाने जा रहे हैं। देश में एक अलग और गलत परम्परा पैदा कर रहे हैं। डाक्टर आवो जो यहां पर आये थे उन्होंने भी कहा है कि जो नागा लैंड की मांग है यह मिनिमम डिमाण्ड है और यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि वे कब तक सन्तुष्ट रहेंगे। ऐसे में प्रवृत्ति होती है अपने मांगों को बढ़ाने की और उसके ऊपर सरकार जो उदारता दिखाती है और हमारे प्रधान मंत्री जी विशाल हृदयता का परिचय देते हैं तो उसका गलत अर्थ लगाया जाता है और लोग समझने लगते हैं कि सरकार कमजोर है और अगर इन को थोड़ा और दबाया जाय तो शायद वह और भी हमारी डिमाण्ड्स को मान लेंगे। इस तरह की धारणा शासन के प्रति उत्पन्न हो यह शासन के लिये भी ठीक नहीं है और देश के लिये तो यह बात बिल्कुल ठीक है भी नहीं।

अध्यक्ष महोदय, यह नागा लैण्ड बनाया भी किस तरीके से जा रहा है। नाम इसका नागा लैण्ड होगा। यह नाम किस आधार पर तय किया गया ? वह एक अलग राज्य चाहते थे और हमने अलग राज्य मान लिया। वह नागा लैण्ड का नाम चाहते थे और हमने नागा लैण्ड नाम मान लिया। वह विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत रहना चाहते थे हमने वह भी मान लिया। हम किसी एक भी बात पर अड़े नहीं। हमें अड़ जाना था कि बस इसके आगे लक्ष्मण रेखा है और इसके पार नहीं जायेंगे और अगर इसके पार जायेंगे तो देश की एकता को विघटन का रावण डस लेगा। यह एक पृथक नागा होम लैण्ड की कल्पना एक गलत कल्पना है और काश्मीर से लेकर कन्या कुमारी तक भारत एक देश है। यह हमारी मातृभूमि है, धर्म भूमि है, कर्म भूमि है और इसमें नागा लैण्ड और अलग अलग होमलैण्ड के लिये जगह नहीं हो सकती। हमें उन्हें समझाना चाहिये था और कम से कम हम उन्हें इस बात के लिये तो तैयार कर सकते थे कि यह नागा लैण्ड विदेश मंत्रालय के अन्तर्गत न होकर अन्य राज्यों की भांति गृह मंत्रालय के अधीन होगा। अगर नागा लोग कहते हैं कि हमें तो भारत में एक ही व्यक्ति पर विश्वास है और वह हैं प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू तो जहां हम उनके इस विश्वास का स्वागत करते हैं वहां यह अवश्य कहेंगे कि प्रधान मंत्री में विश्वास। गृह मंत्री महोदय में अविश्वास तो नहीं बनना चाहिये। ऐसा तो नहीं होना चाहिये कि सम्पूर्ण देश में अविश्वास हो और एक व्यक्ति में विश्वास किया जाय।

उस दिन प्रधान मंत्री जी ने लाल किले के अपने भाषण में ठीक ही कहा था कि जवाहरलाल आते हैं और जाते हैं मगर हिन्दुस्तान आता ही है वह जाता नहीं है। उन्होंने यह ठीक ही कहा था। उसको जाना नहीं चाहिये मगर यह हमारे नागा बन्धु देश के साथ अपने को नहीं जोड़ना चाहते बल्कि एक व्यक्ति विशेष के साथ जो अपने को जोड़ना चाहते हैं तो उन्हें इस बात से विरत किया जाना चाहिये। जब इस देश के शेष पन्द्रह राज्य गृह मंत्रालय के द्वारा चलाये जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि यह जो सोलहवां राज्य बनने जा रहा है यह क्यों न गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जा सके। मगर नागा लैण्ड गृह मंत्रालय के अन्तर्गत न होकर विदेश मंत्रालय के अधीन रखना जाना मान कर और उनका एक अलग कांस्टीट्यूशन भी जो मान लिया गया है मैं नहीं समझता कि यह देश की एकता के लिये अच्छा चिन्ह है। और इस मांग का परिणाम यह हुआ है कि जो अन्यान्य राज्यों की मांगें हैं वे बल पकड़ गई हैं। हमारे देखते देखते भारत की भूमि पर एक मुस्लिम राज्य बन गया। यह नागा लैण्ड एक ईसाई राज्य होगा। हमारे अकाली बन्धु एक सिख राज्य मांग रहे हैं। कल कम्युनिस्ट पार्टी ने मांग की है कि महा-दिल्ली बनना चाहिये, जो वस्तुतः एक जाट राज्य होगा, जो एक साम्प्रदायिक राज्य होगा। क्या इस देश की एकता टुकड़ों में बंट जायगी ? क्या सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी का इतिहास फिर से दोहराया जायगा ? हमारे नव-निर्माण के काम हमारे बड़े बड़े बांध, देश की

गरीब और शोषित जनता को आर्थिक दृष्टि से प्रगति के पथ पर प्रशस्त करने के सारे कामों पर पानी फिर जायगा, अगर हम देश की एकता की, राष्ट्रीयता की रक्षा नहीं कर सके। मगर यह नागा लैण्ड का निर्माण उस राष्ट्रीयता के शरीर में एक स्थायी कंटक बन जायगा, विघटनकारी मनोवृत्तियों को बढ़ावा देगा। जो अकाली आन्दोलन अपनी मौत मर रहा था, उसमें नई जिन्दगी आ गई है और अकाली नेता कहते हैं कि अगर चार लाख नागाओं का एक अलग राज्य बन सकता है तो चालीस, पचास लाख सिखों का अलग राज्य क्यों नहीं बन सकता है। हमारे प्रधान मंत्री जी भले ही यह कहें कि नागाओं की स्थिति अलग है---और कुछ अंशों में यह ठीक भी है---मगर आम आदमी गांव में रहने वाला आदमी, जो आर्थिक अभावों से परेशान है और जिसे स्वार्थी नेता विघटन के रास्ते पर ले जाते हैं इस तर्क को नहीं समझेगा। वह नहीं समझेगा कि लन्दन में एक व्यक्ति बैठा है, जिसकी छाया सारे निर्णय पर पड़ी हुई है। वह तो स्वार्थी नेताओं के हाथों में खेलेगा। मेरा निवेदन है कि अभी जो अन्तरिम-काल का समझौता किया गया है, इस में जल्दी न की जाये। विधान में संशोधन करने के लिये बिल लाने में शीघ्रता न की जाये। अभी देखा जाये कि जो इन्टेरिम काल है, उसमें वहां शान्ति होती है या नहीं। इसका प्रयत्न किया जाये और इस बात के लिये उन्हें तैयार किया जाये कि वे धीरे धीरे देश के साथ एक रस हो जायें, एक रूप हो जायें। धन्यवाद।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : देश स्वतन्त्र होने के बाद, नागा पहाड़ियों में जो अव्यवस्था फैली है, उसका मूल कारण हमारी सरकार की नीति ही है। हमारी सरकार ने मूल रूप में ब्रिटिश शासकों की नीति को ही बरकरार रखा है, उसमें कोई सारवान् परिवर्तन नहीं किया। ब्रिटिश शासक इस सीमावर्ती क्षेत्र को पूरे देश से अलग काट कर रखना चाहते थे। यही उनके हित में था। उनकी इसी नीति के कारण इस क्षेत्र में पृथकत्व की भावना पनपी है। ब्रिटिश शासक नागा जनता की इस पृथकत्व की भावना को अधिकाधिक बल देते रहे। यहां तक कि १९२९ में उन्होंने नागा नेताओं को उकसाया था कि वे साइमन कमीशन के सामने नागा पहाड़ियों के क्षेत्र के लिये एक पृथक प्रशासकीय इकाई की मांग रखें

हमारा देश स्वतन्त्र होने के कुछ पहले प्रोफेसर कूपलैण्ड ने ब्रिटिश शासन के अधीन आसामी पहाड़ियों और उत्तरी बरमा की पहाड़ियों के क्षेत्र को मिला कर एक 'क्राउन कॉलोनी' (सम्राट के अधीन उपनिवेश) बनाने का सुझाव रखा था। देश स्वतन्त्र होने के बाद, वह सुझाव पड़ा रहा गया था।

लेकिन देश स्वतन्त्र होने के साथ ही साथ, हमारे ऊपर एक दायित्व आ गया है नागा जनता का विकास करना, उनको उन्नत बनाना और उनमें भारतीय दृष्टिकोण पैदा करना।

ब्रिटिश शासकों ने अपने शासन-काल के लगभग ७० वर्षों में कभी भी नागा जनता को उन्नत बनाने की कोशिश नहीं की। उनको उसी आदिम संस्कृति में रखा गया। लेकिन अब नागा जनता में चेतना की लहर आ गई है। वे अपनी प्रकृति के अनुसार अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं; अपना पिछड़ापन दूर करना चाहते हैं। वे स्वयं अपने भाग्य का निर्णय करना चाहते हैं।

अब सवाल है कि क्या नागा लैण्ड बन जाने से नागा जनता में भारतीयता की, राष्ट्रीयता की व्यापक भावन पैदा होगी ? यदि हो सके तो बहुत ही अच्छा है। तब मैं इस नये राज्य का स्वागत करूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

हमने अभी तक जो नीति अपनाई, वह पृथकत्व की भावना को और भी दृढ़ बनाती रही है। हमने उनके क्षेत्र को पृथक ही रखा। अव्यवस्था के दौर में राष्ट्रीयता की भावना पैदा नहीं हो सकती। प्रधान मंत्री बार-बार कह चुके है कि नागा संस्कृति को बनाये रखना चाहिये ; नागा जनता को अपने ढंग से विकास करने देना चाहिये। डा० वैरियर एल्विन ने भी अपनी पुस्तक में यही सिद्धान्त रखा है। मैं पूछता हूं कि यह नया राज्य किस उद्देश्य को लेकर बनाया जा रहा है? क्या इसलिये कि शहरी सभ्यता उन पहाड़ियों में न पहुंच सके ? या इसलिये कि नागा संस्कृति को बचा कर रखा जा सके जिससे कि उसे एक संग्रहालय की तरह रखा जा सके ?

यदि आपका उद्देश्य आदिम नागा संस्कृति और सभ्यता को बचा कर रखना है, तो आप उसमें बुरी तरह असफल हुए हैं। शहरी सभ्यता वहां पहुंचने लगी है। डा० वैरियर एल्विन ने लिखा है कि अंग्रेजी ढंग की पोशाकें पहनने वाले नागा तरुण-तरुणी अपने कबीले के सरदार का हुक्म नहीं मानते। वे समाज के अनुशासन के प्रति विद्रोह करने की सोचते है।

यह नया राज्य एक बड़ा ही छोटा सा राज्य होगा। खैर, दुनिया में और भी बहुत से छोटे-छोटे राज्य हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या देश के सीमान्त पर इस तरह के छोटे-छोट राज्य बनाना बुद्धिमानी है ? क्या प्रतिरक्षा की दृष्टि से ज़रूरी नहीं है कि पूरे सीमान्त की एक एकीकृत इकाई बनायी जाये ? उस क्षेत्र में हमारे देश की सीमा तीन देशों——चीन, बरमा और पाकिस्तान—— की सीमाओं से मिलती है। इसलिये देश की एकता और सुरक्षा के हित में यही है कि पूरा सीमान्त एक इकाई में हो। लेकिन हमने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया है।

इस नये राज्य के निर्माण के पक्ष में केवल एक तर्क दिया जा सकता है कि श्री फिज़ो ने वहां जो तूफान बरपा कर रखा था वह इससे शान्त किया जा सकेगा। लेकिन डा० एओ द्वारा नियुक्त समझौता समिति के इस प्रस्ताव का अनुमोदन विद्रोही नागाओं ने नहीं किया है। अलग राज्य बनाने का यह प्रस्ताव जिस कोहिमा सम्मेलन में स्वीकृत हुआ था, उस पर विद्रोही नागाओं ने गोलियां बरसाई थीं।

नागाओं के इस विद्रोह में नागाओं ने ही नहीं, हमारे देश के तरुणों ने भी अपना रक्त बहाया है। उन्होंने देश के उज्जवल भविष्य के लिये अपने प्राणों की बलि दी है। इसीलिये जब मैं सोचता हूं कि इस नये राज्य के निर्माण से उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित हो जायेगी, और नागाओं में व्यापक राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो सकेगी, तो मैं इसकी हार्दिक स्वागत करने लगता हूं।

हां, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। नागाओं ने मोकोकचुंग में स्वीकृत अपने संकल्प में कहा है कि भारत सरकार के साथ राजनीतिक समझौता हो चुकने के बाद, नागा जन-कन्वेन्शन उस समझौते के आधार पर नागा लैण्ड के संविधान का ब्यौरा तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त करेगा। क्या उस संविधान में वे यह मांग भी कर सकेंगे कि भारतीय गणतन्त्र से उनका सम्बन्ध न रहे ? यह तो बड़ी खतरनाक बात होगी। बाद में राज्यपाल के दबाव डालने पर ही प्रस्ताव में ये शब्द जोड़े गये थे : "भारतीय गणतन्त्र में।" लेकिन ये शब्द फुटनोट में रखे गये थे, मूल प्रस्ताव में नहीं। प्रधान मंत्री को इसका स्पष्टीकरण करना चाहिये।

डा० एओ जब समझौते के लिये भारत आये थे, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि वे प्रधान मंत्री से एक अन्तरिम व्यवस्था के लिये कहेंगे। क्या यह व्यवस्था अन्तरिम होगी ? इसीलिये कुछ शंका होती है।

आर्थिक दृष्टि से नागा लैण्ड अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य नहीं होगा । इन क्षेत्रों के जंगलात से उसे प्रतिवर्ष केवल तीन लाख रुपये राजस्व के मिल जाते हैं । कोशिश यह होनी चाहिये कि उनके पास राजस्व के और अधिक तथा अच्छे संसाधन हों ।

'नागा लैण्ड' नाम के बारे में कोई बहस नहीं करनी चाहिये । इतने दिनों के संघर्षों में यह नाम नागाओं को अत्यन्त प्रिय हो गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : हम इस सोलहवें नये राज्य के निर्माण का स्वागत करते हैं । हमें प्रसन्नता है कि अब इस क्षेत्र की अव्यवस्था दूर होगी और नागा जनता भारतीय परम्पराओं के अनुरूप चल कर अपना भविष्य उज्ज्वल बनायेगी और साथ ही पूरे देश को सुदृढ बनायेगी ।

नागा जनता बड़ी वीर है । उसने ब्रिटिश शासकों से डट कर लोहा लिया था । १८३५ से १८५१ तक ब्रिटिश शासकों ने उनको अपने काबू में नहीं कर पाया था । बाद में, केवल एक सीमित क्षेत्र पर ब्रिटिश शासन हो पाया था । तब इसे अलग सीमा क्षेत्र घोषित करके गवर्नर के अधीन रख दिया गया था । इस क्षेत्र में मंत्रालय को प्रशासकीय अधिकार नहीं थे । उन दिनों वहां ईसाई मिशनरियों ने बड़ा काम किया था । उनका काम सामाजिक ही नहीं, राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण था । मिशनरियों के प्रभाव के कारण ही, वहां कई प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप देखने में आये हैं । हमें यह ध्यान में रखना चाहिये । अब आशा है कि यह नया राज्य भारतीय गणतन्त्र को सुदृढ़ बनायेगा ।

मैं समझती हूं कि यह निर्णय कुछ पहले किया जाना चाहिये था । आज से डेढ़-दो साल पहले भी नागा प्रतिनिधियों की मांगें बिलकुल यही थीं । विवाद आरम्भ से ही इस बात पर रहा है कि वे स्वतंत्र राज्य चाहते थे । उसे तो कोई भी भारतीय नहीं मान सकता था । अब वे इस बात पर राजी हो गये हैं कि उन को भारतीय गणतंत्र के अन्दर पूरी स्वायत्तता दी जाये ।

नागाओं का पहला कन्वेन्शन कोहिमा में १९५७ में हुआ था । उन की मांग थी कि आसाम की नागा पहाड़ियों और नेफा के त्वेनसांग सीमा डिवीजन को एक ही प्रशासकीय इकाई में रखा जाये । वह मांग सरकार ने मान ली थी, पर उस से विद्रोह शान्त नहीं हुआ था । फिर १९५८ में डंगमा कन्वेन्शन हुआ और उस ने एक सम्पर्क समिति नियुक्त की विद्रोही नागाओं से बातचीत करने के लिये । वह भी असफल रही थी । उस के बाद, १९५९ में मोकोकचुंग कन्वेन्शन हुआ था । और तभी एक सोलह-सूत्रीय ज्ञापन तैयार किया गया था । उसी के आधार पर यह समझौता हुआ है । अब नागाओं ने भारतीय गणतंत्र में ही रहने की बात स्वीकार कर ली है । नागा क्षेत्र आरम्भ से वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधीन रहा है, इसलिये अब इस के बाद भी यदि इसे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ही के अधीन रखा जाता है तो उस से कोई ऐसी शंका नहीं होनी चाहिये, जैसी कि श्री वाजपेयी ने व्यक्त की है । मैं तो समझती हूं कि नागा लोग दस वर्ष पूरे होने से बहुत पहले ही अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रतिष्ठित कर सकेंगे ।

प्रधान मंत्री को इस का स्पष्टीकरण करना चाहिये कि समझौते के बाद नागा लैंड के संविधान का प्रारूप तैयार करने का क्या मतलब है ।

इस में शक नहीं कि 'नागा लैंड' एक बहुत ही छोटा सा राज्य रहेगा । लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश में ऐतिहासिक कारणों से कुछ ऐसे छोटे-छोटे क्षेत्र बन गये हैं जिन की संस्कृति शेष भारत से भिन्न है । वे गणतंत्र की एक पृथक इकाई के रूप में रहना चाहते हैं । मनीपुर और त्रिपुरा ऐसे ही क्षेत्र हैं । अब हमें मनीपुर और त्रिपुरा की जनता को भी उत्तरदायी सरकार बनाने का अधिकार देना चाहिये । उन को भी अपने निर्वाचित प्रतिनिधि रखने और अपना विधानमंडल बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

मैं नागा लैंड की सफलता की कामना करती हूं । आशा है कि वे अपना विकास इस ढंग से करेंगे कि पूरे भारत को उस से बल मिलेगा ।

पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश' (शिवपुरी) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान को स्वतंत्र करने के लिये हम ने जसा शान्तिपूर्वक और सुसंस्कृत रूप में संघर्ष किया, न तो संसार ने ही उस को आदर्श रूप में लिया और न हमारे देशवासियों ने ही लिया ।

मुझे इस सम्बन्ध में उस पृष्ठभूमि की तरफ अपने सदन का ध्यान आकर्षित करना है, जिस सिद्धान्त को ले कर हम अब तक चल रहे हैं, जिस प्रकार हम ने संसार के सामने अभी तक भाई-चारे का प्रचार किया है और हम ने सारे संसार को विश्वबन्धुत्व के आधार पर एक जगह एकत्रित करने की चेष्टा की है, उस के होते हुए भी यह दुर्भाग्य है कि हिन्दू मुसलिम भाई भाई बोलते बोलते पाकिस्तान बन गया । हम को कहा गया कि पाकिस्तान नहीं बनेगा परन्तु वह बन गया । और आज हम देखते हैं कि उस के बनने का सुपरिणाम न पाकिस्तान को ही मिल रहा है और न हिन्दुस्तान को ही मिल रहा है । वह भी दुखी है और हम भी दुखी हैं और रोज़ संघर्ष चलता है, रोज़ लड़ाई चलती है । ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान बन जाने के बाद हम ने फिर प्रयत्न किया, अपने सैकुलर राज्य के आधार पर सब को एक साथ एकत्र करने का परन्तु मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सब ने प्रेम के साथ रहने के बजाय भीतर ही भीतर अपनी कूटनीति का कुचक्र इस हिन्दुस्तान में चलाना आरम्भ किया । मैं देखता हूं कि प्रशंसा तो बहुत की जाती है कि ईसाई मिशनरीज़ ने बड़ा काम किया लेकिन मिशनरीज़ अगर भ्रातृत्व की भावना से ही केवल कार्य कर रहे होते तो संभवतः मुझे विरोध करने का अवसर नहीं मिलता लेकिन वे अपने निहित राजनैतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिये हिन्दुओं को धीरे धीरे ईसाई मजहब में बदल रहे हैं और इस देश की जो राष्ट्रीयता है इस देश के प्रति जो भक्ति होनी चाहिये थी उस को विदेशों की तरफ वे इस प्रकार से ले जा रहे हैं और धीरे धीरे इस देश को वे खंड खंड करते जा रहे हैं । हमारा राज्य और हमारा शासन इस तथाकथित भ्रातृत्व की भावना से दब कर इस प्रकार की अनुचित मांगों को स्वीकार करता चला जा रहा है और मैं समझता हूं कि उन को स्वीकार करने का परिणाम यह नागा राज्य है । यदि देशभक्ति की भावना से वहां विद्रोह खड़ा हुआ था तब तो हमें उन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिये था । जैसे ही उन्हों ने विद्रोह किया था वैसे ही हमें यह नागा राज्य स्वीकार कर लेना चाहिये था । नागाओं को हमें वह स्वतंत्रता और सत्ता दे देनी चाहिये थी जिसे कि वह मांगते थे परन्तु ऐसा प्रतीत होता है और हम को स्वयं ऐसा मालूम होता था कि यह नागा राज्य बनाने में इस देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायगी । नागा राज्य को स्वतंत्र करने में कोई लाभ नहीं होगा, इसलिये हम ने विद्रोह का दमन करने की चेष्टा की परन्तु उस का परिणाम यह हुआ कि वह दमन तो हुआ नहीं और वहां विद्रोह पैदा करने वाले जो महान् नेता थे फिजो साहब वह किसी प्रकार से यहां से भाग निकले और भाग कर इंगलैंड में पहुंच कर हिन्दुस्तान के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं । हिन्दुस्तान के विरुद्ध प्रचार करने का उन को एक ऐसा सुन्दर स्थान मिल गया जिस से संसार भर में भारतवर्ष के विरुद्ध एक वायुमंडल का निर्माण कर सकें । जहां भारतवर्ष विश्व के वायुमंडल को शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है वहां भारतवर्ष में से ही हमारा एक भाई हमारी अयोग्यता और असावधानी के कारण निकल कर हमारे विरुद्ध वायुमंडल का निर्माण कर रहा है । यह कैसी विचित्र बात है कि एक तरफ तो यह कहा जाता है कि वह इंगलैंड वाले नहीं चाहते कि वहां इस प्रकार का वह भारत विरोधी प्रचार करें मैं समझता हूं कि भीतर ही भीतर उस को प्रोत्साहन भी मिल रहा है कि वह इस तरह का भारत विरोधी प्रचार करते रहें और यह कैसी विचित्र बात है कि यह जो डिप्लोमेसी है यह जो कूटनीति है

उस को उदारता के नाम पर दबाया न जा सके और हम उदारता बर्तते चले जायें और दूसरे हमारे साथी कूटनीतिक चालें चलते चले जायें, यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

जैसे मैं ने आरम्भ में कहा कि यह जो नागा लैंड और नागा राज्य स्वीकार कर लिया गया तो अब इस के लिये किसी को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता नहीं है । लेकिन मैं इतना अवश्य पूछना चाहूंगा कि बुद्धिमत्ता के आधार पर यदि नागा राज्य एक अलग राज्य बन सकता है तो हिमालय से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक क्या एक हिन्दू राज्य नहीं बन सकता है ? इस भारतवर्ष देश में जितने भी निवासी बसते हैं वे सब के सब वास्तव में हिन्दू हैं । अब आज जो अपने आप को ईसाई कहते हैं आखिर वह भी तो हमारा अपना ही रक्त है । वे भी तो इसी भारतवर्ष देश के रहने वाले हैं और उन्हें अपने आप को हिन्दू कहने में क्यों आपत्ति होनी चाहिये ? मैं ने एक बार निवेदन किया था कि यहां जो मुसलमान हैं वे भी तो हिन्दू ही हैं । वे कोई दूसरे हैं क्या ? अब जैसे हमारे देश में रामानुज आचार्य, वल्लभाचार्य और शंकराचार्य आदि संत और महापुरुष हुए हैं और उन के शिष्य सब हिन्दू हैं उसी प्रकार ईसामसीह और मुहम्मद आदि के शिष्य भी हिन्दू ही हैं और फिर उन्हें अपने आप को हिन्दू कहने में क्यों आपत्ति होनी चाहिये । मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रीयता और हिन्दुत्व की भावना से यदि देश को एक सूत्र में आबद्ध किया जाय तो यह आज जो नागा राज्य, सिक्ख राज्य कायम करने की मांग उठ रही है वह नहीं उठेगी क्योंकि याद रखिये कि अगर यह विघटन का क्रम रुका नहीं और जारी रहा तो फिर मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है बल्कि ब्राह्मण राज्य, क्षत्री राज्य और वैश्य राज्य कायम करने की मांग का भी हमें सामना करना होगा और यह हमारा देश विघटित होता चला जायगा ।

नागा लोग मेजारिटी में नहीं हैं । मेरा निवेदन यह है कि देश के इस तरह से खंड खंड कब तक होते रहेंगे । इस प्रकार से देश कब तक विभाजित होता रहेगा ? जब एक की प्रथक राज्य स्थापित करने की मांग स्वीकार कर ली जाती है तो दूसरे को उस से प्रेरणा मिलती है और वह खड़ा हो कर मांग करने लग जाता है कि हम को भी एक अलग राज्य मिलना चाहिये । इसलिये मेरा निवेदन है कि यह प्रथकत्व की भावना अच्छी नहीं है और यह देश के हित में नहीं है । यह बड़े खेद की बात है कि इस प्रकार की विघटन की यह प्रवृत्ति देश में इधर उधर जोर पकड़ती चली जा रही है और दूसरी ओर हम दूसरों को भाई बनाने की चेष्टा करते हैं । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज जहां हमारे देश की सुरक्षा को खतरा महसूस हो रहा है और हमारी सरहदों पर आक्रमण हो रहे हैं वहां एक अलग राज्य बनाने का आन्दोलन चल रहा है । सिक्ख राज्य मिलना चाहिये ऐसी मांग उठाई जा रही है । पंजाबी सूबा स्थापित करने के वास्ते आंदोलन चल रहा है । इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस तरह उन को भी पंजाबी सूबा मिलना चाहिये । और यह नागा राज्य के निर्माण होने से पंजाब के गांव गांव में इस प्रकार का प्रचार प्रारम्भ हो जायगा कि पंजाबी सूबा बनना चाहिये और इस नागा राज्य को स्वीकार कर लेने से पंजाबी सूबा बनाने की मांग अत्यन्त निकट पहुंच गई है क्योंकि सिक्ख देख रहे हैं कि नागाओं ने विद्रोह कर के अपना एक अलग राज्य ले लिया तो वे भी क्यों नहीं ले सकते । इतना ही नहीं मुझे तो यह भी भय प्रतीत होता है कि अभी तो केवल इस के लिये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है लेकिन अगर कहीं और उन को भड़काया गया तो हो सकता है कि जैसे नागाओं ने उत्पात किया वे भी कोई उत्पात न कर बैठें और जैसे वहां हमारी सेनाओं को जा कर कार्य करना पड़ा कहीं वैसी ही भयानक स्थिति यहां पर भी उत्पन्न न हो जाय । सरकार को समय रहते चेतना होगा क्योंकि ऐसी जगह जहां पर कि हमारे देश की सीमायें लगती हैं इस तरह का एक असंतोष और गड़बड़ होना कदापि उचित न होगा । जिस तरह से नागा हिन्दू हैं उसी तरह से सिक्ख भी हिन्दू हैं और जैसे नागाओं को और शेष लोगों को आपस में लड़ाया गया वैसे ही आज सिक्खों को जो कि

[पंडित ब्रज नारायण ब्रिजेश]

हिन्दू हैं अन्य हिन्दुओं के विरुद्ध उभाड़ने की साजिश चल रही है । यह सारी लड़ाई हिन्दू राष्ट्र के भीतर ही हो रही है । इस को बाहरी लोग अपनी कूटनीति का कुचक्र फैला कर चलाया करते हैं । विदेशी लोग यहां आ कर और अपने फिफ्थ कालमिनिस्ट्स घुसेड़ कर इन को भड़काने की चेष्टा करते हैं और हमारे राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश करते हैं । यह बड़े दुःख का विषय है कि जो डेमोक्रेटिक होने का दावा करते हैं और जो अपने आप को प्रजातांत्रिक मानते हैं, वे उस के अनुरूप आचरण नहीं करते हैं । जो प्रजातांत्रिक अपने को मानते हैं वे यहां प्रजातंत्र राज्य को सफल नहीं होने देना चाहते । वे लोग जोकि संसार के सामने आदर्श प्रजातंत्र देना चाहते हैं और जोकि प्रजातंत्र के हामी हैं जब वे ही हमारे प्रजातंत्र को बिगाड़ने का कुचक्र करते हैं तो इस बात के लिये उन्हें गम्भीरता-पूर्वक सोचना चाहिये कि कम से कम उन को तो हमारे इस मार्ग में और जब कि वे हमारे ही विचारों के हैं, बाधक नहीं बनना चाहिये लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश के ही एक निवासी श्री फिजो इंगलैंड में विराजमान हैं और वे वहां पर भारत विरोधी प्रचार करने में संलग्न हैं । लेकिन यह सब को याद रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान का प्रजातंत्र समाप्त हो जायगा तो इंगलैंड का प्रजातंत्र भी बच नहीं सकता है । उन्हें भी समझना चाहिये कि प्रजातंत्र यदि भारत में रहेगा तो संसार में भी रहेगा और यदि भारतवर्ष में प्रजातंत्र समाप्त हो जायगा तो संसार में भी प्रजातंत्र समाप्त हो जायगा और उस हालत में संसार में भी प्रजातंत्र जीवित नहीं रह सकेगा । इसलिये इस प्रकार का कुचक्र बाहर चलने नहींदेना चाहिये । मेरा तो भारत सरकार से निवेदन होगा कि वह फिजो महोदय जो कि यहां से चले गये हैं उन को बुला कर इस प्रकार का अपराध करने वालों को दंडित करना ही चाहिये ।

यह नागा राज्य तो अभी निर्माण हुआ ही नहीं है । प्रधान मंत्री महोदय ने केवल वक्तव्य ही दिया है । उनके नेता यहां आये थे और उनके साथ बातचीत हुई और इस समस्या पर गौर किया गया है । शान्ति बनाये रखना तो परमावश्यक है परन्तु इस प्रकार की शान्ति जिससे कि और अधिक अशान्ति पैदा हो, इस प्रकार की सद्भावना जिससे और अधिक असद्भावना पैदा हो और इस तरह का भ्रातृत्व जिससे कि शत्रुता को अधिक बल मिले, वांछनीय नहीं और इसको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए । हमें वास्तविकतावादी बनना चाहिए । हमें रिएलिटी के साथ, वास्तविकता के साथ सामने आना चाहिए । मैं निवेदन करूंगा कि यह जो नागा राज्य का निर्माण किया गया है और इसको नागा लैंड का नाम दिया गया है यदि हमने सतर्कता नहीं बर्ती तो हो सकता है कि कल को यह नागा लोग कहने लगें कि हमको तो यह नागा राज्य एक स्वतंत्र राज्य ही मिला है और जैसी कि संविधान में व्यवस्था है शेष राज्यों की भांति इन लोगों ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत न रह कर अपने को विदेश मंत्रालय के साथ रक्खा है । अब नागा लोगों ने कहा कि वे होम मिनिस्ट्री के साथ सहयोग करने को तैयार नहीं हैं । अलबत्ता विदेश मंत्रालय के साथ सहयोग करने को तैयार हैं । अब मेरा कहना है कि यह विशेष फर्क उनके साथ क्यों किया गया और उनको एक अलग दर्जा शेष राज्यों के मुकाबले क्यों दिया गया । वह नागा राज्य ठीक जैसे कि हमारे दूसरे पन्द्रह राज्य हैं उसी प्रकार यह सोलहवां राज्य होना चाहिए था और इसको भी गृह मंत्रालय के अन्तर्गत रहना चाहिए था । उसको भी समूचे देश के साथ संगठित होकर चलना चाहिए । इस प्रकार का उसे एक अलग दर्जा देना यह देश के लिए घातक है । मैं प्रधान मंत्री जी से चाहूंगा कि वे कृपा करके इस बात को स्पष्ट करें कि आखिर कब तक देश के इस प्रकार से खंड-खंड होते रहेंगे ? अगर यही विघटन का सिलसिला जारी रहने दिया तो फिर कल को किसी दूसरे प्रान्त की मांग आ जायेगी और परसों किसी अन्य राज्य को स्थापित करने की मांग आ जायेगी । हमको समय रहते आज की बिगड़ती हुई परिस्थिति पर काबू पाना होगा और हमको स्वयं अपने विचारों के अनुकूल परिस्थिति निर्माण करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए । दूसरे की परिस्थितियों से बाध्य होकर अपने सिद्धान्तों के विपरीत हमको नहीं जाना चाहिए ।

अन्त में, मैं फिर निवेदन करूंगा कि यह नागा राज्य का निर्माण न किया जाय और उनको प्रेम के साथ इसी देश में मिला कर चलाया जाये। इतना छोटा सा प्रान्त बनाने से न उनकी आर्थिक समस्या हल होगी और न कोई दूसरी समस्याएं हल हो सकेंगी। इतना ही निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची पश्चिम–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : प्रधान मंत्री ने यह एक बड़ा ही सही काम किया है, और इसके लिये देश को उन्हें बधाई देनी चाहिये। इस काम में प्रधान मंत्री ने बड़े साहस का परिचय दिया है।

हम अभी तक नये राज्यों के निर्माण का आधार यही मानते थे कि राज्य अस्तित्व-योग्य हो, एक भाषीय हो, इत्यादि। लेकिन प्रधान मंत्री ने उसकी परवाह नहीं की, अपनी पार्टी के विरोध की भी परवाह नहीं की।

ब्रिटिश शासन काल में राज्यों के निर्माण का एक आधार था, और उसे मानने के कुछ निश्चित कारण भी थे। ब्रिटिश शासन में कुर्ग को एक पृथक राज्य रखा गया था। अब वह पृथक राज्य नहीं है। पर शायद उसकी दशा पहले से अच्छी नहीं है। लोग मिशनरियों को खूब बुरा-भला कहते हैं। उनको नागालैण्ड में स्वमं जाकर जरा करीब से स्थिति का अध्ययन करना चाहिये। नागा आदिम जातियों के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां मिशनरियों ने चिकित्सा और शिक्षा की सुविधायें पहुंचाई हैं। यदि विदेशियों ने हमारे देश में नई शिक्षा का प्रसार न किया होता तो शायद हम इतने शीघ्र स्वतंत्र न हो पाते।

आज से दस साल पहले मैंने ही प्रथम बार प्रधान मंत्री से अपील की थी कि वह दिल्ली में श्री फिजो से मिलें। लेकिन जब प्रधान मंत्री आसाम गये तो आसाम के प्रशासकों ने उनको फ़िज़ो से मिलने ही नहीं दिया। कलकत्ता में भी फ़िज़ो को प्रधान मंत्री से नहीं मिलने दिया गया। फिर मैं ही उनको दिल्ली में प्रधान मंत्री के निवास-स्थान पर ले गया था। प्रधान मंत्री से बात करने के बाद, श्री फ़िज़ो ने अपना विद्रोह वापस ले लिया था। लेकिन बाद में श्री फिज़ो ने अपना मानसिक संतुलन फिर खो दिया। लेकिन अब वहां श्री फिज़ो का कोई प्रभाव नहीं रहा। अब नागा जनता के वर्तमान प्रतिनिधि भारत सरकार से बातचीत चलाने के पक्ष में हैं। और इसके लिये उन्हें पूरा अवसर दिया जाना चाहिये।

इस नये राज्य के निर्माण की आलोचना करने वालों से मैं पूछता हूं कि इसके अतिरिक्त और किस ढंग से वे इस समस्या को हल करेंगे? आलोचना करने वालों ने अभी तक इसका हल निकलने की तो कभी कोई कोशिश ही नहीं की।

मैं नागा क्षेत्र को जितनी अच्छी तरह जानता-समझता हूं उतना यहां कोई भी नहीं जानता। मैं जानता हूं कि नागाओं पर जो आरोप लगाये जाते रहे हैं उनमें से कई बिल्कुल निराधार थे। इसीलिये नागा जनता के पास फटकना भी मुश्किल हो गया था। जो भी हो, अब तो किसी तरह वे हमारे साथ बैठकर समझौता कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि नागा लोग कभी भी भारतीय गणतंत्र से नाता तोड़ने की मांग नहीं करते थे। यह मांग तो तभी पैदा हुई थी, जब हमने उन पर ज्यादतियां कीं।

इसलिये हमें याद रखना चाहिये कि यह व्यवस्था अन्तरिम ही है। इस व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर रहेगी कि हम अपनी ओर से कितनी ईमानदारी बरतते हैं। श्री हेम बरुआ ने इसके विरुद्ध, इस विग्रहवादी भावना के विरुद्ध, चेतावनी दी है। वह चेतावनियां ही देते रहेंगे।

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जयपाल सिंह]

हमने वृहत् बम्बई राज्य की मांग इसीलिये मानी है कि उसके अलावा समस्या का कोई हल ही नहीं था। इसी तरह इस समस्या का भी और कोई हल नहीं था। मैं प्रधान मंत्री के साहस की दाद देता हूं कि उन्होंने इतने सारे विरोध के बावजूद ४–५ लाख जनता को लेकर एक राज्य बनाया और इस प्रकार इस समस्या को हल कर दिया। डा० वैरियर एल्विन के उद्धरण देने से कोई फायदा नहीं। उनके विचार भी बदलते रहे हैं। मैं भी उनके उद्धरण दे सकता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री नई बातें सीखने के लिये हमेशा तैयार रहते हैं। यह बड़ी बात है।

अन्त में, मुझे यही कहना है कि अन्य राज्यों से इस राज्य की तुलना नहीं की जानी चाहिये। इसलिये कि यह एक बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की समस्या है। बुनियादी तौर पर यह एक मानवीय समस्या है। इसे चीन के आक्रमण की समस्या से नहीं उलझाना चाहिये। हमें स्वीकार करना चाहिये कि पहले हमने कुछ ग़लतियां की थीं। मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत नहीं कि समस्या का यह हल स्थायी है। यह एक अन्तरिम व्यवस्था है। वर्तमान परिस्थिति में इससे और अच्छी कोई व्यवस्था हो भी नहीं सकती थी। आशा है कि प्रधान मंत्री सदैव इसी साहस का परिचय देते रहेंगे।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहमपुर) : श्रीमान्, मैं भारत संघ के अन्तर्गत सोलहवें स्वायत्त राज्य अर्थात् नागालैंड के निर्माण करने के निर्णय का स्वागत करता हूं।

यहां पर कुछ लोगों ने यह कहा है कि नागा जाति के लोग सरकार से लड़ते रहे हैं और वे अंग्रेज़ पादरियों के बहकावे में आकर भारत से भी अलग हो जाना चाहते हैं। किन्तु यदि हम इतिहास को पढ़ें तो हमें ज्ञात होगा कि नागा सदा से देशभक्त रहे हैं। केबिनेट मिशन के समय में भी उन्होंने भारत में रहने की इच्छा व्यक्त की थी। हां स्वतंत्रता के बाद अवश्य वहां पर कुछ बुरी घटनायें घटीं।

संविधान–सभा ने एक उपसमिति बिठाई थी और उस समिति ने उत्तर पूर्वी सीमान्त के पहाड़ी क्षेत्रों का विशेष उल्लेख किया था। उस समिति ने कहा था कि भारत की एकता को सर्वोपरि रखते हुए देश की विभिन्न संस्कृतियों को पनपने का पूरा अवसर दिया जाय। इस दृष्टि से यह निश्चय अच्छा है।

किन्तु नागालैंड के निर्माण से देश में जो प्रतिक्रिया होने की संभावना है उसके ऊपर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। अब आसाम में एक पहाड़ी राज्य के निर्माण का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है।

मुझे इस बात से बड़ी परेशानी हुई है कि नागालैंड में अलग संविधान चलेगा। नागाओं के प्रतिनिधियों ने इस प्रकार की बात कही है। परन्तु हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस राज्य का काम किस ढंग से चलेगा। हमारे सामने इस की कोई स्पष्ट तसवीर नहीं है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जब नागालैंड अलग राज्य के रूप में स्थापित हो जायगा तो क्या छटी अनुसूची के उपबंध राज्य के संविधान में शामिल किये जायेंगे? इन सब बातों को स्पष्ट किया जाना चाहिए। आखिर पहले भी संविधान में अनेक बार संशोधन किया जा चुका है। हम इस राज्य का उत्कर्ष चाहते हैं परन्तु इससे जो अन्य बातें उठेंगी उन पर भी हमें काफी सोचना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : स्पीकर साहब, मैं इस प्रश्न को बहुत ही महत्व देता हूं। आज मेरे चार दाँत निकाले गये, मुख से खून भी गया, मगर तो भी मैं यहाँ आया हूं इस विषय पर बोलने के लिए।

मुझे बड़ा दुःख हुआ यह सुन कर कि हमारे पंडित वाजपेयी जी कुछ कुछ ऐसी बातें कह गये जिनसे कि यहाँ पर बजाय इसके कि हम नजदीक आयें हमारे मन और दूर हो गये। सोचना चाहिए आपको पंडित जी, आप ब्राह्मण हैं, कि आया आप दूसरों को मित्र बनाते हैं या अपने से जुदा करते हैं। आपने देखा कि कम्युनिस्टों ने क्या किया। कम्युनिस्टों ने कहा कि पंजाब का सूबा बनना चाहिए। निवेदन यह है कि आप से कम्युनिस्टों ने बाजी मार ली उन से। कम्युनिस्टों ने ज्यादा मित्र बना लिये पंजाब में और यहाँ पर दिल्ली के चारों तरफ। मेरे कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण जो बहुत पीछे हटे हैं, उनको और पीछे न हटाइये।

मैं ब्रज से आता हूं। मुझे कहा जाता है कि मैं ब्राह्मण और गौ का रक्षक हूं। मैं आप से अर्ज करूंगा कि ब्राह्मणों के लिए इस समय यह बड़ा भारी प्रश्न है कि कैसे देश वासियों से और समस्त संसार से मित्रता गाँठें। मुझे संस्कृत तो नहीं आती लेकिन संस्कृत में कहा जाता है कि समस्त ब्रह्मांड को एक बनाओ। जब आप नागालैंड के विरुद्ध कहते हैं तो फिर या तो आप नागाओं से नफ़रत करते हैं कि हम को एक बड़े सिद्धान्त पर काम करना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी कृपा करके बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नागा भी हम से प्रसन्न हों। अब तो कृपा करके वह पाकिस्तान भी जा रहे हैं जो मैं उन से बार बार कहता रहा हूं कि पाकिस्तान से मित्रता करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि आर्यान बनाइए, ईरान से आसाम तक और हिमालय से सीलोन तक। फिर आपस में कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा।

इसमें कोई हर्ज नहीं कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य रहें। अंग्रेजों के समय में ५६३ राजे या महाराजे थे तो क्या हर्ज हुआ था? मैं ब्रज से आता हूं। मैं भागवत की बात कहता हूं कि श्रीकृष्ण का राज्य द्वारिका में छोटा सा था। और रामचन्द्र जी का अयोध्या का राज्य नागालैंड से भी छोटा राज्य था। इतिहास हमें बतलाता है कि छोटे छोटे राज्य थे और आज भी हैं। जोर्डन क्या है? आप नक्शे पर देखें कि जोर्डन एक छोटा सा देश है। यमन एक छोटा सा देश है। मगर उनके नुमायन्दे न्यूयार्क में बैठे हैं। तो यह बात उठाना बेकार है कि यह थोड़े से लोग हैं या छोटे से इलाके के लोग हैं। ये गलत बात हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि एक आदमी दूसरे आदमी से सिया नहीं जा सकता। अनेक कुटुम्ब रहेंगे। अनेक जातियां रहें गी। उसी तरह ये मुल्क भी रहेंगे मगर वह गुथे रहने चाहिए। मैं माननीय पंडित जी से विनयपूर्वक अर्ज करूंगा कि मेहरबानी करके पंजाबी सूबा भी जल्दी से जल्दी बना दीजिये और मैं तो अर्ज करता हूं कि अगर मेरे तरीके से पंजाब में काम हो, खत्री संघ बने, जट्ट संघ बने और ऐसे संघ बनें जिनमें हिन्दू और सिख दोनों हों, तो हिन्दू और सिखों के अलग होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। और इसी तरह से हिमाचल भी बनाइये, काश्मीर से नैपाल तक और हमारा ब्रज भी बनाइए, मथुरा वृन्दावन का मैथिल और जारखंड बनाइए। मैं तो कहता हूं कि नागपुर का अलग राज्य भी बनाइये श्री अणे जी का।

मैं तो पूरा समर्थक हूं नागालैंड का और मैं पूरा समर्थक हूं छोटे-छोटे राज्यों का। प्रत्येक स्थान स्वतंत्र हो मगर सब गुथे रहें, एक संसार संघ राज में।

†**श्री प्र० के० देव** (कालाहाँडी) : इन हालात में नागा समस्या का एक यही हल प्रतीत होता था और इसके लिये मैं शुभकामना करता हूं। मैं आशा करता हूं कि अब नागा समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० के० देव]

प्रधान मंत्री के वक्तव्य से कई बातें उठती हैं और सब से प्रमुख बात यह है कि क्या इस तरह से नागाओं की समस्या का हल हो जायगा? इस प्रकार अब और लोग भी अनेक राज्यों के निर्माण के सपने देखें । पंजाबी, मैथिली आदि प्रान्तों के प्रश्न उठेंगे । इस प्रान्त के निर्माण से लोगों के दिल में यह बात जम गयी है कि सरकार डंडे के आगे झुकती है और इसी बात से इस काम की अच्छाई लुप्त हो जाती है । यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है । खैर, जो कुछ हुआ अच्छा है । पर अधिक अच्छी बात तो यही होती यदि वहाँ के पहाड़ी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग राज्य की स्थापना की जाती ।

खैर, अब सरकार को चाहिए कि पुरानी बातों को भुलाकर, वह नागा क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने का यत्न करे और वीर नागाओं से सीमा की रक्षा के उपाय कराये ।

हमें फिजो को भी साथ मिलाने का यत्न करना चाहिए । आपको ज्ञात होना चाहिए कि बर्मा तथा चीन के क्षेत्रों में भी नागा जाति के लोग हैं । यदि इन की इच्छा हो कि वे सब मिलकर एक महान नागा प्रदेश बना लें, तो हमें उनकी इस माँग को नहीं मानना चाहिए । राज्यपाल के सलाहकारों को कबीलों से चुनने के बजाय, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना जाय ।

हम यह भी समझते हैं कि सरकार नागाओं की धार्मिक प्रथाओं का भी संरक्षण करने जा रहा है परन्तु हमारा राज्य धर्म निरपेक्ष है इसलिये सरकार को धर्म आदि के विषय में हस्तक्षेप न करना चाहिए ।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी कमियों के बावजूद जो नया राज्य बनने जा रहा है उस का मैं स्वागत करता हूं । मुझे ऐसा लगता है कि आज से सात साल पहले यह घोषणा करके प्रधान मंत्री महोदय बहुत से खूनखराबे को रोक सकते थे । लेकिन अफसोस है कि उस समय यह निश्चय नहीं किया गया लेकिन फिर भी देर आयद दुरुस्त आयद वाली कहावत के मुताबिक जो कुछ निश्चय किया गया है वह स्वागत योग्य है । लेकिन जब ऐसे एक नये राज्य का स्वागत किया जा रहा है तो कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी । जहाँ तक उन बातों का सम्बन्ध है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह पूर्वी सीमा के कुछ हिस्से जिसमें तथाकथित नेफा क्षेत्र आता है और दूसरे कुछ क्षेत्र आते हैं वहाँ पर हम ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे देश के दूसरे हिस्सों से उनका सम्बन्ध कट सा जाता है । मैं मानता हूं कि जहां तक इस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, उनके रहन सहन के ढंग और उनके जीवन के तौर तरीकों का सम्बन्ध है उनकी रक्षा की जानी चाहिए लेकिन रक्षा करने के मानी यह कभी नहीं होने चाहिएं कि उन पर कुछ विदेशी संस्कृति का प्रभाव पड़े और अपने देश के लोगों का उन से सम्पर्क न रहने पाये । मुझे यह कहने में बहुत दुःख है कि जिस क्षेत्र को नेफा कहा जाता है उसमें कुछ दिन पहले तक महात्मा गांधी, लक्ष्मी और गौरी की तस्वीरें नहीं रखी जा सकती थीं लेकिन दूसरी कुछ विदेशी तस्वीरें रखने की इजाजत थी । मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि जब इस क्षेत्र का एक तरह से अपना काम अपने नियमों के मुताबिक चलाने की बात कही जाती है तो उस में यह भी खयाल रक्खा जाना चाहिये कि कहीं ऐसी व्यवस्था न हो जाय जिससे उन पर विदेशी प्रभाव बहुत पड़ता रहे । मुझे अफसोस है कि अब तक इस क्षेत्र में विदेशी प्रभाव कुछ इस तरीके का रहा है कि उस की वजह से वहाँ के लोग यह चाहते थे कि हम एक स्वतंत्र देश की तरह रहें । यह आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे ऐरिया, क्षेत्रफल या इतने छोटे संत्र के लोग किस तरह से स्वतंत्र होने की बात सोच सकते थे । अब आज जब यह नागा लैंड का नाम उसे दिया जा रहा है तो भले ही उसका नाम कुछ ऐसा हो जो शायद अच्छा न लगे । अब श्री जयपाल सिंह ने सुझाव दिया कि उसका नाम नागा लैंड न हो कर नागा स्थान हो । लेकिन मैं निवेदन करूं कि जो बोर्ड बनाया जा रहा है तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसमें कोई अलग होने की बात होती है । जब हम

दूसरे राज्यों के लिए नहीं कह सकते कि खतरा है तब नागालैंड के नाम से ही किस तरीके का खतरा हो सकता है। भारतीय संविधान के छठवें परिशिष्ट में जो व्यवस्था की गई है उसके मुताबिक अभी तक उनका अलग ही प्रबन्ध रहा है और उनसे दूसरे राज्यों का सम्बन्ध नहीं रहा है यहां तक कि केन्द्र का उसमें भीतर कोई विशेष दखल नहीं रहा है और जिसके कि मुताबिक वहां वा दूसरे राज्यों का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। ऐसी हालत में इस तरह की बात करना कि उस प्रदेश के बनने से सेग्रेटिस्ट टेंडेंसीज बढती हैं विघटनकारी प्रवृत्तियाँ बढती हैं, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। हमें देश के हर नागरिक के लिए सोचना चाहिए कि उसकी हिन्दुस्तान के प्रति उतनी ही भक्ति है जितनी कि अन्य किसी और व्यक्ति की हो सकती है। इसलिए एक व्यक्ति में विश्वास करना और दूसरे के बारे में यह सोचना कि उसमें उतनी भक्ति नहीं है और हम में ज्यादा है यह अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि नागा लैंड के निर्माण के सम्बन्ध में कोई इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए।

मैं चाहता हूं कि कोई स्थाई हल निकाला जाय। मैं समझता हूं कि यह पूर्वी सीमा के और बहुत से ऐसे हिस्से हैं जिन को कि इकट्ठा कर के एक बड़ा प्रदेश बनाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, मनिपुर में अभी पिछले दिनों बहुत ही शान्तिपूर्ण एक आन्दोलन चला है और उस आन्दोलन के फलस्वरूप सरकार को यह सोचना चाहिए कि उस में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन में कि नागा लोग रहते हैं और क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि उन नागा लोगों का इस नागा लैंड के साथ एक सम्बन्ध जोड़ा जाय और एक बड़ा प्रदेश कर दिया जाय। नागालैंड की जो मांग थी वह स्वीकार की गई है। वहां एक प्रदेशीय सरकार बनाने की मांग को लेकर जो वहां एक उस तरह की सरकार बनाने की बात सोची जा रही है मैं चाहता हूं कि सरकार मनिपुर और त्रिपुरा में भी वहाँ की जनता जो उस तरह की सरकार बनाने की मांग कर रही है जितनी जल्दी उस मांग को स्वीकार कर ले उतना ही अच्छा होगा।

मैं इस राज्य के निर्माण का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि नागा लैंड के निवासी हिन्दुस्तान को उसी तरीके से अपनी मातृभूमि समझते हैं जैसे कि अन्य देश-वासी समझते हैं और इस तरह का कोई मौका नहीं आयेगा जिस से लोगों को यह शक करने की गुंजाइश हो कि वह अधिक देशभक्त हैं और नागा लैंड के निवासी कम देशभक्त हैं। मैं चाहता हूं कि हम पुरानी बातों को भुला कर श्री फिजो जोकि भारत से बाहर रह कर अपनी कार्यवाहियों को चला रहे हैं यदि किसी तरीके से उन को अपने देश में ला सकें और उन को फिर हम हिन्दुस्तान का एक सभ्य और अच्छा नागरिक बना सकें तो उस से एक अच्छी भावना पैदा होगी। मैं चाहता हूं कि नागा लैंड के निर्माण का सभी लोग स्वागत करें और यह आशा करें कि यह देश का हमेशा के लिये एक अभिन्न अंग होगा जैसाकि रहा है और उन शंकाओं को कोई स्थान नहीं मिलेगा जोकि कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में हैं या कुछ देश के नागरिकों के दिमाग में हो सकती हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि यह प्रश्न यहां लोक-सभा में पेश हुआ क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां अभी तक लोगों के दिलों में मालूम होती हैं और शायद मैं इस मौके पर उन को हटा सकूं।

यहां पर इस बात की चर्चा हुई कि एक अलग संविधान बनेगा यह कैसी बात है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि अलग संविधान का प्रश्न इस में कहां उठता है और कहां वह बनने वाला है। अब अलग से तो कोई संविधान बनने का इस में कोई सवाल ही नहीं है जड़ से नहीं है। आधे या चौथाई का सवाल भी नहीं है। अब जो लोगों को एक धोखा हो गया है वह शायद इसलिये हो गया है कि जो एक मजमून नागा डेलीगेशन ने तैयार किया था उस में उन्हों ने लिखा था कि जब हम से यह फैसला हो जाय जिस को कि वह पोलिटिकल फैसला कहते थे तो उन्हों ने कहा था कि उस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

फैसले के हो जाने के बाद वे अपना कांस्टीट्यूशन बनायेंगे । इस से शायद लोगों को धोखा हो गया लेकिन हम ने उन से कहा कि यह बात तो हो नहीं सकती । कांस्टीट्यूशन बनता है लोक-सभा में और कहीं पर वह नहीं बनता है । लेकिन एक चीज वह बना सकते हैं जोकि कांस्टीट्यूशन नहीं है लेकिन जिस को कि आप बाईलाज़ कह सकते हैं जैसे बाईलाज़ कि म्युनिसिपैलिटीज़ बनाती हैं या उसी तरह की कोई और बौडी बनाये । इसलिये यह बात साफ हो जाती है कि कांस्टीट्यूशन बनाने की बात तो है ही नहीं ।

दूसरी चीज़ यहां पर यह कही गई कि एक बात इस में पूरी तौर से साफ नहीं है । इंटैरिम पीरियड, ट्रैंजीशनल पीरियड और कई ऐसी बातें कही जाती हैं । अब पहली बात तो यह है कि हम ने उन को स्वीकार किया यकीनन एक स्टेट की हैसियत से लेकिन उस में बिलफेल एक अटकाव है, लिमिटेशन्स हैं । एक तो यह कि कई दर्जे हैं । कुछ थोड़ा सा समय लगता है कानून बनाने में और उसके करने में चन्द महीने लगते हैं । दूसरे यह कि उस के बनने के बाद भी जब तक कि वहां कोई झगड़ा फिसाद हो तो ला एंड आर्डर और किसी कदर फाइनेंस भी गवर्नर की निगरानी में रहेंगे । तीसरी बात यह कि त्वेनसांग एरिया के सिलसिले में यह उन की खुद मांग थी कि वहां पर दस वर्ष तक कोई कांस्टी ट्यूशन हो ही नहीं और वह गवर्नर के नीचे रहे । उन की खुद मांग थी । हम ने हूबहू जो उन्हों ने त्वेनसांग के लिये मांगा था अगर आप उस को पढ़ें तो पायेंगे कि हम ने उन को उसी तरह कबूल किया क्योंकि त्वेनसांग वाले जो यहां आये थे वे भी मौजूद थे और उन की खुद यह मांग थी । यह तो ठीक है कि हम उन को सब को नागाज़ कहते हैं लेकिन उन में भी बहुत कुछ दर्जे हैं और अलग अलग ट्राइब्स हैं और अलग अलग ऐंचातानी है । तो उन्हों ने खुद कहा है कि दस बरस तक ऐसे ही रहें । उनके कुछ नुमायन्दे आयेंगे--उन की जो कुछ असेम्बली बनेगी, लेकिन उस के लिये असेम्बली कुछ कायदे-कानून नहीं बना सकती । वह एक रिज़र्व्ड सबजेक्ट रहेगा । यह उन की मांग थी दस बरस के बाद क्या हो, यह उस वक्त विचार हो ? लेकिन मोटी तौर से यह कहा जाये कि हम ने स्टेट मंजूर किया । हम ने तो पूरी तौर से किया, लेकिन जब तक वहां दंगा-फ़साद पूरी तौर से खत्म न हो जाये, उस वक्त तक ला एंड आर्डर एक महफ़ूज़ मज़मून है, हालांकि यह उन की सलाह से होगा । हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी ला एंड आर्डर का प्रश्न तय हो जायगा ।

श्री त्यागी : ला एंड आर्डर रिज़र्व्ड सबजेक्ट रहेगा गवर्नर के साथ ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, उस वक्त तक, जिस वक्त तक कि झगड़ा-फ़साद है ।

यह सही है कि उस मौके पर भी गवर्नर का फ़र्ज़ होगा कि अपने सलाहकारों से सलाह कर के काम करे, यानी जो उन के नागा एडावाइज़र होंगे, उन से । यह और बात है ।

अब बिलफ़ेल जो बिल्कुल ही एक ट्रांज़ीशनल पीरियड है--मालूम नहीं वह कितने दिन चले, साल भर चले, डेढ़ बरस चले, जो कुछ चले--उस में वह अपने कूछ एडवाइज़र चुनेंगे । अभी तक वह मामला ठीक नहीं है कि वह कैसे होगा, यानी वह अपनी कौंसिल चूनें, या कुछ थोड़े से एडवाइज़र चुनें, जिन की सलाह से गवर्नर काम करेगा, लेकिन उस से गवर्नर का अधिकार कोई कम नहीं होगा, वे एडवाइज़र उन का कहना मानें या न मानें । यह हमारा कांस्टीच्यूशन बदलने की बात नहीं है । यह हम एक रेगुलेशन से भी वहां ला सकते हैं । इस समय भी रेगुलेशन से --कांस्टीच्यूशन में उस का इन्तज़ाम है, मुझे आर्टिकल याद नहीं है,--उस को और सिक्स्थ शिड्यूल दोनों को मिला कर जब चाहें हम ला सकते हैं कि वह एडवाइज़री कौंसिल वहां बना दें और उस में से दो तीन आदमी विशेष कर एडवाइज़र हों गवर्नर के । इस में कोई कठिनाई नहीं है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : लेकिन आप ने यह ज़िक्र किया था कि एक ट्राइब्ज़ के नुमायन्दे को ले कर एक कौंसिल बनेगी, जो एडवाइज़ करेगी गवर्नर को **इन डिसचार्ज आफ़ हिज़ फंक्शन्ज़ ।**

श्री जवाहरलाल नेहरू: यही तो मैं कह रहा हूं कि एक बड़ी एडवाइज़री कौंसिल हो ट्राइब्ज़ की और दो तीन विशेष एडवाइज़र हों, जिन से उन का सम्बन्ध ज्यादा हो । हम यह करने में इन्तज़ार कर रहे थे, क्योंकि इस मामले में, और हर मामले में, हम उन की सलाह से चलना चाहते हैं । कोई मजबूरी नहीं है । मेरा विचार है कि शायद कल या परसों, इन दो तीन दिनों के अन्दर, उन की फिर एक बैठक हो रही है इन बातों पर विचार करने के लिये । तो जो वे सलाह देंगे, उस पर विचार कर के हम थोड़े दिन में रेगुलेशन निकाल कर उस को कर देंगे । हम जानते नहीं हैं । मैं इस समय नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन हो सकता है कि एक बड़ी कौंसिल हो, जिस में ट्राइब्ज़ के नुमायन्दे हों । वहां बहुत सारे ट्राइब्ज़ हैं । मालूम नहीं १६, १७, हैं, कितने हैं ।

एक माननीय सदस्य : सिक्स्टीन ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : हां, सोलह हैं । ऐसे मौके पर गिनती से काम नहीं होता है । सब ट्राइब्ज़ को वहां होना है । आप कहें कि बड़ा ट्राइब है या छोटा ट्राइब है, इस से काम नहीं चलता है । तो जैसे वे कहेंगे, जैसे वे बनायेंगे, उस को हम स्वीकार कर लेंगे और फिर शायद वही कौंसिल अपने में से दो तीन चुने, जोकि विशेष कर सलाहकार हों गवर्नर के । यह तो हो सकता है रेगुलेशन से ।

फिर दूसरा कदम उठेगा, जबकि यह लोक-सभा, यह पार्लियामेंट, कांस्टीच्यूशन में जो कुछ थोड़ा सा बदलना है, उस को बदल दे । तब और होगा । तब और होने पर भी, जैसे मैंने आप से कहा, गवर्नर का अधिकार ला एंड आर्डर के ऊपर कुछ रहेगा और ट्यूनसांग अभी अलग ही रहेगा उन्हीं की दरख्वास्त से । मैं आप को बताऊं ट्यूनसांग की निस्बत, जो कुछ उन्हों ने हम से कहा :--

> "तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन का काम, राज्यपाल दस वर्ष की अवधि तक के लिये चलायेगा या उस समय तक के लिये चलायेगा जब तक कि तुएनसांग डिस्ट्रिक्ट की आदिम जातियां आधुनिक प्रशासन के उत्तरदायित्व को सम्हालने के योग्य न हो जायें । प्रशासन की दस वर्ष की अवधि का आरम्भ उसी समय से होगा जबकि नागा लैंड के अन्य भागों में संविधान तफ़सील से लागू हो जायगा ।"

फिर उस में और तफसील है लम्बी सी कि कैसे चले । लेकिन बुनियादी बात यह है कि उन्हों ने खुद हम से दरख्वास्त की--ट्यूनसांग वालों ने दरख्वास्त की कि दस बरस तक आप इन्तज़ार कीजिये । हम ने उस को मंजूर किया ।

> "इस वर्ष की अवधि के बाद स्थिति का पुनरीक्षण किया जायगा और यदि लोगों की ऐसी इच्छा हुई तो समय और बढ़ा दिया जायगा ।"

यह तो उन की मांग है ।

मैं आप को बताऊं कि कोई बारह बरस हुए, जब से ये सवाल मेरे सामने आये । मैं तो उस समय बहुत ज्यादा जानता नहीं था भारत के इस हिस्से को । लकिन जहां वे आये, मुझे दिलचस्पी हुई । मैं गया भी । वहां मिला भी लोगों से और यों भी आम तौर से मुझे पहाड़ी लोग अच्छे लगते हैं । लेकिन नागा लोगों से मुझे खास कुछ मुहब्बत सी होने लगी थी, उन के जिस्म से, उन के रंग-ढंग से, उन के सीधे खड़े रहने से, सीधे देखने से, सिर नहीं झुकाने से । एक माकूल लोग थे । मैंने कहा, यह तो एक दौलत है किसी मुल्क के लिय। हमारे लिये ऐसे लोगों को अपनाना तो हिन्दुस्तान की एक ताकत होगी उस वक्त से यह बात है । यह मैं नहीं कहता कि हम से या आसाम गर्वनमेंट से ग़लतियां नहीं हुईं ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

वह दूसरी बात है। होती हैं, क्योंकि वह ज़माना अजीबो-ग़रीब था। हम फंसे थे अपनी बातों में, पार्टिशन के बाद यहां झगड़े फसाद थे, और बातें थीं। हुई ग़लतियां। कोई शक नहीं है। लेकिन बहरसूरत मेरे सामने यह बात थी कि उन को कैसे अपनायें, क्योंकि मैं उन की कद्र करता था। यों भी चाहता मैं, लेकिन उस से ज्यादा मैं उन की कद्र करता था कि वे आयें। शुरू से, जब से फ़िज़ो साहब मुझ से मिलने आये—दो दफ़ा मिले, एक दफ़ा यहां दिल्ली में, जैसा कि उन्होंने कहा है, जयपाल सिंह जी की कुछ मदद से आये थे और दूसरी दफ़ा मैं आसाम में उन से मिला था—मैंने उन से और उन के जो साथी आये थे, उन से कहा कि हम पूरी तौर से आज़ादी—आटानोमी देना चाहते हैं आप को, हर एक को। अव्वल तो मैंने कहा कि "आप इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि इंडिपेंडेंट आप हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूं आप इंडिपेंडेंट हैं, और इंडिपेंडेंस मैं कहां से ला कर दूं। आप का मुल्क है। आप उतने ही इंडिपेंडेंट हैं, जितना मैं हूं।" लेकिन मैंने कहा कि "अगर आप भारत से अलग होना चाहें, यह बात मैं आप से नहीं करूंगा। सीधी बात है।" मैंने कहा, "यह फ़िज़ूल बहस है। मैं उस की बहुत सारी वजूहात पेश कर सकता हूं। फ़िज़ूल वक्त ज़ाया करना है और उस को छोड़ कर पूरी आटोनोमी आप को होनी चाहिए। यह मेरी राय है, आप के दबाव की बात नहीं है।" शुरू से मरी यह राय थी और शुरू से उन से कहा गया था। कोई नई बात उन को नहीं दी गई।

वहां फिर फ़िज़ो ने झगड़ा-फ़साद शुरू किया। पहले जो कुछ पर्दे के पीछे—पर्दे के पीछे से मतलब, ऊपर से हम से बातें होती थीं और पर्दे के पीछे जा कर उन्होंने इस का इन्तज़ाम किया और पहले ट्यूनसांग में किया, नागा हिल्ज़ में नहीं किया। पहले ट्यूनसांग में उन्होंने झगड़ा-फ़साद शुरू किया फिर आगे। ख़ैर वह बढ़ता गया। उस बढ़ने की वजह से जो कार्रवाई हम करना चाहते थे वहां, वह हम नहीं कर सके, क्योंकि जब झगड़ा-फ़साद है, बलवा है, तो कैसे हम यहां ये बातें, यह अमेंडमेंट, करें।

हां, एक बात थी। मैंने उस वक्त यह नहीं सोचा था कि एक सोलहवां राज्य इस को बनायें। यह ख्याल उस वक्त दिमाग़ में नहीं आया था, क्योंकि हमारे दिमाग़ चलते थे बड़े बड़े राज्यों में, छोटे नहीं। लेकिन यह मेरा ज़रूर ख्याल था कि वहां, और और जगह, पूरी आज़ादी दी जाये। जिस ढंग से हम अपने कांस्टीच्युशन में दे सकें, दें।

तो जब फिर तीन बरस हुए, सन् १९५७ में, वहां हालत कुछ अच्छी हुई और वे लोग मिले, अपना कनवेन्शन किया, तो हम ने उसका स्वागत किया और कनवेन्शन के बाद उन्होंने चन्द बातें पेश कीं। पहली बात यही थी कि ट्यूनसांग और नागा हिल्ज़ एरिया को मिला दिया जाये और ये दोनों एक्सटर्नल एफ़ेयर्ज़ मिनिस्ट्री के नीचे रखे जायें। अब इस में लोग शिकायत करते हैं और समझते हैं कि इस में कोई चालबाज़ी है, लेकिन उस समय की हालत को देखते हुए यह एक बिल्कुल मामूली बात थी, क्योंकि नागा हिल्ज़ का उस वक्त तक सम्बन्ध आसाम से था, ट्यूनसांग का था नेफा से और नेफ़ा का था एक्सटर्नल एफ़ेयर्ज़ मिनिस्ट्री से। वे कुछ नाखुश हो गये थे अपने आसाम के सम्बन्ध से। क्यों, वाजिब था या नहीं, यह दूसरी बात है। असल में वे उससे अलग होना चाहते थे, ज़ाब्ते से और नेफा के ज़रिये वे एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री को जानते थे। वे चाहते थे कि हमारा साथ हो उस से। तो यह सवाल होम मिनिस्टरी या एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्टरी का कभी उठा नहीं। असल में देखा जाये तो यह एक अन्दरूनी मामला है कि कौन मिनिस्टरी किस काम को करे। इस तरह की चीज़ को कांस्टीट्यूशन में कोई नहीं लिखता और न कोई लिखेगा। यह अन्दरूनी मामला है। तो ये जो हिस्से हैं जिन को कहा जाये कि सैटल्ड हिस्से नहीं हैं, जहां पर कि मामूली कांस्टीट्यूशन नहीं चलता वे एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्टरी

के पास रखे गये थे, बार्डर एरियाज़ वगैरह, जैसे नेफ़ा एरिया है । इसलिए कि जब वे सैटल हो जायें तो होम मिनिस्टरी के सुपुर्द हो जायेंगे । तो जब वक्त आयेगा, देख लेंगे । वहां खास सवाल उठते थे, पेचीदा सवाल उठते थे, बोर्डर के, इसके, उसके, फौज के, असम राइफल के और असम राइफल एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्टरी के नीचे है । तो यह जो तसवीर है, यह उनके सामने थी । इसलिए उन्होंने तीन साल हुए कहा कि आप इसको एक माने में जोड़ दें तुएनसांग में जोकि एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्टरी में है । हम ने इसको मंजूर किया और पार्लियामेंट में बात रखी गई और पार्लियामेंट ने इसको स्वीकार किया ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा कि तीन बरस से मामला अटका हुआ है, इसको पहले तय क्यों नहीं किया गया । औरों ने भी इसके बारे में कहा है । जब से यह बात उठी है, तीन बरस हुए, हम इंतिज़ार कर रहे हैं उनके फैसले का । उस वक्त उनकी जो कनवैंशन हुई उसका पहला फैसला जो हुआ वह मैंने आपको बता दिया है । उसको हमने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि हम और सोचेंगे । उन्होंने फिर अपनी छोटी-छोटी कमेटियां बनाईं और उन कमेटियों ने साल साल डेढ़ डेढ़ साल इस पर सोच विचार करने में लगा दिया । फिर उनकी दो तीन कनवैंशन हुईं और यह तीसरी कनवैंशन थी । तो हमारी तरफ से इस में कोई ढील या डिले नहीं हुई सिवाय इसके कि आप कहें कि उनका आखिरी फैसला पिछले अक्तूबर में हुआ था और अब अगस्त है । यह बात आप कह सकते हैं । लेकिन उनका फैसला जहां तक मेरा ख्याल है जो हुआ था उसकी झलक गवर्नर के पास दिसम्बर में आई थी । मेरे पास नहीं आई । उन्होंने इसको पेश किया और कुछ इनफार्मली मिले, बेज़ाबता मिले । मुझे उन्होंने अप्रैल में लिखा और उसके दो या तीन हफ्ते बाद मैं यूरोप जा रहा था । मने उनसे कहा कि मैं इस वक्त आप से मिल नहीं सकता हूं, वापिस आ कर मिलूंगा । तो हमारी तरफ से कोई खास देर नहीं हुई । मुमकिन है महीना भर आगे हो जाता या पीछे हो जाता । तो हम मिले । तीन बरस गुज़रे नहीं हैं । तीन बरस उनके सोचने में, आपस में बहस करने में लगे हैं । बीच में उन्होंने यह भी कोशिश की थी कि जा कर जो लोग होस्टाइल्ज़ हैं, जो अंडर-ग्राउंड कहलाते हैं, उन से भी मिला जाये और उन को भी अपनी तरफ खींचा जाये । उनमें से कुछ लोग खिंचे भी । लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ । तो जो वक्त सर्फ हुआ वह उनकी तरफ से हुआ । आखिर में वे हमारे पास आये और कहने लगे कि बहुत से लोग साथ हैं और वे लोग मानते नहीं हैं, और हम यह चाहते हैं । हमारे सामने सवाल हुआ अव्वल तो यह कि ये लोग पूरे तौर से जिम्मा नहीं ले सकते हैं कि शान्ति हो जायेगी और साफ कहते हैं कि हां हम पूरी कोशिश करेंगे और हमें उम्मीद है कि हो जायेगी हल्के हल्के लेकिन हम नहीं कह सकते हैं कि एक दम से वे लोग हथियार डाल देंगे । दूसरा सवाल हमारे सामने यह पैदा हुआ कि जो चीज़ ये मांगते हैं वह मुनासिब है वाजिब है या नहीं है ।

तो जो चीज़ वे मांगते थे, उसमें मुझे कोई खास एतराज़ नहीं था । जरा मेरा दिमाग अटकता था दो तीन बातों पर । एक तो यह थी कि इतनी छोटी सी स्टेट हम बनायें क्या यह ठीक है । स्टेट देने में मुझे कोई एतराज़ नहीं था । लेकिन छोटी सी स्टेट और स्टेट को चलाने का बोझा होता है वह उन पर पड़े, एक सुपरस्ट्रकचर का, एक गवर्नर और यह और वह, काफी खर्चा होता है, मिनिस्ट्रीज़ सब होती हैं, यह मैं सोचता था । पैसे की तरफ मेरा ख्याल था । मेरा ख्याल ज्यादा इस तरफ था कि ज्यादा खर्चा न हो और टीमटाम न हो ।

दूसरा मेरा दिमाग जो अटका वह इसलिए अटका कि एक नया नागालैंड हो । नागालैंड नाम मुझे बुरा नहीं लगता है । लेकिन बहरसूरत एक नई तरफ जाना था । अब तक जो नाम हैं हमारे प्रदेश के, राज्यों के वे दूसरी ही तरह के हैं । लेकिन फिर भी ये दोनों बातें ऐसी नहीं थीं, मेरी राय में और उसूल की वजह से, कि मैं उनसे झगड़ा करता । मैंने उन से कहा कि मुनासिब हो कि आप नागालैंड

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के बजाय कोई दूसरा नाम रख दें, ट्राइबल नाम कुछ भी हो, रख दें ताकि वह नाम हम को भी पसन्द हो । उन्होंने कहा कि नहीं हम यही रखेंगे । मैंने कहा कि अगर आप इसरार करते हैं तो मुझे स्वीकार है, मैं बहस नहीं करूंगा । और भी एक बात है और उनका इसरार करना बेमानी नहीं है । पिछले दस बरसों से उनकी सारी तहरीक इससे बंध गई थी, इस शब्द से बंध गई थी, इस नाम से बंध गई थी और अगर इसको न किया जाता तो जो दुश्मन हैं वहां, वे उससे फायदा उठाते । तो नागालैंड कहें या कुछ और, हमने मंजूर कर लिया । जहां तक नाम का सम्बन्ध है, वह बुरा नाम नहीं है ।

साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वाका तो यह है और आप इसको याद रखें कि वह एक अलग स्टेट तो नहीं है लेकिन एक अलग हिस्सा हिन्दुस्तान का कई बरस से है । यानी हम कोई रिआगनाइजेशन नहीं कर रहे हैं । हम नये एरिया की कोई नई स्टेट नहीं बना रहे हैं । हम इसको किसी से अलग नहीं कर रहे हैं । असल में अलग तो वह ज़माने से था । अगर ज़ाब्ते से पूछिये तो वह अलग था और अब तीन बरस हो गये हैं उसको अलग हुए । अलग उनका एडमिनिस्ट्रेशन है । यह कोई रिआर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी और स्टेट के हम दो टुकड़े नहीं कर रहे हैं । खाली हमारे सामने सवाल था कि एक जो चीज़ अलग है उसको अधिकार हम कितने दें । इतना ही सवाल था कि स्टेटस क्या दें, अधिकार क्या दें । अधिकार देने को हम हमेशा राज़ी थे, शुरू से राज़ी थे । खाली जो हम अटके तो इसी बात को ले कर कि स्टेट उसको कहें तो स्टेट के साथ धूमधाम होती है और क्यों बांधें इसके साथ खर्चे को । सिर्फ इतना ही सवाल था । दूसरा कोई सवाल नहीं था । जो खर्चा नई स्टेट में होगा वह आखिर उससे कम ही होगा जो हम कर रहे हैं, बाद में ज्यादा नहीं होगा, चाहे इधर हो या उधर हो । तो जब वे मुझ से मिले तो मैंने उन से कहा कि आप स्टेट कहते हैं, स्टेट आपको मुबारिक हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो और स्टेट्स में हमारे यहां टीमटाम है वह सब आपके यहां भी हो तो मुझे उस में एतराज़ है, स्टेट्स के लिए नहीं है । किसी कद्र मेरा यह ख्याल है कि गलती से हम फंस गये हैं इस सब टीमटाम में मेरा मतलब गवर्नर वगैरह से है । सारा खर्चा हमारे ऊपर हैं । फंस गये तो फंस गये, निकलना मुश्किल है ।

श्री ब्रजराज सिंह : कोशिश तो कीजिये ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : तो यह सब कुछ नागालैंड में हो, यह तो बर्दाश्त की बात नहीं है । मैंने कहा कि जो मुनासिब खर्चे हैं और जगह बड़ी बड़ी स्टेट्स में, मिनिस्टरीज़ हैं और यह है और वह है, यह सब चीज़ आपके यहां मौज़ूं नहीं होगी । इस किस्म के खर्च ज़रा सी जगह के लिए, जोकि दिल्ली के मुहल्ले के बराबर है, मुनासिब नहीं मालूम देते हैं । उन्होंने कहा कि हां हम मंजूर करते हैं कि इस किस्म के खर्चे न हों और हमारे यहां खर्चे का जो हिसाब लगाया जाय वह दूसरे ढंग से हो और नकल न की जाय और स्टेट्स की । जो मिनिस्टर्स हों या कुछ और हों, वे हमारे ढंग से हों । फिर आप जानते हैं कि यह मंजूर हुआ कि गवर्नर वहां कोई अलग न हो और हाई कोर्ट भी इसी तरह है । तो आप गौर करें और देखें कि सिर्फ एक ही बात हुई है और वह बात अहमियत रखती है, यह मैं मानता हूं । एक जो अलग एंटिटी थी, एक माने में एक अलग स्टेट थी जिसका स्टेटस कम था, जिसकी पावर्स नहीं थी, उसको पावर्स हमने दी हैं और स्टेटस दिया है । एंटिटी वही रही, कहीं से काटा नहीं, कहीं से लिया नहीं और न किसी को दिया और जो बात हम चाहते थे खास तौर से, यानी उन लोगों को अपनाना उसकी कोशिश की गई है । असल चीज़ यह है कि दस बरस से कोशिश हमारी यह रही है, चाहे वहां फौज जाये या कोई जाये, कि उन लोगों को अपनाया जाये उन्हें अपनी तरफ लाया जाये और वह हिस्सा भी हिंदुस्तान का एक मजबूत हिस्सा हो जाये, अंग हो जाये, उस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए मैं समझता हूं कि हमने अच्छा कदम उठाया है।

अब मैं कैसे पक्के तौर से कहूं कि कितने दिन में वे झगड़ा फिसाद खत्म कर देंगे या और क्या क्या कदम उठेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे झगड़ा फिसाद ज्यादा दिन तक, बहुत दिन तक नहीं चलेगा। थोड़ा बहुत चलेगा, वह और बात है।

बहरसूरत जो भी कुछ हुआ वह मैंने आपके सामने रख दिया है और मैंने राय दी इस कदम को उठाने की और इस चीज़ को आपके सामने पेश कर दिया। अक्सर होता है कि वाकात के दबाव से, कमपलशन आफ इवैंट्स से कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं और बहुत दफा पीने पड़ते हैं। लेकिन इस मामले में कड़वा घूंट यह मेरे लिए नहीं था। यह मैंने खुशी से मंजूर किया है, सही समझ कर मंजूर किया है और सही समझ कर आपके सामने पेश किया है। मैं आप से साफ साफ कह दूं कि एक बात का और ख्याल था हालांकि उससे इसका कोई सीधा ताल्लुक नहीं है। जो विचार था वह यह कि इसका असर भारत के और हिस्सों पर भी पड़ेगा जैसे कि किसी भाई ने कहा कि साहब इसका असर अकाली आन्दोलन पर पड़ेगा। तो यह ख्याल था हालांकि इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह एक अलग चीज है। अलग स्टेट है। होमोजीनियस स्टेट है। पूरी तरह से अलग है और उनको कुछ अधिकार देना था। किसी से अलग नहीं करना था। लेकिन सम्बन्ध हो या न हो, लोग उससे फायदा उठा सकते हैं। अब सिवा इसके और क्या किया जा सकता है कि उनके दिमाग से इस गलत फहमी को दूर किया जाए। लकिन इसकी वजह से हम दूसरी जगह नाइन्साफी करें यह तो मुनासिब नहीं मालूम देता।

जैसा मैं ने कहा कि यह तो एक्सटरनल एफेअर्स मिनिस्ट्री का सवाल है, तो इसका जिक्र कांस्टीट्यूशन में नहीं होगा, वह तो एक अन्दरूनी इन्तिजाम की बात है, और यकीनन मौका आएगा --मेरी तो ज़ाती राय है--कि होम मिनिस्ट्री इसको ले ले। लेकिन वह लोग तो हमारे सारे कांस्टीट्यूशन को समझते नहीं थे। एक चीज को जानते थे पहचानते थे और उन्होंने कहा कि दूसरी चीज शायद ठीक न हो। इसलिए उनसे बहस करके उनके दिल में शक पैदा करना मुनासिब नहीं समझा और हमने मंजूर कर लिया। और इतनी मंजूर करने की बात भी नहीं थी। इस वक्त यही हो सकता है। अगर हम ऐसा न करते तो हमको सारा सिलसिला नेफा का बदलना होता और उसको होम मिनिस्ट्री में लाना होता जोकि बहुत मुश्किल होता, क्योंकि जो हमने सरविस बनायी है नेफा वगैरह के लिए वही वहां चल सकती है। वहां खास किस्म के आदमी ही जा सकते हैं। आपका मामूली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सरविस का आदमी वहां नहीं जा सकता। नहीं जा सकता इसलिए कि कई बातें हैं। एक तो इसलिए कि जो लोग वहां जाएं उनके शरीर बड़े तगड़े होने चाहिएं। जो जरा भी ढीला हो वह वहां नहीं जा सकता, उसको फिजीकली फिट होना चाहिए, फिजीकली स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरे जो लोग वहां जाते हैं उनको सारी दुनिया से अलग रहना होता है, वहां दुनिया के कम्फर्ट, सिनेमा वगैरह नहीं हैं। वहां कोई तमाशा नहीं है। वहां जंगलों में रहना होता है, हिम्मत से रहना होता है, तमाशों से दूर रहना होता है, अक्सर अपने परिवारों से अलग रहना होता है। इसलिए लोग वहां जाने के लिए आसानी से राजी नहीं होते। इसलिए हमने वहां के लिए एक खास पोलीटिकल सरविस बनायी और उसके लिए कुछ आदमी फौज से चुने गए और कुछ दूसरी सरविसेज से लिए गए। उनको ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो उनको अगर हम एक दम से मिला देते तो दिक्कत पेश आती क्योंकि दूसरे लोग वहां जाने से इन्कार करते।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : आपके हिसाब से आपने इसको एक्सटरनल एफेअर्स मिनिस्ट्री में रखना ठीक समझा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जैसा मैं ने कहा इस वक्त यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। चाहे वह मानते या न मानते, इस वक्त यही हो सकता है। लेकिन जब गाड़ी चलने लगे तो अच्छी बात हो कि वह और स्टेट्स की तरह होम मिनिस्ट्री में चला जाए।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मुझे कोई शक नहीं और जो खबर हमारे पास आयी है उससे भी यही पता चलता है कि जो हमने यह आरजी फैसला किया है उसका नागा लैंड में अच्छा असर हुआ है। आप याद रखें कि यह असर किन पर पैदा करना है। कुछ लोग पूछ सकते हैं कि साहब जो फिजो के साथी हैं उन पर क्या असर हुआ होगा। मैं नहीं जवाब दे सकता इसका, गालिबन कोई असर न हुआ हो या बुरा असर हुआ हो। मैं नहीं जानता कि फिजो के साथी कितने हैं। लेकिन फर्ज कर लीजिए कि वह १० फीसदी हों या १५ या २० फीसदी हों। फर्ज कर लीजिए कि यह जो लोग हमारे पास आए थे ये २० या २५ फीसदी हैं। लेकिन बीच में ६० या ७० फीसदी ऐसे लोग हैं जो कि न किसी सूरत में फिजो के साथी हैं और जो न गिरे पड़ते हैं हमसे गले मिलने को। वह बेचारे अपनी जिन्दगी बसर करा चाहते हैं शान्ति से और किसी कदर आराम से और आजादी से। तो हमारे सामन सवाल यह है कि इन ६०–७० फीसदी को कैसे खींचें अपनी तरफ। जो दुश्मन के तौर पर अलग खड़े हैं उनको हिलाना मुश्किल है। लेकिन अगर हम इन ६०–७० फीसदी को अपनी तरफ खींच सकें तो ८० फीसदी आबादी को हम अपनी तरफ कर लेंगे। तो देखना यह है कि इन लोगों पर क्या असर होता है जो कि बीच के लोग हैं। जो लोग बीच के होते हैं वह ज्यादातर पोलीटिकली माइंडिड नहीं होते। वह अपने घर में इज्जत से रहना चाहते हैं। उनको हमें अपनाना है। मेरा ख्याल है कि जो कनवेंशन के लोग यहां आए थे वह किसी कदर उनकी नुमायन्दगी करते हैं और उनके ऊपर अच्छा असर हुआ है।

किसी साहब ने कहा कि वह ईसाई हैं, लेकिन पूरे तौर से यह बात सही नहीं है। आबादी के लिहाज से बहुत कम ईसाई हैं। ज्यादातर को मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। उनको हिन्दू कहना सही नहीं होगा। जो उनको हिन्दू समझते हैं वह गलत समझते हैं। बहरसूरत, वह न ईसाई हैं और न हिन्दू हैं बल्कि एनिमिस्ट हैं। लेकिन यह बात सही है कि जो वहां ईसाई नागा हैं लीडरशिप उनकी ही है। इसकी वजह यह है कि वही पढ़े लिखे हैं। उनको उनकी भाषा रोमन लिपि में पढ़ायी गयी है। उनको मिशनरीज ने ही रोमन लिपि में पढ़ाया है। पढ़े लिखे होने से अधिकतर वही लीडर हैं हालांकि गिनती में वह कम हैं।

यह कहा गया कि वहां जाने से लोगों को रोका जाता है, शायद ब्रजराज सिंह जी ने यह कहा था। अंग्रेज़ों के जमाने में भी लोगों को वहां जाने से रोका जाता था लेकिन उसकी कुछ और वजूहात थीं।

हमने भी इस पर गौर किया और हमने देखा कि जो लोग वहां भारत के और हिस्सों से जाते हैं वह बहुत गड़बड़ी पैदा करते हैं। कौन लोग यहां भारत के और हिस्सों से आते थे? आम तौर से व्यापारी आते थे। और व्यापारी आकर उन्हें बुरी तरह से एक्सप्लाइट करते थे। वह निहायत सीधे सादे आदमी हैं, उनको मारकेट इकानमी वगैरह से क्या मतलब। लोग यहां से जाकर उनको धोखा देते थे और एक्सप्लाइट करते थे। और उनके टेस्ट को भी खराब करते थे। यहां से सस्ते फेबरिक्स ले जाकर उनकी सुन्दर चीज़ों को मारकेट से निकाल देते थे। हम यह पसन्द नहीं करते, इसलिए हमने उनको रोका। हमने उनकी काटेज इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया और यहां की चीज़ों के लिए भी कोआपरेटिव्स खुलवाईं ताकि वह चीज़ें उनको उनके मारफत मिलें और उनका एक्सप्लायटेशन न हो।

दूसरे बाहर के लोग वहां जा कर जमीन खरीदते हैं, यह झगड़े को बात है। वहां जमीन की ज्यादा कद्र है जैसी कि और जगह भी है। अगर कोई बाहर का आदमी वहां जाकर किसी को दस पैसे का लालच देकर जमीन खरीदे तो झगडे पैदा होते हैं। तो हमने उनकी जमीन को

प्रोटेक्ट किया। याद रखिए कि हमारे कांस्टीट्यूशन के छठे शिड्यूल्ड में एक खास क्लाज है जिसमें हिली एरियाज़ में जमीन को बचाने का प्रावीजन है।

एक और भी दिक्कत होती थी। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर वहां गए और पोलीटिकल आफिसर गए, उनके नौकर चाकर भी गए और कंट्रेक्टर भी गए। उनसे भी परेशानी पैदा हुई—एडमिनिस्ट्रेटर्स से नहीं क्योंकि उनको तो हम समझा देते थे, लेकिन जो उनके हाली मवाली उनके साथ जाते थे, वह नहीं समझते थे कि वह कैसा मुल्क है। तो झगड़े होने लगे, कभी औरतों के सिलसिले में, कभी किसी और वजह से। वहां ट्राइबल बलवे हो जाते थे अगर हमारे किसी नौकर चाकर से किसी औरत का ताल्लुक हो गया। तो हम झगड़ों में फंसे। इसलिए हमने इसको रोका।

और एक चीज़ है जो हर आदमी को जो वहां जाए समझनी चाहिए। यह लोग—मैं इस वक्त नागाओं के बारे में नहीं कहता—आप इनको किसी कदर वहसी कह लीजिए—हालांकि यह पूरे तौर से ऐसे नहीं हैं, बाज बातों में हैं बाज में नहीं हैं—तगड़े लोग हैं, बइज्जती को बरदाश्त नहीं कर सकते। जसे यहाँ गालीगलौज को लोग बरदाश्त कर लेते हैं, वहां नहीं करते।

श्री त्यागी : अच्छा है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अगर त्यागी जी वहां जाएं तो इन को बहुत फूंक फूंक कर. कदम बढ़ाना होगा।

वहां एक बहुत बड़ा इंसीडेंट हुआ जो कि आज तक याद किया जाता है। कोई चालीस पचास बरस हुए कि एक अंग्रेज वहां एक काफिला और कुछ फौज ले कर गया। वह उनकी किसी चीज पर, उनके किसी कस्टम पर हंस दिया, उसने उनके कस्टम का मजाक उड़ाया। उसी रोज रात को वह सारा काफिला और वह अफसर कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन लोगों ने समझा कि इस तरह हंस कर उसने उनकी बेइज्जती की थी। तो आप देखें, यह तो वहां का टैम्पर है ऐसे तो वहां लोग हैं, सिम्पल लोग जो कि जरा भी नाराज हो जायें तो बदला लें। इसलिए वहां पर आम तौर से भेज देना बड़ा खतरनाक है और झगड़ा बढ़ सकता है। मैंने कोशिश की कि न वहां पर ठेकेदार जायें और न ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग जाएं कुछ जाना ही पड़ता है। इस तरह से रोकथाम हो। अब हमारे सामने एक नया सवाल पेश हुआ है, कुछ और वजूहात से, वहां के लोगों से नहीं, कुछ हमारी फौजें वहां सरहद के पास हैं। इसलिए मैं ने लम्बे लम्बे सरकुलर्स भेजे हैं फौज को समझाने के लिए कि कैसा उनके साथ बर्ताव किया जाय। अब उनके साथ फौजी धमकियां नहीं चलती हैं बल्कि जरूरत है उनको अपनाने की। उनको अपनाओ, उन से दोस्ती करो और न तो उनकी औरतों में और न किसी और चीज में कोई दखल दो इसलिए आप समझें कि यह आसान बातें नहीं थीं। ऐसा नहीं था कि हम दरवाजा खोल दें और हर एक यहां से उधर चला जाय और जिससे कि हमारे लिए वहां पर नई नई प्राबलम्स उठ खड़ी हों। इसलिए आप इन सब मसलों पर गौर करें।

आप देखेंगे कि हालांकि जो बात हम करते हैं वह एक मानी में एक नया कदम है क्योंकि हम एक छोटी सी जगह को ले कर एक नया राज्य बनाना चाहते हैं लेकिन वह कोई रिकांस्टीट्यूशन नहीं है और वह कोई रिआर्गेनाइज़ेशन आफ स्टेट्स नहीं है बल्कि वह तो एक छोटे से इलाके को स्टेट्स देना है और अधिकार देना है। वह बिलकुल एक होमोजैनस शकल की चीज है। अब वाकया तो यह है कि उस की सारी बैकग्राउन्ड आप की और हिन्दुस्तान की बेकग्राउन्ड से और संस्कृति से अलग है। अब मैं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इस मौके पर इस बहस में नहीं जाता हालांकि यह बड़ी दिलचस्प बहस है कि ऐसी कौमों के लोगों से किस ढग से बर्ताव होना चाहिये । अब बाज लोग तो उन को मौडर्नाइज़ किया चाहते हैं बड़ी तेजी से और बाज लोग उन को रक्खा चाहते हैं अजायबघर में । यह दो चीजें हैं । मेरी राय में यह दोनों चीजें गलत हैं । अजायबघर में रखना भी गलत है और मौडर्नाइज़ करना भी ठीक न होगा । अब मौडर्नाइज़ करने के मानी क्या होते हैं । उस के लिये पहले तो बनिए की दुकान वहां पर खोलें और वह अपने कपड़े बेचें और उन का सारा आर्ट और कल्चर खत्म कर दिया जाय । उन को एक्सप्लायट किया जाय और वह एक ओपेन मार्केट हो जाय । फिर जैसे कि हमारे कुछ अफसरों की भी राय थी कि उन को ब्वाय स्काउट का काम सिखाया जाय । अब आप ही सोचिये कि ब्वाय स्काउट का काम उन को सिखलाना चाहते हैं जोकि जंगल के रहने वाले हैं और जोकि हजार गुना हम से वहां के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं और उन को सिखायेंगे ब्वाय स्काउट्स कि कैसे जंगल में वे रहें तो यह तो एक निकम्मी बात और बेमानी बात होगी । इसी तरह यह जो हमारे ब्लाक्स हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक्स हैं, अब उन की बाबत वहां से सरकुलर्स निकलते हैं और जोकि निहायत मौजूं हो और जगहों के लिये लेकिन जब वही सरकुलर नागा हिल्स में पहुंचता है या नेफा में पहुंचता है तो वहां के लिये वह बिलकुल नामौ ूं है । उस जगह से उस का कोई ताल्लुक नहीं है और पहले जो वहां भेजा सो गलती हो गई लेकिन अब उस की रोकथाम हो गई । तो यह दिक्कतें होती हैं ।

मेरा ख्याल है कि वैरियर ब्लेविन ने जो इस बारे में किताब लिखी है और उस में जिक्र किया है और मैं ने उस की प्रस्तावना लिखी है अगर आपको दिलचस्पी हो जानने के लिये कि हमारी नीति, हमारी फिलासफी क्या है उस एरिया में तो वह किताब यहां लाइब्रेरी में रक्खी हुई है उस को उठा कर पढ़ लें और मैं चाहता हूं कि आप उस को जरूर पढ़ें क्योंकि उस किताब में इन बातों पर काफी बहस हुई है । वह कोई आज की किताब नहीं है बल्कि वह चार पांच वर्ष पहले की लिखी हुई है ।

जहां तक श्री जयपालसिंह का ताल्लुक है मैं उन की राय की बड़ी कद्र करता हूं और इस वक्त वह शिलांग में ट्राइबल एफेयर्स के हमारे औफिशिएल एडवाइज़र हैं । मुझे खुशी है कि यह बहस हुई क्योंकि इस से कुछ ज्यादा रोशनी इस मसले पर पड़ी है । अब कांस्टीट्यूशन के एमेंड करने की बात सामने आई है ।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को और प्रधान मंत्री महोदय जिन्हों ने इस विवाद में भाग लिया है, धन्यवाद देता हूं । यह सन्तोष की बात है कि उन्हों ने इस गलतफहमी को दूर किया है कि नागा लैंड का कोई अलग कांस्टीट्यूशन नहीं होगा । जो भी संविधान बनेगा इस संसद् में बनेगा । इस संसद् के बाहर नहीं बनेगा । मैं समझता हूं कि नागा नेताओं ने यहां से लौटने के बाद जो बातें कही हैं उन के कारण यह गलतफहमी पैदा हुई और अब उस का निराकरण हो जाना चाहिये । यह भी सन्तोष की बात है कि उन्हों ने अनुभव किया कि हमारे राज्यों में जो किसी प्रकार की टीमटाम अधिक हो गई है उस को कम किया जाना चाहिये । वह टीमटाम केवल राज्यों में ही नहीं है बल्कि वह नई दिल्ली में भी है । इस टीमटाम में भी थोड़ी सी कमी करने की जरूरत है ।

माननीय सदस्यों ने जो भाषण किये उन से कम से कम मेरी इस आशंका की पुष्टि हो गई कि भले ही नागा लैंड प्रधान मंत्री के कथनानुसार कोई एक नया राज्य न बनाया गया हो मगर उस से देश में छोटे छोटे राज्यों की मांग को बल मिलेगा और अगर आम आदमी यह समझें कि हमारा अलग राज्य बन जायगा तो उस की गलती नहीं है क्योंकि इस विवाद में जिन सदस्यों ने भाषण दिये

उन में किसी ने तो पंजाबी सूबे की वकालत की है तो किसी ने झारखंड की वकालत की है और किसी ने हिल स्टेट की मांग की है। अब अगर संसद् के सदस्य भी यह समझते हैं कि जो नागा लैंड बना है उस के आधार पर और भी राज्य बनने चाहियें तो मैं ने भी तो यही कहा था। इस से फिर आम आदमी को भड़काने में कितनी सहायता मिलेगी, इस का विचार करना चाहिये। मगर मुझे विश्वास है कि जो हो गया सो हो गया लेकिन उस के आगे अब देश का और अधिक विघटन, पुनर्गठन के नाम पर नहीं किया जायेगा और हमें आशा करनी चाहिये कि नागा प्रदेश में शांति स्थापित होगी और वहां के लोग शेष भारतवासियों की तरह भारत के नागरिक की भांति से और भारत माता के पुत्र के नाते एक समान संस्कृति के उत्तराधिकारी के रूप में देश के विकास में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा, शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

[गुरुवार, १८ अगस्त, १९६०
२७ श्रावण, १८८२ (शक)]

विषय — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . . १५२१--४३

तारांकित
प्रश्न संख्या

४८६ पश्चिम बंगाल में उर्वरक का कारखाना . . . १५२१—२३
४८७ विनय मार्ग के फ्लेट . . . . १५२३—२४
४८८ प्रत्यर्पण सन्धि . . . . . १५२४—२५
४८९ पंजाब के पर्वतीय क्षत्रों का विकास . . १५२५—२६
४९० तिब्बती शरणार्थी . . . . . १५२६—२८
४९१ बैंक कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण . . १५२८—२९
४९३ मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात १५२९--३०
४९४ कृषि-ट्रैक्टरों का निर्माण . . . १५३०--३३
४९५ यूरोपीय सामान्य मंडी . . . . १५३३—३५
४९६ रबड़ के पौधों का पुनरारोपण . . . १५३५—३६
४९७ भविष्य निधि . . . . १५३६—३७
४९८ भारत-चीन सीमा विवाद . . . . १५३७ -४०
४९९ सूत की कीमतें . . . . . . १५४०—४३
५०० इंडोनेशिया के साथ व्यापार करार . . १५४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर . १५४४—१६११

तारांकित
प्रश्न संख्या

४९२ राज्य व्यापार निगम १५४४
५०१ ट्रांजिस्टर रेडियो सेट १५४४
५०२ औद्योगिक कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान . १५४४—४५
५०३ अभ्रक का निर्यात १५४५
५०४ गैर-सरकारी चलचित्र निर्माताओं को सहायता . . १५४५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—**जारी**

तारांकित
प्रश्न संख्या

५०५	दूसरी पंचवर्षीय योजना से अग्रेनीत विनियोजन . .	१५४६
५०६	भारत में पाकिस्तानियों का आगमन . . .	१५४६
५०७	श्रीनगर में ग्रीष्म ऋतु में वार्षिक सम्मेलन . . .	१५४६–४७
५०८	यूरोपीय देशों की "आउटर सेवन" योजना . .	१५४७
५०९	कलात्मक हस्तशिल्प का प्रशिक्षण-व-उत्पादन केन्द्र .	१५४७–४८
५१०	विटामिन "सी" का उत्पादन	१५४८
५११	"साल्वेंट" विधि से तेल निकालने के संयंत्र . . .	१५४८–४९
५१२	चीनियों द्वारा गिरफ्तार किये गये भारतीय . .	१५४९
५१३	कांगो के लिये भारतीय सेना	१५५०
५१४	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघ . . .	१५५०
५१५	मैसूर में साइकल का कारखाना	१५५०
५१६	सोवियत मंत्री विश्वविद्यालय	१५५१
५१७	दसूआ कोयला खान	१५५१–५२
५१८	"डिस्कवरी आफ इंडिया" . . .	१५५२
५१९	दिल्ली में शहीदों का स्मारक	१५५२–५३
५२०	बागान उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड . . .	१५५३
५२१	ओखला औद्योगिक बस्ती	१५५३
५२२	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम . . .	१५५३–५४
५२३	हिन्द महासागर का सर्वेक्षण	१५५४–५५
५२४	राजामुन्दरी में कागज का कारखाना . . .	१५५५
५२५	सेलम में अल्यूमिनियम संयंत्र	१५५५–५६
५२६	पंखों का निर्यात	१५५६
५२७	केरल में केबल कारखाना . . .	१५५७
५२८	तिब्बत में भारतीय	१५५७–५८
५२९	यूगांडा में एशियाई लोग	१५५८
५३०	उर्वरकों का उत्पादन	१५५९
५३१	भवन निर्माण निगम	१५५९
५३२	इन्द्रा मार्केट, दिल्ली	१५५९
५३३	बरेली का कृत्रिम रबड़ का कारखाना . . .	१५६०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—जारी	
तारांकित प्रश्न संख्या	
५३४ भारत पाकिस्तान सीमा का निर्धारण	१५६०–६१
५३५ कपड़ा मिलों का बन्द होना	१५६१–६२
५३६ न्यू चाइना समाचार एजेंसी	१५६२
अतारांकित प्रश्न संख्या	
६०८ केरल राज्य को वित्तीय आवंटन . . .	१५६३
६०९ महाराष्ट्र का औद्योगिक विकास . . .	१५६३
६१० प्लास्टिक का उत्पादन	१५६४
६११ महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के हाथ करघा उद्योग . .	१५६४
६१२ हाथ से बने कागज का आयात	१५६४
६१३ सड़क परिवहन अध्ययन दल	१५६५
६१४ सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत रेडियो सेटों का सम्भरण .	१५६५–६६
६१५ जबलपुर के गन कैरिज कारखाने में लकड़ी (टिम्बर) की हानि .	१५६६
६१६ बांस के बोर्डों का निर्माण	१५६६
६१७ "अगर" लकड़ी	१५६७
६१८ इत्र–फुलेल.	१५६७–६८
६१९ तरल रबड़	१५६८
६२० गैस संयंत्रों के लिये कोयला	१५६८–६९
६२१ चमड़ा कमाने की छाल का सत् तैयार करना . .	१५६९
६२२ वारंगल में औद्योगिक बस्ती	१५७०
६२३ रतलाम और भोपाल में गन्दी बस्ती सफाई परियोजनायें .	१५७०
६२४ पश्चिम जर्मनी में भारतीय छात्र . . .	१५७०
६२५ विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में नागरिक सेवायें .	१५७०–७१
६२६ लुधियाना में स्कूटरों का निर्माण . . .	१५७१
६२७ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, उत्तर प्रदेश . . .	१५७१–७२
६२८ उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग	१५७२
६२९ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी	१५७२–७३
६३० व्यापार प्रबन्ध का प्रशिक्षण	१५७३
६ १ प्रलेखीय चलचित्र	१५७३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६३२	अधिकृत स्टाल वाले	१५७३–७४
६३३	नमक उद्योग	५१७४–७५
६३४	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस	१५७५—७७
६३५	राष्ट्रमंडलीय आर्थिक समिति	१५७७–७८
६३६	राजनैतिक दलों के प्रमुखों को आवास स्थान	१५७८
६३७	इलेक्ट्रानिक साज सामान	१५७८–७९
६३८	कर्मचारी राज्य बीमा योजना	१५७९
६३९	"कैरोलाइट"	१४७९
६४०	हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी, लिमिटेड	१४७९
६४१	हीरा काटने के औजार का कारखाना	१५७९–८०
६४२	न्यूयार्क में व्यापार केन्द्र	१५८०
६४३	कलकत्ता ट्रामवेज हड़ताल के बारे में जांच की रिपोर्ट	१५८०
६४४	रंग संबंधी मामला	१५८०
६४५	औद्योगिक बस्तियों में शेड	१५८०–८१
६४६	भूमि विकास के लिये ऋण	१५८१
६४७	फोटोग्राफी का सामान	१५८१–८२
६४८	नमक समिति की रिपोर्ट	१५८२
६४९	दस्तकारी का विकास	१४८२
६५०	हिमाचल प्रदेश में खादी तथा ग्रोमोद्योग केन्द्र	१५८२–८३
६५१	हिमाचल प्रदेश के लिये लोहा, ताम्बा और पीतल	१५८३
६५२	कुटीर उद्योग और जड़ी-बूटियां	१५८३
६५३	रुपये की अदायगी के सम्बन्ध में करार	१५८४
६५४	विश्व कृषि प्रदर्शनी	१५८४
६५५	सरकारी उपक्रम	१५८४–८५
६५६	अमरीका को चाय का निर्यात	१५८५
६५७	सैलम में यूरेनियम के निक्षेप	१५८५–८६
६५८	दिल्ली के घरेलू कर्मचारियों का कल्याण	१५८६
६५९	सेनिटेक्स केमिकल्ज़ इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बड़ौदा	१५८६–८७
६६०	पूर्निया जिला शरणार्थी सन्था	१५८७

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

९६१	इलेक्ट्रोलिटिक मेंगनीज़	१५८७–८८
९६२	तिब्बत में लद्दाखी	१५८८
९६३	उड़ीसा में काफ़ी की खेती	१५८८
९६४	द्वितीय पंच वर्षीय योजना	१५८८–८९
९६५	महाराष्ट्र में कार्य तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१५८९
९६६	लघु उद्योग	१५८९
९६७	आसाम में चाय उद्योग	१५८९–९०
९६८	लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग क्षेत्रों से खरीद	१५९०
९६९	लघु उद्योगों की वस्तुओं की बिक्री	१५९०–९१
९७०	मद्रास का हथकरघा उद्योग	१५९१
९७१	उद्योग विभागों में ग्राम-उपविभाग	१५९१–९२
९७२	राजस्थान में धातु के कारखाने	१५९२
९७३	तिहाड़ का पुनर्निर्माण	१५९२
९७४	छपाई और लिखने का कागज़	१५९२–९३
९७५	समवाय अधिनियम के अधीन विघटित समवाय	१५९३–९४
९७६	सरकारी बस्तियों के सार्वजनिक पार्कों पर अनाधिकार हस्तक्षेप	१५९४
९७७	सरकारी प्रेस	१५९४–९५
९७८	आन्ध्र प्रदेश में चमड़ा उद्योग	१५९५
९७९	पंजाब में मध्यम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना	१५९५
९८०	हींग	१५९५–९६
९८१	अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	१५९६
९८२	अंदमान द्वीपों में कल्याण कार्य	१५९६
९८३	कलकत्ता में गृह उद्योगों के लिये वाणिज्यालय	१५९७
९८४	इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड	१५९७
९८५	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	१५९७–९८
९८६	उल्हासनगर में गैर-दावेदार विस्थापित व्यक्ति	१५९८
९८७	पारपत्रों का नवीकरण	१५९८–९९
९८८	केरल में कार्य तथा प्रशिक्षण केन्द्र	१५९९
९८९	दिल्ली में बेरोजगारी	१५९९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९९०	सीमा पर पाकिस्तानी आक्रमण	१५९९–१६००
९९१	व्यापार शिष्ट-मंडल	१६००
९९२	पश्चिमी जर्मनी में लिये संसदीय शिष्टमंडल	१६००
९९३	भारतीय समाचार चित्र	१६००–०१
९९४	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	१६०१
९९५	तिब्बती शरणार्थी	१६०१
९९६	आकाशवाणी में इंजीनियरिंग स्नातक	१६०१
९९७	केरल के में चाय उत्पादन	१६०१–०२
९९८	केरल में काफ़ी उत्पादन	१६०२–०३
९९९	केरल में रबड़ उत्पादन	१६०३
१०००	सक्रियकृत कोयला	१६०३–०४
१००१	रानीगंज कोयला क्षेत्र के कर्मचारी	१६०४
१००२	पश्चिमी एशिया और अफ्रीका से निर्यात व्यापार	१६०४
१००३	मध्य पूर्व में भारतीय व्यापार आयुक्त	१६०४–०५
१००५	मैसूर में कागज़ के कारखाने	१६०५
१००६	अखनूर युद्ध-विराम रेखा पर बम	१६०५
१००७	इटारसी में उर्वरक संयंत्र	१६०५
१००८	भुसंडपुर शरणार्थी बस्ती	१६०६
१००९	भुसंडपुर की कान्तल बाई बस्ती में स्कूल	१६०६
१०१०	भुसंडपुर बस्ती में स्कूल	१६०६
१०११	१९६० जनसंख्या के लिये अपेक्षित कागज़	१६०७
१०१२	भुसंडपुर के किसानों को सहायता	१६०७
१०१३	मोती बाग–१ में बाजार	१६०७–०८
१०१४	नौरोज़ी नगर–नई दिल्ली	१६०८
१०१५	सरकारी क्वार्टरों में रोशनदान	१६०८–०९
१०१६	सरकारी बस्तियों में विपणन केन्द्र	१६०९
१०१७	पंजाब में निष्काम्य मकान	१६०९–१०
१०१८	पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र में निष्काम्य मकान	१६१०–११
१०१९	उल्हासनगर बस्ती	१६११

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१६१२–१३

(१) ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाली तिमाही में किये गये मितव्ययता के उपायों का परिणाम (और ३० जून और ३० सितम्बर, १९६० को समाप्त होने वाली तिमाहियों के बारे में अनुपूरक जानकारी) बताने वाले विवरण की एक प्रति ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २८ मई, १९६० की जी० एस० आर० ५९३ ।

(दो) रुई नियंत्रण आदेश, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १८ जून, १९६० की जी० एस० आर० ६७१ ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान नमक कम्पनी लिमिटेड का वर्ष १९५८-५९ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) वर्ष १९५८-५९ में उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत नमक (रक्षित भण्डार) आदेश, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ अगस्त, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९३२ की एक प्रति ।

(४) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ७ की उपधारा (२) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ अगस्त, १९६० की जी० एस० आर० ९१९ द्वारा शुद्धीकृत दिनांक २५ जून, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७१८ की एक प्रति ।

(५) अप्रैल, १९६० में नई दिल्ली में हुई स्थायी श्रम समिति के १८वें अधिवेशन की तीसरी बैठक के मुख्य निष्कर्षों के सारांश की एक प्रति ।

(६) "अप्रैल, १९५९ और मई, १९६० के बीच हुए उप-चुनावों के परिणाम" की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश	१६१३

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने १६ अगस्त, १९६० की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा २ अगस्त, १९६० को पारित किये गये मनीपुर भू-राजस्व तथा भूमि-सुधार विधेयक, १९६० को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

विषय — पृष्ठ

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) के बारे में विवरण — १६१४

राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने १९६०-६१ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १६१४

सड़सठवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य १६१४–१५

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने तालचेर की हंडीधुआ कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरस्थापित . . . १६१५

(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दशमिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक, १९६० ।

(२) भारतीय मजदूर संघ (संशोधन) विधेयक, १९६०

विधेयक—पारित . . . . . १६१५—१७

(१) वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

(२) रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) ने प्रस्ताव किया कि विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६० पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित हुआ ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . . १६१८—४२

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) ने वर्ष १९५८-५९ के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार करने के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

नागा पहाड़ियां और तुएन सांग क्षेत्र के बारे में प्रस्ताव . . . १६४३—६७

श्री वाजपेयी ने प्रधान मंत्री द्वारा लोक सभा में १ अगस्त, १९६० को नागा पहाड़ियां और तुएन सांग क्षेत्र के बारे में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा करने के लिये एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री वाजपेयी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

विषय पृष्ठ

शुक्रवार, १९ अगस्त, १९६०/२८ श्रावण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा और उसका पारित किया जाना; अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर और आगे चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार।

GMGIPND—LS III—918 (D) LS—J. C. No. 12406—60-61—19-9-60—135